राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंक : 6] दसवीं विधान सभा के छठे सत्र का छठा दिवस [संख्या : 4

मंगलवार
12 मार्च, 1996

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री कुबेर सिंहजी ।

गरणवास (उदयपुर) की भूमि पर अतिक्रमण

62. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : [श्री कुबेर सिंह (फलासिया) के स्थान पर] क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गरणवास तहसील भाड़ोल जिला उदयपुर की भूमि पर गुजरात राज्य द्वारा अतिक्रमण किये जाने की सूचना जनता/जन प्रतिनिधियों द्वारा सरकार को दी गयी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही कब-कब की गयी ? प्राप्त ज्ञापन एवं उस पर की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त गांव के पास राज्य की सीमा पर निर्मित यात्री विश्राम गृह, जो पंचायत गरणवास द्वारा निर्मित किया गया था, को गुजरात राज्य द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) क्या सरकार ने सीमा विवाद को निपटाने हेतु गुजरात सरकार से वार्ता की है ? यदि हां, तो कब-कब ? की गयी वार्ता का संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त विवाद को निपटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार एवं कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी, हां । राजस्थान की कृषि भूमि पर गुजरात राज्य द्वारा अतिक्रमण किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है, जिस पर कलक्टर, उदयपुर से रिपोर्ट मांगी गयी, राज्य एवं जिला स्तर पर गुजरात राज्य के अधिकारियों से विचार विमर्श किया गया है । इसके अतिरिक्त उप खण्ड अधिकारी, भाडोल से जांच भी करायी गयी ।

(श्री गंगाराम चौधरी)

(2) जी, हां । इस बाबत उप खण्ड अधिकारी, झाड़ोल से मौके की रिपोर्ट चाही गयी । रिपोर्ट के अनुसार उक्त आराजी नम्बर 2597 ग्राम गरणवास की थी, किन्तु इस भूमि को गुजरात राज्य से सम्बन्धित मामलतदार (तहसीलदार) द्वारा विवादास्पद बताया जा रहा था, अतः भू-प्रबन्ध अधिकारी, उदयपुर को दो अमीन एवं एक निरीक्षक सहित मौके की सीमा जानकारी हेतु भिजवाने के निर्देश दिये गये । भू-प्रबन्ध अधिकारी, उदयपुर ने इस कार्य हेतु एक सर्वे टीम का गठन किया है ।

(3) जी, हां । सीमा विवाद को निपटाने हेतु सर्वप्रथम बातचीत दिनांक 20-12-56 को दोनों पक्षों के मध्य हुई थी । दिनांक 30-10-61 को दोनों राज्य के मुख्य सचिवों द्वारा सीमा आयोग का गठन किया गया, जिसमें विवादित सीमावर्ती जिला कलक्टरों को विवादों के निपटारे हेतु अधिकृत किया गया । इस सम्बन्ध में निम्न दिनांकों में बैठकें की गयीं :—

दिनांक 19-01-66, 20-10-68, 17-4-75, 27-5-75, 31-10-75, 1-11-75, 27-6-78, 3-7-78, 19-1-85, 3-2-85, 5-4-86, 30-10-87 व 11-6-93.

दोनों पक्षों ने विवादित क्षेत्र में निपटारे हेतु एक कमेटी के गठन का निर्णय लिया, जिसमें यह भी निर्णय लिया कि सहायक जिला कलक्टर, हिम्मतनगर (गुजरात) एवं उप जिला कलक्टर, सलूम्बर शीघ्र ही अनुकूल तिथि तय कर मौके की जांच कर वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट अपने-अपने जिला कलक्टरों को भेजेंगे तथा सहायक कलक्टर, हिम्मतनगर एवं उप जिला कलक्टर, झाड़ोल दिनांक 25-6-93 मय रिकार्ड एवं स्टाफ के मौके पर पहुंचकर अपनी-अपनी रिपोर्ट तैयार कर सम्बन्धित जिला कलक्टरों को भेजेंगे । तथा सहायक जिला कलक्टर, हिम्मतनगर के मौके पर नहीं पहुंचने से उपरोक्त कार्यवाही में आगे कोई प्रगति नहीं हो पायी है ।

(4) जी, हां । इस संदर्भ में राजस्थान सरकार की ओर से कलक्टर, उदयपुर व गुजरात सरकार की ओर से कलक्टर, साबरकांटा संयुक्त वार्ता, हेतु अधिकृत हैं । जिला कलक्टर द्वारा रिपोर्ट सरकार को प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी । इस विवाद में जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा जिला कलक्टर, साबरकांटा को वार्ता हेतु सुविधाजनक आगामी बैठक तिथि तय करने का अनुरोध किया है । इस सम्बन्ध में राज्य स्तर पर भी गुजरात के राजस्व सचिव से विचार विमर्श किया गया है ।

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सीमा विवाद के मसले को पिछले दस साल से मैं भी बार-बार विधान सभा में उठाता रहा हूं और हर समय सरकार से यह आश्वासन मिलता रहा है कि शीघ्र ही उसका निपटारा कर दिया जायेगा । 1956 में इस विवाद को सुलझाने के लिए प्रथम बार बैठक हुई और सरकार ने निर्णय किया कि जिला कलक्टर, उदयपुर और हिम्मतनगर मिलकर उसका फैसला कर देंगे । उसके बाद कितनी ही बैठकें हुई लेकिन उसका आज तक कोई

(श्री दयाराम परमार)

फैसला नहीं हुआ। उसका मुख्य कारण यह है कि हमारे यहां के अधिकारी इस मामले को बिलकुल लाइटली लेते हैं, उनको कोई परवाह ही नहीं है। इस तरह से कितनी ही बीघा जमीन, हजारों बीघा जमीन पर गुजरात वाले कब्जा करके बैठ गये हैं। आपने यह जवाब दिया कि वहां पर पंचायत भवन बना हुआ था और वह जमीन राजस्थान की थी, गरणवास गांव है। आराजी नम्बर गरणवास के थे उसके बाद भी उन्होंने बने हुए भवन, विश्राम गृह को गिरा दिया और अभी तक उसकी जांच करवा रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस मामले का, इस विवाद का निपटारा आप कितने समय में कर देंगे ? इसका मेरे को समयबद्ध जवाब दें। नहीं तो फिर हमें मजबूर हो करके, अभी तक तो हम इज्जत रख रहे हैं कि कहीं राजस्थान के लोग गुजरात के लोग लड़-झगड़ करके राजस्थान की बदनामी न हो, यहां पर पंचायत भवन गिर जाना सवाल नहीं है, राजस्थान की जनता की नाक का सवाल है, उस नाक को रखने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वह हम करेंगे या फिर सरकार अपने स्तर से यह फैसला करके कह दे कि जमीन हमने गुजरात को दे दी है तो यह विवाद खतम हो जावेगा। इसलिए आप समयबद्ध इस विवाद को कब सुलटा देंगे, यह आप जवाब दें।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने प्रश्न के उत्तर में भी कहा और और माननीय सदस्य भी जानते हैं, 1956 में इस विवाद की जानकारी हुई और अब तक यह चल रहा है। वास्तव में जिओलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया के नक्शों में भी इस हिस्से को विवादित दिखलाया गया है। बार-बार इस बारे में मीटिंग्स हुई, बैठकें हुई, विचार-विमर्श भी हुआ, हमारे यहां से सर्वे टीम भी गयी लेकिन कई बार केन्द्र सरकार ने अपनी सर्वे टीम या अपने अधिकारियों को मौके पर नहीं भेजा इसलिए विवाद का निपटारा समय पर नहीं हो पाया। इस बार गुजरात के सैटलमेंट के सर्वे के वक्त यह कार्यवाही उन्होंने कर दी। कार्यवाही उन्होंने की और इस विश्राम गृह को तोड़ने के तुरन्त बाद हमारे कलक्टर ने साबरकांटा कलक्टर से बातचीत की। असिस्टेंट कलक्टर को, उप खण्ड अधिकारी को उन्होंने मौके पर भेजने के लिए कहा। कलक्टर, साबरकांटा ने अपने कलक्टर, उदयपुर को खेद भी प्रकट किया कि हमारी तरफ से यह कार्यवाही नहीं होनी चाहिए थी। हमारे कलक्टर ने समय समय पर उनको लिखा भी है। 1992 वाली कार्यवाही के बाद में 24-6-92, 24-10-92, 11-6-93 को मीटिंग भी रखी गयी, 24-4-94, 25-10-95, 25-11-95, 22-12-95, 6-2-96 यानी बार-बार हमारे कलक्टर ने उनसे सम्पर्क करने का प्रयास किया। अभी इन्हीं दिनों में हमारे राजस्व सचिव ने भी गुजरात के राजस्व सचिव से सम्पर्क किया उनसे बातचीत की और उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने हिदायत भी दी है अपने साबरकांटा कलक्टर को कि वह उदयपुर कलक्टर से बातचीत करके इस मामले को

(श्री गंगाराम चौधरी)

जल्दी निपटायें। राज्य स्तर से और जिला स्तर से इस सम्बन्ध में पूर्णतः कार्यवाही की जा रही है। समयबद्ध कब तक निपट जायेगा, यह तो आश्वासन देना मुश्किल है लेकिन राजस्थान सरकार अपनी ओर से गुजरात सरकार से सम्पर्क स्थापित कर उनसे भी कहेगी और इस मामले को निपटाने का जल्दी से जल्दी प्रयास किया जायेगा।

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष जी, इसका एक निश्चित समय के अन्दर फैसला कर पायेंगे यह सरकार द्वारा कहना सम्भव नहीं है और इस बात को माना भी जा सकता है लेकिन यह मामला इस तरह से उलझ गया है कि जब तक उच्च स्तर से, चाहे सचिव स्तर से या मुख्य मंत्री जी स्वयं हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसका फैसला कभी नहीं हो सकेगा। गुजरात के अधिकारी मौके पर इसलिए नहीं आते क्योंकि वे कहते हैं कि जमीन हमारी है और हम इसको विवाद ही नहीं मानते हैं। तो न तो वे किसी कलक्टर से बात करने के लिए तैयार हैं, न किसी एस.डी.ओ. से बात करने के लिए तैयार हैं। हम वहां पर समय-समय पर संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए यदि सरकार के स्तर पर या उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा फैसला करने के लिए वार्ता की जायेगी तो इसका सुलटारा हो सकता है वरना वे जब खाते की जमीन पर बने हुए मकान को गिरा सकते है तो वे विवादित जमीन आपको कैसे दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय शक्तावत साहब।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (बल्लभनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि मेवाड़ सैटलमेंट के वक्त यह जमीन किसके खाते दर्ज थी ? आपने सर्वे करवा कर जानकारी हासिल की तो यह बताने की कृपा करें कि मेवाड़ में सैटलमेंट हुआ था और मेवाड़ सैटलमेंट के वक्त में यह जमीन किस के खाते दर्ज हुई थी ?

दूसरा, गुजरात सरकार के अधिकारी तो इसलिए आपको सहयोग नहीं करते हैं क्योंकि वे तो जमीन दबाये बैठे हैं, राजस्थान की जमीन पर कब्जा कर रखा है। कलक्टर से कलक्टर लेवल पर बातचीत चलती रहती है और वह आते नहीं हैं और आप असहाय महसूस करते हैं, ऐसी क्या दिक्कत आ गयी ? मैं राज्य सरकार से और माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला 1956 से चला आ रहा है। मेवाड़ सैटलमेंट में यह जमीन मेवाड़ के क्षेत्र की दिखाई हुई है, फलासिया क्षेत्र की आती है और गुजरात सरकार जबरदस्ती कब्जा किये बैठी है। हमारी भूमि है, हमारे मकान गिरा देती है और हमारी सरकार इतना असहाय महसूस कर रही है कि कलक्टर नहीं आता, असिस्टेंट कलक्टर नहीं आता, उसकी सर्वे टीम नहीं आती, वह को-आपरेट नहीं करते इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते। मतलब यह है कि आप असहाय हो तो हम आदिवासियों से कहें कि वहां जाकर कब्जा करें, जो आपकी लड़ाई है वह लड़िये।

एक माननीय सदस्य : आप क्या सोते रहे ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हम तो सोते रहे, आप तो जगे हो। आप यह कहकर सरकार नहीं चला सकते कि इतने दिन क्या किया। आप तो जागरुक हो, आप तो कुछ करो।

श्री खेतसिंह राठोड़ (शेरगढ़) : आप नारे तो लगाते हो कि राजस्थान का एक ही सिंह, भैरोंसिंह, भैरोंसिंह, फिर क्या करोगे ?

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : हम तो जगे हैं तभी इधर बैठे हैं, आप सोये रहे तो उधर बैठे हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्व रिकार्ड में एंट्रीज का सवाल है, मैं निवेदन करूं कि पहले की एंट्री में यह जमीन उदयपुर जिले की झाडोल तहसील में दर्ज थी और हमारे नये सर्वे में भी उस हिसाब से दर्ज है। जहां पर यह विश्राम गृह था वह आबादी भूमि दर्ज है। इसके पश्चात् जो थोड़ा डिस्प्यूट है वह वन विभाग की भूमि का भी है, वह भी हमारे राजस्व विभाग के खाते में दर्ज है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सर्वे ऑफ इंडिया में आपने डिस्प्यूट बताया है, नम्बर वन। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह दो राज्यों का मामला है, कलक्टर लेवल पर, राजस्व सचिव लेवल पर इस मामले का कोई निपटारा नहीं हो सकता। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप खुद वहां के मुख्य मंत्रीजी से बात करके इस मामले को सलटायें तभी यह मामला सलट सकता है। कलक्टर कुछ नहीं कर सकता, रेवेन्यू सैक्रेटरी कुछ नहीं कर सकता, रेवेन्यू मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता। जब तक स्टेट के चीफ मिनिस्टर टू चीफ मिनिस्टर बैठ करके इस मामले पर चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा होकर के कोई समाधान नहीं निकलेगा तब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकेगा, यह मेरी राय है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है कि क्या आराजी नम्बर 2597 सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे में डिस्प्यूटेड है ? फोरेस्ट लैण्ड डिस्प्यूटेड हो सकती है।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्षजी, सर्वे ऑफ इंडिया में खसरा नम्बर नहीं होता है।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : अध्यक्षजी, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, 40 साल से अधिक का समय हो गया है, इसलिए इस मामले में अनावश्यक देरी हुई है और प्रगति से न राज्य सरकार संतुष्ट है, न माननीय सदस्य संतुष्ट है और न राजस्थान की प्रजा संतुष्ट है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सर्वे ऑफ इंडिया ने किस तरह का डिस्प्यूट दिखाया है और यह जानकारी राज्य सरकार के ध्यान में कब आयी और राज्य सरकार ने सर्वे आफ इंडिया के मैप में जो डिस्प्यूट दिखाया है, जमीन को अपनी मानते हैं, राजस्थान की मानते हैं तो सर्वे आफ इंडिया के स्तर पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(61)

(श्री शिवनाथसिंह)

गुजरात में भी भैरोंसिंह के छोटे भाई राज कर रहे हैं, राजस्थान के शेर राजस्थान में राज कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि दोनों भाइयों द्वारा मिलकर इस मामले को सुलटा दिया जाय। भैरोंसिंह जी के बिना यह मामला सुलटना नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, माननीय मुख्य मंत्रीजी कि यह झगड़ा यदि आज नहीं सुलटा तो दोनों प्रांतों का राज बदलने वाला है और यह आपके वश का नहीं रहेगा।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, यह दो भाइयों के बीच का झगड़ा नहीं, दो राज्यों के बीच का झगड़ा है। अगर राजनीतिक आधार पर दो भाइयों का मानते हैं तो पहले भी दो भाई रहे हैं लेकिन उस समय यह झगड़ा तय नहीं हुआ। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि जो कुछ माननीय राजस्व मंत्रीजी ने जवाब दिया है उस आधार पर राजस्थान का केस बनाकर राज्य सरकार की तरफ से गुजरात सरकार को भेजा जायेगा और मुख्य मंत्री, गुजरात से बातचीत कर इस मामले को निपटाने की कोशिश करेंगे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सर्वे आफ इंडिया को भी लिखा जाय कि मैप में गलत लिखा गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सारी पत्रावलियों को देख लेने के बाद यदि आवश्यक हुआ तो सर्वे आफ इंडिया को लिखने का काम भी करेंगे। गुजरात सरकार को सारा विवरण देकर, उनके रिएक्शन लेकर और कोई जानकारी उनको उपलब्ध करानी होगी तो जानकारी उपलब्ध करायेंगे तथा दोनों मुख्य मंत्रियों के बीच बैठक बुलाकर इस मामले पर निर्णय कराने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्रजी जोशी।

राज्य में सिन्थेटिक दूध निर्माण की प्रस्तावित योजना

63. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सिन्थेटिक दूध बनाये जाने के बारे में कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) सिन्थेटिक दूध का निर्माण करने के लिए कौन-कौन से तत्व आवश्यक होंगे ? क्या सरकार द्वारा उक्त तत्वों के आधार पर दूध निर्माण की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(3) सिन्थेटिक दूध किस-किस कार्य में लिया जा सकेगा व इसकी क्या कीमत होगी तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से इसका मानव शरीर पर क्या असर होगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) जी, नहीं। ऐसी कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न था कि राजस्थान में सिन्थेटिक दूध बनाने के लिए सरकार की क्या कोई योजना है या सरकार की निगाह में कोई जानकारी है। प्रश्न के उत्तर में माननीय दुग्ध विकास मंत्री की जगह स्वास्थ्य मंत्रीजी ने जवाब दिया जो उनसे सम्बन्धित मामला भी था कि कोई योजना नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है कि अलवर, मेवात क्षेत्र में, भरतपुर में और दौसा का जो इलाका अलवर से लगता है उसमें सिन्थेटिक मिल्क बनाना चालू हो गया है और यह व्यापार काफी ज्यादा फैल रहा है। यह सिन्थेटिक दूध डिटर्जेंट, यूरिया, पानी और असली दूध के घुलनशील मिश्रण का एक कम्पोजिट मिक्सचर है और राजस्थान सरकार के पास सिन्थेटिक दूध की जांच के लिए एनेलेटिकल एनेलेसिस करने का कई फार्मूला आज तक नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि सिन्थेटिक दूध के ये कम्पोनेंट्स हैं और असली दूध के ये।

इसके अतिरिक्त यह निवेदन भी है कि 45 हजार लीटर दूध रोजाना भारत की राजधानी दिल्ली और अन्य जगहों पर भी जा रहा है। डाक्टर्स की राय के अनुसार इससे हाथ पैरों में सूजन आती है, आंखों की रोशनी जाती है। और हार्ट की गति बढ़ जाती है, फेफड़ों का भारी नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में जबकि पूरा राजस्थान इसकी चपेट में आने वाला है, राज्य सरकार इसको किस तरह से रोकने वाली है, किस तरह से पाबंदी लगाने वाली है, किस तरह से अंकुश लगाने वाली है।

चार रुपये किलो का यह दूध बारह रुपये किलो में मिल रहा है, इस पर रोक लगानी चाहिए। अंत में मेरा निवेदन है कि इसके एनेलेटिकल एनेलेसिस के लिए क्या स्वास्थ्य विभाग के पास कोई योजना है जिससे कि बाइफरकेट किया जा सके कि असली दूध यह है और सिन्थेटिक प्रोसिजर से बनाया हुआ दूध यह है।

दूसरा प्रश्न यह है कि स्वास्थ्य निरीक्षक महोदय ने जो नमूने पकड़े उनकी जांच में क्या विश्लेषण पाया गया तथा अभी तक कितने मुकदमे तैयार किये गये और उनमें क्या कार्यवाही की गयी? यह धीमा जहर है जिससे पूरी संस्कृति नष्ट हो रही है, उससे कैसे बचाया जा सकता है? यह राजस्थान और दिल्ली की ज्वलंत समस्या है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक पूरक प्रश्न है। दो-तीन दिन से नेशनल पेपर्स में और प्रदेश के पेपर्स में आ रहा है कि सिन्थेटिक दूध बनाया जा रहा है और धडल्ले से अलवर जिले के अन्दर जो शुद्ध दूध है उसमें मिलाकर बेचा जा रहा है, खुला एडल्ट्रेशन हो रहा है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्रीजी ने भी पत्रों में पढ़ा होगा, रोज आता है और भारी तादाद में दिल्ली जा रहा है। तो यह नहीं हो सकता, माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी जो स्वयं बहुत जागरूक और युवा हैं और प्रदेश की जनता की

(श्री रामनारायण चौधरी)

तन्दुरूस्ती का उन्हें बराबर ख्याल है, इस समाचार को उन्होंने न पढ़ा हो। समाचार पढ़ने के बाद कोई कार्यवाही नहीं की हो, यह हो नहीं सकता।

मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि रोजाना अलवर में सिन्थेटिक दूध, शुद्ध दूध में मिलाकर बेचा जा रहा है, दिल्ली भेजा जा रहा है, राजस्थान की जनता के अन्दर कंज्यूम कराया जा रहा है। क्या माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में नहीं आया है? आया है तो वे इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने की सोच रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, पहल जवाब तो आ जाने दीजिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सिन्थेटिक दूध का मामला अलवर में जब सामने आया और वहां के लोकल अधिकारियों ने जांच करके पाया कि दिल्ली मिल्क सप्लाई, जो डी.एम.सी. है, एक बाबू था जो टेक्नीशियन था, जिसको सस्पेंड कर दिया गया था उस आदमी ने फार्मूला बनाकर इस तरह का दूध वहां बनाना शुरू किया और यह दूध भारी मात्रा में चल रहा है। इसमें यूरिया और तरह-तरह के केमिकल मिला करके बनाया जाता है। इसके पीछे मुख्य दोष यह है कि यह डेयरी के माध्यम से जो फैटनेस ली जाती है कि इतने नम्बर आयेंगे तो दूध सही माना जायेगा अन्यथा नहीं, उससे दुगुने, तीगुने नम्बर आये। और वह पकड़ा भी कैसे गया? जब डेयरी में उसकी नाप की गयी तो उन्होंने देखा कि इतने हाइएस्ट नम्बर तो आ ही नहीं सकते, कैसे आ गये, तब जा करके यह पता चला कि बरसों से चल रहा है। जो फैक्ट्स प्रशासन और पुलिस अलवर के सामने आ गये हैं, लोगों ने आइडेंटीफाइड कर दिया है कि किस-किस ने इसको बनाया, इसके पीछे मुख्य आदमी वह रहा है जो दिल्ली से सस्पेंड किया गया है। तो राज्य सरकार ने आज तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की? उस आदमी को अरेस्ट किया या नहीं किया? उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया या नहीं किया?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसी से सम्बन्धित सवाल है। जब सिन्थेटिक दूध बनाने की प्रक्रिया सबको मालूम है और इस की पुलिस में भी रिपोर्ट हुई है अलवर, भरतपुर और दौसा में तो मंत्री महोदय ने यह जवाब कैसे दिया कि नहीं बन रहा है। इसकी सारी जानकारी है, इसकी शिकायत हो चुकी है। इसकी जांच करके मालूम हो चुका है कि सिन्थेटिक दूध बन भी रहा है और बाहर भी भेजा जा रहा है। अलवर से भी भेजा जा रहा है बड़ी मात्रा में। तो फिर उन्होंने यह जवाब कैसे दिया कि वहां नहीं बन रहा है जब कि पुलिस में रिपोर्ट इस बारे में हो चुकी है?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। श्रीमती मीना अग्रवाल।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में पिछले

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

दिनों से सिन्थेटिक दूध के पीने का राज खुला है। यह दूध अन्य जानवरों की तरह का नहीं है बल्कि यह ऐसा दूध है कि जो खाद, यूरिया और केमिकल से बनाया गया है, जैसा कि मेरे भाइयों ने भी कहा है और इस सिन्थेटिक दूध से सबसे ज्यादा नुकसान यह है कि जो मासूम बालक पीते हैं उनको इस दूध से कई भयंकर बीमारियां होने का डर भी है। साथ में ही इस दूध में फेट इस तरह का होता है जिस तरह का गाय, भैंसों के दूध में फेट आता है और बनाने में यह सस्ता पड़ता है। रोज वहां मीटिंग भी हो रही है अलवर के अन्दर, जिला कलक्टर ले रहे हैं और रोज अखबारों में भी आ रहा है। जनता इस बात से भययर भयभीत है कि यह दूध मरीजों को पिलायें या मासूम बच्चों को पिलायें या नहीं पिलायें। जब कि सरकार ने लेबोरेटरी बना रखी है मिलावट के लिए, सरकार के अपने फूड इंस्पेक्टर भी वहां है उसके बावजूद वहां ऐसी चीजें आ रही है। दवाई है, मसाले हैं, किसी का भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करूंगी कि यह दूध का मामला बहुत जरूरी है और इसको गहरी चिन्ता से लेकर इसका समाधान करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपीचन्द।

श्री गोपीचन्द (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सिन्थेटिक दूध के बारे में सबसे पहले राजस्थान में मैंने उसका सेम्पल माननीय खाद्य मंत्रीजी को लेकर दिया था। यह रिफाइंड तेल, यूरिया, ग्लूकोज और ईजी से मिलाकर बनाया जाता है और यह आज से नहीं बरसों से बनाया जा रहा है। भारी मात्रा में बनाया जा रहा है। अफसोस की बात तो यह है कि खाद्य मंत्रीजी ने, जैसा कि मेरी जानकारी में दिया, मुख्य मंत्रीजी से भी इस विषय में चर्चा की और उसके सामने मैंने बनाकर दिखाया। भारी मात्रा में इस तरह का दूध बनाया जा रहा है अलवर और भरतपुर में। जितनी भी सरकारी जगहों पर दूध हमको मिल रहा है, चाहे वह राजस्थान हाउस में मिल रहा हो या सर्किट हाउस में मिल रहा हो, निश्चित रूप से सिन्थेटिक दूध को लेना पड़ा है। 50 पर्सेण्ट बीमारी आज सिन्थेटिक दूध के कारण से हो रही है। सारी जानकारी करने के बावजूद भी केवल छापे मारने की औपचारिकता मात्र निभाई गयी है। यदि सही तरीके से इस बात को गम्भीरता से लिया गया होता तो निश्चित रूप से सिन्थेटिक दूध बन्द किया गया होता। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा ...

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी का जवाब सुन लें।

श्री गोपीचन्द : कि इस मामले को गम्भीरता से लिया जाय और पूरे राजस्थान के अन्दर इस सिन्थेटिक दूध को बन्द किया जाय। बल्कि जो बात आयी यहां जयपुर में सुनने को, मंत्री महोदय, जयपुर से डेयरिज को बाहर निकालने की बात आज की जा रही है तो क्या जयपुर में नगर निगम का सिन्थेटिक दूध का प्लाण्ट लगाने का विचार है ? यानि जो लोग दूध शुद्ध देते

(श्री गोपीचन्द)

हैं उनको शहर से बाहर भेजा रहा है और जो सिन्थेटिक दूध वाले हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। सिन्थेटिक दूध के प्रति गम्भीरता से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री रमाकान्त जी।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, यह तो सही है कि कृत्रिम दूध या सिन्थेटिक दूध बनाने की सरकार की कोई योजना बिलकुल भी नहीं है और न सरकार का इसके अन्दर कोई सहयोग है। पर प्रश्न यह है, जो बहुत गम्भीर है कि आज से 30-40 साल पहले जिस समय वेजीटेबल आयल जिसको डालडा बोलते हैं वह लोगों ने घी में मिलाना शुरु कर दिया और तब से आज तक स्थिति यह हो गयी कि घी भी बेचें तो शुद्ध घी के नाम से बेचें यानि घी भी नहीं रहा। उसके लिए भी शुद्ध लगाना पड़ता है। बराबर घी के अन्दर वेजीटेबल आयल मिलाकर फिर बेचा जाता है। मुझे लगता यह है कि एक ऐसी स्थिति यह आयेगी कि इस दूध के अन्दर भी यदि इस तरह का एडल्ट्रेशन ज्यादा चलता रहेगा तो फिर दूध भी दो तरह से बेचना पड़ेगा, यह गाय का दूध और यह शुद्ध दूध और यह अशुद्ध दूध, यह सिन्थेटिक दूध। यह ऐसी चीजें हैं जो हमारे यहां पर पैदा हो जाती हैं। इस मामले के अन्दर बहुत गम्भीर होने की आवश्यता है। आटे में मिट्टी मिल रही है, आटे में लकड़ी का बूरा मिल रहा है। यदि काली मिर्च की बात होती है तो उसमें पपीते के बीज मिल जाते हैं। शहद के अन्दर चाशनी मिल जाती है। तो यह एडल्ट्रेशन का बहुत गम्भीर विषय है, इसको रोकना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें,

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न को सरकार को बहुत ही गम्भीरता से लेना चाहिए क्योंकि बच्चा चाहे किसी जानवर का हो या मनुष्य का, दूध उसका पहला आहार होता है। यह बात भी आप जानते हैं कि भारत के जितने दुधारू पशु पूरे संसार में कहीं नहीं हैं लेकिन दुर्भाग्य से यदि केमिकल से दूध बनाया जा रहा है और वह आसानी से अगर मिलाया जा सकता है तो इसके कितने भयकर परिणाम हो सकते है, यह आप स्वयं समझ सकते हैं। इसलिए मिल रहा है तो पहले तो यह मालूम कीजिये कि यह टेक्नोलाजी आयी कहां से और ईजाद हुई है उस देश में क्या परिणाम हैं इसके बारे में यहां पर इसकी कतई तौर पर रोक लगाकर यह अपराध जैसे दारू वालों को पकड़ते हैं उस तरह से ही इसके पकड़ने की व्यवस्था होनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : हरियाणा से आयी है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : नहीं तो मेरे देखने में और मुख्य मंत्रीजी के देखने में गांवों में एकाध आदमी ही लंगड़ा-लूला होता था, आज लालकोठी विधायक नगर में मैं रहता हूं, कम से कम 7–8 लोग ऐसे हैं कि जो अपंग हैं, टेढ़े जिनके हाथ पैर हो

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

गये हैं। तो यह बड़ी गम्भीर समस्या है। कृपया इसके ठेठ मूल में जायें और संसार में कहां से बनी है, वहां के क्या नतीजे हैं, इसके क्या दुष्परिणाम हैं। ठीक है, चीन पीता है तो वह सोयाबीन का बनाकर पीते हैं लेकिन जिसका ओरीजिन ही केमिकल है या यूरिया है, यह तो खुद ही जहर है जबरदस्त। तो इस सम्बन्ध में बहुत गहराई से विचार करके निर्णय होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अब तो काफी हो गया। आप क्या कह रहे हैं ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष जी, मेरे लिए विशेष चिन्ता का विषय इसलिए है, जैसा कि नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने हम लोगों के लिए कहा, हमारे ऊपर सबसे ज्यादा असर आ रहा है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि जब से अखबारों में सिन्थेटिक दूध के मामले प्रकाशित हुए हैं. इसका फार्मूला भी प्रकाशित हो गया और चूंकि अलवर में कोई कारगर कदम सरकार ने नहीं उठाया अपराधियों को कोई सजा नहीं मिली अभी तक इसलिए यह बीमारी छुआछूत की तरह दूसरी जगह पर बहुत तेजी से बढ़ रही है। उस फार्मूले का प्रयोग दूसरी जगह भी कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि क्या सरकार इस मामले में सख्ती से कार्यवाही करके इसके शैशव काल में ही इस बीमारी को समाप्त करने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने इस विषय पर चिन्ता की है, वास्तव में गम्भीर है। पिछले डेढ माह से अलवर और भरतपुर जिले में सिन्थेटिक दूध के निर्माण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं और शिकायतें प्राप्त होते ही हमने हैल्थ इस्पेक्टर, रसद विभाग के निरीक्षक और एक प्रशासनिक अधिकारी को मिलाकर 14 जांच दल बनाये अलवर में और 4 जांच दल हमने बनाये भरतपुर में। अध्यक्ष महोदय, साधारणतया दूध के अन्दर जो मिलावट की जांच होती है तो वह लेक्टोमीटर से होती है। उसमें सालिड नान फेट और फेट की तो जांच हो जाती है। परन्तु जब से यह बात सामने आयी है, सरकार ने माइक्रोस्टेप्टो मीटर लेकर हमारे यहां दो केमिकल एनेलेसिस की अलवर और भरतपुर में लेब चल रही हैं और उसमें हमने जांच करवाई है। अध्यक्ष महोदय, एक जनवरी से लेकर फरवरी तक भरतपुर के अन्दर 26 नमूने हमने दूध के लिए और अलवर के अन्दर 85 नमूने लिये जिसमें 13 नमूने मिलावट के पाये गये जिनमें निश्चित तौर पर इस सम्बन्ध में जितनी कार्यवाही होनी चाहिए वह की है। सरकार सजग है और क्योंकि इन्होंने यह प्रश्न किया था कि सिन्थेटिक दूध बनाने की सरकार मंशा रखती है या नहीं इसलिए मैंने नकारात्मक उत्तर दिया है ? परन्तु सिन्थेटिक दूध के व्यापार को किसी तरह आगे नहीं बढ़ने दिया जायेगा और, अध्यक्ष महोदय, इस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सम्बन्ध में किसी तरह की कोताही रही तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे । चूंकि जितने नमूने लिये जाने चाहिये थे अलवर और भरतपुर में, उतने नमूने नहीं लिये गये इसलिए कार्य के अन्दर शिथिलता बरतने के लिए मैंने स्वास्थ्य निरीक्षक, अलवर और भरतपुर को निलम्बित भी किया है और हमारे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनको इसमें चार्जशीट भी कर रहे हैं। दोनों जगह अब साप्ताहिक रूप से एक बैठक भी चिकित्सा अधिकारी ले रहे हैं और निश्चित तौर पर इसमें अगर किसी तरह की शिकायत अगर कोई जन प्रतिनिधि भी बतायेगा तो उसमें भी हम उसका सहयोग लेंगे । वास्तव में यह हानिकारक है और इसको रोकने के लिए सरकार कटिबद्ध है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इसको रोकने के लिए जितने कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार के पास इस तरह के दूध की मिलावट से निपटने के उपकरण नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारे पास सारे उपकरण हैं और इसको हम कारगर तरीके से रोकेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी ।

गुढ़ाचन्द्रजी (नादोती) का क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन

64. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाईमाधोपुर में वर्ष 1994 से 1996 तक कितने सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी एवं मिडिल स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि नादोती तहसील के गुढ़ाचन्द्रजी सैकण्डरी स्कूल का भवन क्षतिग्रस्त हो गया है जिसके कारण बच्चे बाहर बैठते हैं ? यदि हां, तो भविष्य में भवन निर्माण के लिए सरकार क्या क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) गुढ़ाचन्द्रजी कन्या शाला को कब तक क्रमोन्नत कर दिया जायेगा ?

शिक्षा मन्त्री (श्री गुलाब चन्द कटारिया) : (1) जिला सवाईमाधोपुर में वर्ष 1994 से 1996 तक निम्न प्रकार से विद्यालय क्रमोन्नत किये गये :—

वर्ष	उ.प्रा.वि.	मा.वि.	सी.मा.वि.
94-95	42	04	08
95-96	29	03	01

विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) जी, हां । राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय गुढ़ाचन्द्रजी के भवन को अधिक बरसात के कारण क्षति पहुंची है। इस भवन के कई कमरों की दीवारों में दरारें पड़ गयीं और कुछ कमरों की छत की पट्टियां भी टूट गयी हैं। विद्यालय में

(शिक्षा मन्त्री)

अध्ययनरत् छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें क्षतिग्रस्त कमरों में नहीं बैठाया जा रहा है।

भवन मरम्मत हेतु चालू वर्ष में बजट प्रावधान में राशि नहीं बची होने के कारण और इस भवन की मरम्मत हेतु जन सहयोग भी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण इस क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत सम्भव नहीं हो सकी है। इस भवन की मरम्मत हेतु तकनीकी रिपोर्ट और लागत अनुमान तैयार करवाये जा रहे हैं और वर्ष 1996-97 के लिए जो बजट प्रावधान उपलब्ध होगा उसमें से इस भवन की मरम्मत हेतु राशि आवंटित की जायेगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा अपने सीमित वित्तीय साधनों के तहत मापदण्ड की पूर्ति, क्षेत्र की आवश्यकता एवं गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते है। आगामी वर्षों में प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध राशि के आधार पर विद्यालय के प्राप्त प्रस्तावों पर निर्धारित मापदण्ड, क्षेत्र की आवश्यकता एवं गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नत किये जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें।)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है, बड़े दुःख की बात है कि यह बच्चों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस भवन को क्षतिग्रस्त हुए 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने से यह भवन नीचे गिर चुका है। आपने बताया कि खाली पट्टियां ही टूटी हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, पूरे फोटो साथ लेकर आया हूं, भवन क्षतिग्रस्त हो गया है, भवन नीचे गिर चुका है। हजारों बच्चों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चे भाग्य से बच गये। उसके बाद में इन्होंने रोक लगा दी कि कोई भी बच्चा आज के बाद में स्कूल में नहीं बैठेगा। 6 महीने से बच्चे ग्राउण्ड में बैठ रहे हैं। बड़े दुःख की बात है, 6 महीने से बच्चे बाहर बैठे रहे और उसके बाद भी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कितनी हठधर्मी से काम किया है कि वहां परीक्षा केन्द्र और रख दिया। जब परीक्षा केन्द्र आपने वहां रख दिया तो बच्चे कहां परीक्षा देंगे ? टीचर्स की हड़ताल चल रही हैं, परीक्षा कोई दे नहीं रहा है, मैदान इनके पास खाली रखा है, भवन इनका गिर चुका हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कोई भवन की व्यवस्था की है अब तक ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पाइंटेड प्रश्न पूछें।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भवन की व्यवस्था अभी तक क्यों नहीं की, इसके बारे में कोई कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं की ? आपने अब वहां सेन्टर रख दिया तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या की है ?

(५८)

(श्री रामस्वरूप मीणा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, आपने बताया कि तखमीना तैयार किया जा रहा है। अभी तक 6 महीने से तखमीना तैयार हो रहा है? भवन गिर गया, बच्चों के साथ मौत होने की सम्भावना हो गयी। अलवर में ऐसा ही कांड हुआ। 6 महीने से तो तखमीना तैयार हो रहा है इनका। मैं कहता हूं, ऐसी जो व्यवस्था होती है, आपातकालीन व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष : माननीय, आप प्रश्न पूछें। इतनी देर से भाषण कर रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा सीधा सवाल है कि आपातकालीन व्यवस्था है, आप वहां पर क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं? परीक्षा केन्द्र के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं? जो भवन गिरा है उसको आप कब ठीक बनवायेंगे और कहां से पैसा दिलवायेंगे? आपके पास अगर पैसा नहीं है तो माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप कब पैसा देंगे?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, बच्चों की जिन्दगी के साथ इस तरह खिलवाड नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्दिराजी, आप बिराज जायें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बच्चों की जिन्दगी का सवाल है।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मुख्य बिन्दु माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने रखना चाह रही हूं। आपने यह कहा कि जन सहयोग 30 प्रतिशत आना चाहिए, वह चूंकि नहीं आ रहा है इसलिए यह कार्य नहीं किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि नये भवन बनाने के लिए आप चाहें तो जरूरी तौर पर यह लिखायें कि 30 प्रतिशत जन सहयोग आये लेकिन जहां पर भवन क्षतिग्रस्त हैं उनकी मरम्मत के लिए और जहां इस तरह की आशंकाएं बनी हुई हैं उनके लिए जो आपने यह पाबन्दी लगा रखी है यह कतई तौर पर उचित नहीं है। इसलिए क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत के लिए जन सहयोग का जो प्रावधान है, आपने रख रखा है इसे हटाइये और सरकार इसकी जिम्मेदारी ले कि समय रहते उनकी मरम्मत हो। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मेरा निवेदन है कि जब वहां पर बिल्डिंग गिर गयी थी, 6 महीने से टूटी पड़ी है, आप बना नहीं पा रहे हैं यह आप स्वीकार कर रहे हैं तो फिर वहां परीक्षा का केन्द्र क्यों रखा गया? उसके लिए अल्टरनेटिव इन्तजाम क्यों नहीं किया गया? यह बच्चों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। जवाब तो सुनेंगे नहीं। आपका रिकार्ड हो गया, अब बिराजें।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने

(श्री रामनारायण चौधरी)

फण्ड्स की कमी बतायी है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग से करोड़ों रुपये भवन निर्माण और भवनों की मरम्मत के लिए प्रतिवर्ष खर्च किये जाते हैं, इस वर्ष में आपने करोड़ों रुपये, लाखों रुपये स्कूलों के अन्दर दिये हैं, क्या इस स्कूल को आप प्राथमिकता नहीं दे सकते थे जो 6 महीने पहले से आपके पास रिपोर्ट आयी हुई है कि क्षतिग्रस्त है, लड़के बैठ नहीं सकते, बैठ जाते हैं तो लड़के मर सकते हैं? आपके पास करोड़ों रुपये हैं। यह जो सरकार ने उत्तर दिया है, यह कतई सन्तोषजनक नहीं है। करोड़ों रुपये आपके पास मरम्मत और नये भवन बनाने के लिए शिक्षा विभाग के मद में आपके डिस्पोजल पर हैं इस वर्ष के अन्दर और आज तक हैं वह। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आपको क्या कहना है अमरारामजी? यह तो उस एरिया की बात हो रही है, सवाईमाधोपुर की एक स्कूल की।

श्री रामस्वरूप मीणा : बच्चों की जिन्दगी का सवाल है, एरिया का नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : बच्चों की जिन्दगी का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : ऐसे भवन जिनके लिए....

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी का जवाब सुन लें।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, सिकराय के अन्दर भी गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल है उसमें बालिकाएं पढ़ती हैं, उस भवन की पट्टियां गयी साल से टूटी हुई हैं। सरकार को....

श्री अध्यक्ष : माननीय महेन्द्र कुमारजी, बिराजें आप। माननीय मंत्रीजी का जवाब तो सुन लें आप।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : लेकिन उनकी मरम्मत नहीं की गयी है। मान्यवर, वह शाला गिरने वाली है इसलिए उसकी भी मरम्मत की जाय, नया भवन बनाया जाय।

श्री अमराराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि ऐसे शाला भवन जहां 4-4 कमरे बने हुए हैं और एक दिन भी बच्चे उन कमरों में नहीं बैठते हैं क्योंकि उनके पड़ने का डर है, प्रधानाध्यापक जी ने कलक्टर को तीन बार लिख दिया लेकिन उन भवनों को गिराने का आदेश अभी तक नहीं मिला, ऐसे भवनों को गिराने का आप आदेश देंगे?

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। अभी सारे राजस्थान की सूचना तो यहां नहीं होगी। वह जवाब दे रहे हैं, पहले आप सुन लें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि 22.9.95 के दिन यह भवन क्षतिग्रस्त हुआ और विभाग के अन्दर 36 लाख रुपया मरम्मत के लिए प्रावधान बजट में मिला था। यह जो पैसा

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हमको मिला था, हमारे पास क्योंकि बाकी सारे विद्यालयों के आये हुए थे और हमारे पैसे का समय पर सदुपयोग हो जाय, नहीं तो कई बार वह बच जाता है तो बाद में जब बनता है तो उसमें उस समय कटौती हो जाती है। पहले कभी एक करोड़ रुपया मिलता था लेकिन समय पर उसका उपयोग नहीं होने के कारण घटते हुए वह 50 लाख हो गया। उस कारण से हमने अक्टूबर के अन्दर ही सारी सूची विद्यालय वाइज मंगायी और 36 लाख रुपये में से हमने अक्टूबर में 35 लाख 80 हजार रुपये की सैंक्शन समय पर निकाल दी विभिन्न विद्यालयों की, जो सूची है। ऐसे 45 विद्यालयों को राशि जो हमारे पास उपलब्ध थी वह दी।

श्री रामनारायण चौधरी : किस स्कूल को कितना दिया ?

श्री अध्यक्ष : आप पहले बात सुन लें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मेरी बात सुन लें, फिर कोई बात होगी। हम और आप दोनों ही इस बारे में चिन्तित हैं कि वास्तव में जितने भवन हमारे पास हैं और जितने में मरम्मत की आवश्यकता है उसके अनुपात में यह धन निश्चित रूप से कम पड़ता है उसके कारण से उसकी पूर्ति नहीं हुई लेकिन परीक्षा का जो सैन्टर है उसके लिए हमने सारे विद्यालय के बाहर टैण्ट लगाकर व्यवस्था की है ताकि परीक्षा के भरे हुए फार्म के आधार पर परीक्षा उसी स्थान पर हो सके। उसको बदलने से अड़चनें रहती हैं, उसके कारण से स्थान तुरन्त बदला नहीं जा सकता। इसके लिए हमने पुख्ता व्यवस्था की है और अगले साल हमें जो बजट उपलब्ध होगा उसमें इसको प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक पैसा देकर पूरा करेंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है। माननीय मंत्रीजी ने यह तो कह दिया कि परीक्षा के लिए व्यवस्था कर दी है....

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : मैं माननीय विधायक महोदय से जानना चाहता हूं कि 6 महीने से वह भवन क्षतिग्रस्त था तो 6 महीने तक वह क्या कर रहे थे ?

श्री रामस्वरूप मीणा : 6 महीने से मैं मंत्रीजी के पास आ रहा हूं, मंत्रीजी से कई बार मैं घर पर मिला हूं। कलक्टर ने आश्वासन दिया था।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्रीमती कमला : यह शिक्षा विभाग का काम है, आप एम. एल. ए. को उल्टा....

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो आपके पाप धो रहे हैं। पहले आपने नहीं किया न, उसके पाप हैं यह।

श्रीमती कमला : आप हरेक बात में बात मत किया करिये (व्यवधान) यह बहुत संवेदनशील और विचारणीय विषय है (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय महावीर जी ने कहा था, मैं क्या कर रहा था। (व्यवधान) मै बार-बार अध्यक्ष महोदय के पास जा रहा था, मंत्रियों के पास जा रहा था (व्यवधान) किसी ने भी मेरी बात को नहीं सुना·(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने क्या कहा, मैंने नहीं सुना है।

श्रीमती कमला : माननीय मंत्री महोदय, आप इसके लिए विशेष प्रावधान करें। डी. आर. डी. ए. से या कहीं से प्रावधान करिये, किसी और फण्ड से कराइये और नहीं तो मुख्य मंत्री कोष से....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान) माननीय महेन्द्र कुमार जी, बिराजिये (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : + + + (व्यवधान) मैं एक साल से कह रहा हूं कन्या विद्यालय के लिए....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। बिराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : गर्मियों में मरम्मत की बता रहे हैं, गर्मी का मौसम आ गया, मंत्रीजी....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, बिराजें। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : एक कन्या विद्यालय का भवन गिरने वाला है, पट्टियां टूटने वाली हैं, दरारें आ चुकी हैं लेकिन सरकार के + + + (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। उनकी बात तो सुनने दें।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : आप छह महीने की कह रहे हैं माननीय सदस्य को, मैं एक साल से कह रहा हूं (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विधायक को दस लाख रुपये मिलते हैं विकास के लिए। क्या माननीय सदस्य ने अपने उन पैसों को उपयोग में लिया ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा : ....और हमने दिये हैं बच्चों के लिए। तो जो दस लाख रुपये मिलते हैं विधायकों को विकास के लिए, उनका कोई खर्चा किया है क्या ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : फण्ड आने पर कर दिया जायेगा अगले साल।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इनको इतनी चिन्ता थी कि (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, आपकी बात मान ली है।

श्री किशन गोपाल कोगटा : तो विधायकों को विकास के लिए जो दस लाख

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

रुपये मिलते हैं उनमें से कितना खर्च किया और कहां-कहां उपयोग में लिया ? (व्यवधान

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूप जी, आप बिराजें । आपकी बात मान ली ।

श्री किशन गोपाल कोगटा : 10 लाख रुपये किस-किस स्कूल के लिए दिये, यह जानकारी दें, माननीय सदस्य । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपकी बात मानली । अप्रेल में जब भी बजट आयेगा, आपका कर देंगे काम विराजिये । श्री नाथूराम जी अहारी ।

श्री किशन गोपाल कोगटा : इनको विकास के लिए अनटाइड फण्ड में रुपये मिलते हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय नाथूरामजी अहारी । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी समस्या का निराकरण करिये । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मुख्य मंत्रीजी, घोषणा करिये कि अपने कोष से कितना पैसा बच्चों को दे रहे हैं, कितना पैसा भवन की मरम्मत के लिए दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । बात हो गयी ।

श्री किशन गोपाल कोगटा : आपको विकास के लिए दस लाख रुपये का जो फण्ड मिलता है उसको उपयोग में लिया क्या आपने ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : बच्चों की जिन्दगी का सवाल है । (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : आपके दस लाख रुपये कहां गये, जो विकास के लिए आपको फण्ड मिलता है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपकी बात मान ली है ।

श्री नाथूराम अहारी : प्रश्न संख्या 65

श्रीमती कमला : अगर सरकार किसी एक विद्यालय के लिए मरम्मत.... (व्यवधान) राहत देने के लिए पैसा अलाट कर देती है, घोषणा कर देती है तो कोई इसमें आपकी हेठी नहीं होती है और, माननीय सचेतक महोदय, आप किसको उलाहना दे रहे हो ? (व्यवधान

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक की बात से सहमत हूं । (व्यवधान) यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला था और बच्चों के भविष्य का सवाल था और....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आप मुख्य मंत्री नहीं हो । नहीं, मुख्य मंत्रीजी जवाब दें इसका । (व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्रीजी, अपने कोष से कितना पैसा दे रहे

(श्री रामस्वरूप मीणा)

हैं ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह बच्चों की जिन्दगी का सवाल है। माननीय मुख्य मंत्रीजी घोषणा करें कि अपने कोष से भवन के लिए कितना पैसा दे रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अनटाइड फण्ड के प्रत्येक विधायक को पांच लाख रुपये तथा पांच लाख रुपये 30 जिले 30 काम में मिलते हैं, इस प्रकार दस लाख रुपये उनके उसमें होते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण सवाल पर, जो बच्चों की जिन्दगी का सवाल था, क्या माननीय विधायक महोदय ने यह उचित नहीं समझा कि अपने फण्ड से उस भवन की मरम्मत करवाते ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आपसे हम सवाल नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान) हमने आपसे क्वेश्चन नहीं किया। इस बात के लिए मंत्रीजी बोलें। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अनटाइड में भवन की मरम्मत नहीं करायी जा सकती।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्रीमती कमला : जवाब देने का और क्या तरीका है ? सरकार ने यह सोचने की बजाय इनकी भवन की मरम्मत की व्यवस्था करें, आप विधायक को.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। मै उसी के हिसाब से दे रहा हूं। आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : नियमों के अनुसार सदन चलायेंगे कि क्या कर रहे है ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, कैसे बिराजें।

श्रीमती कमला : यह सोच है सरकार का।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम क्या कर रहे थे, हम बता रहे हैं माननीय मुख्य सचेतक महोदय को कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे मानसरोवर में स्कूल भवन की मरम्मत करा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। मैंने पहले ही कहा था कि आप रेस्ट्रेन करें कि जब माननीय मंत्रीजी ने जवाब दे दिया.... (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : क्या जवाब दे दिया ?

श्री अध्यक्ष : कि अगले बजट में व्यवस्था कर दी जायेगी उसके बाद इनको चुप रहना चाहिए। आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने उनको अलाउ क्यों कर दिया ? (व्यवधान)

(२०)

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

वे बीच में बोल रहे हैं इस तरीके से। आप इम्पार्टेन्ट सवाल को + + + (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप इनको क्यों अलाउ कर रहे हैं ? + + +

श्री अध्यक्ष : मैं दोनों पक्षों को अलाउ नहीं कर रहा हूं। माननीय मंत्रीजी ने जवाब दे दिया तब, रामस्वरूप जी, बैठ जायें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : + + + (व्यवधान) इस तरह हम + + +

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : यह बीच में बोलने की क्या जरूरत है इनको ? + + +

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप नियमों की अवहेलना करेंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने जवाब दे दिया। बिराजिये आप।

श्री लक्ष्मण सिंह : मुख्य सचेतक महोदय को ताड़ना दीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये पहले। अगला सवाल आने दीजिये। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : एक भवन की मरम्मत.... (व्यवधान) यह सरकार काहे के लिए यहां पर बैठी हुई है ?

श्री लक्ष्मण सिंह : इसका मतलब यह है कि जब तक विपक्ष के....(व्यवधान) सरकार कुछ नहीं करेगी। इनको बोलने की जरूरत कहाँ थी ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप क्यों समय जाया कर रहे हैं। बिराजिये आप। किसी को बोलने की जरूरत नहीं थी मंत्रीजी के जवाब के बाद। आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : यह कोई जवाब नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय रामस्वरूप जी, आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपने परीक्षा की व्यवस्था के लिए कहा है, भवन की मरम्मत के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बल्लियां लगाकर पट्टियों को रोक रखा है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूप जी, आप बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामनारायण मीणा)

मामला है। मरम्मत तक का पैसा नहीं है (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : भवन की मरम्मत के लिए कोई व्यवस्था करायें, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री शीशराम ओला (झुन्झुनूं) : आप बैठिये। आपका ठेका नहीं है, बोलने नहीं देते हैं किसी को।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री शीशराम ओला : बैठिये बैठिये।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। श्री नाथूराम जी अहारी।

श्री रामस्वरूप मीणा : भवन वाली बात है, भवन की क्या व्यवस्था करा रहे हो? (व्यवधान) आपने भवन की मरम्मत बाबत क्या किया है? बच्चे धूप में कहां बैठेंगे, बच्चे धूप में कब तक बैठेंगे? (व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : देखिये, स्पीकर साहब ने अप्रेल के लिए कहा है तो विश्वास करो।

श्री रामस्वरूप मीणा : भवन का सवाल है, बच्चे कहां बैठेंगे आखिर। मेरा निवेदन है बच्चों के बैठने की व्यवस्था करें। (व्यवधान) मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि बच्चों की जिन्दगी का सवाल है। आप भवन की मरम्मत कब कर रहे हैं?

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, यह पूरे प्रांत की बात है, एक जगह की नहीं है। आप दूसरों को अवसर दीजिये। ऐसे बहुत से भवन हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा विनम्र निवेदन है कि भवन के लिए मुख्य मन्त्रीजी क्या व्यवस्था कर रहे है? अपने कोष से कितना पैसा दे रहे हो? एक हजार बच्चों की जिन्दगी का सवाल है। धूप में बच्चे कहां बैठेंगे? भवन गिर गया।

श्री अध्यक्ष : आप बात तो सुनेंगे नहीं। मंत्रीजी ने कह दिया कि अगला बजट आते ही आपका काम कर दिया जायेगा उसके बाद में आपका क्या कहना रह गया।

श्री रामस्वरूप मीणा : मंत्रीजी से जवाब दिलवाइये इस बात का। यह तो महावीर जी ने जवाब दिया है। मंत्रीजी जवाब दें इस बात का।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने कहा है कि अगला बजट आते ही आपका काम कर दिया जायेगा। आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : क्या एक स्कूल के लिए सरकार दिवालिया हो गयी? (व्यवधान) सरकार दिवालिया हो चुकी है (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आप मंत्रीजी से यह कहलवाइये, अगले वित्तीय वर्ष में भवन को ठीक करवा दिया जायेगा। यह तो कहिये कम से कम।

श्री अध्यक्ष: यह तो वे जवाब दे चुके हैं। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : दुबारा कहिये, उन्होंने सुना नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुखलाल सैंणचा (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह पूरे राजस्थान का मसला है। पिछले दिनों अलवर में एक घटना हुई थी जिसके अन्दर बच्चों की मृत्यु हुई थी। राजस्थान के अन्दर जगह-जगह कई स्कूलों में भवन गिरने जैसी स्थिति में हैं, बच्चों को खतरा बना हुआ है। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कलक्टर को आदेश देकर इन स्कूलों का एक बार पुनः सर्वे करायें कि कौनसे स्कूल गिरने वाले हैं। आगे बरसात का टाइम आने वाला है। जहां तक हमारे विधायक फण्ड का सवाल है, मैंने मेरे इलाके के अन्दर जिलाधीश को लिखा, पांच लाख रुपये स्वीकृति के लिए दिये और वह स्वीकृति अब निकली है स्कूल रिपेयरिंग की। हमारे शिक्षा मंत्रीजी का काम अच्छा है, परन्तु हमारे विधायकों के लिए फण्ड बढ़ाने की बात है, स्कूल रिपेयरिंग का पैसा मुख्य मंत्रीजी हमें दें। विधायक फण्ड बढ़ें ताकि जहां मौके पर ऐसी स्थिति हो हम वहां पर पैसा दें, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। (व्यवधान) मैंने पहले ही काल कर लिया है अगला प्रश्न।

श्री जुबेर खान : आप आगे क्यों नहीं बढ़ाते सवालों को।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको कह दिया। आप सब मुझे गाइड करना चाहते हैं, अपनी पार्टी के लोगों को तो रोकते नहीं हो। बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : हम रोक रहे हैं। आप अपनी क्षमता का उपयोग कीजिये।

श्री अध्यक्ष : नाथूरामजी अहारी।

श्री नाथूराम अहारी : 65. पांच बार बोल चुका हूं।

श्री जुबेर खान : माननीय सदस्य ने बार-बार 65 नम्बर बोल दिया और आपके मंत्रीजी बैठें हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में समय खराब नहीं करें। बिराजिये आप।

श्री जुबेर खान : आप सवाल लेना नहीं चाहते, सरकार भी सवाल लेना नहीं चाहती। जिनमें भ्रष्टाचार लिप्त है, आप सवाल लेना नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष : नहीं, शीशराम जी को आप नहीं बोलने देना चाहते, उनको नहीं बोलने देना चाहते। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। मैंने प्रश्न काल कर लिया

(श्री अध्यक्ष)

है और आप ही के लोग बोल रहे हैं। आप विराजिये। अब समय क्यों जाया कर रहे हैं उनका सवाल आने दें आप। श्री नाथूराम जी अहारी (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भीशराम जी काफी रोक रहे है। मेरा सचेतक महोदय से भी निवेदन है, ये आसन पर किस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। विराजिये आप। जवाब आने दें दूसरों का।

आश्रम विद्यालय, डूंगरपुर

65. **श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)** : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर जिले में कितने आदिवासी आश्रम विद्यालय हैं तथा इन आश्रम विद्यालयों में रसोइयों की क्या व्यवस्था है?

(2) प्रत्येक आश्रम विद्यालय में कितने-कितने छात्र एवं कितने रसोइये कार्यरत है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इन कार्यरत रसोइयों ने स्थायीकरण के लिए कोई मुकदमा न्यायालय में पेश किया है? यदि हां, तो न्यायालय ने रसोइयों के लिए क्या आदेश दिये हैं? विभाग ने न्यायालय के आदेश की अनुपालना में अब तक क्या कार्यवाही की है? की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री नन्दलाल मीणा) : (1) डूंगरपुर जिले में 18 आदिवासी आश्रम छात्रावास हैं। इन आश्रम छात्रावासों में प्रति 25 छात्रों पर एक रसोइया रखने का प्रावधान है।

(2) आश्रम छात्रावासवार छात्रों एवं कार्यरत रसोइयों की संख्या परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(3) हां। इस जिले में अनुबंध पर कार्यरत 40 रसोइयों ने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एक वाद संख्या 469/94 दायर किया था तथा माननीय न्यायालय ने रसोइयों के पक्ष में निर्णय देते हुए इन रसोइयों की सेवा को स्थायी करने का आदेश दिया है। इस निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से माह फरवरी, 1996 में अपील दायर की गयी है जिसका निर्णय होना शेष है। इसके अलावा तीन रसोइयों व एक स्वीपर ने एक अन्य वाद संख्या 5387/94 के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसका निर्णय होना बाकी है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें।)

श्री नाथूराम अहारी : अध्यक्ष महोदय, खण्ड तीन में मंत्रीजी ने उत्तर दिया है कि रसोइयों के पक्ष में न्यायालय ने निर्णय

(श्री नाथूराम अहारी)

दिया है इसके बाद भी राज्य सरकार ने रसोईयों के खिलाफ फिर वाद पेश किया है। तो राज्य सरकार में इतना घाटा हो गया? रात दिन रसोइये चूल्हे के सामने तपते हैं और पसीना बहाते हैं और बच्चों के लिए भोजन बनाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो न्यायालय ने निर्णय दिया है उसके अनुसार आज ही घोषणा करें और इन रसोइयों को आप स्थायी करें। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्रीमती कमला : पैसा नहीं है सरकार के पास, कहां से करे।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी दो प्रश्न करना चाहूंगा। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह रसोइये पूर्णकालिक हैं? यदि हां, तो उन्हें मासिक वेतन कितना दे रहे हैं? सरकार ने दैनिक मजदूरी 32 रुपये कर रखी है, क्या उसके बराबर उन रसोइयों को वेतन मिल रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार ने या मंत्री महोदय ने अपनी कमेटी के साथ महाराष्ट्र सरकार और गुजरात सरकार का भी दौरा किया था? यदि हां, तो वहां के आश्रमों में क्या पेटर्न है? क्या उस पेटर्न पर सरकार अपने आश्रमों को चलाने की मंशा रखती है? मंत्रीजी अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी बीच में हमने एक भ्रमण किया था, आश्रम विद्यालय में जो रसोइयें रसोई बनाते हैं उनको महाराष्ट्र, एम. पी. और गुजरात में तो स्थायी नियुक्ति देते हैं और राजस्थान में ऐसा क्या हो गया है, क्या धन का अभाव है जिससे कि उनको स्थायी नहीं किया जाता है। तो मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनको स्थायी किया जायेगा?

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में लगभग 432 रसोइये सेवारत हैं....

श्री रामनारायण चौधरी : चार सौ?

श्री नन्दलाल मीणा : 32। एक संविदा के आधार पर, कांट्रेक्ट बेसिस पर इनको रखा गया है। पिछली विधान सभा में भी इस पर सवाल उठा था। माननीय उच्च न्यायालय में यह वाद लम्बित था और आज सर्वोच्च न्यायालय में यह वाद लम्बित है। माननीय मुख्यमंत्रीजी के निर्देशन पर मेरी अध्यक्षता में उपयोजना क्षेत्र के कार्यों की समीक्षा की दृष्टि से अभी-अभी हम गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर गये थे। वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था है। इन आश्रम छात्रावासों में रसोइयों को स्थायी रूप से नियुक्त किया गया है। आज की स्थिति में इनको जो पिछले समय में पारिश्रमिक दिया जाता था, पिछले महीने में हमने इनका पारिश्रमिक भी बढ़ाया है परन्तु यह सही है कि मिनिमम वेज के आधार पर भी इनको पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में मेरा तो सदन से यही निवेदन है कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय से इसका निर्णय

(श्री नन्दलाल मीणा)

नहीं हो जाय तब तक राज्य सरकार कोई कदम उठाने की स्थिति में नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : आप विदड्रा करें।

श्रीमती कमला : इतने छोटे कर्मचारियों का आपको इतना भी ख्याल नहीं है और आप सर्वोच्च न्यायालय में गये हैं।

श्री नाथूराम अहारी : सरकार ने किया है यह तो।

श्री मोहनलाल मोदी : सर्वोच्च न्यायालय में तो सरकार गयी है, सरकार विदड्रा करे उसको।

श्री नाथूराम अहारी : सरकार गयी है।

श्री अमराराम : सरकार एक तरफ नौकरी की बात करती है, दूसरी तरफ नौकरी कर रहे हैं उनको स्थायी नहीं कर रही।

श्री मोहनलाल मोदी : यदि आपका मानस है उनको स्थायी करने का तो सरकार विदड्रा कर सकती है।

श्रीमती कमला : क्या इन्हीं के लिए आपके पास पैसे की कमी आ रही है ? मेहरबानी करके सर्वोच्च न्यायालय से इसको वापस ले लीजिये और हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको लागू करिये।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हाई कोर्ट में केस जीत गये हैं तो सरकार उस केस को विदड्रा कर ले। इसमें 90 प्रतिशत जो कर्मचारी हैं वह आदिवासी हैं, जनजाति के आशार्थी हैं। तो सरकार अपनी उदार भावना से उनको स्थायी कर दे माननीय मुख्यमंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप उसमें हस्तक्षेप करके उनको स्थायी करें।

श्रीमती कमला : वह तो मंत्रीजी मान रहे हैं कि सही नहीं मिल रहा है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर) : माननीय मंत्रीजी, आपके पास श्रम विभाग है और श्रम विभाग ने न्यूनतम दरें निर्धारित कर रखी हैं। समाज कल्याण विभाग न्यूनतम दरों के आधार पर रसोइयों का पेमेन्ट नहीं करता, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री नन्दलाल मीणा : कांट्रेक्ट बेसिस पर....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपके पास श्रम विभाग है और कान्ट्रेक्ट सर्विस में भी किसी का एक्सप्लायटेशन नहीं किया जा सकता। राज्य की नीति के विरुद्ध इस तरह के कोई कांट्रेक्ट नहीं किये जा सकते। यह इल्लीगल कांट्रेक्ट्स हैं और जिन्होंने इस राज्यादेश की अवहेलना की, आपकी नीति की अवहेलना की, उस विभाग के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की ? दूसरा, मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अभी कई पद आदिवासी क्षेत्रों में घोषित किये हैं कि इनको भरा जायेगा। जो काम कर रहे हैं उनको स्थायी करिये, सुप्रीम कोर्ट के

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

वकीलों को पैसा मत दीजिये और इनको स्थायी करने का फैसला कीजिये।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, बल्लभनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया, उसका उत्तर यह है कि राज्य सरकार में बहुत लोग आज कांट्रेक्ट सर्विस पर काम कर रहे हैं। कांट्रेक्ट सर्विस के सारे आदमियों को यदि सर्विस में रेगूलराइज किया जाय तो राज्य सरकार पर कितना वित्तीय भार पड़ता है उसका अनुमान आप लगा सकते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : काम भी नहीं करते। यदि आप रेगूलर कर देंगे तो वह काम भी नहीं करते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह इनको समझा दो।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : रसोइये तो रोटी बनायेंगे ही, जितने छात्र हैं। माननीय खेतसिंहजी, आपको भी इसका ज्ञान नहीं है, कितनी रोटी सेंकनी पड़ती है उसको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कोई व्यवस्था आज की नहीं है और यह एक ही राज्य में नहीं है। सब राज्यों में कांट्रेक्ट सर्विस में इस तरह से लिये जाते हैं और जब से आज की लिबरलाइजेशन की पालिसी आयी है उस समय से एस्टेब्लिशमेंट कास्ट किस प्रकार से कम की जाय, केन्द्र सरकार भी और राज्य सरकारें भी निरन्तर इस चीज के ऊपर विचार करती हैं। जहां आवश्यकता है वहां कांट्रेक्ट सर्विस पर लोगों को ले लिया। इस मामले में हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट में गये उसके पीछे यह भावना नहीं है कि हम इनका वेतन नहीं बढ़ाना चाहते। इसके पीछे केवल एक ही भावना है कि कांट्रेक्ट सर्विस के लोगों के सम्बन्ध में यदि इस प्रकार के निर्णय को स्वीकार कर लिया तो उसका पूरा नतीजा पूरे राज्य की वित्त व्यवस्था के ऊपर पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आश्वासन दिलाता हूं कि इन रसोइयों को कम तनख्वाह मिलती है उसको मैं देखूंगा और इस कांट्रेक्ट सर्विस में ही उनका किस सीमा तक वेतन बढ़ाया जा सकता है, उस पर निश्चित रूप से विचार करूंगा।

श्री नाथूराम अहारी : मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आप इस पर पुनर्विचार करें और तुरंत इनको स्थायी करें। हैण्डपम्प मिस्त्रियों को, भी स्थायी किया गया है, यह मैं आपसे निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शीशरामजी ओला।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कांट्रेक्ट लेबर वाला मामला........

श्री शीशराम ओला : हो गया, हो गया। धारीवालजी, हो गया।

श्री अध्यक्ष : शीशरामजी ओला का आने दें। आपका प्रश्न आने दें। आपका प्रश्न आने वाला है, यह आप कृपा करेंगे, इनका प्रश्न सुने आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कांट्रेक्ट लेबर वाला मामला सिर्फ राज्य कर्मचारियों के ऊपर ही लागू होता है या मंत्रिमण्डल के सदस्यों पर भी लागू होता है ?

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये अब ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मेम्बरों पर भी लागू होगा । कांट्रेक्ट सर्विस मंत्रियों पर अगर लागू कर रहे हैं तो विधायकों पर भी लागू होगी ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, होगी ।

जिला झुन्झुनूं के किसानों को विद्युत कनेक्शन

66. **श्री शीशराम ओला (झुंझुनूं) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला झुंझुनूं में नर्सरी योजना के अन्तर्गत कितने काश्तकारों ने विद्युत कनेक्शन हेतु नियमानुसार राशि कब-कब जमा कराई ? उनमें से किस-किस काश्तकार को कनेक्शन कब दिये तथा किस-किस को अभी तक कनेक्शन नहीं दिये गये ? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त जिले में एक पोल, दो पोल योजना के अन्तर्गत काश्तकारों को कितने कनेक्शन दिये गये तथा कितने देने अभी शेष हैं ? अभी तक कनेक्शन नहीं देने के क्या कारण हैं ? पृथक-पृथक सूची मय कारण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार उक्त दोनों योजनाओं के अन्तर्गत शेष रहे काश्तकारों को विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री रघुवीर सिंह कौशल) : (1) झुन्झुनूं जिले में नर्सरी योजना के अन्तर्गत माह फरवरी, 1996 तक 1340 आवेदकों द्वारा मांग पत्र की राशि जमा करवायी गयी थी । उनमें से 1109 आवेदकों को कनेक्शन दे दिये गये । शेष आवेदकों को कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है । कनेक्शन दिये जाने में कुछ विलम्ब न्यायालय द्वारा रोक तथा फसल खड़ी होने के कारण रहा है । नर्सरी योजना के अन्तर्गत काश्तकारों को दिये गये व लम्बित कनेक्शनों की सूची वांछित सूचना दर्शाते हुए परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(2) झुन्झुनूं जिले में एक पोल, दो पोल योजना के अन्तर्गत माह फरवरी, 1996 तक 1426 कृषि कनेक्शन दिये गये हैं तथा 256 कनेक्शन दिये जाना शेष है । शेष आवेदकों को कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है । कनेक्शन दिये जाने में कुछ विलम्ब कुछ कनेक्शनों पर न्यायालय द्वारा रोक तथा फसल खड़ी होने के कारण रहा है । एक पोल, दो पोल योजना के अन्तर्गत काश्तकारों को दिये गये व लम्बित कनेक्शनों की सूची परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

(3) जी, हां। जिन काश्तकारों के मांग पत्र जमा हैं, उन्हें शीघ्र ही कनेक्शन देने की कार्यवाही प्रगति पर है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

श्री शीशराम ओला : अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का और माननीय मुख्य मंत्रीजी का भी ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। झुन्झुनूं जिले के किसानों को नर्सरी योजना के अन्तर्गत यह आश्वासन दिया गया था चेयरमैन की ओर से, विद्युत बोर्ड की ओर से, झुन्झुनूं जिले में या राजस्थान में कहीं भी अमुक तिथि तक जो कनेक्शन चाहे, वह जमा करा दे नर्सरी के तहत और उसको कनेक्शन इसी फसल पर दे दिया जायेगा। वह

(12.00)

फसल पक गयी और अब काटने का समय आ गया। लेकिन उनको कनेक्शन नहीं दिये गये। यह कहना उचित नहीं है कि कोर्ट की वजह से या फसल बोये जाने की वजह से विलम्ब हुआ है। असलियत यह है कि उनको सामान नहीं दिया। न तार दिये, ट्रांसफार्मर दिये, न पोल दिये। अधिकतर काश्तकार उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने अपने पैसे से तार खरीदकर जो एक कुए की लाइन जा रही है चार कुओं के ऊपर एक 50 ट्रांसफार्मर की, उसको ओवरलोड कर दिया। यहां से कह दिया बोर्ड ने, अधिकारियों ने कि तार जोड़ लो, आंकड़ी डाल लो और कुएं पर लगा दो। न पोल है न कनेक्शन विधिवत् दिया गया है। उसके कुएं के 60, 70, 80 हजार रुपये लगे, ब्याज के डर से बेचारे ने आंकड़ी डाल ली। कुएं वालों को भी बिजली समय पर नहीं मिलती है, ट्रांसफार्मर भी नहीं मिलता है, और असत्य आंकड़े बताये गये हैं। किसी भी कोर्ट में केस लम्बित नहीं है। चार केस के अलावा पांचवा केस हो तो, मंत्री जी, आप जांच करवा लो और मैं हाउस में क्षमा मांग लूंगा आपसे कि मैं गलती पर था। लेकिन आपने दो पोल में भी विलम्ब बताया और तीसरे क्वेश्चन पर भी विलम्ब बता दिया। आखिर यह एक कोर्ट की रोक का कारण सारे क्वेश्चन पर बताते रहोगे। जो मुद्दा था क्वेश्चन का आप उससे दूर रहे। हम यह चाहते हैं कि जो काश्तकार पैसे जमा करा चुका उसको इस बार फसल नहीं मिली। आपने माना है कि 231 आवेदक ऐसे हैं जिन्हें हमने कनेक्शन नहीं दिया। मैं इसमें यह कह रहा हूं कि ज्यादा हैं लेकिन क्या उन 231 को आप मय ब्याज के राशि देंगे और खेती का हर्जाना देंगे जो उससे कमा सकता था? जिस काश्तकार ने अपने रिश्तेदार से पैसे लिये, जेवर बेचा, कर्जा लिया उसके ब्याज लग रहा है। आपके विद्युत विभाग में पैसे जमा हैं उसको कनेक्शन मिला नहीं बावजूद इसके कि आपकी गवर्नमेंट के, विद्युत विभाग के आदेश थे कि इस फसल पर उस किसान को बिजली मिल जायेगी। उसका ब्याज और वह हर्जाना खेती का जो वह नहीं प्राप्त कर सका, क्या देने को बिजली बोर्ड तैयार है? मैं 2-3 बात बता दूं, ज्यादा नहीं, जो विलम्ब हुआ सामान नहीं होने की वजह से उसमें आप साफ कहें।

(श्री शीशराम ओला)

आपने यह तो कह दिया कि पैसे जमा करा दो और सामान आज तक नहीं दिया। आज भी सामान आपके पास नहीं है। यह कृपया मुझे बतायें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, नर्सरी में 1340 आवेदकों द्वारा मांग पत्र की राशि जमा करायी गयी और 1109 हो गये और वन, टू पोल में 1426 की राशि जमा करायी....

श्री शीशराम ओला : यह ताली पीटने का मामला नहीं है, माननीय गृह मन्त्री जी, उत्तर आने दो।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : एक सैकण्ड, अब आप सुन तो लें।

श्री शीशराम ओला : आप उस दर्द को नहीं जानते हो। आप नहीं बोलियेगा मेरे बीच में। मैं तो किसी के बीच में नहीं बोलता हूं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : हां बिलकुल नहीं बोलता। मैं आपको तसल्ली से जवाब दे रहा हूं।

श्री शीशराम ओला : मैं इनको कह रहा हूं, आपको दोष नही दे रहा हूं। गृह मंत्री जी को कह रहा हूं जो ताली बजा रहे हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : वन पोल, टू पोल में 1426 में से 256 शेष हैं। मान्यवर, राजस्थान में 25 हजार कनेक्शन होने हैं जिसमें से 2535 कनेक्शन झुन्झुनूं जिले में हो चुके और 500 और हो जायेंगे। 3,000 कनेक्शन हो जायेंगे। मैं इसके लिए तो आपको बधाई देता हूं। अब आप एक मिनट सुन लें फिर आप बोल लेना।

श्री शीशराम ओला : एक बात बोलूंगा।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : बोल लेना। उन्होंने करवाया, लोगों को इंस्टीगेट किया, लोगों को प्रोत्साहित किया और हमने कोशिश की थी कि हम इन दो महीने में ही दे दें। अधिकतर दो महीने में दिये हैं, कुछ विलम्ब भी हुआ है। उसका कारण यह हो गया कि झुंझुनूं में एप्लीकेशंस ज्यादा आ गयीं। सामान की कमी नहीं है। सामान पर्याप्त हैं। ट्रांसफार्मर एक साल के एडवांस ले रखे हैं। सामान भी हमारे पास पर्याप्त है और आपको मैं यह विश्वास दिला देता हूं कि 31 अक्टूबर, 1995 तक जिनकी राशि जमा हो गयी है ऐसे समूचे कनेक्शन सारे राजस्थान में, जिसमें झुंझुनूं भी शामिल है, 31 मार्च के पहले पहले कर दिये जायेंगे।

श्री शीशराम ओला : मैं आपको बहुत नम्रता से दो निवेदन करूंगा जो आपने फरमाया इसके उत्तर में। एक तो मुख्य मन्त्री जी का मसला आयेगा तो उनसे भी अर्ज कर लेंगे पर इनसे तो पूछ लें। माननीय मन्त्री जी, आपने बधाई दी इसके लिए तो मैं आपका बड़ा आभारी हूं लेकिन जिन काश्तकारों को आपके विभाग ने यह कहा कि जो अमुक तारीख तक पैसे जमा करा देगा, नर्सरी में, उनको इस फसल पर कनेक्शन दे दिये जायेंगे इसलिए

(श्री शीशराम ओला)

लगभग राजस्थान में सबसे ज्यादा झुन्झुनूं में पैसा जमा कराये गये, हमारे झुन्झुनूं में नहर है, न दूसरा कोई सिंचाई का साधन है इसलिए किसान का कमाई का माध्यम बिजली के कुएं हैं, हमेशा अकाल पड़ता रहता है, उनको कनेक्शन देना चाहिए था वह सामान के अभाव में नहीं दिया गया, यह बिलकुल सत्य है। कोर्ट में चार से ज्यादा केस कहीं नहीं थे उनको भी हमने सुलटा दिया। अब 231 तो बच गये नर्सरी में और 256 आपने बताया वन पोल, टू पोल में। एक पोल के तो आपने 94 में ही बन्द कर दिये थे फिर उनमें इतना विलम्ब क्यों किया? जो वन पोल, टू पोल के पैसे जमा कराये उन्हें दिसम्बर, 94 में बन्द कर दिये, नर्सरी के आज तक चालू हैं तो जो उस वक्त पैसे जमा करवा दिये और यह कहकर करवाये कि आपको मिल जायेंगे फसल पर, नवम्बर तक उन्हें नहीं मिला। कोर्ट में कहा आपके विभाग ने, बोर्ड ने, आपके चेयरमैन ने कि 15 दिन में कनेक्शन मिल जायेंगे पैसे जमा करवाने के बाद। पहले तो आपके विभाग ने उनको डिमाण्ड नोटिस इश्यू करने में समय लिया, बड़ी धांधली की और उसके बाद कई घेराव हुए, कई मीटिंग हुई तो पैसे जमा हुए। पैसे जमा होने के बाद करोड़ों रुपये किसान को ब्याज देना पड़ रहा है। करोड़ों रुपये का हर्जाना हुआ। उस पर यह कह देना कि झुन्झुनूं को 1109 दे दिये, यह कोई उपलब्धि की बात नहीं है झुन्झुनूं के किसानों के साथ और मैं तो यह कहूंगा कि राजस्थान के किसान के साथ जहां भी कहीं नर्सरी में पैसे जमा हो गये उनको बिजली समय पर नहीं देना, बड़ा भारी धोखा किया है, सरकार ने कुठाराघात किया है।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त हुआ।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। अध्यक्ष महोदय, जिन काश्तकारों ने नर्सरी और वन पोल के अन्दर पैसे जमा करा दिये....

श्री अध्यक्ष : और बात करनी है वह 16 तारीख को करो आप।

श्री महादेव सिंह : मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। उनके पैसे जमा हो गये सिक्योरिटी के और डिपार्टमेंट ने यह कह दिया कि ...

श्री अध्यक्ष : आप 16 तारीख को बिजली पर बात होगी उस वक्त रख देना।

श्री महादेव सिंह : आप कुएं में पानी चालू करो, आपका कनेक्शन का आर्डर जल्दी ही कर दिया जायेगा। इसके बावजूद विजिलेंस ने जाकर वहां रेड डाली हैं, उन काश्तकारों के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं और उनके पैनल्टी के 10-10 हजार रुपये वसूल किये हैं। तो क्या सरकार यह व्यवस्था करेगी कि उनके केस बिदड़ा किये जायं और उनको पैनल्टी के पैसे वापस दिलाये जायं?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें।)

(31)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अतारांकित प्रश्न सं. 92

(स्थगित)

राज्य में अवैध शराब की दुकानें

93. श्री पूनमचन्द बिश्नोई (फलोदी) : क्या मुख्य (आबकारी) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजस्थान में सत्ता में आने के पूर्व पूर्ण नशाबन्दी लागू करने की घोषणायें की गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नीति पर वर्तमान में अमल कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि शराब के ठेकेदारों को किसी भी क्षेत्र विशेष में तय शुदा स्थानों पर ही शराब बेचनी होती है ?

(3) क्या यह सही है कि शराब के ठेकेदार शराब बिक्री को इन स्थानों के अलावा प्रत्येक ग्राम में दुकान खोलकर बेच रहे हैं ?

(4) क्या सरकार कानून के इस खुले उल्लंघन को रोकने का प्रबन्ध करेगी ताकि नशाखोरी पर अंकुश लग सके।

उत्तर

(1) राज्य सरकार वर्तमान में मद्यनिषेध नीति पर भी अमल कर रही है। इसके तहत निम्नानुसार कार्यवाही की गई है।

(अ) मादक पदार्थों की बुराईयों के प्रति सामान्य जनता को शिक्षित किये जाने का कार्यक्रम चलाया जायेगा, जिसके लिए आबकारी विभाग में जनसम्पर्क प्रकोष्ठ स्थापित करना विचाराधीन है।

(आ) आदिवासी क्षेत्र में देशी मदिरा निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स की दुकानों के जरिये विक्रय किया जाता है। क्षेत्र की आवश्यकता के मुकाबले इन दुकानों की संख्या बहुत कम होने के कारण अनाधिकृत मदिरा निर्माण बढ़ा है, अतः इस क्षेत्र में आवश्यकतानुसार नये विक्रय-केन्द्र खोले जायेंगे।

(इ) अवैध मदिरा के उत्पादन एवं विक्रय पर प्रतिबन्ध को अधिक कारगर बनाये जाने के साथ ही मदिरा के प्रसार हेतु लगाये जाने वाले विज्ञापनों/होर्डिंग्स को न लगने देने के लिए और अधिक प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

(ई) पूर्व वर्ष की भांति कम तेजी की मदिरा का उत्पादन जारी रखा जायेगा और साथ ही छोटे साइज के पाउचों में सप्लाई और अधिक बढ़ाई जायेगी। इससे मदिरा की खपत कम होगी और साथ ही इसमें मिलावट की सम्भावना भी नहीं रहेगी।

(उ) केन्द्र सरकार के निर्देशों के तहत भारत में निर्मित विदेशी मदिरा

(32)

(मुख्य आबकारी मन्त्री)

एवं देशी मदिरा की बोतलों पाउचों पर यह चेतावनी अंकित किया जाना अनिवार्य है कि 'मद्यपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है'। देशी मदिरा के मामले में यह चेतावनी उपयुक्त ढंग से अंकित किये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

(2) जी, हां।

(3) जी, नहीं। आबकारी विभाग द्वारा ठेकेदारों को जिन गांवों में मदिरा दुकानें स्वीकृत की जाती हैं वहीं पर शराब बेची जाती है।

(4) यदि कानून उल्लंघन बाबत कोई शिकायत प्राप्त होती है तो विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

जहाजपुर में सहायक कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट के पद का सृजन

94. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जहाजपुर में वर्षों से राजस्व मामलों के निपटारे हेतु सहायक कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट का पद सृजित था ? यदि हां, तो उसको कब और क्यों समाप्त किया गया ?

(2) क्या प्रदेश में जहाजपुर तहसील से कम राजस्व प्रकरणों वाले तहसील मुख्यालयों पर प्रथम श्रेणी सहायक कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट के पद सृजित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जहाजपुर में राजस्व प्रकरणों की संख्या को देखते हुए इनके निस्तारण हेतु यह पद पुनः सृजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के अन्तर्गत इस तहसील को लगाने का क्या औचित्य है जबकि जहाजपुर तहसील से शाहपुरा से बड़ी है ?

(4) क्या यह सही है कि उपखण्ड अधिकारी मुख्यालय शाहपुरा से सप्ताह में दो बार (शुक्रवार-शनिवार) जहाजपुर में पेशियों के लिए निर्धारित है, मगर अत्यधिक राजकार्य के कारण अनेक बार पेशियां बदल दी जाती हैं ?

उत्तर

(1) अप्रेल, 1974 से पूर्व तहसील जहाजपुर के लिए सहायक कलक्टर एवं प्रथम श्रेणी दण्डनायक का पद सृजित था, जिसे आदेश दिनांक 16.4.74 से कार्यपालिका से ज्यूडिशियल संप्रेशन के कारण समाप्त किया गया।

(2) निर्धारित नार्म्स की एक हजार लम्बित वादों पर सहायक जिला कलक्टर का न्यायालय स्थापित होना चाहिए। कुछ न्यायालय राज्य में ऐसे हैं, जिनमें वाद एक हजार से कम लम्बित है, जहां तक जहाजपुर में सहायक कलक्टर का न्यायालय सृजित करने का प्रश्न है, ऐसा प्रस्ताव

(राजस्व मन्त्री)

अभी राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(3) यह व्यवस्था पूर्व से चली आ रही है। इस समय इस पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

(4) जी, हां। यह सही है कि सप्ताह में दो बार शुक्रवार, शनिवार जहाजपुर में पेशियों के लिए निर्धारित है, परन्तु अन्य राजकार्यों में व्यस्तता के कारण कभी-कभी पेशियां बदली भी जाती है।

ग्राम पंचायत गोरेडी चाचा (नागौर) क्षेत्र के खेल मैदान पर अतिक्रमण

95. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ग्राम पंचायत गोरेडी चाचा तहसील डेगाना (नागौर) के क्षेत्र में खेल मैदान के नाम से भूमि का आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो कब और कितनी भूमि है ?

(2) क्या यह सही है, कि वास्तविक भूमि आवंटित भूमि से कम है ? यदि हां, तो क्यों है ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त खेल मैदान पर अतिक्रमण हुआ है ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इस अतिक्रमण को हटाने के लिए धारा 91 के तहत कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां।

ग्राम पंचायत गोरेडी चाचा तहसील डेगाना के क्षेत्र में रा. उ. प्रा. वि. डेगाना जंक्शन गोरेडी चाचा को ख. नं. 98 में से 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि का दिनांक 16.5.83 को आवंटन किया गया है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां।

19 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमियों की सूची संलग्न "अ" सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(4) जी, हां।

अतिक्रमण हटाने बाबत भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

तहसील कोटपूतली (जयपुर) को जिला मुख्यालय का दर्जा

96. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री रामचन्द्र रावत)

(1) क्या सरकार राज्य में नये जिले बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व कौन-कौन से ?

(2) क्या सरकार जिला जयपुर की तहसील कोटपूतली उप जिला मुख्यालय को जिला मुख्यालय का दर्जा दिये जाने एवं जिला बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र मकराना के मजरा ढाणियों का राजस्व ग्राम में परिवर्तन

97. **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना में वर्ष 1991 से दिसम्बर, 1995 तक किस-किस मजरा/ढाणी को कब-कब राजस्व ग्राम घोषित किया गया ?

(2) मकराना विधान सभा क्षेत्र की मकराना पंचायत समिति में कितनी एवं कौन-कौनसी ढाणियां हैं, जिनकी आबादी 250 से अधिक है ?

(3) क्या सरकार के पास उक्त ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक राजस्व ग्राम घोषित कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना में वर्ष 1991 से दिसम्बर, 1995 तक अधिसूचना दिनांक 18.7.95 के द्वारा 5 ढाणियों को नये राजस्व ग्राम घोषित किये गये हैं। सूची संलग्न है।

(2) मकराना विधान सभा क्षेत्र की मकराना पंचायत समिति में कुल 19 ढाणियां ऐसी हैं, जिनकी आबादी 250 से अधिक है। सूची संलग्न है।

(3) उक्त ढाणियों को नये राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

अजमेर जिले की हायर सैकण्डरी/सैकण्डरी स्कूल के रिक्त पदों की पूर्ति

98. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) शिक्षा सत्र 1995-96 में अजमेर जिले की किस-किस हायर सैकण्डरी/सैकण्डरी स्कूल (छात्र/छात्रा) में किस-किस विषय से संबंधित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पद रिक्त रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री विष्णु मोदी)

(2) क्या यह सह है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी नई नीति केतहत यह निर्णय लिया है कि वर्तमान शिक्षण सत्र में होने वाले अर्द्ध वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांकों का दस प्रतिशत बोर्ड की वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों में जोड़ा जायेगा ? यदि हां, तो विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त होने से विद्यार्थियों के अध्यापन कार्य में प्रतिकूल प्रभाव के साथ-साथ क्या उन्हें दस प्रतिशत अंकों से वंचित नहीं रहना पड़ेगा ?

(3) सरकार हायर सैकण्डरी/सैकण्डरी स्कूलों में अध्यापक/अध्यापिकाओं के रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) शिक्षण सत्र 1995–96 में अजमेर जिले में हायर सैकण्डरी/सैकण्डरी स्कूलों में विषयवार रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी, नहीं। रिक्त रहे पदों के शिक्षण एवं परीक्षा हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की जाकर छात्रों के अंक दिये गये हैं।

(3) जी, हां। पदोन्नति से कार्यग्रहण न करने के कारण अधिकांशत: पद रिक्त हैं। इन व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थना प्रेषित की जा चुकी है। विभागीय चयन समिति तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरा जाना संभव हो सकेगा। द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें।)

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय द्वारा की गई खरीद में अनियमितता

99. **श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय द्वारा गत सत्र में की गयी पुस्तकों की खरीद में की गयी अनियमितताओं की शिकायत के सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर कोई जांच करवायी गयी थी ? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिन अधिकारियों ने वित्तीय अनियमितताएं, लापरवाही और निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया है, के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1994-95 में प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय द्वारा की गई पुस्तकों की खरीद में तथा-कथित अनियमितताओं की शिकायत पर राज्य सरकार ने निदेशक प्रौढ़ शिक्षा को निर्देश दिए कि वे जांच करवाकर शिकायत पर बिन्दुवार टिप्पणी प्रेषित करें। निदेशालय में उपलब्ध रिकार्ड

(शिक्षा मंत्री)

के अनुसार तत्कालीन निदेशक प्रौढ़ शिक्षा ने जांच के कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किये उनके कहने पर तत्कालीन उप निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा ने मामले की सरसरी तौर पर जांच की। उपनिदेशक की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने से पूर्व कुछ अन्य शिकायतों के प्राप्त होने पर राज्य सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय द्वारा 1.4.93 से 31.10.95 तक की गई तमाम खरीददारियों का अंकेक्षण वित्त विभाग के अंकेक्षण दल द्वारा कराने का निर्णय लिया जिसमें प्रश्नगत पुस्तकों की खरीददारी भी सम्मिलित थी।

(2) विशेष अंकेक्षण दल द्वारा किये गये अंकेक्षण का प्रतिवेदन कुछ समय पूर्व प्राप्त हो चुका है। अंकेक्षण प्रतिवेदन का समुचित कार्यवाही हेतु परीक्षण किया जा रहा है।

सीकर जिले में विद्यालयों का क्रमोन्नयन

100. श्री बनवारीलाल भिण्डा (फतेहपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सीकर जिले में वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान कितने प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कितने उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में तथा कितने माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है ? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों के क्रमोन्नति के मानदण्ड क्या हैं ?

(3) ऐसे कौन-कौन से पुराने विद्यालय हैं जो उक्त मानदण्ड की पूर्ति तो करते हैं किन्तु क्रमोन्नति से वंचित रह गये हैं ?

(4) पुराने विद्यालयों को क्रमोन्नत न किये जाने के क्या कारण रहे ? क्या सरकार इस संबंध में कोई योजनाएं बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सीकर जिले में वर्ष 1995-96 में क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची सदन की पटल पर रख दी गयी है।

(2) निर्धारित मानदण्ड की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) उच्च प्राथमिक विद्यालय रहित ग्राम पंचायत क्षेत्रों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। विद्यालय क्रमोन्नति के लिये उपलब्ध सीमित वित्तीय साधनों, क्षेत्र की आवश्यकता, भौगोलिक परिस्थितियों आदि गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए समग्र विचार किया जाता है।

(4) उपलब्ध वित्तीय साधनों के तहत ही विद्यालय क्रमोन्नत किये जाने सम्भव होते हैं। विद्यालय क्रमोन्नत किये जाने हेतु आगामी वर्षों में राशि के आवंटन के आधार पर ही विचार किया जा सकेगा।

(सूची एवं प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

विद्यालयों में अध्यापकों की उपस्थिति

101. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकार ने प्राथमिक पाठशालाओं/ उच्च प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की समय पर तथा नियमित उपस्थिति के बारे में क्या कदम उठाये हैं ?

(2) क्या सरकार ने प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शालाओं के सेम्पल निरीक्षण कराये है ? यदि हां, तो कब-कब व उनकी क्या रिपोर्ट है तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठायें हैं ?

(3) क्या शिक्षा मंत्री जी ने भी संभागीय स्तर पर जायजा लिया तथा स्कूल के नियमित निरीक्षण करवाये हैं ? यदि हां, तो किस-किस स्तर के अधिकारियों से ? वर्ष 1995–96 में कराये गये निरीक्षणों की विभागीय अधिकारियों के नाम एवं विद्यालय के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें तथा इसके क्या परिणाम रहे ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार ने सभी श्रेणी के विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों का कोई केडर तैयार नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त विद्यालयों में किस-किस श्रेणी के अध्यापकों को प्रधानाध्यापक का कार्यभार दिया जाता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त सभी श्रेणी के विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों का पृथक्-पृथक् केडर तैयार करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं किस आधार पर ?

उत्तर

(1) अध्यापकों के समय पर विद्यालय पहुंचने तथा विद्यालय में नियमित शिक्षण कार्य हेतु जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विद्यालय का वर्ष में दो बार निरीक्षण जिसमें एक सूचित तथा एक असूचित शामिल है, करने के निर्देश दिये गये हैं।

(2) जी, हां। निरीक्षण के समय अनुपस्थित पाये गये अध्यापकों/कर्मचारियों के विरुद्ध राजस्थान सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

(3) जी, हां। समस्या ग्रस्त विद्यालयों के सघन एवं लक्ष्यबद्ध निरीक्षण के अन्तर्गत सभी स्तर के अधिकारियों द्वारा राज्य के लगभग 2562 विद्यालयों का माह जुलाई 95 से जनवरी, 96 तक में निरीक्षण कार्य सम्पन्न किया जाकर निरीक्षण व्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया। निरीक्षण में भौतिक पहलुओं के साथ-साथ गुणात्मक पहलुओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया।

(4) प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का कोई केडर नहीं है। प्राथमिक विद्यालयों से प्रायः अनुभवी तृतीय वेतन शृंखला सहायक अध्यापक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों

(शिक्षा मंत्री)

से प्राय: द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक से प्रधानाध्यापक बनाये जाते हैं। अधिक छात्र संख्या होने पर प्राथमिक शालाओं से वरिष्ठ अध्यापक तथा उच्च प्राथमिक शालाओं में व्याख्याता भी प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक शाला में लगाये जाते हैं।

(5) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों की यात्राओं पर व्यय

102. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1994 एवं 1995 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों ने देश एवं विदेश के किस-किस स्थान की किस-किस प्रयोजन से कितने-कितने दिन यात्राएं कीं तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि व्यय हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नवम्बर, 1995 में बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों ने आतंकवाद से ग्रस्त कश्मीर राज्य के बोर्ड अधिकारियों से विचार-विमर्श हेतु यात्रा की थी ? यदि हां, तो इस यात्रा का उद्देश्य क्या था ?

उत्तर

(1) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, सचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजस्थान से बाहर देश और विदेश में की गई यात्राओं सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट-1 "अ" व "ब" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) नवम्बर, 1995 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के आदेशानुसार केवल बोर्ड के सचिव ने ही जम्मू यात्रा की थी। यह यात्रा जम्मू-कश्मीर के बोर्ड की कार्य-प्रणाली विशेषकर प्रमाण-पत्रों पर परीक्षार्थियों के छायाचित्र लगाये जाने के सम्बन्ध में अध्ययन करने हेतु की गयी थी। सचिव द्वारा इस सम्बन्ध में जम्मू-कश्मीर बोर्ड के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

शिक्षकों की स्थानान्तरण नीति

103. श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिन शिक्षकों के विषयों में माध्यमिक शिक्षा के परिणाम 20 प्रतिशत से कम रहते हैं उनको जयपुर नगर से बाहर स्थानान्तरित करने की नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो इस नीति के अनुसार किन-किन शिक्षकों का स्थानान्तरण जयपुर से बाहर किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई).

(2) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित अध्यापक, जिनका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में परिणाम 20 प्रतिशत से कम था उनको जयपुर शहर में पदस्थापित किया गया है ? यदि हां, तो किन्हें ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शिक्षकों के लिए सरकार स्थानान्तरण नीति में शिक्षकों को न्यून परीक्षा परिणाम के आधार पर स्थानान्तरित करने का प्रावधान है। इस संदर्भ में इस वर्ष 20 प्रतिशत से कम बोर्ड परीक्षा परिणाम वाले विषय अध्यापकों व व्याख्याताओं का अन्यत्र स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया था, जिसके अन्तर्गत जयपुर शहर/नगर से श्री कुंज बिहारी लाल शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, माणक चौक, जयपुर से, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जालसू में स्थानान्तरित किया गया।

(2) जी नहीं।

लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अवसर

104. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को भाग लेने के लिए कितने अवसर प्रदान किये जाते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उक्त परीक्षाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 7 बार भाग लेने के अवसर प्रदान किये जाते हैं जब कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ऐसी परीक्षाओं में केवल 4 अवसर ही प्रदान किये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के परीक्षार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थियों के बराबर अवसर प्रदान करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चार।

(2) जी हां।

अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थियों की भांति 7 अवसर प्रदान करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

संस्कृत शिक्षा में तृतीय श्रेणी के अध्यापक के रिक्त पद

105. श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा (फागी) एवं श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि संस्कृत शिक्षा में कार्यरत तृतीय श्रेणी अध्यापकों के

(श्री रामनारायण मीणा)

फरवरी, 1994 से जनवरी, 1996 तक की अवधि में स्थानान्तरण किये गये हैं ? यदि हां, तो ठहराव की अवधि सहित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या संस्कृत शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उपलब्ध रिक्त पदों पर गृह जिले से 200 किलोमीटर से अधिक दूरी पर नियुक्त अध्यापकों को स्थानान्तरित किये जाने का सरकार का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट–1 रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। उपलब्ध रिक्त पदों पर नवीन शिक्षकों के पद स्थापन आदेश दिनांक 27-2-96 व 2-3-96 को जारी कर दिये गये हैं।

(3) जी हां। भविष्य में उपलब्ध होने वाले रिक्त पदों पर 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर नियुक्त अध्यापकों के प्रकरणों पर गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार विचार किया जा सकेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों का परीक्षा परिणाम

106. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कला, वाणिज्य एव विज्ञान विषय के अध्यापकों के पिछले तीन वर्षों का परीक्षा परिणाम क्या रहा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) न्यूनतम परिणाम वाले अध्यापकों के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? इस हेतु यदि कोई नीति बनाई गई है, तो उसका विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर जिले के राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का कला, वाणिज्य एवं विज्ञान वर्ग का गत तीन वर्षों का परीक्षा परिणाम सदन के पटल पर परिशिष्ट–1 रख दिया गया है।

(2) न्यूनतम परीक्षा परिणाम देने वाले अध्यापकों के स्थानान्तरण तथा सी सी.ए. नियमों के तहत कार्यवाही की जा रही है। इस बाबत नीति संबंधी विभाग द्वारा जारी परिपत्र की प्रति सदन के पटल पर परिशिष्ट–2 रख दी गयी है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया)

केशवराय पाटन (बून्दी) स्थित भगवान श्री केशवराय मन्दिर की मरम्मत

107. श्री रामगोपाल मेघवाल (केशवराय पाटन) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि विभाग ने बून्दी जिले के केशवराय पाटन स्थित भगवान श्री केशवराय के मन्दिर को भी वर्ष 1996-97 में मरम्मत, सुधारीकरण एवं विभिन्न कार्यों हेतु चयन किया है ? यदि हां, तो इस पर क्या-क्या कार्य करवाये जायेंगे एवं अनुमानित कितना व्यय होगा ?

उत्तर

जी हां । मन्दिर में मरम्मत सुधारीकरण के लिये कराये जाने वाले कार्य एवं उस पर होने वाले अनुमानित व्यय के विवरण की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(प्रति विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी)

द्वारकाधीश मन्दिर मण्डल, कांकरोली की सम्पत्ति

108. श्री शांति लाल खोईवाल (राजसमंद) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) द्वारकाधीश मंदिर मण्डल कांकरोली के पास क्या-क्या सम्पत्ति है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि मन्दिर मण्डल द्वारा शहरी सम्पत्ति में से कुछ सम्पत्ति का पिछले दस वर्षों में बेचान किया गया है ?

(3) यदि हां तो विक्रय की गयी सम्पत्ति का विवरण मय कीमत एवं खरीददारों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) मंदिर मण्डल द्वारा पिछले दस वर्षों में अपनी भूमि पर खाद्यान्नों हेतु दी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ताओं की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) मंदिर मण्डल द्वारा किन शर्तों पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ?

उत्तर

(1) मंदिर श्री द्वारकाधीश जी, कांकरोली जिला राजसमंद देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियंत्रित न होकर एक सार्वजनिक प्रन्यास है । ट्रस्ट की चल अचल सम्पत्ति की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है । (परिशिष्ट "क")

(2) मंदिर मण्डल ट्रस्ट द्वारा शहरी सम्पत्ति में से किसी सम्पत्ति का विक्रय नहीं किया गया है ।

(3) सम्पत्ति का विक्रय ही नहीं किया तो खरीददारों की सूची का प्रश्न ही नहीं रहता ।

(4) मंदिर मण्डल ट्रस्ट कांकरोली द्वारा 101 खनन कर्ताओं को खनन हस्तान्तरित

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)

(3) वर्ष 1995 तक उक्त प्रशिक्षित छात्रों में से किस-किस को कहां-कहां रोजगार दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रौद्योगिकी एवं कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, उदयपुर द्वारा किसानों, सेवारत कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा स्वरोजगार कार्यकर्ताओं को बायोगैस भू-संरक्षण उन्नत चूल्हा आदि प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण से ऊर्जा की बचत तथा नवीन तकनीकी ज्ञान से अपनी कार्यकुशलता में वृद्धि कर उत्पादन बढ़ा सके। इसका क्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान है।

(2) छात्रों को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, उन्हें शिक्षा दी जाती है।

(3) क्योंकि प्रशिक्षण छात्रों को दिया ही नहीं जाता अतः प्रश्न अप्रासंगिक हैं।

एम. आर. मुरारका जी. डी. सी. रूरल रिसर्च फाउन्डेशन को अनुदान

117. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या नवलगढ़ (झुन्झुनूं) में एम. आर. मुरारका जी. डी. सी. रूरल रिसर्च फाउन्डेशन नामक संस्था ने कृषि अधिकारी क्षेत्र में कृषि विस्तार कार्यक्रम के विकास कार्य ले रखे हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(2) उक्त फाउन्डेशन द्वारा अब तक किन-किन कृषकों को कृषि एवं तकनीकी ज्ञान से लाभान्वित किया गया ?

(3) उक्त संस्थाने अब तक किन-किन विभागों से कब-कब कितनी-कितनी राशि का अनुदान उठाया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त फाउन्डेशन द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री एवं अन्य अधिकारियों को ज्ञापन/शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कब और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या सरकार उक्त संस्था के कार्यकलापों पर रोक लगाकर अब तक प्राप्त अनुदान की जांच कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि कृषि विभाग द्वारा विश्व बैंक की सहायता से चल रही कृषि विकास परियोजनान्तर्गत एम आर. मुरारका जी. डी. सी. रूरल रिसर्च फाउण्डेशन नामक गैर सरकारी संस्था को सहभागिता के आधार पर कृषि विस्तार कार्यक्रम पंचायत समिति नवलगढ़ में एक सहायक कृषि अधिकारी क्षेत्र परसरामपुरा दिया गया है। इस संस्थान ने माह अप्रेल, 95

(राज्य मंत्री, कृषि)

से सहभागी कृषि विस्तार सेवाएं प्रारम्भ कर दी हैं।

(2) इस गैर सरकारी संस्थान के विस्तार कार्यकर्ताओं द्वारा किसान मण्डल में, किसान सेवा केन्द्रों पर एवं भ्रमण के दौरान पंचायत समिति नवलगढ़ के सहायक कृषि अधिकारी क्षेत्र परसरामपुरा के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के लघु, सीमान्त, बड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्गों के कृषकों को कृषि तकनीकी ज्ञान द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है।

(3) कृषि विकास परियोजनान्तर्गत इस संस्थान को सहभागिता के आधार पर कृषि विस्तार हेतु अब तक सहायता राशि रुपये 2,77,875/- का अनुदान किया गया है।

इस गैर सरकारी संस्थान द्वारा किये जा रहे कृषि विस्तार कार्यक्रम का उच्च अधिकारियों द्वारा किये गये पर्यवेक्षण एव निरीक्षण के अनुसार संतोषजनक पाया गया है, गैर सरकारी संस्थान द्वारा धन के दुरुपयोग किये जाने सम्बन्धी शिकायत पत्र प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रबोधन एवं मूल्यांकन के लिये गठित समिति को जांच हेतु छाया प्रति प्रदान कर दी गयी है जो अपना प्रतिवेदन आगामी माह में प्रस्तुत करेगी तथा प्रतिवेदन की सिफारिशों के प्राप्ति उपरांत ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(4) इस गैर सरकारी संस्था को विश्व बैंक की सहायता से चल रही कृषि विकास परियोजनान्तर्गत गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सहभागिता के आधार पर कृषि विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तरीय उच्च स्तरीय समिति के निर्णयानुसार विस्तार कार्यक्रम दिया गया है तथा अब तक उच्च अधिकारियों द्वारा किये गये पर्यवेक्षण एवं निरीक्षणों के प्रतिवेदनों के अनुसार संस्थान द्वारा किये गये कृषि वि तार कार्य सन्तोषजनक पाये गये हैं। अतः सरकार उक्त संस्थान के कार्यकलापों पर रोक लगाने का इरादा नहीं रखती है, परन्तु प्राप्त शिकायतों की जांच राज्य सरकार द्वारा गठित प्रबोधन एवं मूल्यांकन कार्य के गठित समिति द्वारा करवाया जा रहा है जिसका प्रतिवेदन माह अप्रेल के अन्त तक प्राप्त हो सकेगा।

(5) दिनांक 31 जनवरी, 96 को इस गैर सरकारी संस्थान को दिये गये सहभागी कृषि विस्तार सेवाओं का निरीक्षण विश्व बैंक के निरीक्षण दल ने, विभागीय उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ सहायक कृषि अधिकारी क्षेत्र परसरामपुरा का निरीक्षण किया था तथा विचार-विमर्श के दौरान निरीक्षण दल द्वारा अब तक की गई प्रगति को सन्तोषजनक बताया है। उनका कहना था कि अल्प समय में अच्छी शुरूआत की गई है।

जिला बूंदी मार्ग पर पुल निर्माण

118. श्री रामनारायण मीणा (नैनवा) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

उत्तर

(1) जी हां। वन खण्डवार सूची परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। वन भूमि पर 1.7.80 से पूर्व के नाजायज कब्जों की जांच के लिए तहसील स्तर पर समिति गठित की हुई है इस समिति के निम्न सदस्य हैं :—

1. क्षेत्रीय विधायक
2. प्रधान अथवा प्रशासक पंचायत समिति
3. सहायक वन संरक्षक
4 तहसीलदार/नायब तहसीलदार
5. क्षेत्रीय वन अधिकारी
6 सरपंच अथवा ग्राम पंचायत का प्रशासक उक्त समिति द्वारा अब तक तहसील खैरवाड़ा क्षेत्र में वन खण्ड पहाड़ा में 9 मौके एवं खण्ड परेड़ा से 4 मौके कुल 13 नाजायज कब्जों के मौके देखे गये हैं।

(3) जी हां।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

वन भूमि पर हुए कब्जों का नियमितीकरण

114. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ने 1980 के पूर्व के वन भूमि पर हुये कब्जों को नियमित करने के आदेश जारी किये हैं? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आदेश के आधार पर ऐसे कब्जों का नियमितीकरण किया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उपरोक्त समस्या को वाजिब मानती है? यदि हां, तो इसके निराकरण हेतु क्या सरकार अलग से सैल गठित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रति सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" के अनुसार रख दी गई है।

(2) उक्त आदेश के अनुसार कब्जों के नियमितीकरण की कार्यवाही जारी है। राज्य सरकार द्वारा 1178 प्रकरण भारत सरकार को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अग्रेषित किये जा चुके हैं जो केन्द्र सरकार के विचाराधीन है। सूची परिशिष्ट "ख" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां, उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु सरकार अलग से सैल गठित नहीं करके विद्यमान प्रक्रियान्तर्गत ही केन्द्र सरकार से नियमितीकरण की अनुमति तत्परता से प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील है।

(प्रति व सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कुओं हेतु अनुदान राशि

115 श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्षा का पानी कुओं में डालकर जल स्तर बढ़ाने की योजना से राज्य में कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी ?

(2) इस योजना के अन्तर्गत अनुदान देने सम्बन्धी क्या नियम है ? अधिकतम कितनी राशि अनुदान के रूप में देने की व्यवस्था है तथा किस प्रकार का कार्य किसान को इस योजना में करना होता है ?

उत्तर

(1) वर्षा का पानी कुओं में डालकर जल स्तर बढ़ाने की योजना के अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा राशि 160.76 लाख एवं जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा राशि 21.064 लाख व्यय की गयी है।

(2) इस योजना के अन्तर्गत प्रावधान निम्न प्रकार से है। जिन कृषकों के पास स्वयं का कुआ तथा भूमि का स्वामित्व है, अनुदान के पात्र हैं। अनुदान कृषक के फार्म पर कृषि पर्यवेक्षक द्वारा इस कार्य के भौतिक सत्यापन के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। इस योजनान्तर्गत सामान्य कृषकों को अधिकतम रुपये 1200/– तथा लघु/सीमान्त/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों को अधिकतम रुपये 1800/– अनुदान दिया जाता है। भू-संरक्षण विभाग में फिलहाल अधिकतम अनुदान समस्त कृषकों को सामान्य रूप से रुपये 1200/– ही दिया जा रहा है जिसे संशोधन किया जाकर कृषि विभाग के अनुरूप किया जाना प्रस्तावित है। इस योजनान्तर्गत कृषक को कुए के पास 6 × 6 × 6 फुट आकार का पक्का गड्ढा बनाना पड़ता है तथा गड्ढे एवं कुए के मध्य 9 से 12 इंच व्यास का पाइप लगाया जाता है जिसके द्वारा गड्ढे में एकत्रित वर्षा का जल कुए में जाता है। पाइप के मुंह पर फिल्टर लगाया जाता है जिससे स्वच्छ जल ही कुए में गिरे। जिन कृषि फार्मों पर कुए की स्थिति ढलान के विपरीत होती है या फार्म में कुए की स्थिति के अनुसार गड्ढे तक पानी को लाने के लिए पाइप लाइन डाली जाती है।

तकनीकी महाविद्यालय, उदयपुर द्वारा प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार

116 श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नावां) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कृषि अभियांत्रिकी एवं तकनीकी महाविद्यालय, उदयपुर द्वारा कृषि क्षेत्र में क्या-क्या प्रशिक्षण दिया जाता है एवं उस प्रशिक्षण की क्या उपयोगिता एवं क्षेत्र है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालय द्वारा वर्ष 1991 से 1995 तक कितने छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया ? नाम एवं पते सहित वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(देवस्थान मंत्री)

कर चलाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(5) मंदिर मण्डल ट्रस्ट द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र व शर्तों सहित अनुबन्ध की प्रति संलग्न है (परिशिष्ट "ख, ग")।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जिला दौसा में सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक

109. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार दौसा जिले में अलग से दौसा सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के गठन का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

जी नहीं।

पंचायत समिति लालसोट के कृषि कनेक्शन

110 श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या ऊर्जा मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति लालसोट हेतु वर्ष 1995–96 में कृषि कनेक्शनों के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे उनके मांग-पत्र जारी कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो जारी किये गये मांग-पत्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पंचायत समिति लालसोट के अन्तर्गत वर्ष 1995–96 में सामान्य श्रेणी में मार्च, 1983 तक के 145 आवेदकों को कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था तथा इसके सापेक्ष 117 आवेदकों को मांग पत्र जारी किये गये हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के मार्च, 1994 तक के कनेक्शन दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अब तक 39 आवेदकों को मांग पत्र जारी किये गये हैं। जारी किये गये मांग पत्रों की सूची प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

इटावा (कोटा) में 132 के.वी.ए सब स्टेशन की स्थापना

111. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की पंचायत समिति इटावा में विद्युत की कमी से किसानों व ग्राम नागरिकों को समस्या है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के स्थाई समाधान हेतु 132 के. वी ए. का सब स्टेशन इटावा में लगाने का विचार रखती है ?

(श्री रामगोपाल बैरवा)

(3) यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, इटावा ग्राम में विद्युत आपूर्ति सामान्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य हेतु 8 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है लेकिन कभी कभी राज्य के बाहर से विद्युत उपलब्ध में कमी होने अथवा तकनीकी व्यवधान के कारण विद्युत आपूर्ति में कमी/व्यवधान हो सकता है।

(2) व (3) वर्तमान में इटावा में 3·15 एम वी ए. का एक एवं 1 6 एम वी. ए. का एक ट्रान्सफार्मर रखा हुआ है। अत: वर्तमान विद्युत भार को देखते हुए फिलहाल इटावा में 132 के वी का सब स्टेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस क्षेत्र में उचित भार वृद्धि होने पर उपयुक्त समय पर इटावा में 132 के.वी का सब स्टेशन बनाने का विचार किया जावेगा।

पीपलखूंट (घाटोल) क्षेत्र को बकाया मजदूरी

112. श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र-घाटोल के पीपलखूंट रेंज में वन विभाग द्वारा पुथ का पठार में वर्ष 1995 में कार्य करवाया गया था ? यदि हां, तो मजदूरों को अब तक भुगतान क्यों नहीं कराया गया ? सरकार अब कब तक मजदूरों को भुगतान किये जाने का विचार रखती है।

उत्तर

जी हां। मजदूरों का भुगतान बकाया नहीं है, अत: सरकार द्वारा अब भुगतान का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

खैरवाड़ा क्षेत्र की वन भूमि पर अतिक्रमण

113. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील खैरवाड़ा में वन भूमि पर अवैध कब्जे किए हुए हैं ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों द्वारा ? सूची वन खण्डवार सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग में नाजायज कब्जों को मौके पर देखने के लिए एक समिति बनी हुई है ? यदि हां, तो उनमें कौन-कौन सदस्य हैं और उक्त समिति द्वारा 5 वर्ष में कुल कितने मौके कहां-कहां देखे गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि कमेटी ने आज तक जो मौके देखे हैं केवल उन व्यक्तियों के नामों की ही सिफारिश की गई है जिनके नाम रिकार्ड में दर्ज थे यदि नहीं, तो, ऐसे कितने व्यक्तियों के नाम रिकार्ड में दर्ज नहीं है और मौके पर काबिज हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(५8)

(श्री रामनारायण मीणा)

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले के ग्राम भर बालापुरा, नयागांव से जावटी खुर्द, जावटी कलां जाने वाले रास्ते पर आने वाली ड्रेन की स्लेप ट्राइप पुलिया वर्ष 1995 की बरसात में टूट जाने से आवागमन की समस्या उत्पन्न हो गई हैं ? यदि हां, तो उक्त पुलिया किस नम्बर की ड्रेन की कितनी चेन पर स्थित थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त पुलिया का पुर्ननिर्माण कब तक करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां यह सही कि बूंदी जिले के ग्राम भर बालापुर, नया गांव से जावरी खुर्द, जावरी कलां जाने वाले रास्ते पर आने वाली ड्रेन की स्लैव टाईप पुलिया वर्ष 1995 की बरसात में टूट जाने से आवागमन की समस्या उत्पन्न हो गई है । उक्त पुलिया माटून्दा ड्रेनेज, स्कीम जोन नं. 7 पार्ट III की मैन ड्रेन की आर.डी. 5100 मीटर पर स्थित है ।

(2) उक्त पुलिया का पुर्ननिर्माण वर्ष 96-97 में पूर्ण बजट पास होने पर पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने पर सम्पादित किया जाना प्रस्तावित है ।

राजस संघ, उदयपुर के निलम्बित अधिकारी/कर्मचारी

119. **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस संघ, उदयपुर में वर्तमान में कुल कितने अधिकारी व कर्मचारी कब से निलम्बित चल रहे हैं ? विवरण कर्मचारीवार सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उन्हें चार्जशीट दी जा चुकी है ? यदि हां, तो कब-कब एवं यदि नहीं, तो अब तक चार्जशीट्स नहीं देने के क्या कारण रहे ?

(3) क्या यह भी सही है कि निलम्बित कर्मचारियों को निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस संघ में 5 अधिकारी व कर्मचारी वर्तमान में निलम्बित हैं । इनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(2) श्री भगवत सिंह झाला के अतिरिक्त सभी निलम्बित कर्मचारियों को चार्जशीट दी जा चुकी है । इनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है । श्री भगवत सिंह झाला से सम्बन्धित प्रकरण की जांच अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा की जारी है । जांच प्रतिवेदन प्राप्त होते ही आगामी कार्यवाही की जावेगी ।

(3) जी हां । निलम्बित सभी कर्मचारियों को नियमानुसार निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें ।)

राजस संघ केन्द्र नामला (जयसमन्द) पर कार्यरत बेलदार

120 श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जन जाति उप योजना क्षेत्र के अन्तर्गत सहकारी समिति राजस संघ मत्स्य तोल केन्द्र नामला (जयसमन्द) पर अस्थाई बेलदार के पद पर कितने व्यक्ति कब-कब से कार्य कर रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा फरवरी, 1995 में आदेश जारी कर ऐसे मजदूरों को जो मस्ट्रोल या कार्य पर हैं, उन्हें नियमानुसार अर्द्ध-स्थाई किया गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त मजदूरों को यह लाभ क्यों नहीं दिया गया ?

(3) क्या सरकार भविष्य में इन मजदूरों को यह लाभ देने की मंशा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मत्स्य तोल केन्द्र नामला (जयसमन्द) पर दैनिक पारिश्रमिक पर निम्नानुसार श्रमिक मत्स्याखेट अवधि में कार्यरत है :—

क्रम सं.	नाम	अवधि
1.	श्री रत्ता पिता धन्ना जी	13-9-95 से लगातार
2.	श्री उदयलाल पिता पेमा जी	1-2-96 से लगातार
3.	श्री शंकर पिता केवा जी	13-9-95 से लगातार
4.	श्री रामा पिता भेरा जी	13-9-95 से लगातार
5.	श्री पूना पिता जोता जी	13-9-95 से लगातार

(2) राज्य सरकार द्वारा इस आशय के आदेश फरवरी, 1994 में जारी किए गए थे। ये आदेश उपरोक्त मजदूरों पर लागू नहीं होते हैं।

(3) जी नहीं। उपरोक्त आदेश इन मजदूरों के लिए लागू नहीं होते हैं।

उदयपुर जिले के कारखानों में कार्यरत बाल श्रमिक

121 श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उदयपुर ज़िले में बाल श्रमिक किन-किन कारखानों में कार्यरत हैं ? क्या इसका सर्वे सरकार द्वारा कराया गया है ? क्या इसके लिए कोई निरीक्षक नियुक्ति किया हुआ है ? यदि हां, तो उसके द्वारा किन-किन कारखानों का वर्ष 1994-95 में निरीक्षण किया गया ? निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभाग के स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा अब तक किसी कारखाने का निरीक्षण

50

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

कर किसी के विरुद्ध अदालत में चालान पेश किया हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने कारखाना मालिकों के विरुद्ध चालान पेश किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर व जयपुर जिलों को बाल श्रमिक नियोजन के सम्बन्ध में सर्वे हेतु चयनित किया गया है। रिपोर्ट आने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(2) विभाग के स्वास्थ्य निरीक्षक अर्थात एक मात्र निरीक्षक कारखाना (मेडिकल) जिसका मुख्य कार्य स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों पर सलाह देना है, द्वारा किसी कारखाने के विरुद्ध अदालत में चालान पेश नहीं किया गया है।

आमेर रोड (जयपुर) की पूर्व महारानियों की समाधि पर अतिक्रमण

122. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में आमेर रोड स्थित जयपुर रियासत की पूर्व महारानियों की शमाधि स्थल "महारानी की छत्तरियां" पर इन दिनों अतिक्रमणों की भरमार, उचित रख रखाव व संरक्षण के अभाव तथा विभाग की उपेक्षापूर्ण नीतियों के कारण अपना आकर्षण एवं महत्व खोती जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्मारक पर इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एण्ड कल्चर (इन्टेक) के माध्यम से स्मारक की मरम्मत आराइश जालियों तथा लान आदि को विकसित करने का कार्य किया गया था ? यदि हां, तो कितनी राशि का ?

(3) क्या सरकार उक्त स्थल पर हो रहे, अतिक्रमणों, उचित रख रखाव, संरक्षण व महत्व को बनाये रखने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि महारानी की छतरियां अतिक्रमणों की भरमार एवं रख रखाव के अभाव में अपना महत्व खोती जा रही है।

(2) जी हां। यह सही है कि पर्यटन विभाग ने उक्त स्मारक पर रुपये 28,98,483.11 के कार्य इन्डियन नेशनल ट्रस्ट आफ आर्ट एण्ड कल्चर (इन्टेक) नामक एजेन्सी के माध्यम से कराये हैं।

(3) महारानियों की छतरियों की चहार दीवारी के उत्तर पश्चिमी कोने पर किये गये निर्माण का प्रकरण माननीय न्यायालय में 1979 से विचाराधीन है। इसकी उचित रख रखाव व देख रेख हेतु पुरातत्व विभाग ने दो परिचारक नियुक्त किये हुए हैं।

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पद

123. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों को संचालित करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिकांश पद रिक्त होने से इन केन्द्रों का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो जयपुर, अजमेर, जोधपुर व कोटा जिलों के कौन-कौन से केन्द्रों के कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्त हैं और क्यों?

(2) क्या सरकार अब उक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल कतिपय पद ही रिक्त है, किन्तु रिक्त पदों पर वैकल्पिक व्यवस्था कर केन्द्रों का संचालन सुचारू रूप से किया जाता है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर व कोटा जिलों में आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन के लिए कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है। (ध्वज "अ") इनमें वाहन चालक, च.श्रे.क. एवं कनिष्ठ लिपिकों के पद नियुक्तियों पर रोक होने के कारण नहीं भरे जा सके। महिला पर्यवेक्षकों के पद चयन प्रक्रिया में समय लगने के कारण रिक्त रहे तथा सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारियों के पद महिला पर्यवेक्षकों से पदोन्नति कर भरे जाने के कारण नहीं भरे जा सके कि महिला पर्यवेक्षकों के पद बड़ी संख्या में रिक्त थे।

(2) जी हां, सभी रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। महिला पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए जयपुर जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में साक्षात्कार कर नियुक्ति के आदेश जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। अन्य, रिक्त पदों को भरने के लिए भी प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें।)

जिला बून्दी में इन्दिरा आवास योजना/जीवनधारा योजना के लक्ष्य

124. श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्रदेश में इन्दिरा आवास योजना एवं जीवनधारा योजना में जिलेवार वर्ष 1994-95 व 1995-96 में कार्य व राशि व्यय के लक्ष्यों की प्राप्ति क्या रही? जिलेवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) बून्दी जिले में उक्त दो वर्षों के पंचायत स्तर पर लक्ष्यों की प्राप्ति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में इन्दिरा आवास योजना एवं जीवनधारा योजनान्तर्गत जिलेवार वर्ष 1994-95 व 1995-96 में आवास/कूप निर्माण एवं वित्तीय आवंटन के लक्ष्य तथा प्राप्तियों का विवरण परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) इन्दिरा आवास तथा जीवनधारा योजनान्तर्गत राशि तथा भौतिक लक्ष्यों का आवंटन जिलेवार किया जाता है। बूंदी जिले में वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में लक्ष्यों की प्राप्ति सम्बन्धी विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर उपलब्ध है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें।)

मृतक कर्मचारी के आश्रितों को नियुक्ति प्रकरण

125. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि स्व. श्री उमराव प्रसाद शर्मा, कम्पाउण्डर "अ" क्षेत्र जयपुर का स्वर्गवास दिनांक 30 मई, 1978 को हो गया था? यदि हां, तो क्या विभाग द्वारा उनके आश्रितों को ग्रेच्युटी एवं पेंशन का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों? अब तक भुगतान न करने के क्या कारण रहे? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला आयुर्वेद अधिकारी (ब) क्षेत्र जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक प्रति/3/आनियु/95/4440 दिनांक 13-1-95 के सन्दर्भ में जो निदेशक, आयुर्वेद विभाग को सम्बोधित था के सन्दर्भ में निदेशक आयुर्वेद विभाग, राज. अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक प्रति/4/आनियु/95/51818-19 दिनांक 27-12-95 को उक्त अधिकारी ने मृतक के आश्रितों को शीघ्र नियुक्ति देने का निर्देश "ब" क्षेत्र जयपुर को दिया था? क्या उक्त आदेश का पालन सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने जा रही है?

(3) सरकार मृतक के आश्रित को कब तक नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि कम्पाउण्डर श्री उमराव प्रसाद शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 30.5.1978 को हो गया था, किन्तु उसके आश्रितों को ग्रेच्युटी व पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है।

कर्मचारी की मृत्यु दिनांक तक की उपस्थिति एवं सेवा प्रमाणीकरण के अभाव में ग्रेच्युटी व पेंशन का भुगतान नहीं किया जा सका था। अब जिला आयुर्वेद अधिकारी "अ" क्षेत्र जयपुर ने अपने पत्रांक: 1494

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

दिनांक 26.2.96 द्वारा कर्मचारी की पेंशन एवं ग्रेच्युटी स्वीकृति हेतु प्रकरण निदेशक, पेंशन विभाग को भिजवाया है। पेंशन विभाग द्वारा स्वीकृति जारी होने के उपरान्त पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा सकेगा।

(2) जी हां। जारी निर्देशों की पालना नहीं करने के कारणों की जांच कर दोषी व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(3) नियुक्ति अधिकारी जिला आयुर्वेद अधिकारी "ब" क्षेत्र जयपुर को नियमानुसार शीघ्र निर्णय करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

जिला सवाई माधोपुर के पशु चिकित्सालय

126. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 1994 से 1996 तक कुल कितना बजट पशु चिकित्सालय में व्यय हेतु दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने इस क्षेत्र में टीकाकरण कार्यक्रम चलाया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस जिले में नये पशु चिकित्सालय खोलना चाहती है? यदि हां, तो कहां, यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 1994 से 1996 तक पशु चिकित्सालयों के लिये 1736708 रु. की बजट मद वार ब्यौरे की सूची "क" संलग्न है।

(2) जी हां। टीकाकरण कार्य की सूची "ख" संलग्न है।

(3) जी हां। इस वर्ष ग्रामीण विकास केन्द्र की आधारभूत संरचना के अन्तर्गत 6 नये पशु चिकित्सालय क्रमशः कोटड़ी, केनला, अमरगढ़, करसाई, लैंगड़ा एवं पीपल्दा में खोले गये हैं।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें।)

ऊंटों के पलायन पर रोक

127. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य से ऊंटों को बैंगलोर एवं अन्य शहरों में काटने के लिये भेजा जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि पशु पक्षी बलि निषेध अधिनियम राज्य में लागू हो गया है?

(3) क्या सरकार उक्त अधिनियम की अनुपालना में ऊंटों को राज्य से बाहर भेजने के लिये रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी। राजस्थान पशु पक्षी बलि निषेध अधिनियम, 1975 लागू है। एक्ट की प्रति संलग्न है।

(3) उक्त अधिनियम के अनुसार राज्य में मन्दिर या धार्मिक स्थल की परिधि में पशु पक्षी का बलिदान निषेध है। इस अधिनियम के तहत पशु पक्षी को राज्य से बाहर ले जाने पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं हैं।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री अमराराम, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य में शिक्षकों द्वारा किये जा रहे प्रायोगिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा बहिष्कार आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामनारायण मीणा एवं 6 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बूंदी के पुलिस थाना देई में चोरी एवं हत्या के दर्ज मुकदमों के मुलजिमों को पुलिस द्वारा कथित रूप से बचाने के प्रयास से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से होली की पूर्व संध्या पर थाना पूगल क्षेत्रान्तर्गत गांव कुम्हारवाला में कतिपय समाजकंटकों के प्रभाव में आकर एक सब इंस्पेक्टर द्वारा ग्रामवासियों के साथ मारपीट की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(4) श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में पुलिस की कथित बर्बरतापूर्ण कार्यवाही से निर्दोष व्यक्तियों की थानों में मृत्यु होने तथा पुलिस की निष्क्रियता से अपराधों में वृद्धि होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं। माननीय सदस्य उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु के सम्बन्ध में आज गृह मंत्री की ओर से सदन में दिये जाने वाले वक्तव्य के समय जानकारी ले सकेंगे।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रामकिशन वर्मा एवं 14 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से रामगंज मंडी क्षेत्र के ग्राम सुकेत में दिनांक 19-2-96 को पुलिस द्वारा निहत्थी जनता पर अंधाधुंध गोलियां चलाने से वहां की जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(2) श्री पूनम चन्द विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर जिले की अनूपगढ़ तहसील से लगती पाक सीमा स्थित चौकी बिजौर के निकट दिनांक 15.2.96 को सीमा सुरक्षा बल व पाक रेन्जरों के बीच हुई गोलीबारी में नायक जाति के कतिपय व्यक्तियों की मौत होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री लक्ष्मण सिंह एवं 7 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में पुलिस अत्याचारों में लगातार वृद्धि तथा पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु में कथित बढ़ोतरी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री भीमसेन चौधरी एवं श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर के कथित चार फर्जी मुकदमों में जिला पुलिस एवं बी.एस.एफ. के संयुक्त अभियान में टाडा कानून व एन. डी.पी.एस. के अन्तर्गत दर्ज मुकदमों की जांच सी.बी.आई से करवाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिनांक 26 जनवरी, 1996 को गणतंत्र दिवस समारोह स्थल पर हुये बम विस्फोट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। इन प्रस्तावों की विषय वस्तु के सम्बन्ध में आज गृह मंत्री की ओर से सदन में वक्तव्य दिये जाने के समय सम्बन्धित माननीय सदस्य जानकारी ले सकेंगे।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री चुन्नीलाल धाकड़, सदस्य विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बेगूं के जावड़ा (नीमड़ी) क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामरिछपाल नुवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा स्थित महात्मा गांधी अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में।

(3) श्री हरिसिंह (कुम्हेर) सदस्य, विधान सभा की ओर से कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई विभाग की एम.एम कैनाल की एक साइफन मोरी की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामेश्वर भारद्वाज, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर स्थित वक्ष एवं क्षय रोग चिकित्सालय की प्रतीक्षारत विकास योजनाएं शीघ्र पूर्ण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुन्झुनूं जिले की उदयपुरवाटी पंचायत समिति की मण्डावरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में हरिजनों को आवंटित आवासीय भूखण्डों का पट्टा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री कन्हैयालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर स्थित वक्ष एवं क्षय रोग चिकित्सालय के बजट में कटौती करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बूंदी की तहसील नैनवां के ग्राम डेलपुरा में भू-आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा 22·7·1961 को आवंटित भूमि का राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री भीमसेन चौधरी सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के कतिपय गांवों में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 507 (एल) से मीटर की लिफ्ट नहर की योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में बिसाऊ तथा मलसीसर उप खण्डों में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का सहायक अभियंता कार्यालय नहीं खोलने से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(10) श्री उदयलाल आंजना, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कनेरा के चिकित्सक के लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले की तहसील कोटड़ी एवं जहाजपुर के अनेक ग्रामों में समन्वित जल विकास क्षेत्र परियोजना के अन्तर्गत यूजर्स कमेटियों का गठन मनमाने तरीके से करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) डा० रमाकान्त, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में उच्च शिक्षा के मामले में बरती जा रही उपेक्षा के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। (व्यवधान) बोर्ड के एग्जाम हो रहे है। मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है। उस पर आपने जानकारी करने के लिए कहा है। जहां राजस्थान के....

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : पुलिस ने अत्याचार किया है, उसका इलाके में बड़ा आतंक है, इसके बारे में मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूगल थाने के अन्दर एस.आई. ने जो अत्याचार किया है, महिलाओं पर अत्याचार किया है उसके बारे में.... (व्यवधान) इन्क्वायरी की जाय पुलिस सब इंस्पेक्टर श्री शंकरलाल के खिलाफ। इससे इलाके में बड़ा असंतोष है भय व्याप्त है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पूगल थाने के गांव कुम्हारवाला में सब इंस्पेक्टर द्वारा होली के अवसर पर अत्याचार किया गया है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (ओसियां) : पाइण्ट ऑफ ऑर्डर।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय

(श्रीमती कमला)

अध्यक्षजी, आज की कार्यसूची माननीय गृह मंत्रीजी के वक्तव्य के बाद समाप्त हो जायेगी क्या ? आपने जो आज की कार्यसूची जारी की है उसमें वाद–विवाद का कोई उल्लेख नहीं है। माननीय गृह मंत्रीजी के वक्तव्य के बाद में कार्यसूची पूरी हो जाती है। (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी (अजमेर-पश्चिम) : वह कल आ गयी थी।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पाइण्ट ऑफ आर्डर है, सर।

श्री अध्यक्ष : हां, फरमाइये।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : जवाजा पंचायत समिति में ·· (व्यवधान)

श्री भीमसेन चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी का ध्यान मैंने आकर्षित किया है। पूगल थाने में बड़ा आतंक है। उस इलाके में महिलाओं पर अत्याचार किया गया है। (व्यवधान) माननीय गृह मंत्रीजी चुपचाप बैठे हैं। उन्हें सुनाई दे रहा है····(व्यवधान) कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान) अत्याचार किया गया है, महिलाओं और ग्रामीणों के चोटें आयी हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें। एक माननीय सदस्य ही बोलें।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : मैंने आपकी बातें सुन ली है और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

श्री अमराराम (धोद) : शिक्षा बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं और जहां पूरे शिक्षक आन्दोलन पर हैं वहां प्रायोगिक परीक्षाएं राजस्थान में नहीं हुई हैं। जहां भी प्राइवेट परीक्षाएं हुई हैं उस सब्जेक्ट (व्यवधान) के लेक्चर नहीं, उनको कोई ज्ञान नहीं, उनसे परीक्षाएं लिवायी जा रही हैं। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट ऑफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। भाटी साहब कुछ कह रहे हैं और आप बोले जा जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : शिक्षक आन्दोलन पर है और जिन मांगों के लिये···· (व्यवधान) हमारी सरकार यह कह रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। भाटी साहब को बोलने दें। कुछ कह रहे हैं आप ?

श्री अमराराम (धोद) : अब हमारे पड़ौसी तमाम राज्यों में···

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइण्ट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री अमराराम (धोद) : हमारी सरकार को कौनसी परेशानियां हैं ? जो राजस्थान का भविष्य हैं, उनकी परीक्षाएं हैं।

(58)

(श्री ग्रमराराम)

उनकी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है इसलिए सरकार से मेरा यही ग्रनुरोध है कि उस शिक्षक संघर्ष समिति से वार्ता करके ऐसा माहौल बनायें जिससे राजस्थान के शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं हो सकें वरना····

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप बिराजिये। भाटी साहब कोई बात कह रहे हैं ग्रौर ग्राप बोले जा रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइण्ट ग्राफ ग्रार्डर। ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व ग्रध्यक्षजी की गलत बयानी पर ग्रापके सामने प्रिविलेज मोशन पेश किया था वह प्रिविलेज मोशन इम्पोर्टेंट है लेकिन ग्रापने उस पर मुझे न तो ग्रभी तक कोई सुविधा दिलाई ग्रौर न उस पर मुझे समय दिया इसलिए मैं 294 के तहत ग्रापका ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हू कि जो पूर्व विधान सभा में डिस्कशन हुग्रा था, मुख्य मंत्रीजी ने बयान दिया था कि सी.बी.ग्राई की इंक्वायरी हुई है इस मसले पर भूतपूर्व ग्रध्यक्ष महोदय भाभड़ा साहब ने रूलिंग दी कि उन्होंने वह फलां–फलां सी.बी.ग्राई. इंक्वायरी की रिर्पोट पढ़कर देख ली है, उस पर ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने ग्रौर कुछ साथियों ने पर्सोनल मिनिस्टर श्रीमती मारग्रेट ग्रल्वा से पत्र व्यवहार करके पता करवाया कि वास्तव में ऐसी कोई इंक्वायरी हुई है या नहीं हुई है उस मसले पर।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप बिराजिये। मैंने ग्रापकी सारी बात सुन ली है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ग्रध्यक्ष महोदय, उनसे पत्र ग्राया कि इस मसले पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। इसलिए मैं ग्रापका ग्रौर इस सदन का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं कि 157 के तहत इस गलत सूचना पर ग्राप मुझे कब समय देंगे? ग्रभी देंगे तो मैं ग्रभी तैयार हूं।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप बिराजिये। ग्रापने 10 बजकर 22 मिनट पर दिया था, मेरे पास 11 बजने में 10 मिनट पर वह ग्राया है। मैंने उसको भिजवाया है। जांच हो रही है उसकी। ग्राप बिराजिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ग्रध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पोर्टेंट है।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप बिराजिये। ग्रब उसको देखूंगा, मैं उसकी जांच करूंगा।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं ग्रापकी बात बिलकुल सुनूंगा, ग्रापका निर्णय सिर माथे पर। लेकिन ग्रध्यक्ष महोदय, मेरे साथ दिक्कत यह हो रही है कि जितने भी प्रिविलेज के या 119 के मैंने इश्यूज उठाये हैं (व्यवधान) उनका या तो इस सदन में ग्राखिरी दिन निर्णय दिया गया है या वह चीज लैप्स हो गयी है। ग्रध्यक्ष महोदय, यह मसला करीब ढाई साल से इस हाउस में चल रहा है, ग्रगर ग्रापसे हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो कहां जायेंगे?

श्री ग्रध्यक्ष : मैंने इसलिए कहा कि मैं देखूंगा।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ग्रध्यक्ष महोदय, तीन दिन ही तो ग्रौर बचे हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रभी पांच मिनट में तो कोई फैसला नहीं कर सकता हू ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं मानता हूं लेकिन, ग्रध्यक्ष महोदय, इसी सेशन में देंगे ?

श्री ग्रध्यक्ष : इसका पूरा प्रयत्न करूंगा । बिराजें ग्राप ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ऐसा मत करें, ग्रध्यक्ष महोदय ।

श्री ग्रध्यक्ष : जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक क्या कह सकता हूं ? ग्राप बिराजिये ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ग्रध्यक्ष महोदय, 157 में ग्राप ग्रपना निर्णय दे दें लेकिन यह तो एश्योरेंस दें कि इसी सत्र में देंगे ।

श्री ग्रध्यक्ष : मैं पूरी कोशिश करूंगा ।

श्री भीमसेन चौधरी : ग्रध्यक्ष महोदय, हमारे बीकानेर के फर्जी टाडा मामले में सी.बी ग्राई. से जांच की मांग के बारे में···· (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : यह विश्वास तो दिलवाइये ।

श्री ग्रध्यक्ष : मैं पूरी जानकारी करूंगा । जब मैं पूरा देख लूंगा तब कहूंगा, ग्रापको बता दूंगा । ग्राप बिराजिये । मैं पूरी कोशिश करूंगा । ग्राप बिराजिये ।

श्री भीमसेन चौधरी : बीकानेर के फर्जी टाडा मामले में सरकार ने ग्रपना कोई वक्तव्य जांच कराने के बारे में नहीं दिया । (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : ग्रध्यक्ष जी ने क्या कहा (व्यवधान) जांच कर रहे हैं (व्यवधान) बताया है इसमें....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : ग्रध्यक्ष महोदय, यही तो पूछ रहे हैं कि क्या ग्राप इसी सत्र में समय देंगे । यही पूछ रहे हैं ।

श्री भीमसेन चौधरी : इसी बारे में राज्य सरकार बिलकुल चुप है । इतने गम्भीर मामले पर····(व्यवधान)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ग्रध्यक्षजी ने कह दिया । (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ग्रध्यक्ष महोदय, यह पढ़कर तो सुना दूं ।

श्री ग्रध्यक्ष : नहीं, मैं पहले देखूंगा । मैंने ग्रापकी बात सुन ली है । ग्राप बिराजिये ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ग्रध्यक्ष महोदय ने कह दिया, एक निर्णय दे दिया ग्रौर ग्राप उसके बाद में····(व्यवधान) मेरे खयाल से उचित नहीं है ।

श्री उगमराज मेहता : ग्रध्यक्ष महोदय, जवाजा पंचायत समिति में····

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप बोलें, माननीय सदस्य । (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : ग्रान ए पाइंट ग्राफ इन्फार्मेशन ।

श्री अध्यक्ष : ग्रब ग्राप बिराजें।

श्री रामनारायण मीणा : पाइंट ग्रॉफ इन्फार्मेशन है, उसमें व्यवस्था चाहते हैं। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, खानपुर से ग्राने वाले माननीय विधायक ने नियम 50 के तहत ग्रपना एक मोशन दिया है उसमें माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी द्वारा 26 जनवरी को····

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : नहीं, मेरा पाइण्ट ग्राफ इन्फार्मेशन है।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : खाद्य मंत्री जी ने नाराज होकर रसद विभाग को ग्रादेश दिया है कि उस रमेश ग्रजलखा के पैट्रोल पम्प को सीज किया जाय। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत नाराजगी से ···

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप बिराजिये (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : विधान सभा में कोई मामला ग्राता है, कोई व्यक्तिगत नाराजगी है, माननीय मुख्य मंत्रीजी इसमें इंटरवीन करें। उस रमेश ग्रजलखा के पैट्रोल पम्प का मामला है। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, उन्होंने भारत पैट्रोलियम को कह दिया कि इसमें डीजल मिल गया, उसके बाद राजस्थान सरकार पूरी की पूरी उसमें लग गयी है। मैं ग्रापके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह से प्रताड़ित करने के लिए ग्रभिलेख बनाने के लिए जो कार्यवाही राजस्थान के मंत्रियों द्वारा की जा रही है (व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : कोई भी माननीय सदस्य खड़े होकर मर्जी ग्राये जो बोलने लग जायें तो फिर हाउस चलाना बड़ा मुश्किल है। ग्राप बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : बिलकुल गलत है। मैं ग्रापसे व्यवस्था चाहता हूं कि कोई माननीय सदस्य इस सदन में कोई मामला उठाये····(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : रामनारायणजी, बिराजिये ग्राप। उगमराजजी।

श्री रामनारायण मीणा : या नहीं उठाये, राजस्थान सरकार के मंत्री जिस तरह के +++ कर रहे हैं, भैरोंसिंहजी की जो +++ है, जो भैरोंसिंहजी को ही बदनाम नहीं कर रही है, राजस्थान की छवि खराब करने जा रही है, उस +++ के खिलाफ हमें व्यवस्था दीजिये कि हम ऐसे मामले उठायें।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापके सामने भ्रष्टाचार के मामले रखे हैं उनमें जांच नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप बिराजिये। ग्रब ग्राप इसको नोट नहीं करें। ग्राप बिराजिये।

+++ शब्द ग्रध्यक्ष पीठ के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित किया गया।

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : हमारी भी कोई लिमिटेशन है। अब आप विराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं अंकित नहीं करवा रहा हूँ। आप विराज जायं कृपा करके विराजिये आप।

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये अब।

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये अब।

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री जोगेश्वर गर्ग : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : × × ×

श्री जोगेश्वर गर्ग : × × ×

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। श्री उगमराज जी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हमें टाइम दें। हमारे यहां इतनी बीमारियां हैं मच्छर हैं और लोग मर रहे हैं, उसके बारे में मैं अधिक····(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। क्या मच्छर मार रहे हैं आप, सुबह से शाम तक।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मच्छर नहीं मार रहे हैं, मच्छर हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : जब आपका टर्न आ जायेगा···· (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आदमी मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपने सुबह ग्यारह बजे मेरे को कागज दिया है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप मजाक बना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप अब बैठ जाइये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप मजाक बना रहे हैं। हमारे आदमी मर रहे हैं, आप मजाक बना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : Every now and then you are rocking the House. This is not proper for you. This is not proper.

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय हमने कहा मच्छर हैं, बीमारी से आदमी मर रहे हैं। आप आदमी मरने पर मजाक बना रहे हैं। मच्छरों से और बीमारियों से आदमी मर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सवा ग्यारह बजे आपने स्लिप दी है।

× × × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : हां।

श्री अध्यक्ष : दूसरे माननीय सदस्यों ने दस बजे दी है। उनका पहले अधिकार बनेगा या आपना बनेगा ? आप मर्जी आये जब खड़े होकर बोलने लग जाते हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : पर यह मच्छर मारने का क्या ? हमने तो कहा आदमी मच्छर और बीमारियों से मर रहे हैं।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : आप +++ मत कहिये इनको। आपने +++ कैसे बता दिया ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। देखिये, सख्ती करने के लिए आप मजबूर नहीं करें, अब बिराजिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : एक महिला बोले तो +++ बता दिया। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि ऐसी मिलावट करने वाले, ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को बचाने की इस सदन का कोई माननीय सदस्य यदि सिफारिश करें····(व्यवधान) ···

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप, जोगेश्वर जी। उगमराजजी।

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय अध्यक्ष जी, सेठी पैट्रोल पम्प बारां की जब जांच की गयी····

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री जोगेश्वर गर्ग : पांच हजार लीटर पैट्रोल के साथ में तीन हजार लीटर डीजल, कैरोसिन पाया गया। बहुत बड़े पैमाने पर वे घोटाले करते रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को बचाने की सिफारिश इस सदन में नहीं की जानी चाहिये, आपसे मेरा निवेदन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रामनारायण मीणा : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं···· (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : रमेश अजलखा उसके मालिक का नाम है और उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री उगमराज मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाजा पंचायत समिति में····(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, इनसे व्यक्तिगत नाराजगी हो गयी और मैंने तो निवेदन किया है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी देख लें।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : गड़बड़ नहीं है (व्यवधान) उनके मंत्री इस तरह का कोई (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : सदन का उपयोग नहीं किया जाय। (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : अपोजिशन के मुख्य सचेतक महोदय, अपने सदस्यों को कंट्रोल करें। आधा घंटा तो आपने यूं हीं निकाल दिया। अब मैं आज जीरो आवर में कोई प्रश्न नहीं लेने वाला हूं। 295 सुनवा रहा हूं। सुन लें आप यहां 295.

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिये जीरो आवर···· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरे पास कोई समय नहीं है अब।

श्री विष्णु मोदी : नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह इसी तरीके से करते रहेंगे तो कैसे चलेगा ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : जो इनडिसिप्लीन बैठे हुए हैं, इनसे कम्पेरीजन नहीं होगा। जीरो आवर में बोलने का हमें अधिकार है। ग्यारह बजे से पहले हमने (व्यवधान)

श्री किशनगोपाल कोगटा : इस सदन का उपयोग भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए नहीं होना चाहिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हम नहीं मानेंगे। हम जीरो आवर रखवायेंगे।

श्री अध्यक्ष : कानून में कोई व्यवस्था नहीं है जीरो आवर की। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप मर्जी आयें जब खड़े होकर मर्जी आये जो बोलने लग जाते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नियमों के तहत जीरो आवर की (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो आगामी दिन में बात हो सकती है, उस पर घंटे-घंटे +++ सब। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह क्या मतलब हुआ, आप चाहे जिसको अलाउ कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सारी व्यवस्थाएं हमारे जिम्मे हैं ? (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : सदन का दुरूपयोग हो रहा है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये अब।

श्री विष्णु मोदी : और हमने अपनी पर्ची में (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री विष्णु मोदी : और हम बैठे हैं चुपचाप।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और वे लोग चाहे जब बोल लें। +++ (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : यह आसन को +++ परिणाम इनको पता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नियमों के····(व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : इस ढग से बात कर रहे हो आसन से ? (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : +++

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपके आदेशों की हम सहर्ष पालना करते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप नहीं कर रहे हैं इसलिए तो झगड़ा बढ़ रहा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और उसके बावजूद आप हमारा ही +++

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य इधर के हो या उधर के, सदन को नियंत्रण में लेना आपका काम है।

श्री किशन गोपाल कोगटा : इस सदन का उपयोग भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : किस तरीके से नियंत्रण में लिया जाय ? कोई कोड आप कण्डक्ट तो तय करें आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : हमें कोई बात कहने का अधिकार नहीं है ? मच्छर नहीं मार रहे। हमने कहा, इंसान मर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह आपका काम है।

श्री अध्यक्ष : हर माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं इधर से।

श्री रामनारायण चौधरी : तो आप रोकिये उनको।

श्री विष्णु मोदी : लेकिन जो नहीं खड़े हो रहे हैं, जो आपका आदर कर रहे हैं .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं रोकने के लिए निवेदन ही कर सकता हूं। घंटियां बजा सकता हूं।

श्री विष्णु मोदी : आपकी पर्ची का इंतजार कर रहे हैं। बैठे हैं यहां चुपचाप।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में बोलने का मौका दीजिये।

श्री विष्णु मोदी : आप कब पर्ची से बुलवायेंगे और कब हम बोलेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ग्रापसे ग्रनुरोध किया है हमने।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रब ग्राप बिराजिये। ज्यादा पावर मत यूज करें, ग्राप बिराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : ग्रापके पास बहुत पावर है, केवल निवेदन ही नहीं है।

श्री ग्रध्यक्ष। श्री उगमराजजी।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, जवाजा पंचायत समिति में नूंदरी महेन्द्रसान पंचायत है वहां का हैड मास्टर जिसका नाम है, गुलाम सरवर, उसने पांच-छह विद्यार्थियों को, जो दूसरी कक्षा में ग्रलग-ग्रलग स्कूलों में पढ़ते थे, उनकी जन्म तिथियों में परिवर्तन करा कर गलत तरीके से जमायते इस्लामी सेण्टर में पढाया, उसमें बी. डी. ग्रो. से ग्रपने स्कूल में सेंटर खुलवाया। जवाजा उसने परीक्षा लेकर के पांचवीं कक्षा में पास करवा कर छठी कक्षा में दूसरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उन छह विद्यार्थियों के नाम भी परिवर्तन कर लिये, हिन्दू से मुसलमान बना दिया। इसी प्रकार से भवानी कलां में मदनसिंह नाम का छात्र है, उसका नाम बदलकर जाफर काढात कर दिया। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो वहां के सारे कागजात जब्त किये हुये पड़े हैं उसके ऊपर उचित कार्यवाही की जाय।

श्री ग्रध्यक्ष : बिराजिये ग्राप।

श्री उगमराज मेहता : ग्रध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार से पहले भी तीन मास्टर, हजारी काढात, सफी मोहम्मद सलामुद्दीन ने काट-छांट करके व्यक्तियों के नाम, हिदुग्रों को मुसलमान बनाकर उसमें दिये हैं, उसकी भी कार्यवाही की जाय।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह जो बता रहे हैं, वास्तव में मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हुई। शिक्षा विभाग में पांच साल पूर्व सपोराघाटा, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं, में तीन-चार बच्चों का नाम बदला। रामसिंह का लड़का शंकर है उसे शंकर खान, रहीम ऐसे चेंज करके विद्यार्थियों के नाम चेंज किये हैं। उसकी जांच हुई ग्रौर ग्रध्यापक को सस्पेंड किया शिक्षा विभाग से।

श्री उगमराज मेहता : सस्पेंड नहीं किया उनका सिर्फ इन्क्रीमेंट रोका है। सस्पेंड नहीं किया है।

श्री किशन गोपाल कोगटा : इन्क्रीमेंट रोका है।

श्री उगमराज मेहता : वे ग्रभी कार्यरत हैं।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मैं यह ध्यान दिलवाना चाह रहा हूं कि इस प्रकार का जो षड्यन्त्र रचा जा रहा है, इसको रोकने के लिए कोई नियम इस विधान में बनने चाहिये धर्म परिवर्तन कराने के लिए। विद्यार्थी तो कुछ नाम बताये ग्रौर वह ग्रध्यापक रजिस्टर में दूसरा

(66)

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

नाम लिख ले और बाद में जाकर पता लगे कि उसका शंकर खान. लिख दिया या रहीम लिख दिया तो इस पर जांच होनी चाहिये। माननीय पंचायती राज मंत्रीजी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि जो यह घटना नूंदरी में हुई है उसकी तुरन्त जांच कर जो दोषी अध्यापक है उसको सस्पैंड करें, जिससे दुबारा ऐसी घटना नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री रामनारायणजी।

श्री नाथूसिंह गुर्जर (पंचायती राज राज्य मंत्री) : मैं तुरन्त जांच करवा कर आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायणजी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आज सुबह दस बजे आपके चैम्बर में मिलकर आपसे अनुरोध किया था कि झुंझुनूं जिले में उपभोक्ताओं को, विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्र में बिजली रात को दस बजे मिलने के कारण ग्रामीण छात्र और छात्राओं को पढ़ाई के अन्दर जबरदस्त व्यवधान हो रहा है। बिजली की कटौती की वजह से गांवों के अन्दर दस बजे तक बिजली नहीं आने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के छात्र और छात्राएं पढ़ नहीं सकते हैं। कैरोसिन की कोई व्यवस्था नहीं है, कैरोसिन का पुराना सिस्टम जो चालू था वह बिजली आने के कारण बन्द हो गया। सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी की परीक्षाएं चालू हो गयी हैं और होम एग्जामिनेशन का भी टाइम आ गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान झुंझुनूं जिले में बिजली में हो रही गड़बड़ी के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले महीने की पन्द्रह तारीख को सतर्कता समिति के अन्दर इस बात पर विचार हुआ था, बिजली के अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया था कि हम इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि शाम को 6.00 बजे के बाद से रात भर बिजली रहे।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : वह व्यवस्था पांच-सात दिन तक तो चली उसके बाद अब उसको फिर डिस-कंटीन्यू कर दिया गया है जिसके कारण ग्रामीण जनता के अन्दर भारी असंतोष उत्पन्न हो गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भगवानदास जी। (अनुपस्थित) श्री मोदीजी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका नीमकाथाना में 20 सदस्य थे। अध्यक्ष की मृत्यु हो गयी तो 19 सदस्य रहे। वहां उपाध्यक्ष बी. जे. पी. के थे। 14 माननीय सदस्यों ने बी. जे. पी. के उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जो 15 के बहुमत से 7–3–96 को पारित हो गया। विपक्ष में तीन रहे। अब हमारी इस सरकार ने उन तीन में से ही, क्योंकि अध्यक्ष नहीं रहा, उपाध्यक्ष नहीं रहा तो बी. जे. पी. के जो तीन थे उनमें से रमेशों

(श्री मोहनलाल मोदी)

चौधरी को अध्यक्ष के लिए नामीनेट कर दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

एक माननीय सदस्य : +++ अध्यक्ष महोदय अन्याय है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें, समय जाया नहीं करें। श्री रिछपाल सिंहजी।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बता रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : आपकी बात रिकार्ड करवा ली, विराज जायं आप। रिछपालसिंह जी।

श्री मोहनलाल मोदी : कानून में क्या है ?

श्री अध्यक्ष : आपकी बात सुन ली। (व्यवधान) ...

श्री अमराराम (धोद) : बात तो सुन ली....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी यह सरकार बाउण्ड नहीं है किसी जवाब देने के लिए। विराजें आप। (व्यवधान) रिछपालसिंह जी।

श्री अमराराम (धोद) : जब चुने हुए प्रतिनिधि वहां हैं तो बहुमत के लोगों में से अध्यक्ष होना चाहिए। सरकार द्वारा बहुत अनियमितता की गयी है। (व्यवधान)....

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, हमारा बहुमत है, आप जवाब नहीं दिलवा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी (जहजपुर) : अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है।

श्री अमराराम (धोद) : घोर अनियमितता की गयी है। बहुमत के लोगों को चेयरमैन होना चाहिए। (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : ऐसे प्रश्नों का अभी जवाब नहीं दिया जा सकता। यह मुश्किल है। (व्यवधान)....

श्री अमराराम (धोद) : उसको चेयरमैन नियुक्त किया है,

श्री रतनलाल ताम्बी : यह तो +++ कर दी बिलकुल ही, यह तो लोकतन्त्र का उपहास है। ऐसे कैसे हो सकता है ? यह ब त गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रिछपाल सिंहजी को बोलने दीजिये, आप बिराजें। (व्यवधान)....

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, आप स्वायत्त शासन मंत्री जी को निर्देश दें, वहां पर चुनाव की तारीख की घोषणा की जाय और वहां पर प्रजातन्त्र के मुताबिक अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। सरकार को निर्देश दें। (व्यवधान) ...उसका चुनाव होना चाहिए।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रतनलाल ताम्बी : उसका चुनाव कराने में क्या दिक्कत है ? आप चुनाव करा लें, जो भी आयेगा आ जायेगा। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं होनी चाहिए, यह गलत तरीका है। (व्यवधान) ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) ...

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुनें।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह तो लोकतंत्र में तानाशाही है।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्री माधोपुर) : आप तो चुनाव की तारीख तय कीजिये। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : चुनाव कराये जायें, इसमें क्या दिक्कत है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : तो अभी इसके लिए किसी बात के लिए मैं कम्पेल कर सकता हूं ?

श्री रतनलाल ताम्बी : आप सरकार को निर्देश दे सकते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें अब, आपकी बात सुन ली गयी है।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुझ से मिले थे। नगरपालिका अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष....

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : अन्याय करने का प्रावधान नहीं है। (व्यवधान) 15 और 3 का फर्क तो महसूस करो।

श्री अध्यक्ष : एक तरफ तो आप कम्पेल कर रहे हैं कि जवाब दें और दूसरी तरफ आप सुनना नहीं चाहते।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : जवाब नहीं दे रहे हैं, लीपापोती कर रहे हैं। 15 और 3 के फर्क को महसूस करें। (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें कोई जवाब नहीं होगा फिर, अब यह बंद कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : कानून सम्मत कार्यवाही हुई है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह +++ है।

श्री भंवरलाल शर्मा : नगरपालिका अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही न हो तो एक महीने के लिए उन्हीं सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को यह चार्ज दिया जा सकता है और एक महीने की मियाद से ज्यादा वह चलता नहीं है। एक महीने बाद चुनाव होता है (व्यवधान)....सुनिये-सुनिये। क्या बात है ? अब यह जो किसी माननीय सदस्य को हमने अधिकार दिया है, माननीय मोदीजी मुझ से मिले थे और यह कहा

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

था कि यह निर्दलीय व्यक्ति है, न यह कांग्रेस का है न बी जे.पी. का है। उस व्यक्ति को यह एक महीने का अधिकार दिया है। एक महीने बाद, अब सुनिये, एक महीने के अन्दर-अन्दर....

श्री मोहनलाल मोदी : यह गलत बात है। रामनारायणजी भी साथ थे उस वक्त।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब एक महीने के अन्दर तो चुनाव होगा ही (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : यह मैंने कभी नहीं कहा उस सदस्य के लिए। मैंने इनसे निवेदन किया था कि आप इन तीन में से बनायेंगे और इनमें से मत बनाइये, इन 15 में से बनाइये जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव में उनका साथ दिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : सरकार के सामने दो ही विकल्प हो सकते थे

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : मेरे साथ मिले हैं, मेरे सामने बात हुई है। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : यह मिले हैं, डाक्टर हरिसिंह जी मिले हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : सुनो, आप बात तो सुनो अब। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : जहां चेयरमैन, वाइस चेयरमैन नहीं हो वहां टेम्प्रेरी चेयरमैन क्यों नहीं बना दिया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब यह तो कोई मतलब नहीं है। बात नहीं सुनेंगे आप ? आप सरकार की बात नहीं सुनेंगे ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : जहां दोनों नहीं होते वहां टेम्प्रेरी चेयरमैन का अधिकार है।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां वही किया, टेम्प्रेरी ही किया है।

श्री रामनारायण चौधरी : टेम्प्रेरी चेयरमैन एक माह के लिए (व्यवधान)....

श्री भंवरलाल शर्मा : और एक महीने के अन्दर-अन्दर चुनाव होंगे। एक महीने की मियाद होती है। (व्यवधान)...

श्री नारायण सिंह : कहा कि यह गलत मत करिये। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : दो ही विकल्प थे। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : एक महीने में क्या उठा ले जाना चाह रहे हैं आप वहां से ? एक महीने में उन सारी म्यूनिसिपैलिटी को साफ करना चाहते हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री नारायण सिंह : मेम्बर को 10 लाख रुपये दिये (व्यवधान) अविश्वास का प्रस्ताव पारित नहीं करा सके।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : एक महीने में चुनाव की तारीख कौनसी तय की आपने ?

श्री भंवरलाल शर्मा : सरकार के सामने दो विकल्प हैं...

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, कानून में यह कानुन में यह लिखा है ...

श्री भंवरलाल शर्मा : अब मेरे को पूरा करने दीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप कानून की व्याख्या कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : चुनाव की तारीख की घोषणा कर दो आप तो पीछा छुड़ाने के लिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो मैं कर दूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें।

श्री मोहनलाल मोदी : आप जरा सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री नारायण सिंह : यह आपने किया क्यों ? तीन में से ही क्यों किया ?

श्री भंवरलाल शर्मा : एक महीने के अन्दर-अन्दर करवा देंगे। जो चुनाव में आयेगा, आ जायेगा।

श्री नाथूसिंह (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : यह पावर है सरकार को, किसी को भी कर सकती हैं। (व्यवधान)

श्री नारायण सिंह : आपने सीकर में कर दिया। (व्यवधान) आपने अपने घर पर रख कर 10 लाख रुपये दिये। मैम्बर को अपने घर पर रखा ताकि अविश्वास का प्रस्ताव पारित नहीं करा सके।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि हमारे सामने दो विकल्प थे। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मंत्री महोदय, जहां चेयरमैन नहीं हो, वाइस चेयरमैन नहीं हो तो एक्जीक्यूटिव आफिसर को यह अधिकार है कि वह हाथों हाथ मीटिंग बुलाये 24 घंटे के अन्दर-अन्दर और टेम्प्रेरी चेयरमैन की व्यवस्था करे। वह व्यवस्था आपने क्यों नहीं करायी ? आपने नामीनेट क्यों कर दिया ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : करने का अधिकार है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : पहले टेम्प्रेरी चेयरमैन का चुनाव होगा 12 घटे के अन्दर-अन्दर, यह व्यवस्था है। कानून में है यह।

श्री विष्णु मोदी : यह साफ लिखा है कि (व्यवधान) हेतु अधिशासी अधिकारी द्वारा तत्काल मंडल की विशिष्ट बैठक आमंत्रित की जायेगी।

श्री नारायण सिंह : यह बात हमने इनको कही थी। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : यह कानून में साफ लिखा है। (व्यवधान)

श्री नारायण सिंह : इनको कहा था कि आप गैर-कानूनी मत करिये।

श्री विष्णु मोदी : यह सब गैर-कानूनी काम है और प्रजातंत्र के अन्दर बहुमत का इस तरह से आप (व्यवधान)

श्री नारायण सिंह : और मैंने निवेदन किया था कि आप इन तीन में से करेंगे। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, फिर सदन का कोई महत्व नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष : एक महीने की बात है।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह बात है कानून और कायदे की। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह मंत्रीजी को कानून पढ़ाओ। (व्यवधान) बिना कानून पढ़े ही आप आर्डर पास करते हैं। कानून पढ़ना चाहिए आपको।

श्री अमराराम (धोद) : म्यूनिसिपैलिटी को बरबाद करने का ठेका ले लिया आपने। आखिर क्या तरीका है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अच्छी बात है, एक घंटे तक जोर से बोलें आप। दूसरा काम लेना ही नहीं है। आप बोले जायें।

श्री मोहनलाल मोदी : आज ही अनाउंस करिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक-एक माननीय सदस्य बात कहें लेकिन आप पांच-सात एक साथ खड़े हो जायेंगे और बोलने लग जायेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक ऐसी व्यवस्था है जहां प्रधान नहीं होगा, जहां 'प्रमुख नहीं होगा, जहां चेयरमैन नहीं होगा वहां पर दोनों नहीं होने की स्थिति में 12 घंटे के अन्दर-अन्दर टेम्प्रेरी चेयरमैन की, टेम्प्रेरी प्रधान की और टेम्प्रेरी प्रमुख की व्यवस्था है और यहां भी टेम्प्रेरी चेयरमैन की व्यवस्था है, लेकिन वह न करके सरकार ने आर्बिट्ररिली, मनमाफिक एक आदमी नियुक्त कर दिया, यह गैर-कानूनी है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह भ्रष्टाचार है।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह सरकार ऐसी है क्या ? यह सरकार नहीं है यह दरकार है।

श्री मोहनलाल मोदी : +++

श्री हरिसिंह (महुआ) +++

श्री रतनलाल ताम्बी : यह आप मुख्य मंत्रीजी से कहलवा दें। वह ऐसा कर सकते हैं क्या ? आप कानून को पढ़ने की बात कर रहे हो।

श्री अमराराम (धोद) : यह सरकार नहीं +++ है।

श्री रामनारायण चौधरी : मुख्य मंत्री

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामनारायण चौधरी)

जी यह कह दो कि हमने ठीक किया है तो हम बैठ जायेंगे।

श्री मोहनलाल मोदी: हां मुख्य मंत्रीजी कह दें सही है, मान लेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : जब माननीय सदस्यों को अधिकार है, एक्जीक्यूटिव को अधिकार है तो....(व्यवधान)....

श्री रतनलाल ताम्बी : आप मुख्य मंत्रीजी को पढ़ा दें कि यह वाजिब है क्या जो उन्होंने किया। आप पढ़ कर बता दें हम को बिल।

श्री रामनारायण चौधरी : वह नहीं हुआ और नामीनेट कर दिया।

श्री अध्यक्ष : 295। श्री चुन्नीलालजी धाकड़। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जीरो आवर में हमारी पर्ची है।

श्री रिछपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारा था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। आप चार घंटे तक इस तरह से नहीं चला सकते। श्री चुन्नीलालजी धाकड़।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हमने पर्ची दी है। फिर आप हमसे पर्ची क्यों लेते हैं? हम तो बोलेंगे।

श्री विष्णु मोदी : हम तो बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जीरो आवर में बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलालजी धाकड़। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : कानून में बहुत साफ लिखा हुआ है। इस मामले में पूरा कानून साफ है। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है।

श्री रतनलाल ताम्बी : और हर जगह का यह कानून अपनी जगह काम देगा। (व्यवधान) कानून अपनी जगह काम करे यह व्यवस्था लागू क्यों नहीं है?

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, यह गड़बड़ करेंगे इसके अन्दर। फिर एक महीने की मियाद बढ़ायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था....

श्री अध्यक्ष : आप विराजें अब। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मेरे को धरने पर बैठना पड़ेगा। (व्यवधान) मेरे को कम से कम यह तो आश्वासन दिला दीजिये कि एक महीने के बाद अब वहां आगे नहीं बढ़ायेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब अंकित नहीं करें।

श्री मोहनलाल मोदी : X X X

श्री रामनारायण चौधरी : X X X

श्री शांतिकुमार धारीवाल : X X X

श्री अध्यक्ष : जीरो आवर आवर में ही बोल रहे हैं 295 में, बिराजो आप। 295 में, बिराजो आप। 295 में बोल रहे हैं जीरो आवर में विराजें आप।

श्री विष्णु मोदी : X X X

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायं। हमको सबको मर्यादा का पालन करना चाहिये (व्यवधान) शांतिकुमार जी, मैं आपको नहीं कह रहा हूं। इनको कह रहा हूं। (व्यवधान) आपकी मर्जी आये तो और जोर बोलो आप। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : क्या बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उसकी कोई सीमा है (व्यवधान) सीमा है कोई। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी . हमारा यह अधिकार है बोलने का। क्या सीमा है?

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं हो सकता कि 25 माननीय सदस्य खड़े होकर बोलने लग जायं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या सीमा है?

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायं। केवल साढ़े दस बजे जिनकी पर्ची आयी है उनको बोलने दिया है। आप बिराज जायं। (व्यवधान) बिराजिये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) **:** अध्यक्ष महोदय. मैंने शून्यकाल में बोलने के लिए साढ़े दस बजे से पहले दे दिया था आपको। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको साढ़े दस बजे से पहले (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायं।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, कैसे बिराज जायं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायं। आपने 10.50 पर टेलीफोन पर निवेदन किया है यहां बिराजें आप। (व्यवधान) आप बिराज जायें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने साढ़े दस बजे से पहले निवेदन किया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायं। शैलेन्द्र जी, बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरा नाम बोलने वाले थे पर्ची में। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि आपकी पर्ची है आप बोलने की परमिशन दे देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपकी सवा ग्यारह बजे आयी है, आप विराजिये।

श्री चुन्नीलाल जी धाकड़।

X X X अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जावदा नीमड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने बाबत

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत जावदा नीमड़ी, विधान सभा क्षेत्र बेगूं में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अन्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

महोदय, बेगूं विधान सभा क्षेत्र में जावदा (नीमड़ी) एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जावदा टोलों का लुहारिया बालकुंडी, देवपुरा और जवाहर नगर पांच ग्राम पचायतें हैं। यह क्षेत्र तीन ओर से मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा हुआ है। नीमड़ी के आसपास नजदीक में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। भौगोलिक स्थिति से यह क्षेत्र घाटी के नीचे है और एक अलग-थलग क्षेत्र है जहां से रावतभाटा 80 किलोमीटर दूर है और छोटी-मोटी स्वास्थ्य सेवाओं के लिये रावतभाटा के अलावा और कोई निकटस्थ केन्द्र नहीं है।

स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में वहां की आम जनता बहुत दुःखी है। आम आदमी के वश की बात नहीं है कि वह इतनी दूर 80 किलोमीटर जाकर इलाज ले सके। जावदा नीमड़ी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। जावदा में माध्यमिक विद्यालय पुलिस चौकी, पंचायत मुख्यालय, सहकारी समिति की दुकान, आश्रम, छात्रावास कार्यरत है। इसकी आबादी डेढ़ हजार है। अतः माननीय मुख्य मंत्रीजी और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि जावदा नीमड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शीघ्र खोला जाय। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामरिछपाल जी। (व्यवधान) ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सारी स्थिति को देखकर क्या व्यवस्था हुई है। आज ही इस चुनाव की तारीख की घोषणा कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामरिछपाल जी। हां, बोलना चालू करें आप।

महात्मा गांधी अस्पताल, भीलवाड़ा में व्याप्त अनियमितता

श्री रामरिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री का ध्यान भीलवाड़ा स्थित महात्मा गांधी अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

भीलवाड़ा स्थित महात्मा गांधी अस्पताल जो "ए" श्रेणी का अस्पताल है. उसमें एक लम्बे अरसे से 9 डाक्टरों के पद रिक्त पड़े हैं जिसके कारण प्रायः मरीजों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। भीलवाड़ा एक औद्योगिक नगरी है एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं में घायल मरीजों को समय पर डाक्टरों के अभाव में पर्याप्त चिकित्सा

(श्री रामकिशन नुवाल)

सुविधा नहीं मिल पाती है। अस्पताल में व्याप्त अनियमितताओं के चलते प्राय: मरीज अपना इलाज निजी चिकित्सालय में भारी शुल्क देकर करवाते हैं जिससे आम जनता में भारी आक्रोश है।

अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में बिस्तर, कम्बल एव पलग न होने से भी मरीजों को असुविधा होती है चिकित्सा उपकरणों का अभाव भी मरीजों के लिए भारी परेशानी का सबब बन जाता है। उन्हें एक्स-रे, सोनोग्राफी इत्यादि के लिए बाहर भारी शुल्क अदा करना पड़ता है। अस्पताल में जीवन-रक्षक औषधियों का भी अभाव है।

अस्पताल का भवन, जो कई जगह से टूट-फूट गया है, की भी मरम्मत समय पर नहीं होती है। सफाई व्यवस्था का आलम तो यहां तक है कि मरीज जो अपना इलाज करवाने के लिए अस्पताल में आते हैं, कई अन्य बीमारियों के कीटाणु अपने साथ लेकर जाते हैं। अत: मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

कुम्हेर में स्थित सिंचाई विभाग की एन. एम. कैनाल की साइफन की मरम्मत

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय का विशेष उल्लेख करता हूं।

कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में स्थित सिंचाई विभाग की एम. एम. कैनाल की एक साइफन मोरी, जो पानी को बोरई-आवर सड़क के नीचे होकर एक तरफ से दूसरी तरफ निकालती है, गत एक वर्ष से अधिक समय से सड़क के बीचोबीच टूटी हुई है। सड़क पर चलने वाला व्यक्ति या वाहन टूटे हुए स्थान में होकर नीचे गिर सकता है और जानलेवा गंभीर दुर्घटना घट सकती है। ग्राम सड़क के मध्य में यह खतरा बना हुआ है। रात्रिकाल में वहां रोशनी नहीं रहती है जिससे दुर्घटना की सम्भावना बढ़ जाती है।

सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कई बार मौखिक रूप से व लिखित में भी कहा जा चुका है किन्तु कोई ध्यान नहीं दिया गया है और मोरी के पुन: निर्माण का कार्य नहीं किया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व एक जीप इस टूटी हुई साइफन मोरी में गिरने से मुश्किल से बची है।

जनहित में यह अत्यावश्यक हो गया है कि इस साइफन मोरी का पुन: निर्माण कराया जावे जिससे दुर्घटना नहीं घटे। सरकार को विभागीय अधिकारियों की इस शिथिलता को दूर कर आवश्यक निर्देश मोरी की मरम्मत व पुन: निर्माण हेतु अविलम्ब देने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वर भारद्वाज।

जयपुर शहर स्थित वक्ष एवं क्षय रोग चिकित्सालय की प्रतीक्षारत विकास योजनाएं

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना द्वारा वक्ष एवं क्षय रोग चिकित्सालय के विकास के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, जयपुर स्थित वक्ष एवं क्षय रोग चिकित्सालय राज्य का ही नहीं अपितु देश का एक प्रमुख टी बी. अस्पताल है है जो पचास से अधिक वर्षों से क्षय रोग के गरीब एवं असहाय रोगियों की सेवा करता आ रहा है। माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय ने क्षय रोग के उपचार में काम आने वाली दवाइयों के बजट को तीन गुणा करने की घोषणा की है जो स्वागतयोग्य है। परन्तु गत तीन वर्षों से इस चिकित्सालय की दवाइयों के बजट में कोई वृद्धि नहीं हुई है स्वास्थ्य को समर्पित इस वर्ष में इस चिकित्सालय के बजट में दो लाख रुपये की कटौती कर दी गयी है।

यह सर्वविदित तथ्य है कि राज्य के विभिन्न भागों में क्षय रोग के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। क्षय रोग के उपचार में काम आने वाली दवाओं की कीमत दिनोंदिन बढ़ रही है। ऐसे में सरकार द्वारा बजट में कटौती का असर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे रोगियों पर अधिक होगा। पीड़ित व्यक्तियों के परिवारों के सदस्यों के जीवन-यापन की समस्या भी हम देख रहे हैं।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि क्षय रोग की दवाओं की कीमत में भी कमी लाने का प्रयास करें व वक्ष एवं क्षय रोग चिकित्सालय का बजट अपनी पूर्व घोषणानुसार दुगुणा करने के आदेश शीघ्र जारी करें।

इस चिकित्सालय का एक बड़ा भू-भाग बेचकर इस चिकित्सालय में दन्त महाविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है जो स्वागतयोग्य है। जयपुर विकास प्राधिकरण के अनुमान के अनुसार इस चिकित्सालय के तीन आवासीय भूखण्डों को बेचने से लगभग अठारह करोड़ रुपये आय का अनुमान है। दन्त महाविद्यालय पर लगभग दस करोड़ से बारह करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव है। मेरा अनुरोध है कि इस चिकित्सालय के आवासीय परिसर की बिक्री से हुई आय का शेष भाग क्षय रोग चिकित्सालय के विकास में ही खर्च किया जाय।

मेरी जानकारी के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित लगभग सात करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाएं सन् 1993 से प्रतीक्षारत हैं। मेरा अनुरोध है कि यह कार्य शीघ्रता से हाथ में लेकर पूर्ण कराया जाय।

सवाई मानसिंह आयुर्विज्ञान महाविद्यालय से सम्बन्धित विभिन्न चिकित्सा ईकाइयों में मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया के नियमानुसार प्रत्येक 30 से 50 शैयाओं पर एक प्रोफेसर, एक एसोशियेट प्रोफेसर व एक सहायक प्रोफेसर होते हैं व प्रति वर्ष दो रेजीडेन्ट चिकित्सक आवंटित किये

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

जाते हैं जबकि वक्ष एवं क्षय रोग विभाग में मात्र दो चिकित्सा ईकाई है, प्रत्येक ईकाई में 120 से 130 शैयाएं हैं व प्रतिवर्ष मात्र एक रेजीडेन्ट डाक्टर आवंटित किया जाता है जिससे रोगियों की उचित देखभाल स्वाभाविक रूप से नहीं हो पाती है। मेरा माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री से अनुरोध है कि इस कमी को शीघ्र समाप्त कर यहां भी अतिरिक्त चिकित्सा ईकाई स्थापित की जाय एवं रेजीडेन्ट चिकित्सक बढ़ाये जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

मण्डावरा (झुन्झुनूं) ग्राम पंचायत क्षेत्र मे हरिजनों को आवंटित भूखण्ड

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : अध्यक्षजी, नियम 295 के अन्तर्गत अविलम्ब लोक महत्व के प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, झुन्झुनूं जिले की उदयपुरवाटी पंचायत समिति की मण्डावरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में करीब बीस हरिजन परिवारों को आवासीय भूखण्ड आबंटित किये करीब 6-7 माह का अरसा हो गया। जिला परिषद् झुन्झुनूं पंचायत समिति उदयपुरवाटी के अधिकारियों की मौजूदगी में इन हरिजन परिवारों को कब्जे दे दिये गये लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंच इन हरिजन परिवारों को अभी तक पट्टे नहीं दे रहे हैं। पट्टे तैयार हैं लेकिन सरपंच उस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है जिससे पट्टे जारी नहीं किये जा रहे हैं। इन्हीं सरपंचों ने सरकारी धन से निर्मित इसी मण्डावरा ग्राम में बने हुए प्राथमिक शाला भवन पर अपने ताले लगा रखे हैं। प्राथमिक शाला के विद्यार्थी इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं। धर्मशालाओं में बैठने को मजबूर हो रहे हैं। ग्रामवासियों के बार-बार प्रयत्न करने पर भी स्थानीय प्रशासन, जिला परिषद्, पंचायत समिति के अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक है कि सम्बन्धित सरपंच के खिलाफ कार्यवाही की जावे, हरिजन परिवारों को पट्टे दिलवाने की व्यवस्था की जावे तथा प्राथमिक शाला भवन में छात्रों के प्रवेश की व्यवस्था करवायी जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल जी मीणा।

जयपुर शहर स्थित वक्ष एवं क्षय रोग चिकित्सालय के बजट में कटौती

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रकिया के नियम 295 के तहत वक्ष एवं क्षय रोग चिकित्सालय के विकास के सम्बन्ध में माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने बाबत।

महोदय, राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित वक्ष एवं क्षय रोग

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

चिकित्सालय राज्य का ही नहीं अपितु देश के एक प्रमुख टी. बी. अस्पताल में गिना जाता है, जो पचास से अधिक वर्षों से क्षय एवं वक्ष रोगों के निदान हेतु गरीब एवं असहाय मरीजों को अपनी सेवा लगातार देता आ रहा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने क्षय रोग के उपचार में काम आने वाली दवाओं के बजट को तीन गुणा करने की घोषणा की थी तथा यह बजट चिकित्सा को पूर्ण समर्पित किया गया था परन्तु खेद का विषय है कि गत तीन वर्षों से इस चिकित्सालय की दवाओं के बजट में कोई वृद्धि नहीं की गयी बल्कि पूर्ण बजट चिकित्सा को समर्पित होते हुए इस वर्ष चिकित्सालय के बजट में दो लाख रुपये की कटौती कर दी गयी है।

यह सर्वविदित तथ्य है कि राज्य के विभिन्न भागों में क्षय रोगों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और एड्स के बढ़ते प्रभाव से क्षय रोगियों की संख्या में तेजी से बढ़ने का संकट निकट भविष्य में दिखाई दे रहा है। क्षय रोग के उपचार में काम आने वाली दवाओं की कीमतें दिनों-दिन आसमान छूती जा रही है। ऐसे में सरकार बजट में कटौती कर गरीब एवं असहाय लोगों के साथ कुठारघात कर रही है। इस महंगाई के युग में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे लोगों को इस समय ईलाज करवाना काफी महंगा पड़ रहा है।

अत: माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि क्षय रोग की दवाओं की कीमतों में भी कमी लाने का प्रयास करें एवं क्षय एवं वक्ष रोग चिकित्सालय का बजट पूर्व घोषित बजट के अनुरूप या दुगुना करने की शीघ्र घोषणा करें।

इस चिकित्सालय परिसर में दन्त महाविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण के अनुमान के अनुसार इस चिकित्सालय के तीन आवासीय भूखण्डों को बेचने से लगभग सत्तरह से अठारह करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया गया है। दन्त महाविद्यालय पर लगभग दस से बारह करोड़ रुपये व्यय का प्रस्ताव है। हमारा अनुरोध है कि इस चिकित्सालय के आवासीय परिसर की बिक्री से हुई आय का शेष भाग क्षय रोग चिकित्सालय विकास में ही खर्च किया जाय। हमारी जानकारी के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदन लगभग सात रुपये की विभिन्न विकास योजनाएं सन् 1993 में कार्यरत अधीक्षक, डा. एस. डी. पुरोहित के समय से प्रतीक्षारत हैं। हमारा अनुरोध है कि यह कार्य शीघ्रता से हाथ में लेकर पूर्ण कराया जाय।

सवाई मानसिंह आयुर्विज्ञान महाविद्यालय से सम्बन्धित विभिन्न चिकित्सा ईकाइयों में मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया के नियमानुसार प्रत्येक 30-50 शैयाओं पर एक प्रोफेसर, एक एसोशियेट प्रोफेसर व एक सहायक प्रोफेसर होते हैं व प्रतिवर्ष दो रेजीडेन्ट चिकित्सक आबंटित किये जाते हैं। जबकि वक्ष एवं क्षय रोग विभाग में मात्र दो चिकित्सक ईकाई हैं, प्रत्येक ईकाई में 120-130 शैयाए हैं व प्रतिवर्ष मात्र एक रेजीडेन्ट

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

डाक्टर आबंटित किया जाता है जिससे मरीजों की उचित देखभाल स्वाभाविक रूप से नहीं हो पाती है। हमारा अनुरोध है कि इस कमी को शीघ्र समाप्त कर यहां भी अतिरिक्त चिकित्सा ईकाई स्थापित की जाय व रेजीडेन्ट चिकित्सक बढ़ाये जायं इसके अतिरिक्त 6 सी. ए एस और दिये जाने चाहिए ताकि आउटडोर व इमरजेन्सी सेवाएं सुचारू रूप से चलायी जा सकें।

इस लोक महत्व के विषय पर माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिस पर मुझे सदन में चर्चा करने की अनुमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण जी मीणा।

डेलपुरा (नैनवां) ग्राम में आबंटित भूमि के राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये मैं निवेदन करना चाहता हूं।

मान्यवर भू-आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 22.7.1961 को ग्राम डेलपुरा (पटवार सर्किल गुढ़ादेवजी) तहसील, नैनवां जिला बूंदी की भूमि खसरा संख्या 103 की 15 बीघा पत्रावली संख्या 1642 से गोपाल आत्मज भूरा को पत्रावली 1643 से, खसरा संख्या 103 की 15 बीघा मुखपाल आत्मज भूरा मीणा को, पत्रावली संख्या 1647 से खसरा संख्या 104 की 15 बीघा बद्रीलाल आत्मज भूरा मीणा को तथा पत्रावली संख्या 1648 से खसरा संख्या 103 की 15 बीघा बजरंग लाल आत्मज भूरा मीणा को आबंटित की गयी है। किन्तु राजस्व विभाग के कर्मचारियों की त्रुटि से उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में आवंटित होने से रह गयी है। आबंटियों का इस भूमि पर बून्दी स्टेट के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। आबंटियों के पिता भी पूर्व में उक्त भूमि पर काबिज रहे हैं। भूमि पूर्व में लगानी ट्रेस पास थी तथा रिकार्ड एवं पी-33 देखा जाकर भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने की तारीख से ही इस भूमि पर खातेदारी स्वतः ही दी जानी चाहिए थी।

आबंटित भूमि खातेदारी में अंकित नहीं करने से अनपढ़ गरीब किसानों के खिलाफ धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की जाकर जुर्माना वसूल किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में भूमि आबंटन की तारीख के पश्चात् धारा 91 की कार्यवाही के जरिये वसूल की गयी जुर्माना राशि किसानों को वापस लौटायी जाना आवश्यक है। पिछले बन्दोबस्त के समय इस कृषि भूमि के खसरा नम्बर 103 तथा 104 के स्थान पर 24,245 तथा 246 बना दिये गये हैं। आबंटियों को धारा 91 के नोटिस अब इन नये खसरा नम्बरों से दिये जाने लगे हैं। पुराने आबंटन के मुताबिक अब भी राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती नहीं करके आबंटियों को परेशान किया जा रहा है। जबकि कब्जे काश्त के आधार

80

(श्री रामनारायण मीणा)

पर भी भूमि नियमन की जाने की श्रेणी में आती है तथा भू-राजस्व नियमों में भी भूमि नियमन का स्पष्ट प्रावधान है।

अतः राजस्व रिकार्ड की दुरुस्ती तथा उपरोक्त वर्णित किसानों के नाम पर भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जाकर समस्या का स्थायी समाधान करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेनजी चौधरी।

लूणकरणसर में लिफ्ट नहर योजना

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र के कुछ पंचायत क्षेत्रों के कृषकों का, आम तौर पर अभाव की स्थिति रहने के कारण, जीवन स्तर गरीबी की रेखा से बहुत नीचे है। योजनाओं का लाभ इन क्षेत्रों के लोगों को इतना नहीं मिला है कि इनके जीवन में कोई उल्लेखनीय बदलाव आया हो।

मेरा सुझाव है कि इन गांवों के कृषकों के लिए इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से मुख्य नहर के ऊपर डी 507 (एल) से मीटर की लिफ्ट नहर की योजना बनाकर क्रियान्वित की जावे ताकि लूणकरणसर तहसील की महादेव वाली, अजीवमाना, राजासर भाटियान, केला, मकड़ासर, सोठवाली, खियेरा, खोखराला, धीरेरा आदि ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके।

इसी प्रकार इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की आर. डी. 620 (एल) से 45 मीटर ऊंचाई की लिफ्ट नहर की योजना तैयार करके क्रियान्वित करने से मोतीगढ़, करणीसर भाटियान, कालासर, जालवाली, जैमलसर व कावनी ग्राम पंचायत क्षेत्रों के गांवों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। इन क्षेत्रों के नीचे पथरीली जमीन नहीं है, अतः वाटर लोगिंग की कोई संभावना नहीं है। राज्य सरकार इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में जल सिंचाई सघनता 5.23 से 3 क्यूसेक प्रति हजार एकड़ करने से अतिरिक्त क्षेत्रों में सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता होने से इन क्षेत्रों के लिए योजना बनायी जा सकती है। अतः आपसे निवेदन है कि इस सम्बन्ध में सर्वे कराकर योजना तैयार करायी जावे ताकि उसे आगामी योजना में शामिल कराया जा सके।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

बिसाऊ तथा मलसीसर (मण्डावा) उपखण्ड में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का सहायक अभियन्ता कार्यालय

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत

(श्री रामनारायण चौधरी)

विशेष उल्लेख के जरिये आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने पिछले वर्ष में सहायक अभियन्ताओं के उपखण्ड बनाये थे तथा उस निर्णय के तहत मेरे निर्वाचन क्षेत्र मण्डावा में भी दो उपखण्ड बनाये जाने थे। एक उपखण्ड बिसाऊ कस्बे में तथा दूसरा उपखण्ड मलसीसर में बनाने का प्रस्ताव था। दोनों जगहों के लिए जनता की मांग थी। दोनों सब डिवीजन नहीं बनाये गये। मलसीसर प्रस्तावित था परन्तु बाद में उसे भी रद्द कर दिया गया तथा पूरे इलाके को झुन्झुनूं में शामिल कर दिया गया। बिसाऊ क्षेत्र को मण्डावा में मिलाने से वहां की जनता बहुत तकलीफ में हो गयी है। सरकार को पिछली विधान सभा में याद दिलाया। जिला परिषद् झुन्झुनूं ने भी प्रस्ताव भिजवाया कि दोनों स्थानों पर बिजली के कार्यालय जनहित में बहुत जरूरी हैं तथा कायम किये जावें। बिजली बोर्ड के अधीक्षण अभियन्ता तथा जिला कलक्टर झुन्झुनूं दोनों ने जांच करके प्रतिवेदन सरकार को दिया है कि बिसाऊ तथा मलसीसर, दोनों स्थानों पर सहायक अभियन्ता विद्युत के कार्यालय स्थापित किये जाने चाहिए। यह प्रतिवेदन बिजली बोर्ड के पास आ चुके हैं।

ध्यान रहे कि बिसाऊ में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने हेतु जनता ने बहुत प्रयत्न किये थे, महीनों तक सत्याग्रह तथा धरने आदि के प्रोग्राम चलाकर सरकार का ध्यान आकर्षित कर इस औचित्य को प्रमाणित किया था कि वहां पर बिजली बोर्ड कार्यालय होना बहुत उचित है। अधिकारियों की भी रिपोर्ट आ चुकी हैं। सरकार से मांग है कि मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में बिसाऊ तथा मलसीसर दोनों स्थानों पर सहायक अभियन्ता, विद्युत के कार्यालय खोलकर जनता की तकलीफों को मिटाया जावे।

(13.00)

श्री अध्यक्ष : श्री उदयलाल जी आंजना।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कनेरा के चिकित्सक के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने से उत्पन्न स्थिति

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कनेरा के चिकित्सक के ड्यूटी पर लगातार अनुपस्थित रहने के कारण कनेरा एवं इसके आस पास की ग्राम पंचायतों के गांवों के निवासियों को सरकारी स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का कतई लाभ नहीं मिल पा रहा है। फलस्वरूप उस क्षेत्र के रहवासियों को अपने ईलाज के लिए नीमच (म. प्र.) निम्बाहेड़ा एवं अन्य स्थानों पर जाने हेतु मजबूर होना पड़ रहा है। शारीरिक एवं आर्थिक रूप से भी लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही है।

उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नियुक्त चिकित्सक नियुक्ति के दिन से ही अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरत रहा है तथा

(श्री उदयलाल आंजना)

गत आठ माह से तो चिकित्सक अपनी ड्यूटी से ही लगभग अनुपस्थित है फिर भी प्रति महीने वेतन उठाये जा रहा है। उक्त चिकित्सक ने कनेरा में 14 से 16 फरवरी, 1996 तक लगे नेत्र चिकित्सा शिविर में भी उपस्थिति नहीं दी।

अतः मेरा निवेदन है कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर वतमान में नियुक्त चिकित्सक के विरुद्ध जांच कर सख्त से सख्त कार्यवाही तुरन्त की जाय तथा उस क्षेत्र के लोगों को यथासमय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों, इस हेतु नये चिकित्सक को वहां अविलम्ब नियुक्ति दी जाय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : अध्यक्ष महोदय, पिछले एक वर्ष में 1,475 चिकित्सकों को हमने जिला स्तर पर और लोक सेवा आयोग से चयनित करके तदर्थ नियुक्तियां दी हैं। माननीय सदस्य ने जिन चिकित्सक की शिकायत की है, मैं जांच भी करवाऊंगा, स्थानान्तरण भी करूंगा और उनके खिलाफ आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करूंगा। यह सारी कार्यवाही करके माननीय सदस्य को अवगत भी करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलालजी ताम्बी।

कोटड़ी एवं जहाजपुर (भीलवाड़ा) तहसीलो के ग्रामों में यूजर्स कमेटियों का मनमाने तरीके से गठन

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। भीलवाड़ा जिले की तहसील कोटड़ी एवं जहाजपुर के अनेक ग्रामों, जल विकास क्षेत्र परियोजना के अन्तर्गत ग्राम साखड़ा, पारोली, धनवाड़ा, गणेशपुरा तहसील कोटडी तथा रोपात, जहाजपुर में यूजर्स कमेटियों का गठन मनमाने तरीके से किया गया तथा जन प्रतिनिधियों तथा विभाग के अधिकारियों को बिना सूचना देकर गुपचुप गठन करने तथा जनता एवं पंचायतों की राय से ग्रामसाभओं की बिना अनुमति चरागाह पर काम करने को लेकर असन्तोष व्याप्त है। इस वक्त राज्य सरकार के सचिव महोदय के भीलवाड़ा आने पर अनेक ग्रामीणों ने मनमाने ढग से यूजर्स कमेटियों में बिना ग्रामीण जन की ग्राम सभाएं आयोजित किये एवं कार्यक्रम की सूचना दिये गठन करने पर एतराज कर सूचना देकर ग्राम सभाओं में चुनाव कराने की मांग की और चरागाहों में काम करने के लिए ग्राम सभाओं में निर्णय की उनसे मांग की। मगर अभी तक ग्राम सभाओं को यूजर्स कमेटियों के चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं करने से ग्रामों में अशांति तथा आक्रोश बढ़ रहा है।

मैं राज्य सरकार तथा कृषि राज्य मंत्री महोदय का विशेष उल्लेख के जरिये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अतः कुछ अधिकारियों तथा कर्मचारियों की मिलीभगत से किये चुनाव के स्थान पर फिर कार्यक्रम घोषित कर चुनाव कराये जायं एवं भविष्य में विधायक, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, तहसीलदार, पटवारी

(श्री रतनलाल ताम्बी)

आदि को सूचना देकर चुनाव कराने के भी कृषि मंत्री महोदय आदेश पारित करें ताकि ग्रामों में सौहार्द तथा सामंजस्य का माहौल बनने से जन भागीदारी से योजनाएं सफलता के साथ कार्यान्वित हो सकें।

इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको अलग से पर्चा देकर ध्यान आकर्षित करने का अनुरोध किया है। वह यह है कि सहायक प्रोफेसर स्त्री रोग, डी.पी.सी. 9.3.96 को हुई। इस बारे में मैं चिकित्सा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कुल सात पद थे जिनमें से चार वरिष्ठता के आधार पर और तीन मैरिट के आधार पर भरने थे। मैरिट में डाक्टर मंजू माहेश्वरी, डाक्टर सुनेला खण्डेलवाल शशि गुप्ता थीं, उसमें से डाक्टर सुनेला खण्डेलवाल का नाम हटा कर शशि गुप्ता को दूसरे स्थान पर और संगीता माथुर को तीसरे स्थान पर कर दिया और मैरिट को काफी बदला गया है।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि सारे पत्रों को मंगाकर इस प्रकरण की गम्भीरता से जांच करें और इसमें न्याय प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रमाकान्त जी।

थानागाजी विधान सभा क्षेत्र में उच्च शिक्षा के मामले में बरती जा रही उपेक्षा

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं राज्य सरकार द्वारा थानागाजी विधान सभा क्षेत्र में उच्च शिक्षा के मामले में जो भारी उपेक्षा होती जा रही है, उसकी ओर माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालय अनेक जगहों पर खोले हैं। महिला महाविद्यालय भी खोले हैं। इन सबकी संख्या में प्रशंसनीय वृद्धि हुई है। परन्तु जहां एक ओर राज्य में ऐसे स्थान हैं जहां बीस किलोमीटर की दूरी पर तीन महाविद्यालय हों, वह चाहे निजी क्षेत्र में हों या सरकारी क्षेत्र में। थानागाजी मुख्यालय से सबसे नजदीक महाविद्यालय अलवर का 45 किलोमीटर पड़ता है एवं क्षेत्र के गांवों से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। थानागाजी क्षेत्र के लोग साठ प्रतिशत से अधिक गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं। इस क्षेत्र में न तो कोई व्यवसाय है और न ही कोई उद्योग। क्षेत्र के लोग मजदूरी और नौकरी पर आधारित रहकर जीवन यापन करते हैं और ऐसी स्थिति में लोगों को अपने क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अवसर नहीं मिले तो वह क्षेत्र निरन्तर पिछड़ता चला जायेगा। गरीबी के कारण शिक्षा प्राप्त करने हेतु दूसरी जगह जो साठ किलोमीटर दूर हो, वह वहां जा भी नहीं सकते। थानागाजी के आस-पास पांच सीनियर माध्यमिक स्तर की शालाएं हैं जिनमें नारायणपुरा में 1000 से अधिक एवं थानागाजी, अजबपुरा में 700 से अधिक और लगभग इतनी ही संख्या में प्रतापगढ़ व बसईजोगियान में

(श्री रमाकान्त शर्मा)

छात्र हैं। थानागाजी से जहां एक दिशा में अलवर में कालेज है वहीं दूसरी दिशा में उससे अधिक दूरी पर कोटपूतली व शाहपुरा है एवं 100 किलोमीटर की दूरी पर तीसरी और राजगढ़ है अतः अपने जिले को छोड़कर दूसरे जिले में छात्र जायें तो वह भी उनसे दूर पड़ते हैं। इस सम्बन्ध में सभी तरह से शिक्षा एवं साक्षरता के क्षेत्र में अधिक पिछड़े हुए थानागाजी के मामले में मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वह भेदभाव की नीति को छोड़कर क्षेत्र की इस मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करे और थानागाजी में आने वाले सत्र में ही महाविद्यालय खोलकर जो अब तक उपेक्षा हुई है उसका निस्तारण करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रिछपाल जी।

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के समक्ष किसानों की एक गम्भीर समस्या रखना चाहता हूं। रबी की फसल, सरसों और चने की आवक राजस्थान की विभिन्न मण्डियों में करीब पन्द्रह दिन से शुरू हो चुकी है और नयी फसल की आवक के समय सरकारी एजेन्सियों द्वारा समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद की जाती है। सरकार की विभिन्न एजेन्सियों द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू नहीं की गयी है इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि सरकार की विभिन्न एजेन्सियों द्वारा सरसों और चने की वे किसान की उपज की खरीद की जाय और व्यापारी वर्ग द्वारा मनमाने ढंग से जो नीलामी बोली लगाकर किसान का माल खरीदा जा रहा है उससे किसान को बचायें।

वैसे ही अबकी बार राजस्थान का किसान तीन तरह की मार से पीड़ित है। पहले अकाल की छाया फिर बिजली नहीं मिली, फिर शीतलहर। इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी सरकारी एजेन्सियों को खरीद करने के निर्देश जारी करें।

श्री अध्यक्ष : श्री धारीवाल जी।

एक माननीय सदस्य : खाजूवाला और लूणकरणसर की मण्डियों में भी खरीददारी नहीं हो रही है....(व्यवधान)....

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : बहुत इम्पार्टेंट मैटर है इसका तो जवाब दिलवा दीजिये राजस्थान के किसानों की समस्या है।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : यह बोलते-बोलते बैठ गये थे इसलिए इनको मौका नहीं मिला था।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मामला है कि रायड़े के भाव दिनोदिन कम होते जा रहे हैं.... (व्यवधान)....

श्री भवरसिंह डांगावास : अध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता मंत्रीजी का इस तथ्य पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वास्तव में पाले से 30 प्रतिशत फसल रही है।

(85)

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

यह भी चूंकि जल गयी थी, उसकी कीमत कम हो रही है। तिलम संघ और दूसरी एजेन्सीज जो मार्केट में आयेंगे तो किसानों को फायदा मिलेगा। यह परम आवश्यक है। मुख्य मंत्रीजी इसकी समीक्षा करें।... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह सारे राजस्थान के किसानों का बहुत बड़ा मामला है। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा विषय है और व्यापारी इससे लाभ उठा रहे हैं इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि इसके बारे में कृपया आप स्वयं आश्वासन दीजिये या खरीददारी के बारे में कुछ फरमाइये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : खरीददारी की व्यवस्था की जाय इसके बारे में (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, अपने भाषण में मुख्य मंत्रीजी ने कहा, बराबर यहां घोषणाएं होती है कि तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान है इस देश में। किसान भी आप जानते हैं कि पहले गेहूं और दूसरी वस्तुएं पैदा करते थे लेकिन वह सब तिलहन पर आये हैं रायड़े में खास तौर से सरसों से उसकी कीमत कम हो रही है। तो किसान की आज जो हालत है वह बहुत खराब है। आप स्वयं भी इस बात को जानते हैं। समय पर कोई खरीददार नहीं है, तिलम संघ या दूसरा कोई। इस तरह की व्यवस्था नहीं हो तो किसान बरबाद हो जायेगा. यह मेरा नम्र निवेदन है। 500 फीट की गहराई से पानी निकाल कर सिंचाई कर रहे हैं और 25 रुपये एकड़ में नहरों से सिंचाई हो रही है उसी सरसों की। उनकी क्या हालत होगी, इस पर थोड़ा विचार कीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले कोई इस प्रकार की खरीद हुई है क्या ?

श्री हरजीराम बुरड़क : हर साल होती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भारत सरकार ने कोई रेट तय की है क्या....(व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप मार्केट में आ जायेंगे तो अपने आप भाव बढ़ जायेंगे। कोई खरीददारी हो तो एकदम बेचना पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो इतना ही पूछ रहा हूं कि भारत सरकार ने कोई समर्थन मूल्य तय किया है क्या ?

श्री हरजीराम बुरड़क : यह तय कर रखा है भारत सरकार ने। हमेशा राज्य सरकार खरीद शुरू कर देती है। फसल आते ही इस साल शुरू नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो मेरी जानकारी के लिए पूछ रहा हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपकी जानकारी में नहीं हो यह हमारी समझ में नहीं आता।

श्री अध्यक्ष : श्री घारीवालजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट। इसमें आपने जो प्रश्न उठाया, बिलकुल गम्भीर प्रश्न है और इस पर सरकार विचार करेगी। लेकिन प्रश्न एक आता है उस पर आप विचार कर लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। भारत सरकार ने इसका कोई समर्थन मूल्य तय नहीं किया है, नम्बर-एक।

अब तिलम संघ खरीदे इसको। तिलम संघ पहले से ही घाटे में चल रहा है। अब आप तिलम संघ पर और भार डालना चाहो....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उसके तो मार्केट में आने से और भाव कम हो जायेंगे। खरीददार यह आये है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, खरीद कौन करेगा ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जब ही तो मैं कह रहा हूं कि कोई....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : राजफैड से करवाइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक ही है। चाहे राजफैड करो, चाहे तिलम संघ करो, चाहे कोई करो यह खरीद कौन करे ? समर्थन मूल्य तो तय हुआ नहीं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : समर्थन मूल्य सरसों का तय है, माननीय मुख्य मंत्रीजी। इनका पहले से था, अभी जौ का और गेहूं का और किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जौ का, गेहूं का, चावल का इनका तो है। अब समर्थन मूल्य भारत सरकार ने आप कहते हैं कि तय किया है तो मैं ...

श्री रामनारायण चौधरी : राजस्थान के अन्दर आप भी कर सकते हैं। राजस्थान के अन्दर सरसों का समर्थन मूल्य किसानों के हित में आप भी तय कर सकते हैं। आप ही सरकार के चीफ मिनिस्टर हैं, सरकार चलाते हैं। भारत सरकार की तरफ ...(व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि इस पर विचार करेंगे कि वहां मार्केट में क्या... (व्यवधान) प्राइस है और क्या नहीं आ रही है। अभी कोई गारंटी नहीं दे सकता लेकिन इस पर गम्भीरता से चिन्ता करने की जरूरत है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : करोड़ों अरबों रुपया बैंकों में जमा होते हैं, आप निकाल करके भण्डार में भरियेगा, अपने आप कीमत बढ़ जायेगी। नोट के बजाय यह रखो ना आप गोदाम में। पहले जागीरदार रखते थे न। रुपये नहीं रखते थे, गोदाम भर देते थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मैं नहीं कहता। जागीरदार करते थे तो जागीरदारों को तो आपने खतम कर दिया। जागीरदार जो काम करते थे उनको तो आपने खतम कर दिया। अब आज की व्यवस्था में मैंने तो नहीं देखा है आज तक इस प्रकार से कोई व्यवस्था रही है। फिर भी इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान आपने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आकर्षित किया है तो निश्चित रूप से इसको देख लेंगे।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा): क्या हम यह मानकर चलें कि तिलम संघ घाटे में है इसलिए इस साल तिलम संघ कोई परचेज नहीं करेगा ? यदि परचेज करना है उसको तो अभी मैदान में आ जाय और अगर परचेज उसको करना ही नहीं है तो वह एक दूसरी बात है। लेकिन परचेज करना ही है तो अभी से मैदान में आये वह।

श्री भंवरसिंह डांगावास : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कृषि नीति के बारे में एक अधिवेशन हुआ था उसमें यह तय किया गया था कि मण्डियों में भाव गिरेंगे तो काश्तकारों की फसल रहन रख करके मण्डी 75 प्रतिशत पैसा नामिनल ब्याज पर देगी ताकि समय पर किसान अपनी काश्त को अच्छे भाव में बेच सके। उस पालिसी में भी आप विचार कर लीजियेगा। फायदा हो जायेगा हमें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजें। काफी माननीय सदस्य बोल चुके हैं। अब आप, प्लीज ...

श्री गुलाल संएचा (रायपुर) : एक सैकण्ड लेऊंगा मैं तो। अध्यक्ष महोदय, सरसों के मामले में राजस्थान हिन्दुस्तान में अपने अच्छे स्थान, प्रथम स्थान के करीब है। रायड़े के लिए करीब पिछले वर्षों के अन्दर राजस्थान ने भारी कवरअप किया है। कृषि मंत्रीजी को चाहिये कि हमारी कृषि मण्डियों से दैनिक रिपोर्ट मंगवायें कि कितना माल राजस्थान की कृषि मण्डियों में रायड़े का आ रहा है। इसके उपयोग, इसके निर्यात, इसके आयात की आपकी क्या व्यवस्था है इस पर कमेटी बना करके कोई विचार आपको करना चाहिए। इसका मूल्य नहीं घटे, किसानों को सही कीमत मिले और मुख्य मंत्रीजी इसको और गम्भीरता से लें यही निवेदन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको मैंने पहले ही कह दिया और अभी भी कह रहा हूं कि जहां-जहां खरीदने की क्षमता है, मण्डियों में उसका सर्वेक्षण कराने के बाद राज्य सरकार इसकी कोई न कोई व्यवस्था करेगी, इस पर विचार करेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप, हो गयी बात।

श्री हरजीराम बुरड़क : वेयर हाउसिंग कारपोरेशन....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हो गयी बात।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : अध्यक्ष महोदय, माईनिंग मिनिस्टर साहब यहां विराजमान हैं, एक आर्डर निकाला डिप्टी सैक्रेटरी टू दी गवर्नमेंट ने आर्डर यह है कि आपके डिपार्टमेंट ने 3-6-94 को The mineral waste of lime-stone, mineral waste of sandstone be allowed to be removed and used

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

for construction of houses, roads, field boundary उसके बाद एक आर्डर और निकाला जिसमें भी लिखा हुआ है कि no permission of Mining Department would be required. आप उस ओवर बर्डन को उठा करके ले जा सकते हैं। इस पर श्रीराम सीमेंट वर्क्स जो श्रीराम फर्टिलाइजर्स के नाम से जानी जाती है, डी.सी.एम. की, उसने आपके यहां पर सप्लाई किया कि हमें 10 हजार मैट्रिक टन लाइम स्टोन की जरूरत है और हम उठायेंगे। आपके यहां से उनको परमिशन मिल गयी। यह परमिशन मिल गयी और परमिशन के बाद में यह रवन्ने कट गये। यह रवन्ने की कापी भी मैं पेश कर दूंगा आपको। इसके बाद एक छोटे से आदमी ने, जिसकी छोटी सी क्वेरी है, सैण्ड स्टोन की एक दरख्वास्त ए. ईएन. को दी कि साहब, मैं अपने हाऊस और उसकी बाउण्ड्री बनवाने के लिए और उसके अन्दर रोड़ बनवाने के लिए इस ओवर बर्डन को उठाना चाहता हूं, आप मुझे परमिशन दे दें। उसका जवाब नहीं दिया। जवाब न देने के बाद जब उसने अपना ट्रक नम्बर वगैरह लिख दिया कि आप चुंगी नाके पर, जो नाका होता है माइनिंग का वहां पर, कह दें कि यह मेरा ट्रक नम्बर है, इससे मैं ओवर बर्डर उठा करके मेरे मकान तक ले जा रहा हूं, जहां वहां हाउस बनाना चाहता था। तब कुछ इन्फार्म कर दिया लेकिन उसको इजाजत नहीं दी और इजाजत न देने के बाद में अब उस पर बुला-बुला करके पैनल्टी ठोकी जा रही है। एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि नेशनल हाईवेज पर, स्टेट हाईवेज पर जहां पर कि ओवर बर्डन इतना पड़ा हुआ है कि जो 100-100 फुट की दूरियां थीं, चौड़ाई थी सड़क की वह घट करके 20-20 फुट रह गयी, इस ओवर बर्डर को उठा करके ले जाओ, दूसरी तरफ आपके ऑफिसर पैसा कमाने के लिए इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माइनिंग मंत्रीजी से कहूंगा कि इस विशेष मामले के कागजात मैं आज आपको सौंपूंगा, इस पर आप नजर रखें, दिखवायें। बहुत गम्भीर मामला है क्योंकि आप उस क्षेत्र में एक डाबी के थाने का उद्घाटन करने के लिए कुछ महीने पहले पधारे थे, आपने स्वयं अपनी आंखों से देखा होगा कि उन सड़कों की क्या हालत है, कितना जबरदस्त ओवर बर्डन वहां पर पड़ा हुआ है। जो लोग जन सहयोग करना चाहते हैं इस मामले में, सरकार की समस्या दूर करना चाहते हैं, इस मामले में, सरकार की समस्या दूर करना चाहते हैं, पर्यावरण के लिए काम करना चाहते हैं उन लोगों को एक तरीके से आपका विभाग रोके और वह आपकी जानकारी में नहीं आ पाये तो हम आपको क्या कहेंगे।

श्री अध्यक्ष : क्या कह रहे हैं आप? इसी के बारे में कुछ कह रहे हैं आप?

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : नहीं, मैं पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के तीन गांव माकड़वाली, कायड़ और मंगवाना और इनके....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रब तो ग्राप बन्द करें।

श्री विष्णु मोदी : एक मिनट में खतम कर रहा हूं। यह ग्रजमेर के चारों तरफ स्थित हैं। चार माह पूर्व ग्रजमेर नगर परिषद ने एक प्रस्ताव किया कि....

श्री ग्रध्यक्ष : पर्ची वाली ही बोल रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : इनको नगर में सम्मिलित कर लिया जाय। नगर परिषद् में प्रस्ताव गिर गया कि इनको नगर परिषद की सीमा में सम्मिलित करने कोई ग्रावश्यकता नहीं है। मान्यवर, इसी में 30-8-94 को जो मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर हैं ...

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रब ग्राप जल्दी बन्द करें।

श्री विष्णु मोदी : एक मिनट में खतम कर रहा हूं। उन्होंने भी ग्रपने पत्र क्रमांक टी. पी. ग्रार. 10946 दिनांक 30-8-94 के द्वारा उक्त तीनों गांवों को नगरीय सीमा में सम्मिलित किये जाने से साफ तौर पर इन्कार किया। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मास्टर प्लान के नियमानुसार किसी भी गांव को यदि मास्टर प्लान नगरीय सीमा में सम्मिलित किया जाता है तो सम्बन्धित गांवों के स्थानीय निकाय, संस्थाग्रों की ग्रापत्ति एवं एतराज सुनने का प्रावधान हैं। तो माकड़वाली, कायड़ ग्रौर गंगवाना के लिए नगर परिषद ने मना कर दिया, चीफ टाउन प्लानर ने मना कर दिया। राजस्थान के किसी गांव को नगरीय सीमा में सम्मिलित किया जाता है तो उस पर वहां की पंचायत या जो कुछ भी है, उसका ग्राब्जेक्शन सुनते हैं। लेकिन माकड़वाली, कायड़ ग्रौर गंगवाना के बारे में न तो वहां की पंचायत का या कोई एसोसियेशन थी, उनका ग्राब्जेक्शन सुना, न चीफ टाउन प्लानर की बात सुनी ग्रौर उसके बाद ग्रभी एक ग्रार्डर करके इन तीनों को नगर की सीमा में सम्मिलित कर दिया गया। यही नहीं कि नगरीय सीमा में सम्मिलित किया, बल्कि पिछले 5 साल के जो भूखण्ड कन्वर्ट हो गये थे, मकान बनाने के लिए, उनको भी कैंसिल कर दिया।

मैं ग्रापके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं कि वह मामले की सारी पत्रावली मंगाकर जो नियमानुसार कार्यवाही है, जो पहले कन्वर्ट हो चुकी, उनको रिजेक्ट नहीं की जायेगी ग्रौर बाकी की जो पंचायतें हैं उनका ग्राब्जेक्शन सुनने के बाद ही उसको नगर परिषद की सीमा में सम्मिलित किया जाय।

श्री किशन मोटवानी (ग्रजमेर पश्चिम) : मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा।

श्री ग्रध्यक्ष : मेरी मजबूरी है, 40-50 ग्रादमी हैं।

श्री किशन मोटवानी : मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि तीन माह से ग्रजमेर में धीरे-धीरे ग्राग सुलग रही है ग्रौर ग्राज ग्राम जनता के ग्राह्वान पर बन्द है। उसका सीधा-सीधा कारण ग्रार. एस. ई. बी. बोर्ड की ग्रनियमित मांगे

(श्री किशन मोटवानी)

हैं। इन तीन माहों में अजमेर में नोटिसेज पर नोटिसेज मिल रहे हैं, उपभोक्ताओं को कि आप अपने उपभोग के संदर्भित अमाउण्ट सिक्योरिटी का, एन्हान्स्ड सिक्योरिटी का अमाउण्ट जमा करायें। किन्तु पूर्व की जमा सिक्योरिटी का आप स्वयं बतायें कि कितना आपका जमा है और बकाया काटकर आप जमा कराइये। एक तो वह नहीं बता रहे हैं। दूसरा एन्हान्स्ड सिक्योरिटी लेने का कारण क्या है, औचित्य क्या है? उस अनियमितता के कारण अजमेर में आज बंद है। दूसरा मीटर रिप्लेसमेंट की बात चल रही है। मीटर रिप्लेस करा रहे हैं, कम्प्यूटराइज्ड मीटर दे रहे हैं उसमें कोई एतराज की बात नहीं है किन्तु चार्ज उपभोक्ता से ले रहे हैं। उपभोक्ताओं ने पूर्व में अपने मीटर के चार्ज दे रखें हैं। वह मीटर उठाकर ले जा रहे हैं और दूसरा मीटर देने के लिए 1200 रुपये की मांग कर रहे हैं। यह मांग कौनसे औचित्य की है?

तीसरा, अब वह बढ़े रेट से बिल बनाना शुरू कर दिया। इन तीनों बातों को लेकर अजमेर में आज बंद है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारे राजस्थान की पीड़ा है, यह हर शहर की पीड़ा है और यह आग हर शहर में बढ़ेगी। इसलिए मैं राज्य सरकार से इन तीनों आर्डर्स को वापस लेने के लिए निवेदन करता हूं कि तुरन्त प्रभाव से इनका अध्ययन करेंगे और बोर्ड की इन तीनों मांगों को वापस लेंगे।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। अब पूरा हो गया है, विराजिये। मेरी मजबूरी है। जो जो माननीय सदस्य साढ़े दस, पौने ग्यारह से पहले दे चुके हैं उनका कोटा है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष : कल देख लेंगे। अब आप बिराजें। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैंने भी पर्ची आपको दी थी। मैंने आपके चैम्बर में आकर निवेदन भी किया था।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप बिराजें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने विश्वास दिलाया था कि आपकी पर्ची है, आपको बोलने का मौका दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : कल रख लेंगे।

एक माननीय सदस्य : कल कहां से रख लोगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, नोट डाउन होगा, सारे मंत्रियों के पास जायेगा। माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप बिराज जायें।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : जिन माननीय सदस्यों ने पर्ची नहीं दी, वो तो बोल गये और जिन्होंने पर्ची दी उनको बोलने का मौका नहीं मिला। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य जोर से बोलता है उसी को मौका मिलता है।

(श्री श्रवण कुमार)

यदि नहीं बोलता तो उसको मौका नहीं मिलेगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : संघ के दस हजार शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में माणक चौक की चौपड़ पर प्रदर्शन कर रखा है। वे अपनी मांगों के समर्थन में धरना दे रहे हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं। (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही
पूर्व निर्धारित कार्यसूची में संशोधन

श्री अध्यक्ष : कोई ऐसी बात होगी तो परसों और देख लेंगे।

माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 का केन्द्रीय अधिनियम 42 पर शासकीय संकल्प, प्रभारी मंत्री ने सदन के अनुसमर्थन हेतु प्रस्तुत किया है। क्या सदन की राय है कि इस शासकीय संकल्प को सदन के विचारार्थ दिनांक 14 मार्च, 1996 की कार्यसूची में सम्मिलित कर लिया जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। माननीय श्री भंवरलाल जी शर्मा, स्वायत्त शासन मंत्री।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

अधिसूचनाएं

स्वायत्त शासन विभाग

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक कार्य सूची में किये उल्लेख के अनुसार स्वायत्त शासन विभाग की निम्न अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :–

(1) अधिसूचना संख्या 8 ( ) मिस/रूल्स/डी.एल.बी./95/4848 दिनांक 25 नवम्बर, 1995 जिसके द्वारा राजस्थान नगर पालिका (अध्यक्ष एवं सदस्य) यात्रा भत्ता नियम, 1964 में संशोधन किया गया है।

(2) अधिसूचना संख्या प. 8 ( ) मिस/रूल्स/डी.एल.बी./95/4590 दिनांक 27 अक्टूबर, 1995 जिसके द्वारा राजस्थान नगरपालिका (अध्यक्ष/सभापति मानदेय भत्ता) नियम, 1994 में संशोधन किया गया है।

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 8 ( ) मिस/रूल्स/डी.एल.बी./95/3880 दिनांक 27 अक्टूबर, 1995 जिसके द्वारा राजस्थान नगर पालिका (अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा) नियम, 1963 में संशोधन किया गया है।

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 8 (मिस) रूल्स/डी.एल.बी./95/4144 दिनांक 27 अक्टूबर, 1995 जिसके द्वारा राजस्थान

(श्री भंवरलाल शर्मा)

नगरपालिका (नगरीय भूमि का निस्तारण) नियम, 1974 में संशोधन किया गया है।

(5) अधिसूचना संख्या एफ. 5 ( ) बी आर (डी.एल.बी/96/2898 दिनांक 4 जनवरी, 1996 जिसके द्वारा राजस्थान नगरपालिका (कन्डक्ट आफ बिजनस) नियम, 1976 में संशोधन किया गया है; तथा

(6) अधिसूचना संख्या एफ. 8 ( ) (रूल्स) एल. एस. जी./95/256 दिनांक 12 जनवरी, 1996 जिसके द्वारा राजस्थान नगरपालिका (सामग्री का क्रय एवं) अनुबन्ध नियम, 1974 में संशोधन किया गया है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : एक महिला एम. एल. ए. को बोलने की स्वीकृति नहीं दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, क्या यह सदन महिलाओं के खिलाफ है? माननीय अध्यक्ष महोदय, उस महिला सदस्या को आज सुबह से बोलने की परमिशन नहीं दी गयी। मेरा इतना गम्भीर मामला है। एक भी महिला सदस्या को बोलने की परमिशन नहीं दी गयी....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। श्री ज्ञान सिंह जी।

(अनुपस्थित)

श्री हरिशंकर जी भाभड़ा।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान वित्त निगम के लेखों (94-95) पर अंकेक्षण प्रतिवेदन

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वित्त निगम के वर्ष 1994-95 के लेखों पर अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती शशि दत्ता जी।

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. का वार्षिक (94-95) प्रतिवेदन

श्रीमती शशि दत्ता (राज्य मंत्री, राजकीय उपक्रम) : अध्यक्ष महोदय, मैं, कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1994-95 सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नरेन्द्र कंवर जी।

राजस्थान राज्य होटल्स निगम लि. का 29 वां एवं 30 वां वार्षिक प्रतिवेदन

श्रीमती नरेन्द्र कंवर (राज्य मंत्री, पर्यटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं, कम्पनीज अधिनियम 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत (अ) राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड, जयपुर का 29 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 एवं

(ब) राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड, जयपुर का 30 वां वार्षिक

(श्रीमती नरेन्द्र कंवर)

प्रतिवेदन वर्ष 1994-95 सदन की मेज पर रखती हूं।

विधायी कार्य : पुरः स्थापित विधेयक राजस्थान रज्जू मार्ग विधेयक, 1996

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य, पुरः-स्थापित किये जाने वाले विधेयक। श्रीमती नरेन्द्र कंवर जी। राजस्थान रज्जू मार्ग विधेयक, 1996 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : ये रज्जू मार्ग क्या है ?

श्री अध्यक्ष : डोरी पर चलने वाला मार्ग है।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर (राज्य मंत्री, पर्यटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान रज्जू मार्ग विधेयक, 1996 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान रज्जू मार्ग विधेयक, 1996 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान रज्जू मार्ग विधेयक, 1996 को पुरःस्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश जी मेघवाल, गृह मंत्री, अनूपगढ़ तहसील से लगती पाक सीमा के निकट सीमा सुरक्षा बल व पाक रेन्जरों के बीच हुई गोलाबारी में कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु होने, दिनांक 26 जनवरी, 1996 को सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में हुए बम विस्फोटक की घटना तथा रामगंज मण्डी के ग्राम सुकेत, मकराना (नागौर) एवं मांडवी घरियावाद में पुलिस गोलीबारी तथा पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : मैं सोचता हूं कि माननीय मंत्री महोदय नियम 290 में यह स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर मैं सही हूं तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने, जिनमें मैं भी सम्मिलित हूं, एडजोर्नमेंट मोशन दिये थे। वह आपने आज सुबह अस्वीकार किये। हमारे यहां एक नियम या एक परम्परा चली आ रही है कि जब माननीय अध्यक्ष महोदय एक एडजोर्नमेंट मोशन को अस्वीकार करते हैं तो माननीय सदस्य को उसमें कुछ कहने का अवसर देते हैं। मैं इस सम्बन्ध में आपसे एक निर्णय चाहूंगा कि जो माननीय मंत्री महोदय आज स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमारे एडजोर्नमेंट मोशन का विषय भी शामिल है, यदि आप अलग से उस एडजोर्नमेंट मोशन को अस्वीकार करते हैं तो हमें कहने का मौका मिलना चाहिए। नियम 290 में हमको कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान) नहीं है। इसलिए जिन माननीय सदस्यों ने एडजोर्नमेंट मोशन रखे थे क्या उनको माननीय मंत्री महोदय के

(श्री शिवनाथ सिंह)

स्टेटमेंट के बाद बोलने का अवसर दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : बोलने का अवसर दिया जायेगा, यह मैंने कहा है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आपने यह फरमाया था कि माननीय सदस्यों के एडजोर्नमेंट मोशन हैं उनको प्रश्न पूछने का मौका दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : जी, हां। मैंने पहले कह दिया था। अब आप विराजें।

शासकीय वक्तव्य

अनूपगढ़ में पाक सीमा पर फायरिंग में कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 15.2.96 को करीब 8 पी.एम. पर भारतीय सीमा चौकी-2 बी.एम.एन. के पिलर नम्बर 262/3 के सामने से पाक सीमा की ओर से अज्ञात व्यक्तियों की भारत में आने की कोशिश शुरू की। जिस पर बी एस एफ. के जवान चौकस हो गये व कुछ देर बाद ही पाक क्षेत्र में रेंजरों द्वारा फायर शुरू हुआ। इस पर जवाबी कार्यवाही में बी.एस.एफ. नाका पार्टी के इन्चार्ज श्री जगत नारायण, एच. सी. व कांस्टेबल आर. के. घोष व ए.के. झा ने भी शायद फायर शुरू कर दिये। आपस में फायरिंग रुक-रुक कर करीब दो घंटे तक चलती रही। पाक क्षेत्र से 40–50 फायर हुए और भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने करीब 25 फायर किये। दस बजे के बाद पाक क्षेत्र से फायरिंग रुक गयी व भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भी फायर बन्द कर दिये।

सुबह होने पर दिनांक 16-2-96 को सीमा सुरक्षा बल के जवान जब जीरो लाइन पर गये तब जीरो लाइन के पास सात शव पड़े मिले तथा पांच घायल तथा 70 के करीब जीवित व्यक्ति जिनमें महिलाएं, बच्चे व पुरुष शामिल थे वहां पर बैठे मिले। उक्त सभी व्यक्तियों को पाक रेंजर्स द्वारा जबरदस्ती भारत सीमा में प्रवेश कराया जा रहा था। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में पाक रेंजर्स के अधिकारियों के साथ फ्लैग मीटिंग की जिसमें भारत की तरफ से 46 वीं बटालियन बी. एस. एफ. के कमाण्डेंट ने भाग लिया व इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर व अन्य क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी भी पहुंच गये। पाक की तरफ से फ्लैग मीटिंग में कम्पनी कमाण्डर ने भी भाग लिया। फ्लैग मीटिंग में बी.एस. एफ. के अधिकारियों ने कहा कि उक्त नागरिक पाक के ही हैं, अतः आप इन्हें वापस ले जाओ। लेकिन पाक अधिकारियों ने उन्हें वापस लेने से मना किया। सायंकाल 5 पी.एम. तक इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं हो पाया व फ्लैग मीटिंग दिनांक 17-2-96 को 11 ए.एम. पर फिर रखी गयी। मृतकों के शव व अन्य व्यक्ति घटनास्थल जीरो लाइन पर बैठे रहे। दिनांक 16-2-96 व 17-2-96 की रात्रि को 1.30 ए.एम. पर पाक रेंजर्स उक्त जीवित,

(श्री कैलाश मेघवाल)

घायल तथा मृतक व्यक्तियों को अपने साथ उठा कर पाकिस्तान ले गये। सीमा पर उक्त घटना के बाद शांति है।।

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में बम विस्फोट

दिनांक 26 जनवरी, 1996 को जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय गणतन्त्र दिवस समारोह सदैव की भांति सम्पन्न होना था। निर्धारित कार्यक्रम के प्रारम्भ होने से एक घंटा पूर्व 8.30 ए.एम. पर स्टेडियम के अन्दर दक्षिणी पैवेलियन की सीढ़ियों के पास जमीन में एक विस्फोट हुआ। विस्फोट से जमीन में दो फीट गहरा व छः फीट व्यास का गड्डा हो गया। विस्फोट से इस पेवेलियन की बायीं ओर एक सौ फीट दूर कमेंट्रेटर बाक्स की इमारत की खिड़कियों के शीशे टूट गये व विस्फोट से जमीन की रेत पेवेलियन की छत व सीढ़ियों पर बिखर गयी। इस विस्फोट से कोई घायल नहीं हुआ। सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक कर्मचारी रामगोपाल, जो घटनास्थल के पास से गुजर रहा था, के कान पर धमाके का असर हुआ। घटनास्थल के आसपास बम विस्फोट के बाद विस्फोटक उपकरण के अवशेष एकत्रित कर विशेषज्ञ राय हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भिजवाये गये। घटनास्थल के निरीक्षण हेतु इंटेलीजेंस ब्यूरो, दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारी एवं पंजाब स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक व विस्फोटक विशेषज्ञों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। विशेषज्ञों के निरीक्षण व घटनास्थल पर पाये अवशेषों के परीक्षण से यह विस्फोट एक स्वचालित हाथ घड़ी केसियो में टाइम सैट कर शक्तिशाली आर.डी.एक्स. द्वारा होना पाया गया। विशेषज्ञों की राय के अनुसार यह बम जमीन की सतह से 14 और 18 इंच के बीच नीचे रखा गया था। इस बम विस्फोट के सिलसिले में मौके पर तैनात पुलिस अधिकारी श्री प्रहलाद सिंह पुलिस निरीक्षक की सूचना पर थाना गांधी नगर, जयपुर शहर में अपराध संख्या 39/96 दिनांक 26-1-96 को अन्तर्गत धारा 307,120 बी भारतीय दण्ड संहिता एवं 3 पीडीपीपी एक्ट व 3/9 एक्सप्लोजिव सब्सटेन्सेज एक्ट दर्ज किया गया और अपराध शाखा ने इसका अनुसंधान उसी दिन से अपने पास ले लिया।

इस प्रकरण की गहराई व मुस्तैदी से जांच की जा रही है। विस्फोट के पीछे विभिन्न आतंकवादी गुटों के लिप्त होने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए दिल्ली व अन्य राज्यों में अलग-अलग दलों को भेजा गया है। भारत सरकार की उच्चतम जांच एजेन्सी सी.बी.आई. व इंटेलीजेंस ब्यूरो से सम्पर्क साधने पर विचार-विमर्श कर अनुसंधान को दिशा-निर्देश देने हेतु अतिरिक्त महानिदेशक (अपराध शाखा) द्वारा स्वयं कार्यवाही की गयी है व उनके निर्देशन में अपराध शाखा के अत्यन्त कुशल अनुसंधानकर्ताओं द्वारा इस क्षेत्र में अथक

(श्री कैलाश मेघवाल)

प्रयास किया जा रहा है। सभी प्रकार के उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा विस्फोट कार्य करने वाले अपराधों के सम्बन्ध में उपयोगी जानकारी उपलब्ध करवाने वाले को एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जांच के पश्चात् सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्राथमिक रूप से दोषी पाये जाने पर एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एक उप अधीक्षक पुलिस तथा एक निरीक्षक को निलम्बित किया गया है। इसके अतिरिक्त 13 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। इस बम विस्फोट के परिप्रेक्ष्य में राज्य पुलिस की विशेष शाखा की कार्यशैली का परीक्षण करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है।

इस वर्ष राज्य में पुलिस द्वारा फायरिंग की तीन घटनाएं मकराना जिला नागौर, माण्डवी जिला उदयपुर और सुकेत जिला कोटा में हुई है। इनका संक्षिप्त में ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

मकराना में पुलिस फायरिंग

दिनांक 26-1-96 को रात्रि को रामसिंह के ढाबे पर अनवर हुसैन पुत्र हाजी मियां महमूद व अनवर हुसैन पुत्र गालबनबी मुसलमान व मौलाना यूसूफ पुत्र रमजान जाति कुरैशी निवासी जयपुर द्वारा शराब मांगने पर उस दिन शुष्क दिवस होने के कारण सेल्समैन दलबीर सिंह, ठेका देशी शराब, मैसर्स जयश्री जगदम्बा वाइन ने शराब देने से मना कर दिया जिसके कारण कहासुनी होने के बाद तीनों व्यक्तियों ने दलबीर सिंह के साथ मारपीट की और थाने की ओर जबरन पकड़कर ले गये। दलबीर सिंह साथी जितेन्द्र सिंह पहले ही थाने पर मारपीट की शिकायत करने पहुंच गया था। जितेन्द्र सिंह के कथनानुसार श्री प्रताप राम, ए.एस.आई. और लेखराम, सिपाही ने उसके और दलवीर सिंह के साथ लात-घूसों से पिटायी करी जिससे दलबीर सिंह वहीं गिर गया। दलबीर सिंह ने पीने का पानी मांगा जो थाने के सिपाहियों द्वारा दिया गया। उसके पश्चात् महावीर सिंह शराब के ठेकेदार की जीप मंगाकर थाना स्टाफ ने दलबीर सिंह को अस्पताल भेजा जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना पर अभियोग संख्या 34/96, दफा 302, 341, 342, 323, 334 आई.पी.सी. दिनांक 27-1-96 को दर्ज किया गया। इस प्रकरण का अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. क्राइम द्वारा किया जा रहा है। एस. एच. ओ. ए एस. आई एवं कांस्टेबल को निलम्बित किया गया है तथा अन्य स्टाफ का स्थानान्तरण थाना मकराना से किया गया है। इस प्रकरण में तीन व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

उपरोक्त तीन पुलिस कर्मचारियों की गिरफ्तारी के आदेश दे दिये गये हैं। श्री दलबीरसिंह की मृत्यु के प्रकरण की जांच एस. डी. एम. परबतसर द्वारा भी

(श्री कैलाश मेघवाल)

जाप्ता फौजदारी की धारा 176 के अन्तर्गत की जा रही है। मृतक दलबीर सिंह के परिवारजनों की सहायतार्थ 50,000 रुपये दिये गये हैं। श्री दलबीर सिंह की मृत्यु के मामले को लेकर दिनांक 27-1-96 को मकराना कस्बे में तनाव हो गया। घटना की सूचना मिलते ही नागौर से जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक मकराना थाने पर पहुंचे। करीब 800 से 1000 व्यक्तियों की उग्र भीड़ ने थाने को घेर लिया तथा भारी पथराव किया। पथराव के कारण थाने पर उपस्थित दो कांस्टेबल घायल हो गये। उग्र भीड़ को नियन्त्रण में रखने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया गया। भीड़ ने पथराव कर सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया एवं ए. सी. एम. के भी चोटें आयीं। लाठी चार्ज से भीड़ तितर-बितर नहीं हुई। अतः चेतावनी दी जाकर हवा में फायरिंग करवायी गयी। भीड़ पीछे हटी लेकिन दुबारा अत्यन्त उग्र होकर सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा उपस्थित कर्मचारियों पर हमला करने की गरज से थाने पर आक्रमण करती रही। जिससे जिलाधीश, पुलिस अधिक्षक, वृत्ताधिकारी एवं ए. सी. एम., मकराना सहित 17 अधिकारयों व कर्मचारियों के चोटें आयीं। थानाधिकारी गच्छीपुरा की जीप को कोई अज्ञात प्रदर्शनकारी लेकर चला गया। उग्र अनियंत्रित प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए सक्षम अधिकारियों से आदेश प्राप्त कर प्रभावी फायरिंग की गयी जिससे 4 व्यक्ति घायल हुए जिनको मकराना चिकित्सालय में उपचार के बाद अजमेर चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया जिनमें श्री सोहनसिंह राजपूत, निवासी मकराना की मृत्यु हो चुकी है। इसके अतिरिक्त 7 व्यक्ति और घायल हुए जिनका मकराना अस्पताल में उपचार किया गया है।

इस घटना पर अभियोग संख्या 33/96 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 336, 307, 353, 332, 427, 152 आई. पी. सी. व धारा 3 पी. डी. पी. पी. एक्ट दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त दो रोड़वेज की बसों को क्षतिग्रस्त करने के लिए दो अभियोग और दर्ज किये गये। पुलिस फायरिंग की घटना की जांच श्री राजीव शर्मा, सदस्य, राजस्व मण्डल द्वारा करायी गयी। जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार को दिनांक 2-3-96 को प्रस्तुत किया गया है। जांच के अनुसार परिस्थितियों को देखते हुए फायरिंग को उचित पाया गया है।

सुकेत में पुलिस फायरिंग

दिनांक 18-2-96 को श्री कंवरलाल माली ने थाना सुकेत पर रिपोर्ट दी कि उसके खेत पर रखी बैलगाड़ी को जला दिया गया तथा पपीते के पेड़ को काट कर नुकसान कर दिया। इस पर अभियोग संख्या 46/96 धारा 435, 427, 447 ताजीराते हिन्द पंजीबद्ध कर थानाधिकारी द्वारा अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दिनांक 18-2-96 को ही खाजू तथा भैरूंलाल माली को पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया गया था। तफतीश के बाद दोनों व्यक्तियों को रूखसत कर दिया गया था।

(श्री कैलाश मेघवाल)

दिनांक 19-2-96 को प्रातः 10.15 बजे थानाधिकारी सुकेत को प्रथम सूचना प्राप्त हुई कि खाजू की पुलिस द्वारा कथित पिटाई के विरोध पन्द्रह सौ, दो हजार लोगों की भीड़ सुकेत बस स्टेण्ड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर चक्काजाम कर रही है तथा खाजू को एक ठेले पर सुला रखा है। जिस पर थानाधिकारी सुकेत बस स्टैण्ड पर पहुंचे। भीड़ ने पुलिस जाब्ते को देखकर नारेबाजी शुरु कर दी। सड़क के दोनों ओर अनेक वाहन खड़े थे एवं आवागमन अवरुद्ध कर रखा था। थानाधिकारी ने पुलिस जाब्ते के साथ लोगों को समझाइश करने की कोशिश की व राजमार्ग खोलने के लिए कहा तो भीड़ और अधिक उत्तेजित हो गयी एवं नारेबाजी करती हुई पथराव करने लगी। पथराव से जीप का आगे का शीशा टूट गया। जाब्ते की कमी होने से थानाधिकारी वापस थाने पर आये तो वापसी के समय उसकी जीप पर किसी ने पीछे से फायर किया किन्तु इससे कोई हताहत नहीं हुआ। थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि उग्र भीड़ बस स्टैण्ड सुकेत के पास वाहनों को आग लगाने का प्रयास कर रही है। जिस पर थानाधिकारी, सुकेत उपलब्ध जाब्ते के साथ तुरन्त वापस गये। भीड़ पहले से भी और अधिक उग्र हो गयी थी तथा हिंसा पर उतारू थी। जिसमें से अनेक के पास लाठियां व अन्य हथियार थे। थानाधिकारी ने उग्र भीड़ को समझाने का प्रयास किया किन्तु हिंसा पर उतारू भीड़ ने पुलिस कर्मचारियों पर पथराव शुरू कर दिया। थानाधिकारी एवं अन्य पुलिसकर्मी भीड़ को समझाने आगे बढ़े जिस दौरान भीड़ ने गिरधारीलाल, हैड कांस्टेबल व दयासिंह, हैड कांस्टेबल आर. ए. सी को पकड़ कर अपनी ओर खींच लिया व मारपीट करने लगे। अमरसिंह कांस्टेबल, 152 की राइफल छीन ली व उसके बट्स से उसे मारा जिससे उसके खून बहने लग गया। उग्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवाई फायर करवाये किन्तु फिर भी भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ तो पुलिस बल ने कारगर फायरिंग की जिससे भीड़ तितर-बितर होने लगी। कुछेक क्षण बाद एक ट्रक नम्बर जी. जे. 9 डी. 5545 भीड़ में से पुलिस पार्टी की ओर कुचलने के लिए बढ़ा। इस ट्रक जो रोकने का कोई रास्ता नहीं होने से इस ट्रक पर भी पुलिस बल ने फायरिंग की जिससे इस ट्रक के शीशे के नीचे गोली लगी। पुलिस की इस फायरिंग के बाद ट्रक वहीं रुक गया तथा ट्रक में बैठे लोग भाग गये एवं भीड़ छंट गयी। पुलिस द्वारा कुल 40 राउण्ड फायर किये गये। घटना के सम्बन्ध में मुकदमा नम्बर 47/96 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 307 भारतीय दण्ड संहिता, थाना सुकेत में दर्ज किया गया, जिसका अनुसंधान अपर पुलिस अधीक्षक, कोटा (ग्रामीण) द्वारा जारी है। दिनांक 19-2-96 को पुलिस द्वारा की गयी फायरिंग में 4 व्यक्ति घायल हुए थे जिन्हें पहले झालावाड़ में तथा बाद में कोटा राजकीय चिकित्सालय में भरती कराया गया। दिनांक 25-2-96 को घायल तनवीर को इलाज हेतु एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर भेजा गया। इस घटना में 9 पुलिस कर्मचारियों के पथराव, लाठियों आदि से चोटें आयीं जिनमें से

(श्री कैलाश मेघवाल)

3 कर्मचारियों के गम्भीर चोटें आयी हैं जो अभी भी भवानी मंडी राजकीय अस्पताल में भर्ती है। फायरिंग की घटना की जांच ए. डी. एम. कोटा द्वारा की जा रही है। थानाधिकारी, सुकेत का स्थानान्तरण कोटा रेंज से बाहर कर दिया गया है।

मांडवी ग्राम उदयपुर में पुलिस फायरिंग

दिनांक 25-2-96 को ग्राम मांडवी, थाना धरियावद, जिला उदयपुर में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की घटना।

दिनांक 11-2-96 को श्री नाथिया मीणा ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि उसकी पुत्रवधू को शादी के बहाने रायपुर बुला लिया। जाते समय वह एक किलो की कड़ी व एक किलो चांदी के जेवरात आदि ले गयी। कुछ समय बाद श्रीमती जमनी को लेने गये तो जमनी के भाई व अन्य व्यक्तियों द्वारा उसे कालिया निवासी मानसिंह के नाते रखने की बात प्रकाश में आयी। उपरोक्त रिपोर्ट पर अपराध संख्या 29/96, धारा 366/380 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत थाना धरियावाद पर दर्ज कर अन्वेषण प्रारम्भ किया गया।

दिनांक 12-2-96 को श्री केशूलाल मीणा निवासी मानपुर कलां ने थाना झालरा में जिला पुलिस अधीक्षक को परिवाद प्रस्तुत किया कि उसके गांव के लड़के ने मांडवी की लड़की से स्वेच्छा से नाता किया था। जाति रिवाज के अनुसार मांडवी वाले झगड़े की मुंहमांगी रकम वसूल करने के लिए उसके भाई लालू को दिनांक 15-1-96 को धरियावाद से आते समय अपहरण कर ले गये व मांडवी में बन्द कर दिया। ये लोग लालू को छोड़ने के बदले सवा लाख रुपये की फिरौती मांग रहे थे। गांव वालों ने वार्ता की तो लालू को नहीं छोड़ा व बन्द करके रखा है, उसे आजाद कराया जावे।

उपरोक्त रिपोर्ट पर अपराध संख्या 40/96 धारा 365, 344 भारतीय दण्ड संहिता, पुलिस स्टेशन, धरियावाद पर पंजीबद्ध कर अन्वेषण प्रारम्भ किया गया। अपहृत लालूराम को आजाद कराने हेतु दिनांक 25-2-96 को वृत्ताधिकारी, धरियावाद के नेतृत्व में पुलिस बल मांडवी के लिये गया। गांव में वाहन जाने का रास्ता नहीं होने से पुलिस वाहनों को गांव से दो किलोमीटर दूर खड़े कर पुलिस बल की पार्टियां बनाकर गांव में पालिया उर्फ खोलिया मीणा के घर को घेर कर लालू को रिहा करने की चेतावनी दी गयी तथा काना गुढ़ा पंच को समझाकर अपहृत को छुड़ाने हेतु समझाइश करने व अभियुक्तों और पुलिस के बीच मध्यस्थता करने हेतु कहा। परन्तु उसने हो-हल्ला कर व नंगाड़ा बजाकर करीब एक हजार व्यक्तियों को एकत्रित कर लिया। एकत्रित ग्रामवासियों सभी गोफन, लाठियों, धारियों व तलवारों से सुसज्जित थे जिन्होंने पुलिस कार्यवाही का विरोध किया एवं क्रुद्ध भीड़ द्वारा गोफनों से भारी पथराव किया गया। जिसके फलस्वरूप कई पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चोटें आयीं। पुलिस बल आत्म-रक्षा हेतु धीरे-धीरे पीछे खिसकता रहा पर भीड़ आगे बढ़ती हुई हमलावर

(श्री कैलाश मेघवाल)

होती गयी। आत्म रक्षा का कोई विकल्प नहीं होने के कारण घटनास्थल पर उपस्थित पुलिस उप अधीक्षक के आदेश से पुलिस ने हवा में फायर किये तथा पीछे खिसकते हुए अपने वाहनों के पास पहुंच कर वापस आ गये।

पुलिस बल पर किये गये प्राणघातक हमले के सम्बन्ध में अपराध संख्या 45/96 धारा 147, 148, 149, 307, 332, 353 भारतीय दण्ड सहिता के अन्तर्गत थाना धरियावद पर पंजीबद्ध किया जाकर अन्वेषण किया जा रहा है। दिनांक 25-2-96 को श्री नाथू निवासी मांडवी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर आरोपित किया कि उसके भाई ओंकारिया मीणा की पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की घटना में मृत्यु हो गयी, उसके परिजनों को उचित मुआवजा दिलाया जाय। उक्त रिपोर्ट पर मर्ग संख्या 5/96, धारा 174, जा. फौ. के अन्तर्गत जांच प्रारम्भ कर मृतक का मेडिकल बोर्ड द्वारा शव परीक्षण कराया गया। जिससे प्रकट हुआ कि मृतक के सिर में चोटें आने के कारण मृत्यु हुई है। मृतक के शरीर से कोई भी गोली बरामद नहीं हुई और न ही गोली की चोट आना पाया गया। इस प्रकरण में दिनांक 6-3-96 को एक अभियोग संख्या 52/96, अंतर्गत धारा 302, आई. पी. सी. पुलिस थाना धरियावद में पांच गांव वालों के विरूद्ध दर्ज किया गया है। अपहृत व्यक्ति लालू इस घटना के बाद छूटकर वापस आ गया। मृत ओंकारिया के परिजनों को 10 हजार रुपये सहायतार्थ दिये गये हैं।

राज्य में पुलिस हिरासत में मृत्यु की घटनाएं

राज्य में पुलिस हिरासत में मृत्यु की 1995 में तीन और 1996 में एक घटना हुई हैं। राज्य सरकार पुलिस हिरासत में मृत्यु के प्रकरणों को अत्यन्त गम्भीर मानती है। समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा और महानिदेशक पुलिस, द्वारा भी विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। ऐसे समस्त प्रकरणों में सी. आई. डी. अपराध शाखा द्वारा अन्वेषण करने के निर्देश पुलिस महानिदेशक ने दिनांक 22-7-92 को दिये हैं। दिनांक 27-5-94 और 20-7-94 को राज्य सरकार ने पुलिस हिरासत में किसी भी व्यक्ति को थाने में लाने और उसको हिरासत में रखने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किये हुए हैं। इसके अतिरिक्त हर स्तर पर बैठकों में सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को इस विषय पर उचित निर्देश दिये जाते हैं। जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत सब प्रकरणों में उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा जांच अलग से की जाती है। इस विषय पर विधान सभा में माह नवम्बर, 1995 में भी चर्चा हुई थी और उस चर्चा के दौरान यह निर्देश दिये थे कि थाने में मृत्यु के प्रकरण की जांच स्वयं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सी.आई. डी. अपराध शाखा अपने स्तर पर देखेंगे। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया था कि पुलिस हिरासत में मृत्यु के प्रत्येक मामले में यदि पुलिस दोषी है तो मृतक के सम्बन्धी को 50 हजार रुपये की सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी। 1995 में जो तीन

(श्री कैलाश मेघवाल)

प्रकरण हुए उनमें से एक प्रकरण आतंकवादी गुरजंटसिंह द्वारा आत्महत्या का है एवं दो प्रकरणों में लगभग अनुसंधान पूर्ण कर लिया गया है। 1996 की घटना का अनुसंधान भी लगभग पूर्ण हो चुका है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने सबसे पहले दिया है। अध्यक्ष महोदय, बिन्जोर प्रकरण में अपनी पुलिस का तो इसमें कोई दोष है ही नहीं चूंकि यह घटना अपनी सीमा में हुई है इसलिए मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। बी.एस.एफ. ने जो आपको सूचना दी है उसके अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उग्रवादियों को भारत में प्रवेश कराने हेतु पीछे पाकिस्तान के रेंजर्स या पाकिस्तान की फौज, जैसी स्थिति हो, वह रहती है, फिर आपस में अंधाधुन्ध फायरिंग होती है। जब अपने सिपाही फायरिंग में लगे होते हैं उस वक्त उग्रवादी अपनी सीमा में प्रवेश कर जाते हैं वह की वही स्थिति बी. एस एफ. ने अपने यहां होना बताया है। लेकिन स्थिति का यदि आप अध्ययन करें तो जैसा कि गृहमन्त्री जी और मुख्य मन्त्री जी को मालूम है, आजकल अपने तारबन्दी करने के बाद में पाकिस्तान ने भी अपने रिजर्व को या बोर्डर की जो फोर्स है उसको अपने बिलकुल आमने सामने ला दिया है और कई जगह फाटकें लगी हुई है जहां पर आपस में मिलते हैं यह अधिकारीगण, जीरो लाइन पर मिलते हैं। तो मुझे जहां तक सूचना है बिन्जोर में जो अपने फाटक हैं और उसके सामने 50 गज पर पाकिस्तान का भी फाटक है। कहा यह गया कि रात को 8 बजे कुछ लोग आये और पीछे से फायरिंग कर रहे थे। यानि आतंकवादी क्या इतने बेवकूफ है कि जहां अपना फाटक लगा हुआ है और जहां अपने पहरेदार खड़े हुए हैं वहां प्रवेश करेंगे? आतंकवादियों में भी कौन है? 48 तो बच्चे हैं। तो बच्चे कोई आतंकवादी हैं और वह प्रवेश करना चाहेंगे आतंकवादियों के रूप में? 16 उनमें से महिलाएं हैं। महिलाएं कोई आतंकवादी होती हैं? ज्यादा से ज्यादा 19 पुरुष हैं तो उनकी भी जाच की जा सकती थी पकड़ करके उसी जगह पर कि यह आतंकवादी हैं या नहीं हैं। अगर पाकिस्तान वालों की, मानलो नीयत खराब थी, यह सब हिन्दू थे, नायक जाति के थे, वहां उत्पीड़ित थे, अपने आपको सेफ नहीं मानते थे इसलिए भारत में आना चाहते थे तो उन्होंने इन पाकिस्तानी रेंजर्स को राजी किया होगा किसी तरह से कि साहब, हम इस देश को छोड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने इनको आगे कर दिया। तो आगे जब औरतें, बच्चे और यह बीच में आ गये थे तो आप बहुत से फौज में रहे हुए हैं, यदि ज्यादा कैजुअल्टी हो जाती है या ऐसी स्थिति बन जाती है तो युद्ध में भी क्रास वाला झंडा या सफेद झण्डा ले करके कोई जाता है तो फायरिंग आमतौर से रोक देते हैं, अगर निर्णायक युद्ध नहीं हो रहा हो तो उनको उठाने की या उनको सुविधा दी जाती है कि इनको उठा लो या हटा लो या इनको यहां से सुरक्षित जाने दो, अगर सिविलियन बीच में आ गये हैं तो। तो उस तरह की परम्परा रही है। जब 50 मीटर या 50 गज की दूरी पर वह है और जीरो लाइन वहां से

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

सामने दीखती है और लाइटें लगी हुई हैं तो यह बच्चे हैं, यह औरतें हैं यह भी भेद नहीं कर सकते थे ? मान लीजिए उन्होंने मूर्खतावश फायरिंग किया तो इनका कोई आपस में इशारा होगा कि अपन बैठ करके बात कर लें कि मामला क्या है। खैर, कलक्टर भी मौके पर गये और वह गये। भारत ने एक करोड़ बंगलादेशियों को तो शरण दे दी एक साल के लिए भारत में और लाखों लोग बंगलादेशी आज भी भारत में रह रहे हैं। पाकिस्तान से बहुत से लोग आये हैं, परमिट पर आये, वीसा पर आये और वह सब समय बीत गया और हजारों यहां पर विद्यमान हैं। खैर, आप इनको नागरिता नहीं देते शरणार्थी नहीं मानते, आपकी जेलों में भी इन आदमियों को रखने की जगह नहीं है क्या भारत जैसे महान देश में ? इस तरह का एक काण्ड हुआ और बताया यह जा रहा है कि पीछे से पाकिस्तान फायरिंग कर रहा था और प्रवेश जैसे आतंकवादियों को करा रहा था। यह सब मिथ्या कहानी है। एक मानवीय तरीके से इस समस्या पर अपने को विचार करना चाहिए। शरणागत को तो हमने हमेशा शरण दी है। रणथम्भौर के किले हैं अलाउद्दीन खिलजी के दो सरदार थे, उनको हमीर ने शरण दे दी थी। अलाउद्दीन ने हमला किया। हमला विफल हो गया। वह वापस जाने लगा तो मुसलमानों ने कहा कि साहब, आप इतनी आफत क्यों मोल ले रहे हो, आप उनको सुपुर्द कर दो अलाउद्दीन को आपके ऊपर यह कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम जौहर करके मर जायेंगे लेकिन शरणागत आये हुए को हम नहीं सौंप सकते। तो शरणागत आये हुए से आपने यह व्यवहार किया ? मैं समझता हूं, यह देश की हमारी परम्परा रही है और यह इस तरह का काण्ड किया खैर, यह बात है, आप आगे बात करो। यह सब मिथ्या गढ़ी-गढ़ाई कहानी है, मैं आपको बता दूं।

(13.47)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

दूसरा है सुकेत की और दूसरी फायरिंग की घटना। यह मैं आपको बता दूं कि काफी हमारे मुख्य सचेतक जी का, सदन के नेता का और एक दो माननीय सदस्यों का 40-40 साल से इससे सम्बन्ध रहा है। पुलिस की आलोचना होती रही है। बहुत सी गलतियां पुलिस करती है। मैंने भी आलोचना की होगी लेकिन जब कभी भी मैंने भाषण दिया है तो दो शब्द मैंने राजस्थान की पुलिस की तारीफ में जरुर कहे होंगे। कोई भी भाषण आप उठाकर देख लें। सुकेत वाले में गोलियां कितनी चलाई हैं थानेदार ने ?

श्री कैलाश मेघवाल : 40

श्री पूनमचन्द विश्नोई : 40 तो बताई हैं, 150 गोलियां चलाई हैं। जनाब, यह समझियेगा कि मानव देह है, यह ईश्वर की श्रेष्ठतम कृति है। 84 लाख यौनि बताई जाती हैं शास्त्रों में, जिसमें मोक्ष और मुक्ति केवल मानव शरीर के माध्यम से ही मिलती है : जिसे पुलिस को मैं कई

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

दफा लोगों की नाराजगी लेकर भी तारीफ करता आया हूं वह आजकल जिस तरीके का मनुष्य के साथ व्यवहार करती है, हमारी पुलिस के बहुत वरिष्ठ अधिकारी हमारे क्लासफेलो थे, मित्र थे, 4-5 डी.जी. भी मेरे क्लासफेलो रहे हैं राजस्थान के, यह काक, भवानीमल जी, बजरंगलालजी आदि, मैंने उनको पूछा कि आप तो इग्लैण्ड से ट्रेनिंग करके आये तो उन्होंने यह बताया कि अगर कोई पका पकाया अपराधी है तो उसका तो इलाज एक डंडा ही है। मैंने कहा कि वहां वाली पुलिस क्या करती है, तो कहा कि आखिर आश्रय वो इसका ही लेती है लेकिन बहुत ही इज्जत का व्यवहार करती हैं, यह मैं आपको बता दूं। यहां जाते ही ढोरों की तरह पीटने लगते हैं। भारत एक गणतन्त्र देश है और उसमें इस तरह का व्यवहार किया जाता है और निर्दयता से गोलियां चलाई जाती हैं। कौनसा पाकिस्तान का हमला हो रहा था? क्या कर लेते वह? तो यह इस तरह का व्यवहार शोभनीय नहीं है, हमारे लिए यह अच्छा नहीं है।

(14.00)

अंग्रेजों ने कांड कराया एक बड़ा अमृतसर में... जलियां वाला कांड।

श्री उपाध्यक्ष : इस वक्तव्य के बाद आप सवाल पूछें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एक मिनट कह रहे हैं चर्चा कर रहे हैं ढंग से ऐसा है, साहब जब डायर ने चलाया तो वो तो साम्राज्यवादी थे ब्रिटेन वाले, लेकिन आई.सी.एस. हिन्दुस्तानी अफसरों ने कहा है कि जब जलियांवाला का फायरिंग कर दिया तो उसके बाद में किसी अंग्रेज अफसर के मुंह में क्लबों में अत्यन्त खुशियां हुआ करती थी वो नहीं दिखी और जो कमीशन अपाइंट किया उस कमीशन का कहना था कि डायर ने यह बात साबित करने की कोशिश की कि हम बलशाली हैं, हम ताकतवर हैं इसलिए हमारा राज चलता है। अंग्रेजों का एक मिशन था, खैर, मिशन तो था जो ही था लेकिन उसने कभी यह नहीं किया कि हमारी सत्ता का आधार केवल सैनिक शक्ति है। यह आधार नहीं है। हमारा मौरल, हमारी नैतिकता ऐसी थी और हमारा एक मिशन था उसके अनुसार हम चला रहे थे वो अधिकार हमने गंवा दिया इसलिए हम राज करने लायक नहीं रहे हैं। ऐसी मेरी प्रार्थना है आपसे, निवेदन है कि पुलिस को कहिये कि संयम बरते....

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन वर्मा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एक सैकिण्ड और लूंगा। यहां एक अंग्रेजों का डेलीगेशन आया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट का उस वक्त मैं अध्यक्ष था। उससे मैंने पूछा कि आपके वहां भ्रष्टाचार है क्या, पुलिस में? तो एकदम वो खड़ा हो गया कि नहीं-नहीं, भ्रष्टाचार की बात हमारी पुलिस के लिए मत कहिये। इतना आदर भाव है उनके अन्दर। वह आदर भाव अपनी पुलिस को भी उतना नहीं तो कुछ तो आदर भाव पब्लिक से प्राप्त करना चाहिये। दुर्भाग्य

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

समझिये किसी का अगर पुलिस का बुलावा आ गया तो जैसे कोई यमराज के यहां से बुलावा आ गया, यही मनोवृत्ति बनती जा रही है इस देश के अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया सवाल पूछें, वक्तव्य न दें।

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मण्डी) : उपाध्यक्ष महोदय, सुकेत का गोली कांड जो है, 18-2-96 को एक साधारण से केस की रिपोर्ट कराई और रिपोर्ट में यह बताया कि खाजू नाम के भैरू नाम के लड़के ने पेड़ काट लिया और बैलगाड़ी में आग लगाई। उसी प्रकरण को लेकर अकेले उस खाजू की इतनी जोरदार पिटाई की कि वह खड़ा होने लायक ही नहीं रहा और जब उसको वहां से भगा दिया तो उसके परिवार वाले, उसकी मां और उसका भाई ठेले में डालकर अस्पताल ले जाने लगे तो आम जनता ने उनको रोका कि हमें तो बतलाओ कि क्या हुआ। उसी बात की भीड़ इकट्ठी हो गयी और यह कहा कि निर्ममतापूर्वक पिटाई पुलिस ने जो की है तो इससे इसकी न्यायिक जांच की बात करेंगे, उनसे इस बात का हिसाब मांगेंगे कि क्या आज भी अंग्रेजों का राज कायम है, क्यों इस प्रकार की पिटाई की गयी। कितना बड़ा जुर्म था। उस बात को लेकर जब वह भीड़ इकट्ठी हुई और उसको झालावाड़ अस्पताल ले जाना चाहते थे इलाज के लिए तो थाना प्रभारी वहां आये और आते ही वापस लौट गये और दुबारा जीप में 5-7 पुलिस वालों को भरकर मय राइफलों के आये और आते ही अंधाधुन्ध गोलियां चलाना चालू कर दिया। आखिरकार जुर्म क्या था? आखिर भीड़ इकट्ठी भी है, चौपड़ पर भी भीड़ है, आप गोलियां चलाकर दिखायें। भीड़ का कोई कारण तो होगा। और इतना ही आपस में डिस्टेंस था कि अगर विधान सभा पर थाना है और चौपड़ जैसे चौराहे पर आम जनता उसको लेकर खड़ी थी। उस भीड़ के अन्दर उन्होंने अन्धाधुन्ध डेढ़ सो राउन्ड गोलियों के चलाये। चार आदमियों के गोली लगीं। सलीम के पेट में लगी, शब्बीर के कूल्हे पर लगी। इसी प्रकार से एक के हाथ में लगी और एक के बायें पेट की साइड में गोली लगी। गोली उन्होंने थ्री नोट थ्री की चलाई।

मैं यह कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेता महोदय यहां पर बिराजमान हैं, वे हमेशा इस सदन में इन गोलियों के प्रकरण को उठाते रहे हैं और हमेशा उन्होंने इस बात की मांग की कि न्यायिक जांच हो, उसको बरखास्त करो, वही बात आम जनता की ओर से कहना चाहता हूं। 19 तारीख को मैं जब इस विधान सभा के अन्दर आया तो मुझे यहां पर सूचना मिली कि पुलिस का गोलीकांड सुकेत थाने में हो गया। यह सुनते ही मैं भाग करके पहुंचा। इस प्रकरण में गांव के साथ कारण क्या हुआ, वहां के थानाधिकारी ने ऐसा वातावरण बना दिया था आने-जाने वालों को मुर्गा बना देना, किसी ड्राइवर की गाड़ी की चाबी निकाल लेना, मजदूरों को ट्रक से नीचे उतार देना, एक दूसरे लोगों को कहना कि एक थप्पड़ तू इसके लगा, एक इसके लगा। ऐसा वातावरण

(श्री रामकिशन वर्मा)

बना देना, उस खनन क्षेत्र में जो लाखों रुपये की रायल्टी राज्य सरकार को देते हैं कभी कोई ऐसा प्रकरण नहीं हुआ जिसके अन्दर कोई आतंकवाद हो, जिसमें कोई बलात्कार हो, जिसमें कोई डकैती हो।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। श्री नरेन्द्रसिंह भाटी।

श्री रामकिशन वर्मा : मेरा यह बड़े महत्व का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज अगर यह शासन माननीय कल्याणसिंह जी भूतपूर्व मुख्य मंत्री का होता जो उत्तर प्रदेश के हैं, तो मुझे कोई बात नहीं कहनी थी....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री रामकिशन वर्मा : या खुराना जी का होता तो मुझे कोई बात नहीं कहनी थी या केशुभाई, गुजरात के मुख्य मंत्री का होता तो मुझे कोई बात नहीं कहनी थी....

श्री उपाध्यक्ष : श्री नरेन्द्रसिंह भाटी।

श्री रामकिशन वर्मा : परन्तु संवेदनशील मुख्य मंत्री यहां पर बिराजमान है, मैं उन्हीं से यह निवेदन करूंगा, उन्हीं पर छोड़ना चाहूंगा कि आप इसका ऐसा निर्णय करें कि लोगों के घाव भी भर जायें, भविष्य में दुर्घटनाएं न घटें। समय-समय पर इन थानाधिकारियों की शिकायत उच्चाधिकारियों से मैं भी करता रहा हूं, जनता भी करती रही है। और अगर उस वक्त यह संवेदनशील बनकर काम करते तो थानाधिकारियों का यह दुस्साहस नहीं होता, इस तरह का वातावरण नहीं बनाते।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये।

श्री रामकिशन वर्मा : मेरा आपसे निवेदन है कि जिनको गोलियां लगी हैं उनको एक-एक लाख रुपये मुआवजा दिलाया जाय, इसकी न्यायिक जांच करवाई जाय और लोगों को विश्वास में लें भविष्य में राजस्थान के किसी कोने में यह घटना न घटें। ऐसा हमारा आपसे विश्वास दिलाने का निवेदन है। धन्यवाद।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : उपाध्यक्ष महोदय, असेम्बली सेशन शुरू हुआ उसके पहले भी कुछ डेलीगेशन मेरे पास आये थे और जो भी मकराना में हुआ, गृह मंत्री जी, आपको और आपके मुख्य मंत्री जी को मैं अर्ज करना चाहूंगा कि बुरा हुआ। पुलिस डिपार्टमेंट के साथ थोड़ी हमदर्दी भी है क्योंकि आई. पी. एस. से सम्बन्ध रखता आया हूं मैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को अर्ज करना चाहता हूं कि उनको मुख्य मंत्री पद झेलने के बाद थोड़ी भूमिका बदलनी पड़ेगी। जब यहां बिराजमान होते थे उस हिसाब से इनकी प्रवृत्ति है और यह आलोचना के हिसाब से न लें। अपोजिशन जब होता है तो इनको थोड़ा अच्छा लगता नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से डिपार्टमेंटल आफिसर्स को गवर्नमेंट को काउ डाउन करके और जैसे ब्लैक मेल करते थे और पीछे उन आफिसर्स को ठेठ एक चरम सीमा पर लाकर ऐसे कांफ्रेंस में लेते थे भले ही वह आदर्श किशोर सक्सैना

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

का केस हो अलवर कांड मे, इतने उदाहरण हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह नीति ठीक नहीं है। आप तो इतने अनुभवी हैं, आपका कान्ट्रीब्यूशन जबरदस्त रहा है इस सदन में और बाहर भी। लेकिन आफिसर्स को अब चूंकि आप मुख्य मंत्री बन गये हैं तो आप कितना और प्रोटेक्शन देवें कि जो स्थिति थाने में हुई है, मकराना की जनता नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, करीब-करीब पूरे राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि दलबीर सिंह की डैथ थाने में हुई थी ? आप अभी फरमायेंगे की प्रश्न पूछो। थोड़ी भूमिका इसलिए बता रहा हूं कि मेरा प्रश्न यही होगा सरकार से।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें आपकी परम्परा और नियमों की अवहेलना कर रहे हैं आप।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय सब्जेक्ट ऐसा है। अब आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा, मेरे को क्या है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, केस दर्ज की बात नहीं है। आप ढाई साल से सरकार चला रहे हैं। मैं तो चाहूंगा कि आप ढाई साल और रहें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपके चाहने से क्या होता है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नहीं बड़े विश्नोई साहब, जिस हिसाब से कांग्रेस इनको प्रोटेक्शन दे रही है उस मुताबिक तो यह ढाई साल और रहेंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ढाई साल के बाद एक अदृश्य दीवार सामने आ जाती है जो दिखती नहीं है लेकिन टक्कर मार देती है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इस सब्जेक्ट को अपन डाइल्यूट न करें। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, अब आपको और सुनाऊंगा तो यह सब्जेक्ट डाइल्यूट होगा। मैं बहुत गंभीरता से अर्ज करना चाह रहा हूं आपके माध्यम से इस सरकार को और खासकर के मुख्य मंत्रीजी को कि....

इस ढाई साल के बचे हुए समय में मेहरबानी करके कुछ ऐसे उदाहरण छोड़कर जायें जिससे कि उधर के और इधर के लोग भी उस पद पर कभी न कभी बैठेंगे और ओवर प्रोटेक्शन आप कोई भी फोर्स हो, मैं तो कह रहा हूं कि आप इस सदन को भी मत दीजिये। अगर हम गलती करते हैं तो डेफिनेटली आप पैनेलाइज करिये, आपके पास हक है। लेकिन एक दलबीरसिंह की डैथ पूरी दुनिया जानती है कि पुलिस थाने में हुई है। अब उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ यह आपसे छाना नहीं है, गृह मंत्रीजी और सरकार से भी छाना नहीं है। अब गोलीकांड भी हुआ। कलक्टर ने कह दिया कि गोली मत चलाओ, गोली चल गयी और उसके बाद में जिस हिसाब से आपने उन लोगों के खिलाफ, जो कि इस हादसे में घायल हुए जिसमें सोनूसिंह मारा गया, उनके खिलाफ चुन-चुनकर के केसेज दर्ज कर दिये। होगा क्या ? होगा यही कि केस और क्रास केस ने कोर्ट में जाकर यह चीज इतनी डाइल्यूट होगी लेकिन आप यह एक उदाहरण छोड़कर जा रहे हैं। गृह मंत्रीजी, उम्मीद आपसे मुझे बहुत है।

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

मुख्य मंत्रीजी चूंकि पुलिस डिपार्टमेंट में यह रह चुके हैं, इनसे कोई चीज छिपी हुई नहीं है। एक तरफ आप बयान देते जा रहे हो कि थाने में अगर डैथ होगी, पुलिस कस्टडी में डैथ होगी तो हम 50 हजार देंगे एक लाख देंगे। इन छोटी घोषणाओं का क्या मतलब है ? मेहरबानी करके प्रोटेक्शन न दें। मेरा प्रश्न आपसे यही है कि दलबीर सिंह की थाने में डैथ हुई या नहीं हुई ?

नम्बर दो, क्या कलक्टर आदेश के खिलाफ, कलक्टर के सजेशन के खिलाफ गोलीकांड और अश्रु गैस चली या नहीं चली ? यह दो प्रश्न हैं। उसके बाद में यह जो क्रास केसेज दर्ज कराये गये हैं वह सही हैं या नहीं हैं ? इन तीनों बिन्दुओं पर आप मुझे सूचना दें। माननीय गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी, मेहरबानी करके यह सजेशंस दिये हैं इनको गम्भीरता से लें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष जी, आपके आसन पर बिराजने से पहले यही आशंका मुझे थी और इसलिए मैंने आसन से निवेदन किया था कि क्या हमको इन विषयों पर बात कहने का अवसर मिलेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष जी ने यही कहा था, प्रश्न ही नहीं आप लोग इन पर अपनी बात कह सकते हो। इसलिए मैं दोनों बातों को मिलाते हुए नियमों का पालन भी कर लूंगा और थोड़ी सी बात भी कहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने 26 जनवरी को सवाई मानसिंह स्टेडियम पर हादसा हुआ उसके सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव दिया था। माननीय गृह मंत्रीजी ने एक स्टेटमेंट दिया। मेरे ख्याल से वह खुद भी उस स्टेटमेंट से संतुष्ट नहीं है और सदन भी संतुष्ट नहीं है। मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा। जब से मिर्धा अपहरण कांड हुआ था, हमारे मुख्य मंत्रीजी के बराबर समाचार आ रहे थे कि आतंकवादियों की की हिट लिस्ट है। मैं चाहता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी हिट लिस्ट में वह नहीं हों। लेकिन एक इस प्रकार का वातावरण बना था, अखबारों में खबर आ रही थी। हमारे गवर्नर साहब वहां उपस्थित होने वाले थे, झंडा फहराने वाले थे। कोई मामूली आकेजन नहीं था। यह एक ऐसा राष्ट्रीय पर्व था जहां मुख्य मंत्री हों, गवर्नर हों, हमारे मंत्रिमण्डल के सदस्य हों, विधान सभा के सभी सम्माननीय सदस्य हों, और पूरे राजस्थान की टीम, जो प्रशासन की है वह वहां हो और उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी हिफाजत के लिए हमारी पुलिस इतनी घपलत बरत ले, यह किसी के लिए सहन की बात नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा, भगवान का शुक्र है कि थोड़ी देर पहले वह हादसा हो गया। एक घंटे का फर्क था। हम कल्पना करें उस हादसे की कि जब प्रोग्राम शुरू होता उस वक्त यदि हादसा होता तो आज हम कहां होते, कहां हम अपना मुंह जनता को दिखाते और कहां भारत की जनता को हम अपना मुंह दिखाते माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा कि एक एडीशनल एस.पी. और डी.वाई.एस.पी. को और उससे नीचे के अधिकारियों को हमने सस्पेण्ड किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह स्थान, वह आकेजन, वह

108

(श्री शिवनाथ सिंह)

उत्सव इस स्थिति का था कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ एक एडीशनल एस. पी. पर डाल दी जाय, वहां के सिपाही पर डाल दी जाय, वहा के सी.आई पर डाल दी जाय ? नहीं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह आकेजन ऐसा नहीं था। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी राजस्थान पुलिस की जो चौकसी है वह आज एक बिखराव पर है। चौकसी हमारी इसलिए बिखराव पर है कि जो भी हादसा होता है उसमें हमारी पुलिस फेल होती है। मिर्धा अपहरण कांड को ले लीजिये। एक आतंकवादी, एक महिला अपने बच्चे को गोद में लेकर बाहर निकल जाती है। आज तक उस आतंकवादी का पता नहीं, किसने उसको गोली मारी। हमारी सरकार ने घोषणाएं कीं कि इनाम दिया जायेगा। आज तक उस बात का फैसला नहीं हो पाया। वह एक ऐसा इश्यू है जिसको मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहूंगा लेकिन हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्री जी को देखने की बात है कि इस प्रकार के लेप्सेज हमारी सुरक्षा में न हों।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं गृह मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि क्या एडीशनल एस. पी. के ऊपर किसी अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं थी ? यह राजस्थान की राजधानी का हादसा है। मैं यह नहीं कहता कि हमारे गृह मंत्रीजी डंडा लेकर बैठें, मैं यह भी नहीं कहता कि हमारे डी. जी. पुलिस डंडा लेकर वहां बैठें लेकिन इन दोनों की नैतिक जिम्मेदारी थी इस बात की, सुरक्षा का इन्तजाम करने की। एडीशनल एस. पी. और एस. पी. को आप सस्पैन्ड कर सकते हैं, कर दीजिये लेकिन एक जो नैतिक जिम्मेदारी है, मैं याद दिलाना चाहूंगा हमारे गृह मंत्रीजी को कि लालबहादुरजी शास्त्री उस रेल के ड्राइवर नहीं थे जिसमें हादसा हुआ और उन्होंने केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल से इस्तीफा दिया। माधवराव सिंधिया उस प्लेन के पायलट नहीं थे जिसमें हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ और उन्होंने इस्तीफा दिया। यह हमारी परम्पराएं हैं राजनीतिक फील्ड की। मैं नहीं चाहता कि हमारे गृह मंत्रीजी इस्तीफा दें, डी. जी. साहब इस्तीफा दें। यह उनके ऊपर छोड़ता हूं कि क्या इस प्रकार के हादसे जब होते हैं और उन हादसों में यदि एक मोरल ड्यूटी हमारे पर आती है, हमको इस तरह का एक एक्शन लेना चाहिये स्टेप लेना चाहिये जिससे कि पूरे प्रशासन पर उसका इफेक्ट हो। हम चाहते हैं कि डी. जी साहब का इस्तीफा मुख्य मंत्रीजी स्वीकार नहीं करते लेकिन उनको स्ट्रेटवे यह कहना चाहिए था कि इस 26 जनवरी के प्रोग्राम की सुरक्षा करने में मैं असमर्थ रहा हूं इसलिए मैं अपना इस्तीफा देता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी उसको स्वीकार नहीं करते। माननीय गृह मंत्री जी भी एक टेण्डर कर सकते थे कि इस सुरक्षा की व्यवस्था में मैं कामयाब नहीं रहा इसलिए इस्तीफा देता हूं। मैं नहीं चाहता कि उनका इस्तीफा स्वीकार हो लेकिन इस प्रकार का एक मैसेज जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि उस

(श्री शिवनाथ सिंह)

स्थान की सुरक्षा के लिए किन-किन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी ? एस. पी. या एडीशनल एस. पी. के ऊपर के किसी अधिकारी पर वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी या नहीं थी ? दूसरा, यहां के आई. जी. और डी. जी. पुलिस ने क्या वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था ? जो घटना घटी थी उससे पहले वहां क्या-क्या इन्तजाम था ? कुत्तों का इन्तजाम था और कोई डिटेक्टर्स का इन्तजाम था ? ऐसा था या नहीं था।

माननीय गृह मंत्रीजी ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें इन बातों का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए मैं अधिक समय नहीं लेकर माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उस वक्त की वहां की सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की गयी ? क्या-क्या इन्तजाम थे ? क्या-क्या डिटेक्टर्स वहां थे ? कैसे एक इतने सुरक्षित स्थान पर एक आदमी बम रखकर चला गया और इतना बड़ा हादसा कर दिया ? भगवान की दया है कि वह हादसा इस प्रकार से परिणत नहीं हो सका जो उसके करने की मंशा थी। यह भगवान की दया मानता हूं। हमारे पुलिस प्रशासन का इसमें कोई भी कदम, उनकी कोई भी क्षमता और उनका कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसकी हम सराहना कर सकें। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी पुलिस प्रशासन अक्षम है इन हादसों को टालने में।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामेश्वर चौधरी (अनुपस्थित), श्री शैलेन्द्र जोशी (अनुपस्थित)।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने एडजोर्नमेंट मोशन दिया था, नाम होगा हमारा उसमें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र चौधरी (अनुपस्थित), श्री रेवतराम पंवार (अनुपस्थित) श्री राधेश्याम (अनुपस्थित), श्री हरिसिंह (फुलेरा) (अनुपस्थित) श्री रामनारायण मीणा (अनुपस्थित), श्री शांतिकुमार धारीवाल (अनुपस्थित), श्री किशन मोटवानी (अनुपस्थित), श्री परसादीलाल मीणा।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अपना नाम होना चाहिए।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने पुलिस कस्टडी में मौत और मकराना में गोलीकांड हुआ, उस पर स्टेटमेंट दिया। सुकेत में पुलिस ने बर्बरतापूर्वक गोलियां चलाकर अपना असली रूप दिखाया। मैं गृह मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा, पुलिस कस्टडी में मौतें हुई, मुख्य मंत्रीजी ने गये सत्र में यह आश्वासन दिया था कि इन सबकी तुरन्त जांच एडीशनल डी जी., सी. आई डी. (सी. बी) से करवायी जायेगी, उसके बाद भी कई ऐसे मामले हैं जिनकी जांच अब तक पूरी नहीं हुई और जांच पूरी नहीं होने के कारण उनको जो पचास-पचास हजार

(श्री परसादीलाल मीणा)

रुपये देने की घोषणा की थी, वह उनको सहायता नहीं मिली है । मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि मंडावर थाने में किशोर मीणा की पुलिस कस्टडी में मृत्यु हुई । दलबीरसिंह की वहां पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक हत्या की । हुसैन तेली की बौंली थाने में बर्बरतापूर्वक हत्या की । गृह मंत्रीजी, बौंली और मण्डावर थाने में जो कस्टडी में हत्या हुई, क्या उनकी जांच पूरी हो चुकी ?

मंडावर थाने में, एडीशनल एस. पी., सी. आई. डी. (सी. बी.) ने बयान लिये जो चश्मदीद गवाह वहां उस किशोर के साथ था, उसके बयानों के बाद तो यह बात साबित हो चुकी है, गृह मंत्रीजी, कि पुलिस के थानेदार ने किशोर मीणा की पीट-पीटकर वहां पर हत्या की है । आपने उसका अब तक भी चालान नहीं किया, उसको एक पैसा राजकीय सहायता का नहीं दिया और आज वह थानेदार आपके पुलिस अफसरों की कृपा से कंटीन्यू थानेदार की पोस्ट पर बैठा हुआ है । आपको 302 में उसका चालान करना चाहिए था ।

बौंली में हुसैन तेली की जिस तरह से हत्या की गयी, वहां पर एक ग्राम सेवक है, आपके जिस डीवाई. एस. पी. ने हुसैन तेली को पीट-पीटकर रात को मारा है उसने वहां के ग्राम सेवक को उठाकर यहां यह जबरदस्ती लिखवाने की कोशिश की है कि यह लिखो कि इसको पायजन, सेलफोश की गोली आपने दी है । उस रामजीलाल जाटव, जो वहां का ग्राम सेवक है, ने गृह मंत्रीजी, आपको भी लिखा मुझे भी लिखा, मुख्य मंत्रीजी को भी पत्र लिखा है कि मुझे जबरदस्ती से पुलिस का डीवाई. एस. पी. रिछपालसिंह रात को उठाकर जयपुर लाया, मुझसे लिखवाया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि आप यह लिखो कि सेलफोश की गोली हुसैन तेली को मैंने दी है । उसकी अब तक जांच नहीं हो, उसको एक पैसा राजकीय सहायता का नहीं मिला ? यह ठीक है कि दलवीरसिंह की पुलिस कस्टडी में मृत्यु हुई, उस पर वहां पचास हजार रुपये दिये । आपको सबको देना चाहिए था । आपका इन्वेस्टीगेशन शायद इसका भी पूरा नहीं हुआ । आपने सहायता दी, इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं पर आप यह बतायें कि उन दोनों को आपने अब तक क्यों नहीं दी ? उनके इन्वेस्टीगेशन के अगर आप बयान पढ़ें तो, मुख्य मंत्रीजी. मैं एक लाइन पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं, जो किशोर का भाई कजोड़ मीणा उसके साथ था, उसने एडीशनल एस. पी. अशोक नरूका को बयान दिया है, 'और थानेदार जी ने दो-तीन डंडे किशोर के मारे । डंडा लगने से किशोर वहां पर बैठ गया । बैठने के बाद बैठे हुऐ के तीन-चार लातें थानेदार जी ने और मारीं जिससे किशोर वहां फर्श पर गिर गया । उसके बाद भी थानेदार लगातार ठोकर मारता रहा । बाद में हम दोनों को आफिस में बैठा दिया । दस मिनट बाद किशोर ने पेट में दर्द एवं जी घबराने का कहा । मैंने यह बात थानेदारजी को बतायी । उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी । किशोर ने पानी मांगा तो पानी भी नहीं

(श्री परसादीलाल मीणा)

पिलाया।" यह आपके एडीशनल एस पी. के बयान हैं।

पुलिस कस्टडी में प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण ही यह मकराना जैसी घटनाएं हुई हैं। क्या जरूरत थी, 26 जनवरी को जब ड्राई डे था, उनको जाकर वहां पर शराब मांगने की रात को। यह सही है कि पुलिस को बहुत हल्के तरीके से लिया कि आज उस थानेदार को थानेदार लगा रखा है।

बौंली में आपने डीवाई. एस. पी. का प्रमोशन कर दिया। इस तरह से पुलिस में हत्या करने वाले को आप प्रमोशन देंगे? उनको समय पर दण्डित नहीं करेंगे और बचाव के लिए आपकी लाइजनिंग करते हैं आपकी पार्टी के कार्यकर्त्ता। क्या जरूरत है उस थानेदार की ठीक है अगर वह बरी हो, उसने अपराध नहीं किया है तो छह महीने के बाद में थानेदार लगा दें पर, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उस मसले को उठाया तो गृह मंत्रीजी ने उस थानेदार को मेरे लालसोट में लगा दिया। यह आपका राज है। इस तरह की व्यवस्था है, इस तरह का आपका पुलिस प्रशासन है। कहां तक इस बात को बरदाश्त करेंगे एक हत्यारे थानेदार को, जो 302 का मुलजिम है? उसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट है। उसको आपने मडावर से हटाकर पुलिस लाइन में नहीं लगाकर लालसोट लगाया। वह मेरा क्या कर लेगा? आप और लगा दें 10 थानेदार ऐसे। आपको, गृह मंत्रीजी, मैं किन शब्दों में कहूं, पुलिस में जिस तरह से यह तांडव नृत्य हो रहा है। मुख्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था, हम आश्वस्त थे कि तुरन्त कार्यवाही होगी किशोर मीणा के मामले में और हुसैन तेली के मामले में। आज तक उनका चालान नहीं हुआ। आज तक उनको थानेदार लगा रखा है। रिछपालसिंह जो शायद डीवाई. एस. पी. है, उसका प्रमोशन कर दिया और वह रामजीलाल जाटव को बुलाकर लिखाता है कि यह लिखिये ग्राम सेवक जी कि आपने सेलफोश की गोली दी। इस तरह से अगर होगा तो जो एडीशनल डी. जी. सी. आई. डी. (सी. बी.) जांच कर रहा है उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो मेरी, मुख्य मंत्रीजी, आपसे प्रार्थना है, जो गरीब दोनों मरे हैं, उनके परिजनों को जैसी आपने मकराना में सहायता दी है, उसी तरह पचास-पचास हजार रुपये दीजिये। उनको एक पैसा राजकीय सहायता का अब तक नहीं मिला है। उनके परिजन दर-दर भटक रहे हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा है। किशोर मीणा की औरत गूंगी है, बोल नहीं सकती, वह किसी को कह नहीं सकती, डेढ़-डेढ़ दो-दो साल के बच्चे हैं। यही हाल हुसैन तेली का है। गृह मंत्रीजी, थोड़ा तो रहम करो। उस आततायी थानेदार ने उसका सुहाग उजाड़ा है, उसके पति की हत्या की है, आप उसको कहां तक बचायेंगे, आपके पुलिस के अफसर कहां तक बचायेंगे? शर्म आनी चाहिए उस डी. आई. जी. और एस. पी. को। जिन्होंने अब तक उस थानेदार को लगा रखा है। मुझे हैरानी है, आप जैसे गृह मंत्री को क्या कहूं, मैंने दो बार आपको इस बात को बताया है....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह इन्होंने बताया है, हमने पचास-पचास हजार रुपये पुलिस कस्टडी में शायद दो जगह मदद दी है। मैं चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी, कि आप बाकी जगह भी उनके परिजनों को जब आप जवाब दें तो समयबद्ध दो दिन, पांच दिन में राजकीय सहायता के जो पचास हजार रुपये की घोषणा है, उसको पूरा करिये और उनका चालान जल्दी करायें और उनको जो थानेदार की पोस्ट पर लगा रखा है, आप उनको तुरन्त जब तक चालान नहीं हो, या तो निलम्बित करें या लाइन में लगायें। उनको थानेदार क्यों लगा रखा है? क्या पैसा पैदा करने के लिए? क्या पुलिस अफसरों को इस दबाव में देने के लिए कि आप पैसा पैदा करके लाइये और हमें दीजिये। आप उनको लाइन में लगाइये। जब तक उनके खिलाफ आरोप सिद्ध हो या नहीं हो तब तक आप उनको थानेदार नहीं लगायें, मेरी यह आपसे प्रार्थना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुबेर खान (अनुपस्थित), श्री हबीबुर्रहमान (अनुपस्थित),

श्री लक्ष्मणसिंह : (अनुपस्थित), श्री गुलाबसिंह शक्तावत (अनुपस्थित), श्री माधवसिंह दीवान (अनुपस्थित), श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने मकराना की घटना के बारे में जैसा पुलिस के अफसरों ने इनको ब्रीफ किया, वैसा इन्होंने एक औपचारिकता पूरी कर बयान पढ़ा। कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। इस घटना के सम्बन्ध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तीन सदस्यों की एक समिति जांच करने गयी थी और मैं स्वयं मौके पर होकर आया हूं। गम्भीरता मैं इस बात को नहीं मानता कि पुलिस की हिरासत में किसी नौजवान को पीट-पीटकर मार दिया क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान में इस प्रकार की अनगिनत घटनाएं हो रही हैं। सरकार इस मामले में कितनी संवेदनशील है, यह अपने आपमें स्पष्ट हो जाता है किन्तु इससे भी गम्भीर स्थिति यह है कि गणतन्त्र दिवस के दिन दो पुलिस के दलाल किस्म के लोगों के साथ पुलिस का ए. एस. आई. स्वयं जाकर शराब की दुकान के ऊपर सैल्समैन से कहता है कि हमको शराब दो। सैल्समैन नजदीक के ढाबे में खाना खा रहा था। उन दो सैल्समैन को कहा गया कि हमको शराब दो। सैल्समैन ने कहा कि हमारे पास चाबी नहीं है, चाबी गोदाम में ठेकेदार के पास है। आज गणतन्त्र दिवस पर शराब नहीं बेची जाती। आप कल्पना कीजिये, गणतन्त्र दिवस के दिन पुलिस के कर्मचारी जाकर शराब मांगें और उनको शराब नहीं मिलने पर दो जवान जो ठेकेदार के कर्मचारी थे, उनको वहां पब्लिकली पीटा गया। जब वहां ढाबे वालों ने, दूसरे लोगों ने कहा, तुम अन्याय कर रहे हो तो वहीं पुलिस का ए. एस. आई. और उसके साथ दो उसके दलाल किस्म के लोग उसको कार में पटककर पुलिस स्टेशन मकराना लेकर

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

आये, वहां उसकी निर्ममतापूर्वक पिटाई की गयी। दोनों नौजवानों को पीटा। पीटते-पीटते पड़ौस के कमरे से एस. एच. ओ. बाहर निकला शराब पिया हुआ, उसने खुद ने कहा कि हरामजादे को पीटो और फिर एस. एच. ओ. जाकर शराब के नशे में धुत पड़ गया। पीटते-पीटते जब दलबीरसिंह की मृत्यु हो गयी, वह बेहोशी की हालत में नजर आया तब उसके दूसरे साथी जितेन्द्र सिंह को ए. एस. आई. ने कहा कि तुम्हारे ठेकेदार को खबर करो, यह शराब पिया हुआ था, इसको उठाकर ले जाय। जितेन्द्र सिंह ने उस वक्त कहा कि न तो यह शराब पीता है, न मैं शराब पीता हूं, हमको बेवजह लाकर पीटा गया है, मैं खबर नहीं दूंगा। तुमने मारा है, तुम खबर दो। तब जाकर के गोदाम पर टेलीफोन किया गया। टेलीफोन खराब था। एक सिपाही पुलिस की जीप में गोदाम पर खबर देने पहुंचा है और जितेन्द्रसिंह का मामा, महावीरसिंह जो मैनेजर था उसको जाकर खबर दी है कि तुम्हारा सैल्समैन बेहोश पड़ा है शराब में। जब महावीरसिंह ने आकर देखा, जितेन्द्रसिंह ने उसको कहा कि मेरे सामने पीट-पीट कर इसको मारा है, यह जान से मर गया है तब उस ए. एस. आई. ने महावीरसिंह, ठेकेदार के मैनेजर, से कहा है, कि नहीं, यह शराब पीये हुए था, बेहोश पड़ा है, इसको अस्पताल ले जाओ। महावीरसिंह ने कहा है कि मैं ले जाने के लिए तैयार हूं लेकिन आप अपनी जीप में लेकर चलिये, मैं साथ चलूंगा। तो ए. एस. आई ने मना किया साथ जाने से और कहा है कि अपनी जिप्सी में डालकर ले जाओ और वहां जो गनमैन था, गार्ड था, उसके सहारे से लाश को उस जिप्सी में डाला गया है। उसके बाद जिप्सी को लेकर जब वह रवाना होने लगा, पुलिस का कोई कर्मचारी उसके साथ हास्पिटल तक नहीं गया। हास्पिटल में जब ले गये हैं तो उसको मृत घोषित किया गया। हाहाकार मचा। लोग पुलिस थाने पर एफ. आई. आर. दर्ज कराने के लिए गये।

यह दंगा क्यों हुआ, गोली क्यों चली, इसके पहलू को आपको समझने की आवश्यकता है। जब पुलिस ने मामला रफा-दफा करने की कोशिश की, ठेकेदार को बुलाकर धमकाने की कोशिश की तो उसके बाद यह बात फैली है। लोगों ने उत्तेजित होकर एफ आई. आर दर्ज कराने की मांग की है। जब एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की गयी, मामले को वहीं रफा-दफा किया गया तो वहां के लोगों ने पुलिस के बड़े अफसरों को रात को जगाकर जयपुर में टेलीफोन किया है। बड़े अफसरों को सूचना मिलने के बाद आई. जी. स्तर के बड़े अफसर जब वहां मौके पर गये हैं. हालात बिगड़े हैं तब जाकर के गोली चली है, उसके बाद एफ. आई. आर. दर्ज कराने को मजबूर होना पड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय, शराब की दुकान पर जाकर पुलिस के कर्मचारी गणतन्त्र दिवस के दिन इस शासन में शराब मांगें और उनको शराब नहीं मिलने पर थाने में लाकर पीट-पीट कर हत्या की जाय, इससे बड़ा जघन्य अपराध और क्या होगा।

(११५)

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

उसके बाद भीड़ ने केवल यही मांग की थी कि जिन दोषी लोगों ने अत्याचार किया है, धारा 302 में उनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज कीजिये, उनको गिरफ्तार कीजिये। पुलिस के किसी कर्मचारी को गिरफ्तार नहीं किया गया। किसी कर्मचारी के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की गयी। मैं सवाल करना चाहता हूं, जब आपने इस बात को स्वीकार किया है कि पुलिस थाने में मृत्यु हुई है, जब आप इस बात को जानते हैं कि पुलिस का ए. एस. आई शराब मांगने गया था, उसने पीट कर मारा है, जब आपने स्वीकार कर लिया है कि पुलिस हिरासत में मरने के बाद पचास हजार की घोषणा हो गयी, जब आपने स्वीकार कर लिया है कि तीन कर्मचारियों को सस्पैण्ड किया है तो उन पुलिस के दोषी कर्मचारियों के खिलाफ आज तक 302 के अन्दर क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा नौजवान सोनूसिंह, जिसकी मृत्यु हुई, आप ताज्जुब करेंगे, हायर सैकण्डरी का छात्र तमाशा देख रहा था दूर से। बाप, अजमेर में यू. डी. सी., आज भी आंसू बहा रहा है अपनी इकलौती संतान के लिए। पुलिस ने गोली चला कर उसको मारा। पुलिस को गोली चलाने के आदेश हुए बिना थाने के ऊपर से धुआंधार गोलियां चली हैं। मकराना के नागरिकों से मालूम कीजिये, लोग कहते हैं, इतनी दहशत से गोलियां चली हैं, लोगों ने मकराना में अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। वहां के संभ्रांत लोग कहते हैं, वहां के पूर्व विधायकों से हम मिले हैं, प्रधान से हम मिले हैं प्रतिनिधियों से हम मिले हैं लोगों ने कहा कि दीवाली की तरह पटाखे चल रहे थे, गोलियां छूटी जा रही थीं। हमारी हिम्मत घरों से निकलने की नहीं हुई। इस प्रकार का ताण्डव रचा गया और इससे शर्मनाक, घिनौनी घटना जो करने की कोशिश की प्रशासन ने, उपाध्यक्ष महोदय, तीन मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करके यह अफवाह फैलाने की चेष्टा की गयी कि यह हिन्दू-मुस्लिम दंगा था। जिससे कि पुलिस के लोगों को बचाया जा सके। इससे दुर्दान्त और क्या स्थिति होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से पचास हजार की घोषणा की गयी। हमने एक लाख रुपये की मांग की थी एक-एक मृतक को मुआवजे की। एक मृतक को सिर्फ पचास हजार की घोषणा की गयी। बड़ा आश्चर्य हुआ दूसरे दिन अखबार में देखकर, पहले दिन पचास हजार की घोषणा हुई है, दूसरे दिन अखबारों में छपा है कि वह पचास हजार विद-ड्रा कर लिए गये हैं। हमने पता किया, बड़े अधिकारियों से जांच की तो पता लगा कि पुलिस के बड़े अफसरों का दबाव है, इसको पुलिस हिरासत में मौत का रूप आपने अगर दे दिया तो पुलिस में एक प्रकार की खलबली मच जायेगी, डिमोरलाइज हो जायेगा पुलिस प्रशासन। उसके बाद फिर इसमें दबाव बढ़ा तो जाकर कहते हैं कि पचास हजार का ड्राफ्ट दिया गया। जिस दलबीर सिंह मृतक के पिता को पचास हजार का

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

ड्राफ्ट दिया गया वह मेरे सीकर जिले का निवासी है, माननीय मुख्य मंत्रीजी के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र का निवासी है यदि उसके घर पर जाकर उसकी स्थिति देखें, आप आंखों से देख नहीं पायेंगे। 60 साल का उसका पागल बाप, शादी के लिए दो नौजवान 19 वर्ष की उसकी बहिनें इन्तजार करती रही कि मेरा भाई कब आयेगा, मेरा बेटा कब आयेगा। उस नौजवान की जिस प्रकार से हत्या की गयी, पचास हजार रुपये का दान उसको देकर जिस प्रकार से नचाया गया, जिस प्रकार से दुखी किया गया, आप कल्पना नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। समाप्त करें।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : इस सारी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब पुलिस के कर्मचारी दोषी हैं, जब पुलिस कर्मचारी शराब मांगने गये हैं, पुलिस कर्मचारी ने लाकर पीटा है, उन पुलिस कर्मचारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उनको निलम्बित करने मात्र से सजा नहीं होती। उनके खिलाफ 302 के मुकदमे में उनका नाम दर्ज नहीं किया गया है, उनको बचाया जा रहा है और रेवेन्यू बोर्ड के एक अधिकारी से जांच कराने की बात करते हैं। मैं जांच के लिए इन्कार नहीं करता, जिससे मर्जी, सरकार कराये, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस ने मांग की है कि न्यायिक जांच हो जिससे कि असलियत सामने खुले। रेवेन्यू बोर्ड का अधिकारी क्या आई. पी. एस. और आई. ए. एस. अधिकारी के खिलाफ जांच कर पायेगा ? क्या एक रेवेन्यू बोर्ड का अधिकारी मंत्रीजी के वक्तव्य के खिलाफ जांच कर पायेगा ? जनता की आवाज को इस प्रकार से दबाकर यह हत्याओं के रूप में इस प्रकार का ताण्डव करके साम्प्रदायिकता का जहर फैलाने की मकराना में जो कोशिश की जा रही है, क्या उपाध्यक्ष, महोदय, जनता उसको बरदाश्त करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह कुम्हेर।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, 26 जनवरी को जो बम विस्फोट हुआ स्टेडियम में, मैं उसके सम्बन्ध में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन्स पूछना चाहता हूं गृह मंत्रीजी से।

पहला सवाल तो मेरा यह है, क्या यह सही है कि स्टेडियम की पूर्णरूपेण जांच सही प्रकार से कि वहां कोई एक्सप्लोजिव है या नहीं, नहीं की गयी ? वह इसलिए नहीं की गयी, गृह मंत्री महोदय, कि राज्य पुलिस के पास वह उपकरण और वह साधन ही नहीं हैं कि आप एक्सप्लोजिव की जांच कर सकें क्या यह भी सही है कि राजस्थान के अन्दर केवल मात्र एक कुत्ता है और वह एक कुत्ता छह जगह की जांच नहीं कर सकता ? क्या यह भी सही है कि कुत्ता आर.डी. एक्स की जांच करने के लिए ट्रेण्ड नहीं था ? क्या यह भी सही है कि जब एक्सप्लोजिव के डायरेक्टर आये और उन्होंने आर.डी.एक्स. उस कुत्ते को सुंघवाया तो वह डिटेक्ट नहीं करपाया कि आर.डी.एक्स. है ? क्या यह भी सही है, गृह मंत्री महोदय कि, उस कुत्ते

(श्री हरिसिंह)

को लाकर जो भी आपने जांच की वहां पर, वह केवल एक घंटे के अन्दर पूरे स्टेडियम की कर ली गयी 25 तारीख को शाम को ? और क्या यह भी सही है, गृह मंत्री महोदय कि, राजस्थान के अन्दर एक्सप्लोजिव के कोई डिटेक्टर्स ही नहीं हैं ? केवल हैण्ड बेल डिटेक्टर्स हैं ? उन से छह इंच के नीचे की गहराई की जांच एक्सप्लोजिव की हो ही नहीं सकती। क्या यह भी सही है, गृह मंत्री महोदय, कि आपने जो आवश्यक पुलिस फोर्स थी स्टेडियम पर लगाने के लिए, वह नहीं लगायी ? जबकि क्रिकेट का जब मैच हुआ है, आपने उसके लिए पांच हजार आदमी लगाये, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन क्या यह सही नहीं है कि आपने गणतंत्र दिवस जैसे अवसर की गरिमा को मेन्टेन करने के लिए, उसकी सुरक्षा को देखने के लिए और जबकि राजेन्द्र मिर्धा काण्ड हो चुका था और मुख्य मंत्री महोदय की जान के लिए भी उग्रवादियों की ओर से धमकियां मिल चुकी थीं, उस समय को देखते हुए आपने उस दिन की सुरक्षा का पूरा इंतजाम नहीं किया ? क्या यह सही नहीं है, गृह मंत्री महोदय, कि आपने एडीशनल एस.पी. से ऊपर के किसी अधिकारी को स्टेडियम की जांच के लिए नियुक्त नहीं किया ? क्या यह सही नहीं है, गृह मंत्री महोदय, कि आपने इंटेलीजेंस ब्यूरो के उच्चाधिकारियों को स्टेडियम की जांच के लिए 26 तारीख के पहले नहीं भेजा ? क्या यह सही है, गृह मंत्रीजी, कि 26 से पहले 25 तारीख की रात भर वहां पर काम होता रहा जिसमें किसी प्रकार की सुरक्षा हो ही नहीं सकती थी ? मैं आपसे जानना चाहता हूं, गृह मंत्री महोदय, कि क्या एडीशनल एस.पी. और डीवाई. एस. पी., आपने जिनको सस्पेण्ड किया है उन पर भार था स्टेडियम की सुरक्षा के लिए या पूरे सर्किल का इंतजाम करने के लिए उन पर भार था ? क्या यह सही है, मंत्री महोदय, कि आपने किसी भी उच्चाधिकारी को उस दिन स्टेडियम की सुरक्षा के लिए नहीं लगाया ? ये मेरे पाइंटेड क्वेश्चन हैं, गृह मंत्री जी, आप कृपया इनका उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भीमसेन चौधरी।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, बीकानेर में पिछले वर्ष टाडा कानून के अन्तर्गत 4 फर्जी मुकदमे बनाये गये उसके बारे में जनता ने वहां संघर्ष किया और सरकार ने उनकी जांच करवाकर उन मुकदमों को झूठा करार दिया लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह मुकदमे झूठे किसने बनाये ? उनमें विदेशी हथियार और हेरोइन जो बाहर से आयी वह कौन लाया ? इन सारे मुद्दों की जांच क्या करायी गयी ? अगर नहीं करायी गयी तो इतने महत्वपूर्ण मुद्दे का राष्ट्र की सुरक्षा से सम्बन्ध है और बी.एस.एफ. और पुलिस दोनों ने मिलकर ये सारे मुकदमे बनाये तो इस सारे काम की देखभाल करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि वहां की जनता ने, वहां की राजनीतिक पार्टी ने सारे ये मुद्दे उठाये और सी.बी.आई. से जांच कराने की मांग की जिसमें बी.एस.

(श्री भीमसेन चौधरी)

का इन्वाल्वमेंट भी है और विदेशी हथियार लाने का बाहर से सवाल है तो यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे देश की सुरक्षा का और राज्य की सुरक्षा का प्रश्न है इसलिए इस महत्वपूर्ण प्रश्न की सी बी. आई. से जांच करायी जाय, यह मैं मांग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि आपने जो चार मुकदमे टाडा के तहत दर्ज किये और जांच में वह मुकदमे झूठे पाये गये और मुकदमे इस बात के थे कि वहां हेरोइन और विदेशी हथियार बरामद हुए तो आपने एफ.आर. देने के बाद उस हेरोइन के बारे में और उन विदेशी हथियारों के बारे में क्या कार्यवाही की ? आपने यह जांच की क्या कि यह हथियार कहां से आये और कौन लाया और वह हेरोइन कहां से आयी ? इतना महत्वपूर्ण मामला था, इसमें आपने एफ.आर. देकर सारे मामले को दबा दिया और उसको छोड़ दिया। जब जनता ने सी.बी.आई से जांच की मांग की तो उसमें आप चुप हो गये। जब बी.एस.एफ. और आपकी पुलिस का संयुक्त अभियान था तो सी बी आई से जांच कराने में आपको क्या आपत्ति थी और आपने अब तक उन विदेशी हथियारों को और उस हेरोइन के मामले में क्या कार्यवाही की, यह आप स्पेसिफिक उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री खेतसिंह राठौड़।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से सुकेत के केस के अन्दर चार प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न मेरा यह है, माननीय मंत्री महोदय, आप यह बतलायें कि क्या तबादला पनिशमेंट है ? आपने राजीव दत्ता का तबादला कर दिया। क्या तबादला पनिशमेंट है। क्या आप इस बात से सैटिसफाइड हैं कि सुकेत के अन्दर जिस वक्त में उसने चौराहे पर आकर मामूली आदमियों की भीड़ देखकर और सिर्फ उस मुसलमान परिवार से नाराज होते हुए स्वयं ने ही गोली चलाने की इजाजत दे दी और उस पर गोली चलायी गयी, यह सही था ? क्या किसी मजिस्ट्रेट की ओपिनियन ली गयी थी या वहां ओपिनियन दी है किसी मजिस्ट्रेट ने कि आप गोली चलाओ ? वहां पर भीड़ ही कुल मिलाकर डेढ़ सौ आदमियों की थी जिन्होंने कोई पत्थरबाजी नहीं की, फिर किस बात पर गोली चलायी, इस बात का भी कृपया आप जवाब दें।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि करीब एक महीना होने को आया है अभी तक उसमें क्या कार्यवाही हुई है वह भी कृपया आप बतलाने की कोशिश करें। ऐसे केसेज के अन्दर तो कभी का चालान भी हो जाना चाहिए था। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ उसके क्या कारण हैं, वह भी बतलाने का कष्ट करें। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजीव दत्ता ने जो केस खाजू के खिलाफ में बनाया है

(श्री खेतसिंह राठौड़)

उसे आप सच्चा मानते हैं ? हकीकत में वह केस भी गलत था, झूठा था। उसे थाने में बुलाकर यों ही मारपीट की गयी और जब बुरी तरह घायल हो गया तो उसे बाहर फेंक दिया और उसके मां-बाप उसको झालावाड़ ले जा रहे थे तब वहां गाव के लोग शामिल हो गये और उन्होंने यह पूछना शुरू किया कि हकीकत क्या है और इस पर नाराज होकर थानेदार ने आकर गोली चला दी। ऐसी हरकत होने के बावजूद भी क्या आप यह महसूस करते हैं कि उस थानेदार का तबादला करना ही बहुत काफी है ? मेरा आपसे निवेदन है कि पूर्व में कभी भी ऐसा मामला नहीं हुआ होगा और न भविष्य में होगा जिसके अन्दर इस प्रकार से बुरी तरह से उन लोगों को मारा गया, गोली चलायी गयी। आज बीमार पड़े हैं बेचारे, उनके लिए भी आपने इलाज की कोई व्यवस्था तक नहीं की। उन लोगों को इलाज के लिए भी आपने पैसा तक नहीं दिया इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। यह मेरा खास तौर से सुकेत के बारे में निवेदन है।

दूसरा मेरा निवेदन है वह है मकराना के बारे में। मकराना के बारे में मेरे से पूर्व वक्ता श्री माधोपुर से आने वाले माननीय श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत ने सारी डिटेल्स आपको बतलायी हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज दो महीने से ऊपर का समय गुजर गया है, अभी तक उनका चालान क्यों नहीं हुआ है ? दूसरी बात मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपने इन तीन अफसरों को सस्पैण्ड किया है इसका मतलब यह है कि आप सैटिसफाइड हैं कि उन्होंने निश्चित तौर पर गलती की है। जब आप सैटिसफाइड हैं तो फिर उनका चालान क्यों नहीं हो रहा है ? चाहे पुलिस के अधिकारी हो या कोई भी क्यों न हो लेकिन उन्होंने जब जुल्म किया है और इस तरह से बेरहमी से उस व्यक्ति को मारा है तो उनका चालान होना अति आवश्यक था। इसलिए मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि उनका भी चालान हो और साथ में जो दो और व्यक्ति जिन्होंने शुरू में उसको पकड़कर मारा था, मुझे यह बतलाया गया था कि परसों परले रोज तक तो वे खुले घूम रहे थे। शायद यह एडजोर्नमेंट मोशन देने के बाद में आपने यह आदेश दिया होगा। उन दो व्यक्तियों ने उस लड़के को पहले कहा कि दुकान खोलो और हमको शराब दो। उसने शराब नहीं दी उस पर उसको बुरी तरह से पीटा, मारा और फिर उन्होंने असिस्टेंट थानेदार के साथ में ले जाकर, क्योंकि उनकी आपस में मिली भगत थी, वह साथ में बैठकर दारू भी पीया करते थे और धंधे भी किया करते थे, इसलिए उनको खुश करने के लिए उन लड़कों को ले जाकर वहां थाने में बुरी तरह से मारा, उन व्यक्तियों को भी आपने गिरफ्तार किया या नहीं किया ? अगर आपने गिरफ्तार कर लिया है तो कृपया यह बतलायें कि आप इन पांचों का चालान कब तक कर देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि मकराना के अन्दर 26 जनवरी को जो घटना हुई उसके कांसीक्वेशल इफेक्ट में 27 जनवरी को गोली काण्ड हुआ जिसमें कि दलबीरसिंह और सोनूसिंह की डैथ हुई। उसकी पुलिस में जो एफ. आई आर 34/96 अण्डर सैक्शन 147, 148, 149 एण्ड सैक्शन 2 है, उसमें यह दर्शाया गया है कि अनवर नाम के व्यक्ति के साथ जो 2–3 लोग आये, उनमें और दलबीरसिंह, सोनूसिंह में झगड़ा हुआ और उस झगड़े के परिणामस्वरूप उसको चोट आयी और वह मर गया। इस तरीके से जान-बूझकर पुलिस कस्टडी में जो डैथ हुई है उसका बर्डन शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और शर्म की बात यह है कि जिस व्यक्ति को बेरहमी से पीटा गया, दलबीरसिंह को, उसकी बॉडी पर एक भी स्क्रैच, एक भी खरोंच, एक भी खूरा नहीं बताया गया है क्योंकि मेडिकल बोर्ड के डाक्टर बिके। यह सरकार ऐसी है कि जिसमें यदि कहीं आम आदमी को पुलिस के द्वारा बेरहमी से बर्बरता से, अमानुषता से पीटा जाता है, मारा जाता है तो यहां पर डाक्टर भी इस किस्म के हो गये हैं कि यह लिखते हैं कि उसकी बॉडी पर कुछ भी निशान नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया सवाल पूछ लें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। मैं ग्रेविटी बताता हूं कि जो कॉज आफ एक्शन है डैथ का, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसमें कॉज आफ एक्शन भी मैंशन किया गया है और यह लिखा गया है कि इसकी किडनी, हार्ट और इसके जो पीसेज हैं, इसकी केमिकल एक्जामिनर से जो रिपोर्ट आयेगी उसके बाद ही कुछ कॉज आफ डैथ बताया जायेगा और जो क्लिनिकल आब्जर्वेशन हुआ बॉडी का सुपरफिशियल कोई भी है इंजरी और लिगेचर मार्क, तो जिस व्यक्ति की रिपोर्ट है, जिस व्यक्ति के लिए जितेन्द्र सिंह कह रहा था कि मेरे सामने बेरहमी से पीटा, डण्डों से पीटा, उसके शरीर पर एक भी चोट नहीं ? उसका दाह संस्कार कर दिया गया। बाद में कोई दुबारा मेडिकल बोर्ड कांस्टीट्यूड करके उसका दुबारा मेडिकल हो नहीं सकता था। इस तरीके से यह जो तीन डाक्टरों के बोर्ड ने बेइमान की; जालसाजी की और षड्यन्त्र किया इनको भी 120 बी क्रिमिनल कांसीपरेसी मर्डर के मुकदमे में मुलजिम बनायें तभी जाकर न्याय मिल सकता है अन्यथा यह जो मुलजिम हैं पुलिस के यह तो बरी होने के लिए बेंट अपोन इसलिए है कि एफ. आई. आर नम्बर

श्री उपाध्यक्ष : विराजें आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरा निवेदन करना यह था कि इसमें मेरी गृह मंत्री महोदय से तीन मांगें हैं। एक तो यह है कि यदि राजस्थान में पुलिस कस्टडी में डैथ होती है तो क्या राजस्थान सरकार ऐसे मापदण्ड बनाने के लिए तैयार हैं कि उसकी जांच राजस्थान पुलिस से हटकर सी. बी. आई. करेगी। क्योंकि राजस्थान पुलिस ने मारा और राजस्थान पुलिस जांच

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

करे इसलिए मेरी मांग है कि सरकार का यह कहना है कि पुलिस कस्टडी में डैथ होने पर या डैथ का इल्जाम होने पर जांच सी. बी. आई. के द्वारा करवायेगी सरकार हमेशा हमेशा।

मेरा दूसरा निवेदन करना यह है कि 26 जनवरी को जो जयपुर में बम विस्फोट हुआ तो उसमें जो विजिलेंस के आपके उच्चाधिकारी हैं राजस्थान के, शिखर के उन पर आपने क्या जिम्मेवारी और जवाबदेही सौंपी ?

मेरा दूसरा निवेदन करना यह है कि 26 जनवरी को जो जयपुर में बम विस्फोट हुआ तो उसमें जो विजिलेंस के आपके उच्चाधिकारी हैं राजस्थान के, शिखर के उन पर आपने क्या जिम्मेवारी और जवाबदेही सौंपी ? आपने छोटे से अधिकारियों को सस्पैंड कर दिया। सेशन के बाद में बहाल कर देंगे। मेरा यह कहना है कि जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है जिसका जिम्मा है, जो कि एक व्हाइट एलीफेंट की तरह स खर्चीला है, करोड़ों रुपये बहाये जा रहे हैं, पैसा दिया जा रहा है, स्टाफ है, वे लोग क्या सेंसेटिव रहे, और आपने यदि इस तरह की व्यवस्था रखी....

श्री उपाध्यक्ष: कृपया बिराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी: तो आपके हिसाब से तो, गृह मंत्रीजी, राजस्थान में आपके जन-प्रतिनिधि, जो चुने हुए हैं, और जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं वे किसी भी दिन गोली का शिकार हो जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया बिराजें। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री शैलेन्द्र जोशी: आपने तो राजस्थान को पूर्णतः असुरक्षित कर दिया है। यहां पर किसी की भी सुरक्षा बिलकुल कतई नहीं है आपके गृह मंत्रित्व काल में। आपके हिसाब से तो किसी भी प्रतिनिधि को कभी भी गोली से उड़ाया जा सकता है और ठीक है तीये की बैठक में बैठ जायें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक सवाल पूछना है, खाली आपके इंटेलीजेंस पर। आपने सारे स्टेटमेंट आज एक साथ करा दिये। आप डाइल्यूट तो वैसे ही करना चाहते हैं, खैर, आपकी मंशा, आप खुद सेटिसफाइड हों कि किस तरह की राज्य में कानून-व्यवस्था हो। लेकिन मैं 26 जनवरी को जो बम विस्फोट हुआ उस पर आपके इंटेलीजेंस डिपार्टमेंट की कोई रिपोर्ट थी क्या उसके पहले कि इस तरह की आतंकवादी घटना ...

श्री उपाध्यक्ष: कोई नयी बात पूछिये आप। ये सब कुछ आ चुकी हैं।

श्री विष्णु मोदी: उससे आगे भी पूछ रहा हूं। एक सैकिण्ड ही, बहुत लेन्दी नहीं कर रहा हूं।

(श्री विष्णु मोदी)

आपके पुलिस के इंटेलीजेंस डिपार्टमेंट की क्या राय थी कि 26 जनवरी को या कोई इस तरह की घटना घट सकती है और भारत सरकार की मिनिस्ट्री आफ होम जो आपको वक्त-वक्त पर सूचनाएं भेजती रहती है क्या उन्होंने उसमें बताया था कि 26 जनवरी को या किसी भी इस तरह के पब्लिक फंक्शन में इस तरह की आतंकवादी घटना कर सकते हैं ? उसके बारे में आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे भी बुलवाया था।

श्री उपाध्यक्ष : आप एबसेंट थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बोल लूंगा। आपकी जगह मैं लूंगा, आपका टाइम मुझे दे दो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा जो टाइम आपने मुकर्रर किया, वह मुख्य मंत्री जी को दे दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दे देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जिन घटनाओं का विवरण अभी गृह मंत्रीजी ने सदन में रखा है उस पर कई माननीय सदस्यों ने कई प्रकार की शंकाएं प्रकट की हैं। कई माननीय सदस्यों ने आलोचना की है और कई माननीय सदस्यों ने भविष्य के लिए सुझाव भी दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस सारी स्थिति को एक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको देखना पड़ेगा। पाकिस्तान की सीमा पर जो आदमी बी.एस.एफ. के और पाकिस्तान के रेंजर्स की फायरिंग के एक्सचेंज में मारे गये, उसका मुझे भी दुःख है और हम सबको उसका दुःख है। यदि सारी भूमिका के आधार पर आप विचार करेंगे तो प्रकट यह होगा कि हिन्दुस्तान में जितने भी इनफिल्ट्रेटर्स आज आये हुए हैं, वे चाहे बांगलादेश से आये हों, चाहे अफगानिस्तान से आये हों, चाहे वे ईरान से आये हों, चाहे पाकिस्तान से आये हों, इन इनफिल्ट्रेटर्स को डील करने के लिए कोई सक्षम कानून नहीं है और इसी का कारण है कि लगभग डेढ़ से दो करोड़ बांग्लादेशी आज हिन्दुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न शहरों में घूम रहे हैं। उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाय, यह भारत के समझ में आ नहीं रहा है और जब तक भारत सरकार हमको किसी प्रकार के दिशा-निर्देश नहीं देती उस समय तक राज्य सरकार इंडिपेंडेंटली कुछ कार्यवाही कर लें, ऐसा सम्भव नहीं है।

यह सही है कि पाकिस्तान दो बार युद्ध में हिन्दुस्तान से पराजित होने के के पश्चात् अब यह समझ रहा है कि युद्ध में हम हिन्दुस्तान को पराजित नहीं कर सकते। इसलिए हिन्दुस्तान से उसने प्रोक्सी वार शुरू कर रखा है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि यही बात मैं नहीं कर रहा हूं, माननीय प्रधान मंत्रीजी भी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान के विरुद्ध प्रोक्सी वार शुरू कर रखा है अब प्रोक्सी वार पर मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता लेकिन राजस्थान और पाकिस्तान के अन्दर लगभग एक हजार किलोमीटर हमारी सीमा है,

(122)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इस सीमा से इस प्रोक्सी वार का स्वरूप क्या है, यही स्वरूप हिन्दुस्तान की सारी सीमा से है। पाकिस्तान के पास ड्रग्स बहुत हैं, हेरोइन है। हेरोइन के कारखाने चल रहे हैं। अफगानिस्तान में हथियार बहुत हैं और हथियार विदेशों से आ रहे पाकिस्तान हेरोइन बेचता है उसकी कमाई से हथियार खरीदकर हिन्दुस्तान में हथियार भेजने की कार्यवाही कर रहा है स्मगलिंग के थ्रू। यह भी आप सब लोग जानते हैं, आपके लिए कोई नयी बात नहीं है कि हिन्दुस्तान के बहुत से लोगों को पाकिस्तान ले जाकर इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि वे लोग किस प्रकार से हिन्दुस्तान में प्रवेश करें और प्रवेश करने के बाद किस प्रकार के कम्युनल डिस्टर्बेंसेज करायें, किस प्रकार से बम विस्फोट किया जाय, किस प्रकार से शांति और व्यवस्था को खतम किया जाय। इस सारे परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखें तो बी.एस.एफ. के और पाक रेंजर्स के बीच में जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ उस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी इंटेलीजेंस एजेंसीज लगातार ये सूचनाएं दे रही थीं कि जो बांगलादेशी पाकिस्तान में चले गये उन बांगलादेशियों को हिन्दुस्तान में जबरन प्रवेश कराया जायेगा। लगातार इस बात के सिग्नल्स आ रहे थे। इसलिए बीएसएफ निश्चित रूप से इस विषय पर सतर्क रहती है। इस बात की भी जानकारी है कर स्थान स्थान पर लोग कहीं हेरोइन भेजटीलों में दबा देते हैं, कहीं हथियार भेजकर उनको डम्प कर देते हैं। डम्प करने वाला कोई होता है, उठाने वाला कोई दूसरा आदमी होता है और उठाने के बाद में बिक्री करके उसका लाभ उठाने वाला तीसरा आदमी होता है। इसी प्रकार वे हथियार चलते रहते हैं। इस कारण से पूरे देश में इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। आज आप कह सकते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं लेकिन जब इस प्रकार की भूमिका है कि पाकिस्तान से कुछ लोगों को जबरन प्रवेश कराया जायेगा और खास तौर से बांग्लादेशियों को, बांग्लादेशियों के साथ कुछ ऐसे भी होते हैं जो हिन्दुस्तान में सब प्रकार का उत्पात कर सकते हैं, हिन्दुस्तान में जगह-जगह विस्फोटक कार्यवाहियां कर वे हिन्दुस्तान में शांति और व्यवस्था को भंग कर सकते हैं, इस भूमिका में यदि आप देखें तो पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन लोगों को पहले ज्योंही जीरो लाइन क्रास कराने की कोशिश की, उस समय रात में इस बात का पता नहीं था कि प्रवेश करने वाले कौन थे, देख नहीं सकते थे लेकिन ज्योंही वे आगे बढ़े उनको पाकिस्तान के रेंजर्स ने फायरिंग कवर्ड दिया, और ज्योंही फायरिंग कवर्ड दिया तो तो नेचरली कोई भी हो मैं समझता हूं कि वे बी.एस.एफ के थे, बी.एस.एफ. वालों की जगह कोई भी कोई भी कमाण्डर होता तो निश्चित रूप से फायरिंग का जवाब फायरिंग से उनको देना पड़ता उन्होंने फायरिंग का जवाब फायरिंग से दिया और देने के बाद में 8 व्यक्ति या 6 जितने आप बता रहे हैं उतने व्यक्ति वहां पर मारे गये। मारे गये वे पाकिस्तान की जीरो लाइन के ऊपर, जीरो लाइन के भी पड़ौस में पाकिस्तान की सरहद की ओर उनको जब यह चर्चा हुई कि उठाया जाय तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पाकिस्तान के रेंजर्स की ओर हमारे, दोनों के बीच में फ्लैग-मीटिंग हुई और फ्लैग मीटिंग में उस समय कोई निर्णय नहीं हुआ। पाकिस्तान ने कहा, हम इन लोगों को प्रवेश कराना चाहते थे और प्रवेश कराने के वक्त ये लोग मारे गये, इनको हम नहीं लेते। दूसरे दिन फिर फ्लैग मीटिंग हुई और उस फ्लैग मीटिंग में पाकिस्तान के लोग उनको ले गये।

मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, विश्नोई साहब ने जो कहा, वही मेरी भावना है कि आज पाकिस्तान में जितने भी इस प्रकार के हिन्दू रह रहे हैं और खास तौर से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के रह रहे हैं, उनका क्या जीवन है उनकी गाथाएं मुझे मालूम हैं। जानकारी मिलती रहती है, उन गाथाओं का मैं जिक्र नहीं करना चाहता। यह सम्भव है कि वे लोग पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते थे लेकिन उनको केवल स्केप-गोट बनाया जा रहा था और स्केप-गोट इसलिए बनाया जा रहा था कि इनके साथ या एक प्रकार की यह लाइन चल जाय कि इन लोगों का सेना, हिन्दुस्तान की सीमा पर चौकसी करने वाली बी. एस. एफ. स्वागत करती है तो उस स्वागत के साथ अन्य लोगों को भी पाकिस्तान हिन्दुस्तान में प्रवेश करा दे और इसी कारण से यह हुआ है।

दुःख आपको भी हुआ है और दुःख मुझे भी है और मैं इस बात के कभी खिलाफ नहीं हूं कि पाकिस्तान से इस प्रकार के गरीब लोग यदि हिन्दुस्तान में आना चाहें तो हिन्दुस्तान न आयें। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1965 और 1971 की लड़ाई में भी हिन्दुस्तान में पाकिस्तान के बहुत हिन्दू आये थे। उनको नागरिकता मैंने दिलवायी थी। उस समय सरकार कोई दूसरी थी लेकिन वर्षों तक उनको नागरिकता नहीं मिली। मैंने स्वयं 1977-78 में भारत सरकार से कोशिश करके उनको नागरिकता दिलवायी और आज भी मैं इस बात के लिए कमिटेड हूं कि दुःखी होकर यदि पाकिस्तान से कोई शरणार्थी इस प्रकार का आ रहा है तो हिन्दुस्तान में उसको नागरिकता मिलनी चाहिये। मैंने भारत सरकार को एक बार नहीं, कई बार कहा और इस कारण से यह घटना हुई है। इसके पीछे दुर्भावना का कोई सवाल नहीं है। जो घटना हुई है उसका जितना आपको खेद है उतना ही मुझे खेद है।

(15 00)

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, यहां बम विस्फोट की कही गयी। यह सही है कि बम विस्फोट हुआ। अब इस बम विस्फोट के बारे में अभी कुम्हेर से आने वाले सदस्य ने कई प्रश्न किये। मैं समझता हूं कि उत्तर दे सकता हूं लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से उत्तर देना उचित नहीं है। आपने जो पाइंट्स उठाये हैं, एक एक का उत्तर है लेकिन उत्तर देना भविष्य के लिए भी ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं उनसे क्षमा चाहूंगा कि उनके प्रश्नों का उत्तर मैं देऊंगा नहीं। जान-बूझकर नहीं देऊंगा क्योंकि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उसके भविष्य में सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही खतरनाक पहलू कई उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन मैं यह निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि यह सूचना कोई व्यक्तिशः आयी हो, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। भारत सरकार लगातार यह कह रही थी कि यह जो पाकिस्तानी तत्व हिन्दुस्तान में आ गये हैं, यह कहीं न कहीं 26 तारीख को कोई न कोई दुर्घटना कर सकते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है, यह लगातार इस प्रकार के सिगनल्स आते रहे हैं और उन सिगनल्स के कारण ही 26 जनवरी को जितनी विशेष व्यवस्था हमने की थी, आज तक 26 जनवरी को या 15 अगस्त को जितने फक्शन होते हैं उनमें कभी भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई। उस व्यवस्था के उपरान्त यह घटना घटित हो गयी उसका कारण तो वही है जो मैं जवाब नहीं देना चाहता लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब आप यह कहें कि यह जयपुर में घटना हो गयी, जयपुर में शांति और व्यवस्था खतम हो गयी....

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : पुरुलिया की बात कह रहे थे न इसलिए हमने यह एतराज किया है। पुरुलिया-पुरुलिया, आज तो हिन्दुस्तान पर से रात में पांच सौ हवाई जहाज गुजरते हैं और एक खटका दबाये तो दो टन सामान नीचे गिर सकता है जंगल में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे याद दिला दी यह बात। मैं तो भूल रहा था। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि वह एक घटना हुई है। अब यह घटना एक ही जगह नहीं हुई। मैं अब बाहर नहीं जाना चाहता। इजरायल जैसा देश, जिस देश के अन्दर कोई आदमी पिन डाल दे तो पिन की भी जानकारी जहां मिल जाय वहां के प्रधानमंत्री को शॉट-रेंज से गोली से उड़ा दिया। आपने खुद ने देखा होगा कि उनको गोली से उड़ाने के बाद इजरायल के अन्दर 47 व्यक्ति बम ब्लास्ट से मारे गये। आज इसी प्रकार की घटनाएं लन्दन में हो रही हैं। इसी प्रकार की घटनाएं हिन्दुस्तान के अन्य भागों में हो रही हैं। हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली में हो रही हैं। वहां बम विस्फोट हुए, काफी संख्या में लोग मारे गये। यह सब कुछ घटनाएं हो रही हैं और मैं आज आपको कहता हूं, हम सबको इस बात के लिए सतर्क रहना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान में इस प्रकार के तत्व जो आज के दिन सक्रिय हो रहे हैं वे केवल इसलिए हो रहे हैं कि उन ऐसे तत्वों को डील करने के लिए जो भारत सरकार को सख्त कानून बनाने चाहिये वे कानून नहीं बने।

यहां पर बम विस्फोट का जिक्र किया गया। मैं ज्यादा आपको नहीं ले जाना चाहता, 1989 में या 90 में कोटा के अन्दर बम विस्फोट हुआ। दाऊदयाल जोशी का जुलूस निकल रहा था उसके ऊपर बम फैंका गया। अब भगवान की कृपा से वे बच गये लेकिन जिस तरह से बम विस्फोट हुआ उसमें दाऊजी के बचने की कोई बात नहीं थी। यहां पर पुरोहितजी के कटले में बम रख दिया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गया। वह समय पर पकड़ लिया गया और पकड़ लिया गया उस कारण से कोई बहुत बड़ी घटना होने से बची। लगभग कोटा में और यहां पर तो हालात उस समय यह थे 1990 के अन्दर कि जैसे समोसे और कचोरी बिकते हों उसी प्रकार से बम बिक रहे थे। उन बम वालों को पकड़ा, कइयों को सजा हुई, कइयों का चालान हुआ, कइयों के खिलाफ सबूत नहीं मिला इसके कारण से चालान पेश नहीं कर सकें। लेकिन आपने देखा होगा कि उस समय सख्त एक्शन लिया, उसका नतीजा यह हुआ कि राजस्थान में बम विस्फोट की घटनाएं नहीं होने लगीं। आज वह सख्त कानून, वह टाडा कानून, खतम भारत सरकार ने कर दिया। लेकिन आपको याद होगा, जिस समय टाडा कानून खतम किया उस समय भारत सरकार ने पार्लियामेंट में यह एश्योरेंस दिया था कि हम इसी प्रकार का कानून क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के रूप में लोक सभा में लायेंगे, उसको पास करवायेंगे। लोक सभा में वह कानून आज तक पास नहीं हुआ और आज की जो धाराएं या कानून की जिस प्रकार की व्यवस्था है उस व्यवस्था में इस प्रकार के तत्वों को डील करने का और सख्ती से डील करने का कोई विशेष प्रावधान नहीं हैं। किस प्रकार की व्यवस्था की जाय, कैसे मुकदमा बनाया जाय, कैसे शहादतें इकट्ठी की जायं, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिये मैंने एक बार नहीं, प्रधान मंत्रीजी और दिल्ली के गृह मंत्रीजी को कई बार चिट्ठियां लिखी हैं और मुझे खुशी होगी अगर माननीय सदस्य चिट्ठियां देखना चाहें तो आप स्वयं भी इस बात को महसूस करेंगे कि राजस्थान की सरकार ने इस सारे मामले को कितनी गम्भीरता से लिया है। लगातार मैं प्रधान मंत्रीजी से मिला हूं, लगातार मैं गृह मंत्रीजी से मिला हूं। यहां तक गृह सचिव को मैंने कुछ दिन पहले ही कहा है कि मैंने जो सुझाव दिये हैं या तो इनको इन्कार कर दो कि हम इन सुझावों को मंजूर नहीं कर सकते। लेकिन अभी मैंने सुना है पांच-छह दिन पहले उन सुझावों में से अधिकांश सुझावों को उन्होंने मान लिया है। आज चाहे पासपोर्ट का एक्ट हो, चाहे सिटीजन-शिप का एक्ट हो, चाहे बाकी के एक्ट्स हों, उन एक्ट्स में संशोधन कर दें तो भी बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। आज मैं यह मानने के लिए भी इन्कार नहीं करता हूँ कि राजस्थान में ऐसे लोग भी बहुत बैठे हैं, तलाश पुलिस लगातार करती रही है कि जो पाकिस्तान से पासपोर्ट लेकर आये। पासपोर्ट की अवधि खतम हो गयी, आज भी वे हिन्दुस्तान में बैठे हैं।

मैं आपको इतना कह सकता हूं कि इस बम विस्फोट कांड में जिस प्रकार से पुलिस सारे अनुसंधान में लगी है, हमने कोई इसमें अपना ठेका नहीं लिया, दिल्ली और पंजाब में जितने भी एक्सपर्ट्स हो सकते थे उन एक्सपर्ट्स को यहां बुलाया, मौका दिखाया और मौका देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पुलिस के इन इक्विपमेंट्स के मामले में हमें और कई नये इक्विपमेंट्स इसमें खरीदने पड़ेंगे ताकि भविष्य में इस प्रकार की

(126)

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

कोई घटना नहीं हो। मैंने सारे हिन्दुस्तान के स्तर पर जानकारी की है कि इस प्रकार के इक्विपमेंट्स हिन्दुस्तान में कहां-कहां हैं। मैं कहना नहीं चाहता, बहुत कम स्थानों पर हैं लेकिन हम इसकी कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार के इक्विपमेंट्स आ जायं। मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि बम विस्फोट कांड में जिस प्रकार का इंवेस्टीगेशन चल रहा है, मैं आज तो कुछ कह नहीं सकता लेकिन निश्चित रूप से राज्य सरकार इसमें सफल होगी और जिन्होंने भी बम विस्फोट किया है, जिम्मेदारी के साथ हम कामयाब हो सकेंगे, लाइन हमारी ठीक चल रही है, कामयाबी होना उसमें निश्चित है। न भी हो तो कोई मेरा गला नहीं पकड़े कि आपने फलां तारीख को यह एश्योरेंस दिया था और उसके बाद में यह निकला नहीं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं हम पूरे लगे हुए है। आखिर जिस तरह की घटना है, उस घटना के सम्बन्ध में तत्काल में कोई निर्णय ले सकूं इस प्रकार की स्थिति नहीं है लेकिन कई लोगों पर नजरें हैं, कई लोगों को पकड़ना चाहते हैं, मिल नहीं रहे हैं। कई लोगों के आइडेंटिफिकेशन करवा रहे हैं, वह आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है लेकिन इस सम्बन्ध में हम ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं, मैं इस सदन को इतना ही विश्वास दिलाता हूं। यदि आम बम विस्फोट हो तो आप तो आलोचना ही करेंगे लेकिन मैं अपने आप में ऐसा समझता हूं कि यह घटना यहां जयपुर में नहीं होनी चाहिये थी। मैं यह महसूस करके चलता हूं कि इस कारण भी भविष्य में कोई घटना नहीं हो इसकी रोकथाम के लिए जितने उपाय किये जायं, वे उपाय निश्चित रूप से कर रहे हैं।

दूसरा प्रश्न आता है, उपाध्यक्ष महोदय, थानों में मौत का। यह वाकई में बहुत दर्दनाक विषय है कि जहां लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिये वहां लोगों की मौत हो जाय। इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता और इसीलिए माननीय सदस्यों को याद होगा, मैंने इसी सदन में कहा था कि थाने में कोई मौत होगी तो एडीशनल डी.आई.जी. से खुद एडीशनल डी.जी. के सुपरवीजन में जांच होगी। मैंने यह घोषणा भी की थी थाने में कोई मर जाय तो उसको पचास हजार रुपये दिये जायेंगे। अब मकराने का प्रश्न आप इस आधार पर लीजिये। मैं खेतसिहजी को यह नहीं कहना चाहता, आप मुझे बता दें, बहुत अनुभवी बैठे हैं, कई बार इधर ट्रेजरी बैंचेज पर बैठे थे, थानों में पहले भी मौतें हुई हैं।....

श्री परसादीलाल मीणा : पहले नहीं हुई।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरे पास है। आप यदि पूछेंगे तो मैं.....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : बहुत कम हुई हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : लिस्ट देना नहीं चाहता लेकिन मेरे पास सारी लिस्ट है।

श्री परसादीलाल मीणा : पहले की बात मत करो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, यह कह दो, यह समझ गया मैं। लेकिन पहले भी मौतें हुई हैं, आज तक किसी भी व्यक्ति को जो थाने में मरा है, पचास हजार रुपये की सहायता राशि दी हो तो आप बता दो, आज तक भी जो थाने में मरा है, उस थाने के किसी अधिकारी का चालान किया हो ? राजस्थान बना था 1947 में 1952 में विधान सभा बनी थी। 1952 से लेकर आज तक, आप और घटनाएं तो मेरे काल की तो बतायेंगे लेकिन मैं आपके काल की घटनाओं का उल्लेख करना चाहता हूं कि कहीं भी आपने एक व्यक्ति को, पैसा दिया हो या मारने वाले का चालान किया हो तो मुझे बता दें। लेकिन मुझे खुशी है कि आज आपमें मानसिक रूप से जागृति पैदा हुई है ...(व्यवधान) ठीक है, वह घटनाएं नहीं हुई हैं तो आप मुझे क्यों छेड़ रहे हो।

एक माननीय सदस्य : उस समय इतनी जागृति नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे इस बात की खुशी है कि आपको अपनी सरकार से उम्मीद नहीं थी, जितनी मेरी सरकार से उम्मीद है और इसलिए आप इन सब चीजों को उठा रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपकी उम्मीद वाजिब है। आपको इस प्रकार की उम्मीद इस सरकार से रखनी चाहिये और मैं आपको इस बात को····(व्यवधान) शैलेन्द्रजी, थोड़ा सुन लें आप। मैं समझता हू कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसके लिए तैयार हू।

अब मैं मकराना से शुरू करना चाहता हूं। मकराना में माननीय दीपेन्द्रसिंहजी भी गये थे, हमारे गृह मंत्रीजी और आई. जी. भी तुरन्त वहां पहुंच गये थे और एक दिन के बाद में मैं स्वयं चला गया था। आज मैं समझता हूं कि दीपेन्द्र सिंहजी यहां भाषण सुन लेते या गृह मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया उसको सुन लेते और अगर यही खेतसिंहजी सुन लेते तो उनको इतने प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं थी। मैं आज आपको बताऊं कि जिस व्यक्ति को थाने में मारा है उसके सम्बन्ध में केस रजिस्टर किया गया है। उसमें जिन अधिकारियों को मारने के लिए दोषी पाया गया है उनको गिरफ्तार करके चालान करने के राज्य सरकार ने आदेश दे दिये हैं। वे गिरफ्तार होंगे और उसमें किसी तरह की कोई कोताई नहीं होने वाली। आज वह कोई पुलिस का नाम ऊंचा नहीं कर रहे हैं, मेरा नाम ऊंचा नहीं कर रहे हैं या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का नाम ऊंचा नहीं कर रहे हैं। वे अपराधी प्रवृत्ति के लोग यदि किसी आदमी की हत्या करेंगे तो जैसे साधारण हत्यारा कानून का अपराधी होता है उसी प्रकार से उसके साथ सख्ती से कार्यवाही की जायेगी, इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मकराना वाले में कॉज आफ डैथ क्या है ? एक ही प्रश्न है। स्प्लीन रप्चर से तो नहीं हो गया, कहीं एक घूंसा लगे ? मैं क्रिमिनल लायर रहा हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : सवाईमाधोपुर में....

(१२८)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह क्या + + + उपाध्यक्ष महोदय।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : क्रिमिनल की वकालत की हुई हैं, कहीं स्प्लीन रप्चर से तो नहीं हुई है। उसमें एक घूंसे से हो जाती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विश्नोईजी, एक मिनट। मैं बता देऊं। आप मुझे सुन लीजिये।

जब मैं मुकदमे का चालान कर रहा हूं तो इन डिटेल्स में मैं हाउस में जाऊं कि कॉज आफ डैथ क्या था, डैथ का समय क्या था? (व्यवधान) नहीं, सुनिये आप तो वकील हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हां, मेन वही है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं वही कह रहा हूं। हमने सारा अनुसंधान करने के बाद में चालान करने का फैसला लिया है उसमें आपको यही सन्तोष करना चाहिए। अगर आप डिटेल्स में जायेंगे, आप की तरह से मैं तो कानून में वकालत किये हुए नहीं हूं, अगर कोई मुंह से बात निकल जाय और मुलजिमों को फायदा पहुंचे, वह बात तो मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहता।

श्री हरिसिंह (महुआ) : इसमें मुलजिमों को फायदा कहां से हो रहा है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई भी बात ऐसी आ सकती है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस मामले में अब जैसी जांच हुई, अभी एक मित्र कह रहे थे कि कलक्टर का आदेश नहीं था, कलक्टर के खुद के पत्थर की चोट लगी है, एस. पी. के खुद के पत्थर की चोट लगी है और मैं आज कह सकता हूं कि उस समय पुलिस फायरिंग नहीं करती तो लोग थाने में घुसते, थाने को जलाते और भगवान जाने किस प्रकार की घटनाएं होतीं। उसको रोकने के लिए आवश्यक हो गया था और इसीलिए रेवेन्यू बोर्ड के मैम्बर से जांच करायी। अगर रेवेन्यू बोर्ड के मैम्बर से जांच नहीं करा कर मैं पूनमचन्दजी और खेतसिंहजी से करा लेता तो इसका भी नतीजा यही आता कि इस ढंग से लोगों ने थाने पर हमला करने की कोशिश की और करने के कारण से गोली चलायी। गोली से जो व्यक्ति मरा है, मुझे भी दर्द है। जैसे दीपेन्द्र सिंहजी कह रहे थे, मैं भी उसके परिवार को सांत्वना देकर आया हूं। मैं उसके परिवार में वहां गया भी हूं।

जहां तक यह कहा गया कि मकराना में हिन्दू-मुस्लिम दंगा कराने की कोशिश की गयी, मैं समझता हूं कई लोगों ने कोशिश की है। दीपेन्द्र सिंहजी जानते हैं कि किन्होंने कोशिश की लेकिन मेरे जाने बाद में हिन्दू-मुसलमान का तनाव वहां अपने आप ही खतम हो गया। कोई किसी प्रकार का तनाव नहीं रहा। मैं स्वयं जब उसके घर से बाहर निकला तो लोग कर्फ्यू होने के उपरान्त भी सड़क पर बाहर आ गये और हजारों की संख्या में आ गये, मैं खड़ा रह

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कर सबसे मैंने बातचीत की। पुलिस वालों को तो यह चिन्ता थी कि मेरी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं पहुंच जाय लेकिन मुझे इस बात का आत्म-विश्वास था कि मैं जिस जनता के बीच में खड़ा हूं वह जनता मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकती। जनता का मेरे साथ स्नेह है और वही जनता मेरे साथ चलती-चलती आगे तक आयी। उस समय मैंने पुलिस को कह दिया कि अब यहां कर्फ्यू रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी समय तत्काल कर्फ्यू उठा दिया गया। इससे आप अन्दाजा लगा लें कि उनमें विश्वास किस प्रकार से उत्पन्न हुआ है।

मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज मेरे मन में निश्चित रूप से यह धारणा है कि कोई भी घटना हो जाय और घटना हो जाने के बाद हमारे मंत्रिमण्डल के सदस्य या विधायक पहुंच जाय और उनके पहुंचने के साथ-साथ मैं भी पहुंच जाऊं तो इतना विश्वास है कि आप लोगों को शायद सही समाचार दें या नहीं दें लेकिन जनता निश्चित रूप से सही स्थिति क्या है इसकी मुझे जानकारी देगी। जैसे आपको विश्वास है मेरे पर कि मेरे सामने कहेंगे तो मैं आपकी मांग मंजूर करूंगा उसी तरह से जनता को भी विश्वास है कि मेरे सामने सही स्थिति वह रखते हैं तो निश्चित रूप से उस सही स्थिति पर मैं कार्यवाही करूंगा।

विश्नोईजी, मैं तो आपको टोकता ही नहीं हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मुख्य मन्त्रीजी, इसका कारण तो यह है कि राजस्थान की पूरी जनता और हम लोग यह मानते है कि....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप पर पूरा विश्वास है, आप इसमें न्याय कर देना। पूरा विश्वास है। कोई पक्षपात नहीं करना, गहराई में जाकर के न्याय करना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : न्याय करूंगा मैं, मैंने इतना बता दिया। अभी परसादी लालजी बोल रहे थे, कौनसी जगह है वह ?

श्री परसादीलाल मीणा : मण्डावर.... (व्यवधान)।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह जो आपके लालसोट गया ? (व्यवधान) सब-इंस्पेक्टर आपके यहां कहां का गया है ?

श्री परसादीलाल मीणा : हां, लालसोट लगाया न उसको मण्डावर से। उस मारने वाले को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लालसोट लगाया। तो मैं आपको इतना बता देऊं इस मामले को भी मैंने पिछले दिनों....

श्री परसादीलाल मीणा : मैंने चिट्ठी लिखी थी आपको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुन लीजिये।

पिछले दिनों मैंने राजस्थान में जितने भी थानों में मौत के मामले हुए हैं उनको व्यक्तिशः देखा है और व्यक्तिशः देखने के बाद में जितनी जांच रिपोर्ट आयी है

(130)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उनका अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद में लोगों को चालान करने के, गिरफ्तार करने के आदेश दिये हैं जिसमें मण्डावर का सब-इन्स्पेक्टर भी शामिल है। इसलिए आप यह चिन्ता मत करो। आज कोई थानेदार किसी की हत्या कर दे, वह मेरा मित्र और परिवार का आदमी नहीं हो सकता और परिवार का आदमी भी है तो उसको सजा दिये बिना मैं नहीं रह सकता। इसलिए इस विश्वास से आप काम करिये।

दूसरा, अभी एक घटना सुकेत की हुई। सुकेत में जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, गृह मंत्रीजी ने जवाब दे दिया, मैं रामकिशनजी को यह विश्वास से कह सकता हूं कि अगर किसी का भी दोष है तो वह बचेगा नहीं। अब उसमें कई तरह की कंफिलक्टिंग बातें आती हैं। एक रिपोर्ट आती है दूसरी, दूसरी रिपोर्ट आती है दूसरी तरह की और कार्यकर्ता दूसरी तरह की बात कहते हैं और बाकी के लोग तीसरी तरह की बात कहते हैं। इस प्रकार की घटनाएं हैं लेकिन इन सारी घटनाओं से जो भी सही निचोड़ निकलेगा उसके आधार पर निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा, यही मैं आपको विश्वास दे सकता हूं।

एक धरियावाद का है। उपाध्यक्ष महोदय, धरियावद में जब यह काण्ड हुआ तो मुझे कहीं से टेलीफोन आया। टेलीफोन आया। टेलीफोन आते ही मैंने नन्दलालजी मीणा और गुलाबचन्दजी कटारिया की तलाश की कि यह कहीं उधर हों तो वहीं चले जायें। यह दोनों वहां चले गये। यह घटना जो इन्होंने बतायी है उसमें मुझे एड करने की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन घटना में जो आदमी मरा है, अब आज मैं पांच आदमियों को थाने में मारा गया इस बात को स्वीकार करता हूं तो छठे को भी स्वीकार करने में मुझे कोई सैद्धान्तिक मतभेद नहीं है और न तथ्यों के आधार पर मतभेद हो सकता है लेकिन आप सब जानते हैं कि गोफन और गोली, इन दोनों की चोट से कोई बिरला ही बच जाय तो मैं कह नहीं सकता। गोली से तो अगर नीचे के अंगों में लग जाय तो उसके बचने के चांसेज हैं लेकिन गोफन की चोट खाये बाद में तो आदमी बिरला ही बचे। उस आदमी की मौत गोफन से हुई है।

वहां जिस प्रकार की घटना हुई, अब उसमें आप एक अन्दाजा लगा लें कि एक आदमी को कोई बन्द कर दे मकान में, और रेंसम के लिए बंद कर दे, शादियों के मामले को लेकर, एक शादी के या नाते के मामले को लेकर किसी आदमी को बंद कर दे और बंद करके कहे कि इतना पैसा दे, इस प्रकार की बात पुलिस वाले सहन नहीं करेंगे। मैं इस आधार पर कहना चाहता हूं कि थाने में मौत होगी तो निश्चित रूप से एडीशनल डी. जी. जांच करेंगे, 50 हजार रुपये की सहायता निश्चित रूप से दी जायेगी और जांच में किसी प्रकार का पक्षपात पुलिस वाले करें तो राज्य सरकार उसको सहन नहीं करेगी। थोड़ा-बहुत ज्ञान हमको भी है। अगर पुलिस वाले अपनी रिपोर्ट देंगे तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भगवान की कृपा से इतनी छानबीन करने की क्षमता तो है कि उसमें कौनसी सही है और कौनसी गलत।

मैं मोटे रूप से आपको यह कहना चाहता हूँ कि आज राजस्थान की और हिन्दुस्तान की जिस प्रकार की स्थिति है उस स्थिति में हमें सबको सावधान रहना पड़ेगा, उन तत्वों के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा जो हिन्दुस्तान में शांति और व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं।

आज जहां-जहां भी घटनाएं हुई हैं मैं उन घटनाओं का जिक्र नहीं करना चाहता लेकिन पूनमचन्दजी ने याद दिला दिया, आज एक माननीय सदस्य इस्तीफा मांग रहे थे गृह मंत्रीजी इस्तीफा दें, डी. जी. इस्तीफा दें उसके बाद में कृपा की आपने कि आपने मेरा इस्तीफा नहीं मांगा, उसके लिए तो मैं आपके प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं लेकिन पुरुलिया काण्ड में जिस प्रकार की स्थिति हुई है वह तो भूतो न भविष्यति। हिन्दुस्तान के ऊपर जहाज घूम जाय, हथियार लेकर जहाज घूम जाय, पांच बार अलग-अलग एयर फोर्स के ऊपर वह जहाज उतर जाय और उतरने के बाद वहां पर हथियार डाल जाय और हथियार डालने के बाद में....

श्री रामनारायण चौधरी : आप कहां पर पुरुलिया की बात ला रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं नहीं ला रहा हूं, मैं तो पुरुलिया भूल गया था....

श्री रामनारायण चौधरी : हमने तो आपकी बात उठायी थी, आप पुरुलिया ले गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन विश्नोईजी ने मुझे याद दिलाया, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उस स्थिति में गृह मंत्रीजी ने परसों पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया और पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने यह स्वीकार किया कि इसमें हमारी भूल हुई। लेकिन आज तक हिन्दुस्तान में पुरुलिया काण्ड का कोई व्यक्ति पकड़ा नहीं जाय, हथियार हवाई जहाज से यहां पर डाल दिये जायं, अब इससे ज्यादा कोई बड़ी दुर्घटना हिन्दुस्तान के इतिहास में तो आज तक हुई नहीं है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : लेकिन हवाई जहाज पकड़ा गया, उसके पायलेट्स पकड़े गये, शस्त्र पकड़ लिये गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पकड़े गये वह ठीक है। यह तो सही है. (व्यवधान)....

श्री विष्णु मोदी : आनन्दमार्गियों से जो सम्बन्ध थे वह सारे सामने आ गये। जैसे अभी आपने कहा कि हमारा इन्वेस्टीगेशन सही दिशा में है, तो पुरुलिया के अन्दर जो कांस्पीरेसी थी उसमें भी सही दिशा में आगे इन्वेस्टीगेशन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बिलकुल सही है। आपने कहा न उन्होंने भूल स्वीकार कर ली। यह तो कहा न ?

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : आप भी तो स्वीकार करो भूल।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, भूल हुई ही नहीं तो क्या स्वीकार करूं। भूल मेरी हुई ही नहीं। आप ठहर तो जाओ (व्यवधान) आप ठहर तो जाओ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : मुख्य मंत्रीजी, इंटरपोल के द्वारा भारत को सरकार कोई सूचना नहीं थी लेकिन 26 जनवरी को जो यहां पर सवाई मानसिंह स्टेडियम में बम कांड हुआ उसकी आपको पूर्व सूचना भारत सरकार द्वारा दी गयी थी उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने आपको सब बातें बता दीं। भारत सरकार मुझे क्या सूचना देती है और भारत सरकार को मैं क्या सूचना देता हूं उन सारी इंटेलीजेंस रिपोर्ट के बारे में यहां जिक्र करने की आवश्यकता नहीं और मैं भी....समझता हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आता है, कोटा बीच में आता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ?

श्री बिष्णु मोदी : आप जो सूचना देते हो और वह आपको सूचना देते हैं उसमें कोटा आता है बीच में। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और कुछ जानकारी हो जाती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आपको यदि किसी विदेश से कोई इंटरसेप्ट करने की कोई मशीनरी या मैकनिज्म मिल जाय तो उसका उपयोग कर लें, हम भी फायदा उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूं कि ऐसी स्थिति में हम केवल एक ही विचार से चलेंगे कि जो कुछ पुलिस काम कर रही है वह गलत है तो उचित नहीं रहेगा।

आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक बात देखी होगी, क्राइम्स का नेचर कैसे बढ़ रहा है, क्रिमिनल्स की आदत कैसी हो गयी, आज मैं समझता हूं, माफ करना मीडिया वाले, टी. वी. के ऊपर जिस प्रकार की घटनाएं बच्चे देखते हैं, एक नयी क्रिमिनोलोजी पैदा होती है, उनके दिमाग में कि क्राइम्स किस प्रकार से किये जा सकते हैं, स्मगलर किस प्रकार से स्मलिंग करते हैं और स्मलिंग करने के बाद में जेल कैसे तोड़ते हैं, जेल तोड़ने के साथ ही पुलिस वालों को कैसे मारते हैं। यह एक इस प्रकार का एक ट्रेनिंग सेंटर खुला हुआ है जहां इस प्रकार की ट्रेनिंग लगातार मिल रही हो वहां उस समाज के अंदर हम बच रहें, यह हमारी खुशकिस्मती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस सारे परिप्रेक्ष्य में हम देखें।

मैं जिक्र नहीं करना चाहता, आज हमारे बडे-बड़े आदमी बम विस्फोट के कारण से मर गये। बम विस्फोट के कांड से स्वर्गीय राजीव गांधी जी की घटना हुई। आज कोई कह सकता है, इल्जाम किसी पर लगा सकता है लेकिन चार वर्ष हो गये, पांच वर्ष हो गये, पांच वर्षों में अभी तक कोई अपराधी नहीं पकड़े गये। अब इससे बड़ी देश की कोई बदकिस्मती नहीं हो सकती। यह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लोगों को प्रोत्साहन भी देती है कि राजीव गांधी जी की हत्या हो गयी, आज तक कोई भी नहीं पकड़ा गया। यह कुछ घटनाएं इस प्रकार की है....(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : आप, मुख्य मंत्रीजी, इतना मत कहिये कि कोई नहीं पकड़ा गया। उसमें सारे नहीं पकड़े गये होंगे लेकिन राजीव गांधी जी की हत्या कांड में कोई नहीं पकड़ा गया यह फेक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य अभियुक्त से मतलब है।

श्री चन्दनमल बैद : असत्य बोलने का ठेका तो मुख्य मंत्रीजी ने ले रखा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सच्चाई का तो ठेका चन्दनमल जी आपने ही ले रखा है। आज तक आप सच ही सच बोले हैं। आप कह रहे हो असत्य बोलने का ठेका मुख्य मंत्रीजी ने ले रखा है तो मैं उस भाषा में तो नहीं बोलना चाहता, आप मेरे से वृद्ध हैं, लेकिन इस भाषा में जरूर कहना चाहता हूं कि सच्ची बात कहने का ठेका आपके पास नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस आधार पर सारे परिप्रेक्ष्य में आप देखें और देखने के बाद जो भी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को किस प्रकार से राज्य सरकार डील कर रही है।

एक विश्वास अन्त में दिलाना चाहता हूं कि अपराधी के साथ राजस्थान की सरकार भी नहीं होगी, राजस्थान की पुलिस भी नहीं होगी और पुलिस यदि अपराधी का साथ देती है तो वह पुलिस जेलखाने के अलावा बाकी कहीं भी नहीं रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यहां तक व्यवस्था की है कि पुलिस अच्छे काम करती है, पुलिस का रिआर्गेनाइजेशन करूंगा। क्राइम्स बढ़ रहे हैं, क्राइम्स की टेंडेंसी बढ़ रही हैं लेकिन पुलिस का रिआर्गेनाइजेशन नहीं हुआ। खेतसिंहजी तो खुद यहां पर डिप्टी होम मिनिस्टर रहे हैं और डिप्टी होम मिनिस्टर होने के नाते आप बता दें कि पुलिस का रि-आर्गेनाइजेशन आज तक किया है क्या ? मैं 1990 से आया हूं, कोई वर्ष ऐसा नहीं जाता कि पुलिस के लिए कोई न कोई व्यवस्था मैंने नहीं की हो। सिपाहियों के चाहे मैस भत्ते का प्रश्न हो, सिपाहियों के चाहे ड्रेस का प्रश्न हो, सब चीजों के ऊपर उनकी समस्याओं का समाधान किया है।

पहले एक कांस्टेबल रिटायर होता था तो कांस्टेबल की हाइएस्ट ग्रेड में रिटायर होता था। आज कांस्टेबल रिटायर होगा तो सब-इंस्पेक्टर की तनख्वाह पर रिटायर होगा। मैंने उनकी आर्थिक समस्याओं का, सब-इंस्पेक्टर की तनख्वाह के बराबर.... (व्यवधान) बढ़ गयी तो आपने बढ़ाई थी क्या ?

श्री हरजीराम बुरड़क : तो आपने बढ़ायी है क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अपने आप नहीं बढ़ी है, मैंने बढ़ायी है। (व्यवधान) मैंने बढ़ायी है। छोड़िये आप। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : दूसरी स्टेट्स में कम हो गयी क्या ? सारी स्टेट्स में बढ़ी है, सभी जगह बढ़ी है, आपने क्या कर दिया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य यह बात कहें कि आपने बढ़ायी हो, मैंने 9-18-27 का फार्मूला राजस्थान की सर्विसेज पर लागू किया है। चपरासी रिटायर होगा तो तहसीलदार तक की तनख्वाह मिलेगी और सिपाही रिटायर होगा तो सब-इंस्पेक्टर की तनख्वाह होगी। आप मत मानो। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : पे-कमीशन भी आपने ही बनाया है, पहले पे-कमीशन नहीं बने कभी ? राजस्थान में पे-कमीशन भी बने हैं, डियरनेस अलाउन्स भी मिला है, सैलेरीज रिवाइज भी हुई हैं और आपने ही बढ़ायी है खाली ? हम लोग तो यूं ही बैठे रहे, तनख्वाह वही रही। क्या बात करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह कह सकता हूं कि आपने सब कुछ किया है लेकिन सरकारी सेवाओं में 9-18-27 के ऊपर तनख्वाह की वृद्धि होगी, यह केवल राजस्थान की सरकार ने किया है और किसी ने नहीं किया। इसी कारण मे मैं कह रहा हूं कि कांस्टेबल रिटायर होता है उसको सब-इंस्पेक्टर की तनख्वाह मिलती है। आज उसी आधार पर हमने पुलिस का रि-आर्गेनाइजेशन किया है। कई चौकियों को थानों में बदला है। कई नये थाने बनाये हैं। कई नयी चौकियां बनायीं। सब प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं और साधन दिये हैं। गाड़ियां दे रहा हूं, सारे इक्विपमेंट खरीद रहा हूं। अब जिस समय कोई खर्चे की मांग करता हो उस समय तो आप विरोध करते हैं कि आप किसी प्रकार का टैक्स लगा नहीं सकते और व्यवस्थाएं सब प्रकार की करनी पड़ती है। इस व्यवस्था के साथ पुलिस में भी, मैं समझता हूं, लोगों में एक सेंस आफ रेस्पांसिबिलिटी किस प्रकार से क्रियेट हो, मैंने डी. जी. और एडीशनल डी. जी. सबको कहा है, हमेशा पुलिस लाइन में जाकर पुलिस वालों की रेस्पांसिबिलिटी क्या है, वह बाकी के ड्रेस देखें, डिसिप्लीन देखें।

इसके अलावा सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में पुलिस की ड्यूटी क्या है और किस प्रकार से अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज किया जाये, इस मामले में लगातार लोगों का प्रशिक्षण चालू रखा जाय। मैं इतना ही कह सकता हूं कि राजस्थान में अन्य राज्यों के मुकाबले में जिस प्रकार की विस्फोटक चीजें हो रही हैं, जिस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, उन पर राजस्थान में जबरदस्त नियन्त्रण है और इस नियन्त्रण का परिणाम यह है कि राजस्थान में गड़बड़ी करना भी चाहते हैं लेकिन राजस्थान में गड़बड़ी नहीं कर सकते और भविष्य के बारे में मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि चाहे किसी प्रकार की गतिविधियां हों, राजस्थान की पुलिस उन गतिविधियों को डील करने में सक्षम है, सक्षम रहेगी और उसको सक्षम बनाया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद।

श्री मोहनलाल मोदी : विदेशी हथियारों के बारे में, बीकानेर के टाडा केसेज....

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त। माननीय सदस्या, श्रीमती उजला अरोड़ा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद चालू होगा इसमें आज पहला मौका उन लोगों को दिया जायेगा जिनके संशोधन प्रस्ताव अभिभाषण के अन्दर दिये हुए है। यह, मान्यवर, अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था का क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : करेंगे, करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : उन्होंने हमें यह कहा था और आज सुबह मैं बात करके आया हूं कि आज सबसे पहले अभिभाषण पर उन लोगों को मौका दूंगा जिनके अभिभाषण में संशोधन के प्रस्ताव दिये हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : देखेंगे। आपको भी मौका देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : देखेंगे क्या, उपाध्यक्ष महोदय, आप फैसला दीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको भी मौका देंगे। कृपया बोलने दें। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : भंवर जी ने बैठा दिया।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : अभी नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य ने बिना सूचना दिये यहां एक बात खड़ी की थी कि हमने एक माननीय सदस्य को नीमकाथाना में अध्यक्ष का चार्ज दिया है स्थिति यह है कि वहां जो चुने हुए अध्यक्ष थे, उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद उपाध्यक्ष काम कर रहे थे, उनके खिलाफ भी अविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया। परिणामस्वरूप न अध्यक्ष थे, न उपाध्यक्ष थे। ऐसी स्थिति में वहां कार्य चलाने के लिए चार्ज किसको दिया जाय, उसके सम्बन्ध में माननीय रमेश जी को हमने यह चार्ज दिया और वह दिया है नगर पालिका अधिनियम की धारा 69 ए की उप धारा 4 में, वह मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। पढ़ता हूं। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : 15 आदमी अविश्वास में थे और तीन आदमी आपके साथ थे। उन तीन आदमियों में से ही रमेश चौधरी था, उसी को आपने चार्ज दे दिया। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : तीन आदमियों के सहारे नगरपालिका पर काबू पाना चाहते हैं सरकारी आदेश से। यह जनतंत्र है, यह लोकतंत्र है ? तीन आदमियों के सहारे आप पूरी नगरपालिका पर काबू करना चाहते हैं। आपका अध्यक्ष हट गया, उपाध्यक्ष हट गया। आप सरासर अन्याय कर रहे हैं। +++ कर रहे हैं। कहते हैं

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामनारायण चौधरी)

बहुमत का राज है। कैसे लोग चुनाव लड़ेंगे ? तीन आदमी हैं आपके वहां नगरपालिका में, वहां आपने अपना चेयरमैन बना दिया। यह कोई न्याय की बात है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : सुनिये आप पहले। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : क्या सुनेंगे ?

श्री मोहनलाल मोदी : अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया और उसमें यह तीन ही आदमी थे।

श्री रामनारायण चौधरी : जब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नहीं हो तो जिसका बहुमत है उसके आधार पर उसको नामीनेट कर दीजिये। चुनाव कराकर चेयरमैन बना दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह कोई कानून है क्या ? (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : हां, कानून है।

श्री मोहनलाल मोदी : कानून में साफ लिखा है ये। उसको बना दें आप। मैं बताऊं आपको....(व्यवधान) यह कानून है क्योंकि जिसके प्रति अविश्वास पास हो जाये उसी को बना दें आप .. (व्यवधान).... यह कहां का कानून है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : पहले मुझे पढ़ने दें आप।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय मंत्री महोदय, इस कंट्रोवर्सी में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि हम आज इसी हाउस में घोषणा कर देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : वही कह रहा हूं। (व्यवधान)....

श्री शिवनाथ सिंह : कंट्रोवर्सी में मत पड़ें आप। आप तो डेट अनाउंस कर दें। आपने किया है, ठीक है कर दिया सो कर दिया।

श्री भंवरलाल शर्मा : नियमों के अन्तर्गत किया है। (व्यवधान) ..

श्री मोहनलाल मोदी : शर्मा जी, आप छोड़िये। आपने वहां पर ए. ई. एन. को बदलवाया, एक मैम्बर को तोड़ने के लिए (व्यवधान) एक तारीख को ए. ई. एन. को वहां पर लगवाया।

श्री भंवरलाल शर्मा : कानून से किया है, डेमोक्रेटिक तरीके से किया है और दस अप्रेल के पहले-पहले चुनाव करा देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : एक आदमी ने नगरपालिका पर कब्जा कर लिया और हमारे 15 आदमी हैं ... (व्यवधान) ....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : चुनाव तो करा देंगे दस अप्रेल को। लेकिन आपने किस योग्यता के आधार पर उसको अध्यक्ष नियुक्त किया उसके कारणों पर प्रकाश डालिये कि आखिर उस आदमी में ऐसी

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

क्या खासियत थी। आपने उसको बनाया उन कारणों पर प्रकाश डालिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : पूरा उत्तर देंगे, आप सुन लें।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरासर अन्याय किया गया है। जिसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव पास है उन्हीं को आपने चेयरमैन बना दिया। फिर क्या न्याय है ? क्यों अविश्वास प्रस्ताव लेकर आये ?

श्री उपाध्यक्ष : मोदीजी, बिराजें।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब कोई कंट्रोवर्सी की आवश्यकता नहीं है। आपको डेट अनाउंस करनी है, कर दीजिये (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आपके उपाध्यक्ष के साथ दो आदमी थे, उनको हटा दिया तो आपने उनका+++को चेयरमैन बना दिया।

श्री भंवरलाल शर्मा : कहां बना दिया ? आप बात तो सुनिये। (व्यवधान)

श्री नारायण सिंह : यह क्या है ?

श्री रामनारायण चौधरी : मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया चुनाव करा लें, बात खतम।

श्री मोहनलाल मोदी : आप परदा मत डालो। आप मान लीजिये कि आपने गलती की है।

श्री शिवनाथ सिंह : आप तो डेट अनाउंस कर दो, क्यों झगड़े में पड़ते हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष का चुनाव दस अप्रेल के पहले-पहले करा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह जो नियुक्ति की है यह धारा 69 (ए) की सब धारा 4 के अन्तर्गत की है। इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था।

श्री रामनारायण चौधरी : विकल्प है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : बहुमत के आधार पर चुनाव हो जायेगा। अगर आपका बहुमत है, . (व्यवधान)

श्री नारायण सिंह : यह आपकी मेहरबानी से नहीं होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : चुनाव करा लेना। कोई मेहरबानी की जरूरत नहीं है। दस अप्रेल से (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : आप कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव करा दीजिये। पहले 12 घंटे के नोटिस पर चुनाव ...

श्री भंवरलाल शर्मा ; ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप प्रावधानों को देख लीजिये। उसके आधार पर

+++शब्द अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

ही किया है जो कुछ भी किया है और वेश्म में बात कर लीजिये । यहां चुनाव थोड़े ही होगा । (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : सदस्यों को कम से कम 12 घंटे की लिखित सूचना बैठक होने का समय, स्थान तथा बैठक का प्रयोजन अंकित होगा, देगा । ऐसी सूचना को नगरपालिका कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी लगाया जाय । यह क्या है ? यह काहे के लिए है फिर ?

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, इसमें रूल्स बने हुए हैं । उसको यह अधिकार कब हैं, यह सुनें आप । जब कभी अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाय और उसका कार्य भार संभालने हेतु मण्डल का कोई उपाध्यक्ष न हो अथवा अधिनियम की धारा 69 (ए) के प्रावधानों के अन्तर्गत मण्डल के किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष पद का भार ग्रहण करने हेतु सरकार ने निर्देश नहीं दिये हों, तब करेगा । दे दिये हमने । (व्यवधान)

श्री नारायण सिंह : इसके अन्दर आगे है वह भी पढ़िये आप । इसको पूरा तो पढ़िये । आगे वाली बात नहीं पढ़ना चाहते ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें ।

श्री अमराराम (धोद) : गलती के लिये क्षमा मांग लो ।

श्री मोहनलाल मोदी : पूरा शासन लग गया म्युनिसिपैलिटी का, एक छोटा-सा उपाध्यक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बार बार व्यवधान कर रहे हैं ।

श्री मोहनलाल मोदी : व्यवधान कर रहे हैं तो कोई सैंसर कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं । हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराजें । माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप बिराजें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन मंत्री जी ने एक गलती की, उनको स्वीकार करना चाहिए कि मोहनलाल जी के कहने से उन्होंने किसी आदमी को मनोनीत कर दिया वह नहीं करना चाहिये । उसी का परिणाम यह भोग रहे हैं । (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : मुख्य मंत्रीजी, बिलकुल नहीं कहा है । यह सरासर गलत है । मेरे कहने से करते और फिर मैं ही यहां पर उसका अपोजीशन करता ? यह आपको गलत बताया है इन्होंने, मुख्य मंत्रीजी ।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : यह बात हमने की थी और इन्होंने कहा था कि मैं न्यायसंगत बात करूंगा, और यह कहा था कि एक दफा जिसके खिलाफ अविश्वास आ जाय उसको करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता और यह भी कहा था कि कंसेंसस के आधार पर मैं करूंगा इन सब बातों को ताक पर रखकर माननीय मंत्रीजी ने

(डा. हरिसिंह)

अप्रजातांत्रिक तरीके अख्तियार करके, बुर्जुवा तरीके अख्तियार करके, जैसे तौर-तरीके हैं भारतीय जनता पार्टी के....(व्यवधान) बुर्जुवा तो एक बड़े समझदार आदमी के लिये एक गजब बात है। यह समझते ही वो नहीं हैं इस बात को अब आप, मुख्य मंत्रीजी, क्या स्पष्टीकरण देना चाहते हो ? गुमराह करना चाहते हो। आप यह कह रहे हो कि माननीय मोहन जी के कहने से नहीं किया तो यह नाराज हो रहे हैं। हमने तो कह दिया, हमारे कहने से मत करो लेकिन कायदे से काम करो। डेमोक्रेटिक तरीके से करो। अब आप और क्या गुमराह करना चाहते हैं सदन को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुन लें। उपाध्यक्ष महोदय, अभी मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य, जो बहुत अच्छे एडवोकेट भी हैं, ने एक धारा पढ़कर सुनायी और किताब मुझे दे दी। वह किताब मैंने पढ़ी तो धारा मुझे मिली ही नहीं.... (व्यवधान) तो मैं परेशान हो गया। वह धारा मिली नहीं तो मैंने आपको चिट्ठी लिखकर भेजी कि आपने कौनसी धारा पढ़कर सुनायी। आप जवाब मुझे देने आये कि वह पन्ना फाड़ लिया है। तो मैंने कहा कि पेज नम्बर बता दो कि कौनसा पेज है। तो कहा कि पेज नहीं है। आपने धारा पढ़ी रूल्स की। रूल्स में जो धारा है वह पढ़ी। इसमें दो व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था तो यह है, अध्यक्ष नहीं हो और उपाध्यक्ष नहीं हो तो सरकार को एक महीने तक किसी सदस्य को चार्ज देने का अधिकार है। यह अधिकार मेरा दिया हुआ नहीं है, यह आपका बनाया हुआ कानून है जिसमें हम भी सहभागी हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कानून कोई नया बना है। पुराना कानून है। उसके अन्तर्गत उन्होंने ऐसे आदमी को जो किसी पार्टी का सदस्य नहीं है, न बी. जे पी. का है, न कांग्रेस का है, उस सदस्य को नामीनेट कर दिया। नामिनेट करने के बाद.... (व्यवधान) अब ऐसी स्थिति में जहां तक कानूनी अधिकार का प्रश्न है उनको तो आप मान लीजिये कि कानूनी अधिकार सरकार को है और सरकार ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए उस आदमी को नामीनेट किया है। प्रश्न यह है कि चुनाव कराया जाय। दस अप्रेल तक यह चुनाव हो जायेंगे, यह मैंने आपसे वादा किया था। आज यह तारीख तय कर देंगे।

श्री नारायण सिंह : दस दिन में भी हो सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह समय भी दे देंगे। वह नोटिफिकेशन इश्यू होगा। चुनाव आयोग को भी लिखना पड़ेगा। लेकिन चुनाव न कराने की हमारी मंशा नहीं है। हम दस अप्रेल के पहले-पहले चुनाव करवा देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें आप चुनाव नहीं करा सकेंगे क्योंकि चेयरमैन की डैथ हो गयी है, स्थान खाली है। जब तक उसका उप चुनाव नहीं हो जायेगा, पूरी नगरपालिका नहीं बन जायेगी तब तक चुनाव नहीं होगा।

(140)

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं होगा, यह जरूरी है। चेयरमैन का एक स्थान रिक्त है और उसका स्थान खाली है। खाली रहते हुए उसका चुनाव नहीं हो सकेगा। न्याय संगत उसमें बात यह है। आप कह देंगे, हम तो आपकी बात मानेंगे। हम तो थे 15 और दूसरे थे 3, आपने तीन में से पिकअप क्यों किया? 15 में से किसी को पिकअप कर लेते, न्यायसंगत तो यह होता।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं अपनी बात खतम करना चाहता हूं।

श्री विष्णु मोदी : मुख्य मंत्रीजी, जहां तक कानून की बात है आपको अधिकार था, आपको उसका उपयोग किया लेकिन आपने डेमोक्रेटिक नार्म्स के साथ भी छेड़छाड़ की। न्यायसंगत फैसला नहीं किया। आप सरकार में हैं, मुख्य मंत्री हैं, राजस्थान की जनता से आपका लगाव हैं, आपकी इस आस्था में विश्वास है। लेकिन डेमोक्रेटिक नार्म्स में जो बी.जे.पी. का विश्वास नहीं है उस बी.जे.पी. के चक्कर में आप आ गये और आपने डेमोक्रेटिक....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें। कृपया आप बिराजें। मोदीजी, बिराजें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन कर रहा था कि किसका विश्वास है और किसका विश्वास नहीं है इस विवाद में मत पड़िये, सरकार ने जो कार्यवाही की है कानून के अन्तर्गत की है। अब मुझे रामनारायण जी ने एक शंका और पैदा कर दी कि जब तक चेयरमैन का चुनाव नहीं होगा तब तक चुनाव नहीं कराया जा सकता। चेयरमैन के रिक्त स्थान की जब तक पूर्ति नहीं होगी तब तक चुनाव नहीं हो सकते। अब बताइये कि पहले चुनाव अध्यक्ष का कराऊं या चेयरमैन खाली सीट का कराऊं? यह आपसे ही पूछना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : ऐसा है, साहब, आप यह कीजिये कि दो आदमियों में एक तो वाइस चेयरमैन था, दो आदमियों में से एक आपने चेयरमैन पिकअप किया, आप 15 आदमी जो और बचे हैं उनमें से एक आदमी को जो मर्जी आये उसको बना दीजिये और उसके बाद में आपकी मर्जी आये तब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव करा दीजिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अब आप यह बता दीजिये कि यह कानून तो आपने बहुत पढ़ा है, सुबह से पढ़ रहे हैं, इस कानून में एक बार किसी को नामीनेट कर दिया उसको हटाने का अधिकार राज्य सरकार को है क्या? (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : वह तो आपके हाथ में है। वह तो आटोमेटिकली लागू होता है जो अपाइंटिग आथोरिटी है वह आथोरिटी अपने-आप....(व्यवधान)

डॉ. हरिसिंह (फुलेरा) : मुख्य मंत्रीजी हम समझ गये आप इसमें गड़बड़ी करने वाले हो।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त। कृपया बिराजें। श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपको तो गड़बड़ी ही गड़बड़ी दिखती है।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : हां, मैं समझ गया। आप 10 अप्रैल तक करवा दीजिये मेहरबानी करके। आपने वादा किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं दोनों बातें कह रहा हूं, दोनों बातों का वादा कर रहा हूं। रामनारायण जी, मेरी बात सुनिये। रामनारायण जी ने जो शंका प्रकट की है कि जब तक चेयरमैन के रिक्त स्थान की सदस्य के रूप में पूर्ति नहीं होगी तब तक चुनाव नहीं हो सकते। अगर आपने कानून देखा हो तो आप यह बता दीजिये, मैं भी कानून देख लूंगा कि इस स्थिति में चुनाव करा सकता हूं या नहीं.... (व्यवधान) आप सारे एडवोकेट्स मेरी जान को क्यों खड़े हो गये हैं। एक ही एडवोकेट से पाला पड़ता है जो धारा दूसरी पढ़ी और किताब तीसरी पकड़वाती।

डॉ. हरिसिंह (फुलेरा) : अब आपने यह घपला करके कि रामनारायण जी तो एडवोकेट हैं, रामनारायण जी आपको पी. एच. डी. बता देंगे। हम हार गये इस बात से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसा है, रामनारायण जी, आप इनको भी एडवोकेट बना दीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उस किताब में 4 पन्ने थे केवल, बाकी का उपन्यास था। मेरे से पूछो, 4 पन्ने कानून के थे, बाकी का उपन्यास था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब रहा चुनाव कराने का प्रश्न जैसा मैंने कहा 10 अप्रैल को। मेरे सामने एक समस्या और है, वह समस्या है कि शायद अप्रैल के लास्ट वीक में राजस्थान के इलेक्शंस हो जायेंगे लोक सभा के। अब इस बीच में इलेक्शन कमीशन से पूछना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को कोई आपत्ति नहीं होगी। 10 अप्रैल तक आप चाहो तो पहले अध्यक्ष का जो स्थान खाली हुआ है, सदस्य के रूप में उसकी पूर्ति कराऊं। और उसके बाद में चुनाव का नोटिस देऊं यह मैं आपकी मर्जी पर छोड़ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री शिवनाथसिंह : एक रोज पहले जो अध्यक्ष का पद खाली हुआ है उसका चुनाव करवाइये आप और दोनों की डेट फिक्स कर दीजिये। दोनों हो सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दोनों हो सकते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम दोनों करवा देंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : पहले लोक सभा का कैंडीडेट कौन हो रहा है वो फैसला कर लो। हरिसिंह जी हो रहे हैं कि नारायणसिंह जी हो रहे हैं, मोदी जी, आप फैसला कर लो।

श्री विष्णु मोदी : आप अपना फैसला करा लो फिर हमारा फैसला करा लेना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका तो फैसला है कि नहीं है लेकिन धनखड़ जी नहीं है आज, आपकी नजर अजमेर पर है। वह बहुत सावधान हैं इस बात के लिए आप चिन्ता मत करिये।

श्री ज़ुबेर खान : चुनाव तो होंगे जब होंगे, घनश्याम तिवाड़ी जी आज बोले तो सही।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : डाक्टर साहब को फुलेरा का नहीं, नीमकाथाना का दर्द हो रहा है। दवाई उधर है आपकी।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के राज्यपाल, श्री बलिराम भगत ने 7 मार्च को यहां कृपा करके अभिभाषण दिया उसके धन्यवाद के स्वरूप थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उसका सिरोही से आने वाली सदस्या माननीय तारा भण्डारी ने समर्थन किया, मैं उसी धन्यवाद में अपना धन्यवाद मिलाते हुए कहना चाहूंगी कि हमने जब सत्ता सम्भाली तब हमने स्पष्ट कहा था कि सत्ता सेवा के लिए हम लोग ले रहे हैं, उसके उपभोग के लिए नहीं। ट्रस्टीशिप के आधार पर ही मैं कहना चाहूंगी, राजस्थान के चहुंमुखी त्वरित विकास का सारा कार्य चल रहा है जिसके सम्बन्ध में योजना स्वीकार की गयी है और उस पर कार्यवाही चल रही है उसका इस अभिभाषण में स्पष्ट रूप से उल्लेख है।

पिछली पंचवर्षीय योजना से इस पंचवर्षीय योजना में काफी अधिक पैसा विनियोजित किया गया है और इन पिछले 5 वर्षों में इसका प्रतिशत 148 से भी अधिक आंका जा सकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि माननीय राज्यपाल महोदय ने आगे आने वाले समय में विकास की ओर इंगित किया है। राजस्थान में शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास विद्युत, सिंचाई जल, वन विकास, पर्यटन तथा निर्यात, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास, यह सारा इसमें दिग्दर्शन होता है। पूर्व में भी जो योजनाएं बनी है और उनके आधार पर जो कार्य किया गया है मैं सरकार को धन्यवाद देती हू कि उन्होंने इस प्रकार से सारा संयोजित किया है कि कोई दिशा छूटती नहीं है। सभी दिशाओं में संतुलित विकास बराबर बढ़ता जा रहा है। अभी पिछले दिनों, जैसा कि इसमें उल्लेख किया गया है, 7 जिलों में गरीबी उन्मूलन योजना बनी है। आशा है, आने वाले समय में इसकी सफलता को देखते हुए शेष जिलों में भी इस प्रकार की योजना बनायी जायेगी और पिछड़े क्षेत्रों में गरीब लोगों को रोजगार देकर के वर्तमान स्थितियों से उबारा जायेगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि नियोजन कार्यालयों में 1·62 लाख आशार्थियों का पंजीकरण किया गया है जो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा है। स्वरोजगार योजना के माध्यम से भी एक स्कोप तैयार किया गया है और औद्योगिक क्षेत्र में लघु इकाइयों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करा कर भी बेरोजगारी को दूर करने के लिये कार्य किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस प्रकार से बेरोजगारी को दूर कर, विकास की गति को बढ़ाकर समानता लाने के लिये कार्य किया जा रहा है। कांग्रेस ने समाजवाद का केवल नारा दिया था इस ओर कोई गतिशीलता नहीं दिखायी थी। नारों से

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कोई उपलब्धि होती नहीं है, जमीन पर उतर कर जब काम किया जाता है तभी विकास की किरणें प्रस्फुटित होती हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि सभी क्षेत्रों में अभी पिछले दिनों जो नियुक्तियों पर रोक लगी थी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसको हटा करके एक और स्थिति उत्पन्न की है जिससे कुछ स्थानों पर जो कोटे निर्धारित थे जो भरे नहीं जा रहे थे काफी वर्षों से. वे भर दिये जाएं और आशार्थियों को एक अच्छा आधार रोजगार का मिल सके। इसी प्रकार विधवा महिलाओं, परित्यक्त महिलाओं और तलाकशुदा महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में नियोजित करने का जो आधार बनाया गया है, मैं समझती हूं कि बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया गया है। इस क्षेत्र में पहले कोई गति नहीं थी दूसरे पर आश्रित रहकर, असम्मानजनक स्थिति में जिस प्रकार महिलाएं गुजारा करती थीं, अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब स्थिति ऐसी है कि वह सम्मान से अपना रोजगार प्राप्त करके जीवन व्यतीत कर सकती हैं और उन पर आधारित बच्चों का अच्छी तरह से पालन-पोषण कर सकती हैं लेकिन मेरी एक सलाह है कि केवल शिक्षा जगत में ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में, अन्य विभागों में भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं रहनी चाहिए बल्कि होना तो यह चाहिए कि पिछड़े क्षेत्रों को जब आगे बढ़ावा देना है तो महिलाओं का भी एक अच्छा कोटा निर्धारित कर दिया जाय जिससे कि किसी भी क्षेत्र में उनकी प्रतिभा के विकास का अवसर उन्हें प्राप्त हो सके, वह नियोजित होकर, रोजगार उपलब्ध करके सेवा कर सकें।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार देने के लिए निजी क्षेत्रों में साधन उपलब्ध कराये गये हैं। यह एक अच्छी निपुणता की निशानी है कि राज्य में कोई बेरोजगार न रहे। मैं कहना चाहूंगी कि कभी भी फरवरी माह में अकाल राहत कार्य खोलकर रोजगार उपलब्ध नहीं कराये गये। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, यहां पर जो स्थिति बनी थी, कहीं वर्षा से और कहीं अनावृष्टि से, उस सब स्थिति का सामना करने के लिए, लोगों को सम्बल देने के लिए जो रोजगार के साधन उपलब्ध कराये हैं, निश्चित रूप से उनका यह प्रयास स्तुत्य है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगी कि अभी जिस प्रकार से काम छांटे गये हैं, जितना रोजगार दिया गया है वह कुछ मात्रा में कम है उसको बढ़ाते हुए और सर्वे कराते हुए उन क्षेत्रों में रोजगार के साधन और उपलब्ध करायें। कम से कम एक घर का एक व्यक्ति उन क्षेत्रों में रोजगार पा सके, एक महिला, एक पुरुष रोजगार प्राप्त कर सके, इस प्रकार का प्रयास हमें करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी, अभी यहां बिजली की चर्चा हो रही थी। बिजली के सम्बन्ध में काफी प्रयास किये गये हैं। न केवल परम्परागत विद्युत की उपलब्धि के प्रयास किये गये हैं बल्कि ऊर्जा के स्रोतों को भी संग्रहित करके उससे भी काम चलाने का और वितरण करने का कार्य प्रारम्भ करने की स्थिति

144

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

में चार बड़ी कम्पनियों को आशय-पत्र दिया गया है और आने वाले समय में उसका उपभोग राजस्थान और बाहर के क्षेत्र कर पायेंगे, ऐसी मैं आशा कर सकती हूं। जिस प्रकार से इन कार्यों की योजना बनायी गयी है, वह भी बहुत अच्छी है और किसानों के पक्ष में भी है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वर्तमान में जितनी विद्युत उपलब्ध है, इसमें आठ घण्टा बिजली दी जा रही है। आठ घण्टा बिजली दिये जाने में जहां कहीं थोड़ी-सी भी अड़चन पीछे आने वाली बिजली की हो जाती है, विभाग उस कमी की पूर्ति करते हुए किसानों को उपलब्ध कराता रहा है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि जो नर्सरी योजना बनाकर विद्युत उपलब्ध कराये जाने के तयशुदा निर्णय लिये गये हैं उससे भी किसानों को बहुत लाभ हुआ है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि शहरी क्षेत्र में जिस प्रकार से आवासीय क्षेत्रों में, वाणिज्यिक क्षेत्रों में और मार्गों में विद्युत का उपभोग हो रहा है वह स्थिति गांवों में नहीं है। मैं आशा करती हूं कि शीघ्र ही गांवों के लिए निर्णय ले लिया जायेगा और वहां पर भी सिंगल फेस का, एक तार का जो प्रवाह है, दिन रात दिया जायेगा जिससे संचार साधनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी जानकारी प्राप्त कर सकें, वहां के बच्चे पढ़ सकें क्योंकि परीक्षा बिलकुल नजदीक है। जब हम वहां जाते हैं और शाम को अंधेरा नजर आता है तो स्थिति नागवार गुजरती है। शहर में जब आते हैं तो वहां पर मर्करी लाइटें अनावश्यक जलती हुई दिखाई देती हैं। तो मैं यह कहना चाहूंगी कि विद्युत का सही उपयोग सभी क्षेत्रों में समान रूप से किया जाय।

ग्रामीण क्षेत्रों की जो परम्परागत उपेक्षा कांग्रेस के जमाने से चली आयी है, यों तो उसमें बहुत कमी आपने कर दी है लेकिन फिर भी उन्हें पूरी बिजली मिल सके। यह निवेदन करना चाहती हूं। लाइन लासेज में जितनी कमी करने की आपने सफलता प्राप्त की है उसके लिए मैं बधाई देती हूं। यह भी कहना चाहूंगी, विद्युत की चोरी के मामलों की जिस प्रकार से पकड़-धकड़ की है उससे चोरी में कमी आयी है। तो मैं निवेदन करना चाहती हूं कि सभी क्षेत्रों में विद्युत बराबर रूप से दी जाय। अपने यहां के संसाधनों को भी उसमें शामिल करके, निजी तौर पर भी विद्युत उत्पन्न किये जाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यदि कारखानेदार अपनी विद्युत उत्पन्न कर लेंगे तो जो वर्तमान में विद्युत हमारे पास है उससे हम जनता की सेवा, किसान की सेवा और अच्छी तरह से कर पायेंगे, यह मेरी एक अच्छी राय आपके लिए है।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, शिक्षा के क्षेत्र में जितना कार्य किया गया है, निश्चित रूप से प्रशंसनीय कार्य है। जहां-जहां स्कूल नहीं थे, भेदभाव के आधार पर जहां पर मिडल स्कूल भी नहीं खोले गये, प्राथमिक स्कूल भी नहीं खोले गये उन-उन क्षेत्रों में, यह सरकार जब से आयी है तब से उसने स्कूल खोले हैं। यही नहीं, माध्यमिक और

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

उच्चतर माध्यमिक शालाएं खोली हैं, बड़े महाविद्यालय भी खोले हैं। मैं कहना चाहूंगी कि राजस्थान में जमवा रामगढ़ पंचायत समिति बहुत पुरानी है, अच्छा तो यह रहता कि वहां पर भी इस साल एक महाविद्यालय खुल जाता। आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से वहां भी विद्यालय खोला जाय। यह बहुत जरूरी है।

मैं निवेदन करना चाहूंगी, महिला शिक्षा की ओर जितना ध्यान दिया गया है और आगे आने वाले समय में ध्यान दिये जाने की योजना है, ऐसी योजना पहले कभी नहीं बनी। मैं प्रशंसा करना चाहूंगी, सरस्वती योजना बनी, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही महिलाएं कुछ बच्चों को पढ़ा सकें, अपने घर में बैठाकर भी पढ़ा सकें, यह योजना पहले कभी नहीं थी।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि छात्राओं की शालाएं जितने बड़े पैमाने पर अब खोली गयीं वह पहले कभी नहीं थीं और शाला भवन के लिए राशि दी। मैंने दोनों तरह के राज देखे हैं, पांच साल से मैं बराबर सदन में आती रही हूं, मैं निवेदन करना चाहूंगी पहले कभी शिक्षा शाला खोलने के लिए लोग चन्दा किया करते थे, ग्रामीण क्षेत्र में आपस में एक-एक गार्डर को लेने के लिए भी भटका करते थे, अब प्राथमिक शालाओं के माध्यमिक शालाओं के भवन के लिए सरकार ने एक बड़ी राशि तय करके और भवन बना करके वहां विद्यालय खोले हैं और जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं उनके लिए भी प्रावधान किये हैं। यही नहीं बच्चों को नि:शुल्क किताबें जितने बड़े पैमाने पर दी गयी हैं, वह पहले देने का सवाल ही नहीं था। इतने बड़े पैमाने पर दिये जाने की तो बात ही कहां थी। आठवीं कक्षा तक बच्चियों को भी नि:शुल्क पुस्तकें दी जा रही हैं जिससे कि शिक्षा को प्रोत्साहन मिल सके।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : हमने भी किया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने नहीं किया है। प्रभु जी, आपने भी कभी कृपा नहीं की।

श्री परसादीलाल मीणा : केन्द्र सरकार का पैसा है, उस पैसे से पुस्तकें दी जा रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां तो पहले आप केन्द्र सरकार से ले आते, इसके लिए वर्तमान की सरकार में मेरे साथी जो सदस्य हैं उन्होंने आपको कभी रोका नहीं था।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस प्रकार से महिला शिक्षा को बढ़ावा बराबर दिया जा रहा है। महिला पोलीटेक्नीक कॉलेज अभी तीन हैं, वह हर जिले में होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि सभी पूरी शिक्षा एम.ए. तक पायें या विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग लेकर वह शिक्षा जगत में ही आयें। महिला पोलीटेक्नीक हो गया तो उस क्षेत्र में भी महिलाएं अपना अध्ययन करके शिक्षण प्राप्त करके अपना-अपना निजी कार्य भी खोल पायेंगी। इस रूप में मैं कहना चाहूंगी कि सभी जिलों में एक-

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

एक महिला पोलीटेक्नीक निश्चित रूप से खोला जाना चाहिए। जो आपने खोले हैं, मैं उनकी प्रशंसा करती हूं और खोले जाने के लिए मैं आपसे आग्रह करती हूं। पिछली बार का बजट शिक्षा के लिए समर्पित था। आपने इतने काम किये, मैं समझती हूं, अभी भी बजट में कोई कमी नहीं आयी है, जहां-जहां इन कार्यों में गति दी जानी है, आप निश्चित रूप से दे पायेंगे, यह मेरा आपसे आग्रह है।

(16.00)

यह वर्तमान बजट चिकित्सा को समर्पित था। मैं समझती हूं, बहुत अच्छे कार्य चिकित्सा के क्षेत्र में किये गये हैं, बहुत उल्लेखनीय कार्य किये गये हैं। सन् 2000 तक सबको स्वास्थ्य, यह एक संकल्प है। कोई भी महामारी के रूप में आने वाली बीमारी से ग्रसित न हो और उसके जीवन की क्षति न हो। इस आधार पर पहले भी लगातार काम किये गये हैं और अभी भी पोलियो को बिलकुल जड़ से समाप्त किये जाने के लिए जिस सफलता के साथ कार्य किया गया है, मैं उसकी प्रशंसा करती हूं।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि परिवार नियोजन के सम्बन्ध में जितने हमारे लक्ष्य हैं वह हमें उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इस पर और ध्यान दिया जाना चाहिए। पत्रों के माध्यम से, पेमफलेट के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से और किसी प्रकार से जागृति कर सकें तो बिलकुल साधारण तरीके से इस कार्य को किया जा सकता है। जिस प्रकार से पिछले दिनों अश्लील चित्रण करके इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बात की जाती रही है, मैं उस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगी कि वैसा वातावरण नहीं बनाया जाये। साथ बैठ करके कोई बच्चा टी. वी. न देख सके सामने आये चित्र को कोई देख न सके, इस प्रकार के वातावरण से बचकर हमको इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि वह नीति निर्धारित करवायें। एक ओर तो हम कहते हैं कि हम परिवार नियोजन को अपनायें, और वह आवश्यक भी है, लेकिन दूसरी ओर आंकड़ा परक जब योजनाएं बनती हैं कि ढाई-सौ बच्चों पर एक स्कूल, ढाई-सौ बच्चों पर नल, इतनी आबादी पर सड़क, इतनी आबादी पर इतना राशन, इतनी आबादी पर इतना कैरोसिन, तब यह इच्छा होती है कि कहा जाय कि बढ़ाओ खूब, कम से कम कमी तो नहीं रहेगी। तो दिल्ली में बनने वाली आंकड़ा परक योजनाओं में आप संशोधन करायें कि जिस क्षेत्र में कम आबादी होगी वहां पर हम विकास के कार्य और अधिक करेंगे और जो क्षेत्र परिवार नियोजन को अपनायेगा उस क्षेत्र में विशेष प्रोत्साहन के रूप में हम कार्य करेंगे।

अभी यहां पर चर्चा हुई कानून व्यवस्था की। निश्चित रूप से चिन्ताजनक बात है लेकिन कुल परिप्रेक्ष्य में देखें हम तो राजस्थान का वातावरण बहुत सौहार्द्रपूर्ण और बहुत शान्तिपूर्ण रहा है। छुट-पुट घटनाएं ध्यान खींचती हैं और यह बताती

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

हैं कि हमें और व्यवस्थायें करनी चाहिए। सरकार सीमा क्षेत्र में तार लगा रही है। बहुत प्रशंसा की बात है। जो कमी रह गई थी वह भी पूरी कर ली जायेगी ऐसा मुझे लगता है। तस्करों का आना-जाना कम हो जायेगा, घुसपैठ भी बन्द हो जायेगी, ऐसा लगता है। लेकिन बहुत अच्छा रहे, मेरा सुझाव है, सीमा पर रिटायर्ड सैनिकों को आबाद किया जाय। उनको निःशुल्क जमीन दी जाय। सीमा क्षेत्र के निवासियों को जो हथियार हैं, अस्त्र-शस्त्र हैं उनके लाइसेंस दिये जाने चाहिए। वह सीमा की सुरक्षा भी करेंगे और अपनी सुरक्षा भी करेंगे। सीमाएं सुरक्षित रहेंगी तो हमारी भी सुरक्षा होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे आशा है कि मेरे इस सुझाव को सरकार मानेगी और कार्यवाही करेगी।

अभी यहां पर एक बम ब्लास्ट का जिक्र किया गया। सभी चिन्तित थे और मैं भी बहुत चिन्तित थी। ऐसा लगा कि जयपुर को क्या हो गया है। बार-बार किसकी नजर इस जयपुर को लग जाती है, दुख भी होता है। एक संकेत है कि हम सुरक्षा साधनों का संग्रह करें। आज के दिन मिट्टी के अन्दर कोई बम दबा दिया और वह कोई संकेत कर दे ऐसे उपकरण हमारे पास नहीं हैं। पुलिस वाले की गलती हो सकती है, मैं नहीं कह सकती हूं, लेकिन व्यवस्था में कमी है। इस व्यवस्था की कमी को पूरा करके इन सारी आशंकाओं से राज्य को सुरक्षित किये जाने के लिए आप कार्य करेंगे ऐसी मुझे आशा है।

आवासीय व्यवस्था के लिए सरकार ने बहुत कुछ कार्य...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जब तक आप मंत्री नहीं बनो तब तक यह व्यवस्था नहीं सुधरे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप मंत्री बन कर बहुत कुछ कर गये हैं, मेरे से क्या आशा करते हो। मैं तो व्यवस्था करवाने वालों में से हूं और वह व्यवस्था कराने वाला ज्यादा अच्छा होता है जो व्यवस्था करा सकता है।

मान्यवर, आवासीय व्यवस्था के लिए काफी व्यवस्था की गयी है। आवासन मण्डल ने अभी काफी प्रार्थियों को मकान उपलब्ध कराये हैं और काफी और उपलब्ध कराने की तैयारी है।...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरा 1980 का रजिस्ट्रेशन है, आज तक नहीं मिला।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कहीं कमी रह गयी होगी, मैं दिखवा लूंगी, आप मुझे बता देना।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नीयत में खोट है सरकार की।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे बता देना, मैं दिखवा लूंगी। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि हमने हुडको से लेकर, अन्य कई संस्थाओं से ऋण लेकर आवासीय मकान बनाये हैं। उन योजनाओं में जयपुर में ही नहीं बाहर भी काफी मकान बने खड़े हैं लेकिन उनको आवंटित नहीं किया गया है। उन मकानों को तात्कालिक रूप

(148)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

से आवंटित किया जाय जिससे हुडको से ऋण लेने में अपने को सुविधा रहे और सरकार पर कर्ज बढ़ता न जाय, विभाग पर कर्ज बढ़ता न जाय और जिनको मकान उपलब्ध होने चाहिए उनको भी अपने घर का सुख मिल सके। काफी मात्रा में मकान बने तैयार खड़े हुए हैं। काफी ढांचे तैयार खड़े हुए हैं। काफी योजनाओं में मकान बनाये जाने की योजना बनायी गयी है उनमें त्वरितता से मकान बना लिये जाने चाहिए जिससे आवासियों को एक सुख मिल। सके गृह निर्माण सहकारी सोसायटीज हट सकें इसके लिए हमें मकान उपलब्ध कराने चाहिए।

इतना ही नहीं, मैं प्रशंसा करना चाहूंगी, परसों चर्चा थी कि शहरी क्षेत्र में ही मकान बना कर दिये जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी मकान बना कर दिये जाने की योजना बनायी जानी चाहिए। अगर यह योजना बना ली गयी तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा काम ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगा। पिछले दिनों किश्तों पर मकान दिये जाने का एक तरीका था लेकिन पता नहीं किस कारण से शायद कुछ लोगों ने मकान समय पर नहीं लिए हों, किश्तें नहीं चुकायी हों इस कारण से सब लोगों को सजा दे दी गयी। वह सजा अब हट जानी चाहिए। किश्तों पर पुनः मकान दिये जाने के प्रयास किये जाने चाहिए इसका निर्णय लिया जाना चाहिए जिससे लोगों को किश्तों पर मकान मिल सकें। एक आदमी इतना पैसा जुटा नहीं सकता। जिस समय उन्होंने आवेदन किया था, मकान सस्ते थे। अब जब लेने की बारी आयी है, मकान बहुत महंगे हैं ब्याज बढ़ गया। कई तरह से मकान महंगे हो गये। सामान महंगा हो गया, बेलदार महंगे हो गये, इसलिए वह मकान भी महंगे हो गये। मैं इस बात पर नहीं जाना चाहती लेकिन मैं इस बात पर जाना चाहती हूं कि किश्तों पर मकान उन्हें उपलब्ध कराए जाने चाहिए जिससे कि अपने-अपने मकान लेकर वह सुख से रह सकें और सरकार को भी पैसा मिल सके।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कृषि भूमि पर गृह निर्माण सहकारी समितियों के बारे में पिछले दिनों एक निर्णय लिया गया था कि हम नियमन करके उनको मकान का पट्टा दे देंगे लेकिन अभी मैंने कल प्रश्न पूछा तो उसमें मुझे 13 बिन्दु ऐसे बताये गये कि कानूनी अड़चनों के कारण यह मकानों का नियमन, आवासीय पट्टों का दिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। जो बात प्रकाश में आयी है, जो जानकारी में आयी है उन 13 के 13 बिन्दुओं पर निर्णय लेकर के कृषि भूमि पर बसी आवासीय कालोनीज में जो पट्टे दिये जाने हैं उस कार्य को भी शीघ्र पूरा कर लिया जाय। जो निर्णय लिया गया है उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं और आग्रह करती हूं अविलम्ब रूप से इस कार्य को सम्पन्न किये जाने के लिए। मैं कभी सिफारिश अध्यादेश को नहीं करती हूं, मैं कहती हूं बिल आना चाहिए लेकिन मैं इसके बारे में यह भी सुझाव देना चाहूंगी कि आवश्यकता पड़े तो इन-इन कारणों को अध्यादेश के माध्यम से मुझे

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मालूम है विधान सभा तो 16 तारीख तक है और आगे चुनाव हो जायेंगे लोक सभा के उसके बाद चल पायेगी, तो . राहत देने के लिए यदि अध्यादेश निकाले जाने की आवश्यकता पड़े तो माननीय मुख्य मंत्रीजी माननीय आवासन मंत्रीजी इस पर ध्यान, दें।

कच्ची बस्तियों के नियमन के मामले में भी 1991 तक की बस्तियों के लिए आपने यहां निर्णय लिया, मैं इसके लिए बधाई देती हूं पर अच्छा रहता आज तक की बस्तियों के लिए कार्य हो जाता तो आस-पास में और कब्जे नहीं होते।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप कृपया समाप्त करिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं इसको समाप्त करती हूं। इस प्रकार से शहरी क्षेत्र में आवासीय दिक्कतों की क्षतिपूर्ति, कमी पूर्ति हो जाती, यह मेरा आपसे निवेदन है।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि गोवंश की रक्षा के लिए आपने निर्णय लिया और अधिनियम बनाया। इसकी सुरक्षा और सारी रक्षा के लिए आपने आयोग भी बनाया है यह बहुत ही धन्यवाद की बात है।

मैं दो-तीन बात कह करके मेरी बात समाप्त करूंगी। पंचायतों में 1977 से 80 तक के दिनों में हम लोगों ने अधिकार दिया था सरपंचों को कि वह तीन काम करें 7-7 हजार के अब वक्त आगे बढ़ गया है, पंचायतों को अधिकार दिये जाने चाहिए। सरपच गांव वालों की राय से काम कर सकें और जितने भी वह कार्य कर सकें उसके लिए उसको सरकार पैसा दे जिससे कि गांव-गांव में फिर विकास की गंगा बह जाय। आपने अनुदान राशि बढ़ायी हैं, अन्य चीजें बढ़ायी हैं और पिछड़ी हुई पंचायतों और नगरपालिकाओं को आपने विशेष अनुदान देने की व्यवस्था की है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूं।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि शराब की आय पाप की आय होती है। कभी भी यह आय फलती नहीं है। इस आय में मुगल शासन डूब गया, कांग्रेस डूब गयी। हमें यह तय कर लेना चाहिए....

श्री हरिसिंह (महुआ) : वह कब डूब रहे हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : हमारी सरकार ने 1980 में शराब बन्द कर दी थी। मैं कहना चाहूंगी आपकी सरकार ने, 15 अगस्त से पहले 11 अगस्त को आते ही शिवचरण माथुर ने, मैं आदर के साथ नाम लेती पर मैं कहना चाहूंगी उन्होंने शराब खोल दी थी। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगी कि इस आय से विरत हो और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए, राजनैतिक स्वास्थ्य के लिए और सब तरह से मनुष्यों के शुभ-शुभ के लिए इससे अपना हाथ मोड़ें। और भी कई साधन हैं, खनिज दोहन करें और अन्य कई साधन हैं उससे आय बढ़ा करके राज्य में विकास करें।

150

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मैं धन्यवाद देती हूं मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आभार व्यक्त करती हूं। मैं यह चाहूंगी कि मेरे सुझाव माने जायं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने प्रश्न है, माननीय महामहिम राज्यपाल यहां पधारे एक हिस्सा उन्होंने अपना अभिभाषण दिया, दूसरा हिस्सा राज्यपाल महोदय हमारी सरकार के प्रान्त के शीर्षस्थ बैठे हुए सम्मानीय है, यहां पधारने का जो कष्ट उन्होंने किया उसके लिए कोई भी व्यक्ति उनका आभार व्यक्त करे, मैं भी उनका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन दूसरा प्रश्न जो उनके मुख से माननीय श्री भैरोंसिंह जी साहब ने अपनी भैरू गाथा गवायी उसका समर्थन न सदन कर सकता है, न मैं कर सकता हूं और न ही राजस्थान की जनता कर सकती है। मान्यवर, इस गाथा में शुरूआत से लेकर तीन चौथाई हिस्सा जो है, 1980 से लेकर 85 तक यह किया और 1985 से 90 तक यह हुआ, जैसे गांव मे-बच्चे लड़ते हैं कि तेरी भैंस अच्छी मेरी बकरी खराब, मेरा ऊंट अच्छा और तेरी बैल खराब।

(16.13)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, यहां यह सरकार है, राज्यपाल महोदय हैं, उनके मुख से कुछ कहा जाता है वह पूरे देश में संदेश जाता है, पूरे प्रान्त में संदेश जाता है। क्या अभिभाषण हमने उनको यहां दिलवाया? मेरे ख्याल से हिन्दुस्तान के इतिहास में किसी भी प्रान्त के इतिहास में इस प्रकार का निराशाजनक अभिभाषण किसी भी राज्यपाल महोदय से नहीं पढ़वाया गया। किस बात का हम कम्पेरीजन करना चाहते हैं? आज समय इतनी द्रुत गति से बह रहा है, आगे बढ़ रहा है। कल की बात हम आज करें, कम्पेयर सम्भव नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान बना। देशी रियासतों का एक झुण्ड था उसको मिला करके राजस्थान बनाया गया। कितने राजा महाराजा यहां थे, कितने जागीरदार यहां थे और किस प्रकार की व्यवस्था यहां थी। कांग्रेस सरकार ने देश का, इस प्रान्त का शासन अपने हाथ में लिया और सबको एक साथ मिलाकर जनता की भागीदारी करके इस प्रदेश का विकास करने की सोची। आज हम यदि मुकाबला करें कि 1952 से 57 में कांग्रेस सरकार ने क्या किया और 1990 से 1996 में भैरोंसिंहजी की सरकार ने क्या किया, यह मुकाबला हो नहीं सकता। उस वक्त की परिस्थितियां ऐसी थीं, उस वक्त के साधन ऐसे थे जिनके हिसाब से उस वक्त जो कुछ किया जा सकता था, राजस्थान के हित में, राजस्थान के विकास में किया गया। और यह समय है जब भैरोंसिंह जी शेखावत यहां आये तो उनको पूरा एक इन्फ्रास्ट्रेक्चर तैयार मिला, दौड़ने के लिए सड़कें मिलीं। रफ्तार उनकी कितनी भी हो सकती है लेकिन कहीं कोई रुकावट नहीं थी। तो उस स्थिति में माननीय भैरोंसिंह जी यह कहें कि मैं 100 की स्पीड से दौड़

(श्री शिवनाथ सिंह)

रहा हूं, यह श्रेय सिर्फ कांग्रेस सरकार को जाता है जितने इस प्रकार का इन्फ्रास्ट्रक्चर यहां दिया। राजस्थान बना उस वक्त मुश्किल से एक-दो मेगावाट बिजली यहां थी। किलोमीटर में सड़कें सौ-पचास से से अधिक नहीं थीं। आज राजस्थान का जो विकास हुआ है, माननीय भैरोंसिहजी को मिला है कांग्रेस के प्रयत्नों से, इस देश की जनता के प्रयत्नों से मिला है इसलिए इसका श्रेय वह लेना चाहें, ठीक नहीं है। उन्होंने जो विकास की योजनाएं शुरू की हैं हम उनका स्वागत करते हैं लेकिन इस बात को भी उनको नहीं भूलना चाहिए कि यह सब रुपया केन्द्र सरकार का आता है। आप कहते हैं हमने योजना राशि में वृद्धि की। क्या हिन्दुस्तान के जो दूसरे हिस्से हैं उनकी योजनाओं में वृद्धि नहीं हुई? क्या केन्द्र सरकार की योजनाओं में वृद्धि नहीं हुई? यह राशि बढ़ती जा रही है और यह राशि जो बढ़ती जा रही है उसमें हमको भी हिस्सा मिला। देखना इस बात को है कि जो कुछ माननीय भैरोंसिह जी को योजना के लिए रुपया मिला और साधनों के लिए रुपया मिला, विकास के लिए रुपया मिला। क्या उसका उपयोग हमने सही ढंग से किया? परीक्षा यहां आकर बैठती है। मैं अभी थोड़ी देर में निवेदन करना चाहूगा, माननीय अध्यक्ष जी, कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भैरोंसिह जी की सरकार पूर्ण रूप से विफल रही है।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कई बातें कहलवायी गयीं। मैं सब बातों पर नहीं, एक-दो बातों के ऊपर संक्षेप में कहना चाहूंगा। कानून व्यवस्था के लिए भी अभी चर्चा चल चुकी है। एक बम काण्ड के बारे में थी उसको मैं छोड़ता हूं। लेकिन आज कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है अपने प्रदेश में आये दिन चोरियां होती है। आप देख लीजिये, विश्लेषण कर लीजिये उनमें से कितनी बरामद हो रही हैं। चोरी की टेक्नीक बदल गयी है, चोरी के उपकरण बदल गये हैं। आज व्हीकल्स से जीपों से और दूसरे साधनों से चोरी होतीं है। हमारी पुलिस कतई कामयाब नहीं है उनको बरामद करने में। आज महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मार-पीट के मुकदमें बन रहे हैं और पुलिस इस प्रकार से लगती हैं जैसे कोई पुलिस व्यवस्था राजस्थान में है ही नहीं। थानों में मौत का सवाल आता है। पीट-पीट करके मार सकते हैं लेकिन उनकी हिफाजत नहीं कर सकते, यह हमारी पुलिस का हाल है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए हमारे मुख्य मंत्रीजी बहुत कहते हैं और वह कहते है कि मैंने महिलाओं को भागीदारी दी, ओ.बी.सी. को भागीदारी दी और इस प्रकार से मैंने एक नया संदेश इस प्रान्त की जनता को दिया। चुनाव हुए, मजबूरी थी। जब मजबूरी नहीं थी, पहले के टाइम में माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिहजी ने अपने काल में चुनाव नहीं करवाये। लेकिन केन्द्र सरकार का डण्डा था, यह राजीव गांधी का सोच था, नरसिम्हा रावजी का डण्डा था जिसकी वजह से हार कर उनको चुनाव करवाने पड़े। चुनाव के बाद परिणाम क्या आये? आज पंचायतें रो रही हैं, पंचायत समितियां रो रही हैं, जिला परिषद् रो

(152)

(श्री शिवनाथ सिंह)

रही हैं। एक भी अधिकार उनको नहीं है। वित्त आयोग बनाया गया। वित्त आयोग की सिफारिशें आ गयीं लेकिन किसी भी संस्था को कोई पैसा नहीं दिया गया है। आज उनके कर्मचारियों के लिए एक भी पैसा नहीं मिल रहा है। उनकी शक्तियां जो हैं, पहले पंचायत समिति के प्रधान को, स्टेण्डिंग कमेटी को वहां के प्रशासन पर पूर्ण अधिकार हुआ करता था, सब छिन गया, कुछ भी बाकी नहीं बचा।

माननीय अध्यक्षजी, मेरे कई साथियों ने इस पर प्रकाश डाला है, मैं अधिक नहीं कहना चाहूंगा केवल एक बात की ओर संकेत करना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बार-बार कहा कि डी. आर डी.ए. का अध्यक्ष जिला प्रमुख होगा। होगा यह कब तक होगा कोई सीमा नहीं है। आज तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मैं चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी अपने जवाब के वक्त कोई तारीख तय करें कि डी.आर.डी.ए. का अध्यक्ष फलां दिन से जिला प्रमुख होगा।

पंचायतों के लिए आपने व्यवस्था की, इस सदन में पिछले सत्र में इस प्रकार की चर्चा चली और सरकार ने महसूस किया कि ग्राम पंचायत में पूर्ण कालिक सचिव होंगे। उसका नमूना माननीय अध्यक्षजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। इन्होंने जितने ग्राम सेवकों की कमी थी उसकी पूर्ति नहीं की कभी कहा, एक हजार रुपये महीने के हिसाब से हम रिटायर्ड लोगों को रखेंगे, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा और अंत में इन्होंने आदेश निकाला कि कृषि पर्यवेक्षक इस काम को देखेंगे, स्कूल के अध्यापक इस काम को देखेंगे। माननीय अध्यक्षजी, मैंने एक रोज पहले भी जिक्र किया था, संकेत मात्र में कहना चाहूंगा कि कृषि विभाग की तरफ से एक आदेश निकला है कि कृषि पर्यवेक्षक, जिनको पंचायतों में सचिव लगाया गया है, सिर्फ छह रोज के लिए वहां काम करेंगे। आज विकास के इतने काम हो रहे हैं, कौन देखेगा उन कामों को ? पंचायतों में इतने काम हो रहे हैं कौन देखेगा ? सब काम ठप्प हो गये। यह देन है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पंचायतों को।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार की बात करना ही गुनाह है। माननीय मुख्य मंत्रीजी शुरू शुरू में कह रहे थे कि नाक से भ्रष्टाचार का खाया हुआ पैसा निकलवा लूंगा नाक से तो रीठ निकलता है। कुछ नहीं आने वाला। आज इतना भ्रष्टाचार प्रशासन में हो गया है, आपके जो विकास के काम हैं उनमें इतना भ्रष्टाचार है, किसी भी काम की गुणवत्ता की जांच आप करवा नहीं सकते और जैसा दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि आप किसी भी सड़क का नाम ले दो, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में बनी हुई किसी भी सड़क को आप लाटरी से निकाल दो और उसकी जांच करवा लो, यदि मापदण्ड के अनुसार वह सड़क बनी हो तो आप बता दीजिये।

माननीय अध्यक्षजी, बिजली के बारे में तो मैं 16 तारीख को निवेदन करूंगा,

(श्री शिवनाथसिंह)

अभी मैं पीने के पानी की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज राजस्थान में पीने के पानी की बड़ी समस्या है और गर्मी के दिनों में बड़ी विकट समस्या आने वाली है। आज राज्य सरकार इसके लिए चिन्तित नहीं है। बहुत से गांवों में पानी की टंकियां बनी हुई यों ही पड़ी हुई हैं, कोई देखने वाला नहीं है।

माननीय अध्यक्षजी, कृषि के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि मेरे से अधिक किसान का हितैषी नहीं है। अनेक-अनेक योजनाएं बना दीं। एक योजना, माननीय अध्यक्षजी, मिट्ठा लाल मेहता योजना बनी है, बननी भी चाहिए। जवाहरलाल योजना बनी, इन्दिरा आवासीय योजना बनी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना बनी तो मिट्ठा लाल मेहता योजना क्यों नहीं बने। योजना क्या बनी ? माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान अपने खेत में जितना पानी इकट्ठा होगा बरसात का, उसको पाइप लगाकर कुएं के अन्दर डालेगा। तो उससे क्या होगा कि जल बढ़ेगा। माननीय अध्यक्षजी, आप तो किसान को देख चुके हैं, जानते हैं कि किसान हमेशा अपने खेत में ऊंचाई पर कुआं बनायेगा, बरसात का पानी ढलान में आयेगा। तो मिट्ठा साहब से मैं कहता हूं कि वह नीचे वाला पानी कहां और कैसे जायेगा ? उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि 6×6×6 के गड्ढे बनाये और किसान को 200-250 फीट पाइप देने की योजना बनायी है और उसमें कई लाख रुपये का खर्च दिखाया गया है। माननीय अध्यक्षजी, मैं मिट्ठा लालजी से निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात की आप जांच करवा लीजिये, एक भी जगह यह काम सफल नहीं हुआ है, हो नहीं सकता, उलटा पानी नीचे आ जाता है। इसलिए इस प्रकार की जो योजनाएं हैं ये अव्यावहारिक योजना हमारी सरकार बनाती है, हमारे अधिकारी बनाते हैं जिनका कोई लेन-देना किसान के हित से नहीं होता।

माननीय अध्यक्षजी, माननीय सहकारिता मंत्रीजी बिराज रहे हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, एक प्रश्न मैंने पूछा कि तिलम् संघ की इकाइयां स्थापना से आज तक कौनसी घाटे में रहीं और कोनसी लाभ में रहीं। माननीय अध्यक्षजी, यदि मैं निवेदन करूं तो शर्म आती है, एक भी इकाई इनकी फायदे में नहीं गयी है और सब की सब घाटे में गयीं। घाटे का क्या कारण है ? इन्होंने इसमें छपवाया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आठ यूनिट के लिए, आठ से दस करोड़ रुपये की कीमत के औजार खरीदे गये, मशीनें खरीदी गयीं और वे सब मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं क्योंकि उसमें कमीशन मिलता था, ऊंचे अधिकारियों को कमीशन मिलता था। इसलिए वे सब नाम लिख दी गयीं तिलम् संघ की इकाइयों के और उसकी वजह से सब घाटा हुआ है।

माननीय अध्यक्षजी, मैं आखिर में निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक तुलनात्मक विश्लेषण करवाया था और मैं भी थोड़ा-सा तुलनात्मक विश्लेषण देना चाहूंगा हमारी सरकार ने....

एक माननीय सदस्य : बिलकुल ईमानदारी से विश्लेषण करना।

श्री शिवनाथसिंह : बिलकुल ईमानदारी से, और मैं वह करूंगा, आपका ही मूंड और आपकी ही मोगरी। आपने आर्थिक समीक्षा की किताब हमको दी हैं उस किताब में आपने विश्लेषण किया है। उसकी कुछ लाइनें, कुछ अंश मैं आपको पढ़ कर बताना चाहूंगा। श्रीमान्‌जी, वह अभी हमारे साथी यहां नहीं हैं इसलिए आप ध्यान से उसको सुनो। आठवीं योजना का प्रावधान आपने कृषि के लिए 1286.52 करोड़ रुपये रखा था और खर्च हुआ 843.43 करोड़। ग्रामीण विकास, जिसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी कमिटेड हैं, प्रतिबद्ध हैं और दिन-रात चिन्ता करते हैं, का प्रावधान था 1021.75 करोड़ और खर्च हुआ 646 करोड़। मैं इस अवधि के लिए कह रहा हूं। विशिष्ट योजना, जिसके द्वारा हम गांवों में रोजगार देना चाहते हैं, शिक्षित बेरोजगारों को काम देना चाहते हैं सब कुछ इसमें आ जाता है, का प्रावधान, माननीय अध्यक्षजी, आपको आश्चर्य होगा 84 करोड़ का था और खर्च हुआ 13.26 करोड़। यह माननीय मुख्य मंत्रीजी का अचीवमेंट है। माननीय अध्यक्षजी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, हमारा कुछ नहीं लगता है, माननीय पूनमचन्दजी विश्नोई वाला अंगूठा-अंगूठा है। सब रुपया दिल्ली से आता है लेकिन हमारी सरकार उस रुपये को खर्च यहां नहीं करना चाहती है क्योंकि उससे नरसिम्हारावजी का ग्राफ ऊंचा जाता है। वे सब रुपये पर कुंडली मार कर बैठे हुए हैं।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : वह जो पैसा आता है उससे यहां की सर्विसेज के नौकरों की तनख्वाह चुका देते हैं।

श्री शिवनाथसिंह : मैं इसका थोड़ा-सा नक्शा खींचना चाहूंगा और गलती होगी तो माननीय मुख्य मंत्रीजी मेरे पर नाराज नहीं होंगे आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट पर नाराज होंगे। माननीय अध्यक्षजी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 95-96 के लक्ष्य थे 1040 व्यक्तियों को लाभान्वित करना और हमने लाभान्वित किया है 444 को। कितना बड़ा अचीवमेंट हमने कर लिया? माननीय अध्यक्षजी, बिजली के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि किसान को जब तक बिजली नहीं मिलती है तब तक मुझे चैन नहीं मिलता है। मैं उस बिजली के आंकड़े पेश करना चाहता हूं। 1993-94, 1994-95, 1995-96 में जो बिजली दी गयी है औद्योगिक क्षेत्र को और कृषि क्षेत्र को, 1993-94 में उसका गेप था 865 मिलियन यूनिट बिजली अधिक दी गयी थी उद्योगों को, 1994-95 में बढ़ गया 971 मिलियन यूनिट और 1995-96 में 1140 तक चला गया। इतना बड़ा गेप औद्योगिक क्षेत्र में बिजली देने में और कृषि क्षेत्र में बिजली देने में है। यह गैप बढ़ता जा रहा है। हम कैसे कह सकते हैं कि हम किसानों को खेती के लिए बिजली प्रदान करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्षजी, आई. आर. डी. पी. के. हमारे 1995-96 के लक्ष्य थे 1.08 परिवारों को लाभान्वित करना।....

श्री अध्यक्ष : कृपया शीघ्र समाप्त करें।

श्री शिवनाथसिंह : दो मिनट में कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1995-96 के लक्ष्य हमने प्राप्त किये हैं जीरो, जीरो से शुरू होता है 0.50 ये हमने लक्ष्य प्राप्त किये हैं। जे. आर. वाई. में हमारा लक्ष्य था, 322·84 मानव दिवस का हमको सृजन करना था, हम सृजित कर पाये हैं 204.75। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तस्वीर यदि आशाजनक है, राजस्थान को प्रगति की ओर ले जाती है तो मेरे ख्याल से निराशाजनक तस्वीर कोई नहीं हो सकती।

साक्षरता को लीजिये, सम्पूर्ण साक्षरता प्रोग्राम। प्राइमरी स्कूल हमने खोले। इतने स्कूल खोल दिये, आज, माननीय अध्यक्षजी, शर्म आती है हमारा हिन्दुस्तान में पन्द्रहवां स्थान है। हम नीचे से एक ऊपर हैं बाकी सबसे नीचे हैं। यह हमारा लक्ष्य है।

माननीय अध्यक्ष जी, प्रति व्यक्ति विकास दर, प्रति व्यक्ति विकास पर व्यय आखिरी आंकड़ा है तुलनात्मक दृष्टि से। अध्यक्षजी, प्रति व्यक्ति विकास पर खर्च हुआ है राजस्थान में 1117.78 रुपये, हरियाणा में 1263.22, हिमाचल 2118.44, जम्मू कश्मीर 1381 23 रुपये और कर्नाटक में 1278.86। माननीय अध्यक्ष जी, मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस राजस्थान को छोड़कर बाकी सब कांग्रेस शासित राज्य हैं, आप जो कहते हो कि मैंने ही विकास किया है. आपसे बहुत ऊंचे हैं। मैं प्रति व्यक्ति कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : पापूलेशन कितनी है ?

श्री शिवनाथ सिंह : पापूलेशन के आंकड़े मेरे पास हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे समय दें तो मैं सब बता दूंगा लेकिन मैं समय नहीं लूंगा।

अभी-अभी एक योजना चालू हुई है वृद्धावस्था पेंशन की माननीय मुख्य मंत्रीजी बड़े सहृदय हैं। यह योजना हमारे प्रान्त में 15.8·95 को लागू हुई थी। मैंने प्रश्न पूछा कि इस योजना के लागू होने के बाद हमारे झुन्झुनूं जिले में कितने लोग लाभान्वित हुए ? माननीय अध्यक्ष जी, आपके मार्फत, विधान सभा के मार्फत सरकार का जवाब है कि लाभार्थियों की संख्या शून्य है। धन्य हो भगवान। इसके बाद आप क्या प्रोग्रेस करना चाहते हैं ? मैं अन्त में---

श्री अध्यक्ष : पूरा करें, साहब।

श्री शिवनाथ सिंह : पूरा ही कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अधिक समय नहीं लेते हुए यही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के विकास की बात सोचते हो तो पहले से मुकाबला मत करो। आज किस गति से आप बढ़ना चाहते हो उस ओर ध्यान दो। मेरे ख्याल से पुरानी बातों में जायेंगे तो वही आपस में तू-तू मैं-मैं वाली बात होगी, राजस्थान का विकास नहीं कर पायेंगे। आप मेहरबानी करके जो केन्द्र से रुपया आता है। उसको विकास के कामों में लगायें और वह विकास के कामों में लगायेंगे तभी हमारा राजस्थान विकास कर पायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम जी।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की चर्चा में अपने आपको सम्मिलित करते हुए जो कृषि के बारे में कहा गया है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। विशेष तौर से राजस्थान में जहां ट्यूबवैल और कुओं से सिंचाई होती है वह भाग करीब-करीब डार्क जोन घोषित हो चुका है। उसमें सरकार की तरफ से जो व्यवस्था करनी चाहिये थी, मैं समझता हूं कि उधर सरकार का मानस नहीं है। अगर सरकार उस ओर ध्यान नहीं देगी तो कुछ गांवों में तो पानी बिलकुल समाप्त हो चुका है, आने वाले समय में पीने के पानी तक की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिये जितने भी क्षेत्र के ट्यूबवैल और कुओं से सिंचित होते है वहां इनको रीचार्ज करने के लिए नहरों से या अन्य कोई व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये जिससे कि वाटर टेबल वापस उस स्तर तक पहुंच पाये।

जहां तक तुलनात्मक स्थिति है, आज भूमि सुधार जो गरीब के लिये और राजस्थान की बहु जनसंख्या के लिये कारगर हथियार साबित हो सकता है, उसके बारे में राजस्थान की सरकार ने इस अभिभाषण में कहीं भी एक अक्षर तक नहीं लिखा है। मेरे प्रश्न के उत्तर में राजस्व मंत्री ने पिछले विधान सभा सत्र में उत्तर दिया था कि दस हजार से लेकर बारह हजार एकड़ जमीन हमारे प्रान्त के राजा महाराजाओं के पास अभी भी है। 50 साल की आजादी के बाद आज भी वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अटकी हुई हैं। उसका निर्णय हमारी सरकार आब तक नहीं करवा पायी है और आज उसको उलटने की हमारी सरकार की मानसिकता है।

इस राजस्थान के लाखों-करोड़ों मेहनतकश, गरीब, हरिजनों और ग्रामों के गरीब किसानों को वह जमीन नहीं देकर बड़े-बड़े उद्योगपतियों को, बड़े-बड़े जागीरदारों को नहरी जमीन को देने की और उसको वापस पलटनेकी जो मंशा है, मैं समझता हूं कि यह राजस्थान के लिए अहितकर हो सकती है; और है। अगर सरकार की इच्छा हो तो उनके लिए कुछ हो सकता था।

यहां हरिजन की बात करते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव रखने वाले महानुभाव कह रहे थे कि हरिजनों का हमने बहुत बड़ा उद्धार किया है। एक व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपनी योग्यता से अगर राजस्थान

(श्री अमराराम)

लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन गया या किसी विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बना दिया तो इससे समूचे राजस्थान के गरीब हरिजन का उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि राजस्थान के 38 हजार गांवों में बसने वाला गरीब, जो सबसे ज्यादा हरिजन है, जिसमें खेत मजदूर हैं, 50 साल की आजादी के बाद भी उनके लिए न तो कोई कानून है और न कोई व्यवस्था है। जो मजदूरी करता है उसकी मजदूरी के किस तरह के साधन हैं, किस तरह से उसके भविष्य के लिए हो सकता है उसके लिए हमारी सरकार पूर्णतः मौन है। अगर हरिजन उद्धार के लिए यह बात कहते तो मेरी समझ में आ सकती है। राजस्थान विश्वविद्यालय जो राजस्थान की सरकार की नाक के नीचे है, जहां शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का 28 प्रतिशत कोटा होना चाहिये उस राजस्थान विश्वविद्यालय में, चाहे पूर्व सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे भैरोंसिंह जी की पीछे जनता पार्टी की सरकार रही हो, आज भी 0·38 प्रतिशत केवल मात्र भरे गये हैं। क्या सरकार यह दावा कर सकती है कि राजस्थान की प्रशासनिक सेवाओं से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कोटा पूरा कर दिया गया? केवल मात्र किसी दो व्यक्तियों ने अपनी योग्यता के अनुसार स्थान पा लिया या किसी एक को प्रमोशन विश्वविद्यालय में देने से उन हरिजनों का उद्धार नहीं हो सकता जब तक कि हम उनकी रोजी रोटी के लिए व्यवस्था नहीं करेंगे।

जहां तक बिजली का सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, पिछले तीन साल में राजस्थान की सरकार बिजली का कनेक्शन देने में उस हरिजन को भूल गयी, गरीब को भूल गयी, फौजियों को भूल गयी और विकलांग किसानों को भूल गयी। तीन साल में एक कनेक्शन इन्होंने प्रायोरिटी के आधार पर नहीं दिया। पिछले बजट सत्र में मुख्य मंत्री जी ने यहां घोषणा की थी कि प्रायोरिटी के आधार पर 25,000 कनेक्शन दिये जायेंगे। यह मार्च बीतने को जा रहा है और आज तक प्रायोरिटी के आधार पर एक कनेक्शन किसी भी किसान को नहीं दिया गया। 83 के आदेश दिये गये हैं। कितना बड़ा फर्क है? जो उद्योग लगाता है उसको आज कनेक्शन मिल जायेगा और जिसने सन् 1984 में कुआं खोदा है उसको आज तक राजस्थान की सरकार ने कनेक्शन नहीं दिया। जहां किसान की बात करते हैं हमारे मुख्य मंत्री, दूसरे प्रान्तों से कम्पेरीजन की बात करते हैं मेरा दावा है कि हिन्दुस्तान के किसी भी प्रान्त में, किसी भी किसान से खेती के नाम पर एक रुपये बीस पैसा यूनिट की दर नहीं ली जा रही है। हमारे मुख्य मंत्रीजी जवाब में बता दें कि देश के कौनसे प्रान्त में एक रुपया बीस पैसा है। केवल एक रुपया बीस पैसा ही नहीं आज बोर्ड और सरकार की नीयत बन गयी है कि जिसने 15 साल पहले कनेक्शन लिया है उनसे एनहान्स्ड सिक्योरिटी के नाम पर पैसे ले रहे हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं मुख्य

(श्री अमराराम)

मंत्रीजी से कि किसी ने मकान बनवाया 10 साल पहले, मजदूरी में कारीगर और मजदूर को अगर 20 रुपये देते थे, आज उसको 40 रुपये देते हैं तो क्या वह उनको 20 रुपये और पेमेन्ट करने की हैसियत में हैं ? लूटने के सिवाय कोई...(व्यवधान) कनेक्शन ही नहीं, शिड्यूल्ड कास्ट की तो मंत्री महोदय....(व्यवधान).... ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : 1994 तक के सारे शिड्यूल्ड कास्ट्स के कनेक्शन कर दिये जायेंगे । जो नहीं होता तो वह बता दें ।....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : शिड्यूल्ड कास्ट्स की तो हालत यह है, अध्यक्ष महोदय, जहां ट्यूबवैल और कुओं से सिंचाई होती है, राजस्थान का वह 80 प्रतिशत इलाका डार्क जोन घोषित हो चुका है । इस प्रांत के हरिजन को वहां लोन नहीं मिल सकता, वह कुआं कहीं भी नहीं बना सकता । मैं दस प्रतिशत की तो कह नहीं सकता, नब्बे प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग डार्क जोन में होने के कारण कोई कुआं नहीं बना सकेंगे और कुआं ही नहीं बनेगा तो कनेक्शन की तो बात ही चालू नहीं हो सकती ।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री अमराराम (धोद) : 1992 का दिया था, अभी 1994 के दे रहे हो लेकिन जहां सब जगह डार्क जोन हो गया, कुआं बना नहीं सकता, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी । कुआं ही नहीं होगा तो कनेक्शन लेने की तो बात ही नहीं हो सकती । जब उनको जमीन नहीं दे रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : अब आपके पास दो मिनट ही बचे हैं, मैंने आपको ज्यादा दे दिये ।

श्री अमराराम (धोद) : जहां तक इस अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात कही गयी है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गांवों में लोगों को एक राशन कार्ड पर पांच लीटर केरोसिन तेल दिया जाता है उस तेल को लेने के लिए गांव से चलकर शहर तक लाने मे पचास रुपये किराये के खर्च होते हैं जहां आपने डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था कर रखी है । गांव का कोई भी गरीब आदमी वहां तेल लेने के लिए जाता है तो उसको उत्तर मिलता है कि तेल नहीं है । जबकि हम बार-बार सरकार से कह रहे हैं कि हर पंचायत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान है, आपके लाइसेंस होल्डर हैं तो क्यों नहीं उनको तेल दे दिया जाय । लेकिन ब्लैक मार्केटर, जो ज्यादातर आपके समर्थक हैं को फायदा पहुंचाने के लिए, उन उद्योगपतियों को ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए आप उन गरीबों तक तेल नहीं पहुंचाते । आपने अभिभाषण में लिखवाया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 10 किलो से लेकर 15 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से गेहूं वितरित किया गया है । मेरा दावा है राजस्थान के एक भी गांव में ऐसा उदाहरण मुझे बता दें जहां 10 से 15 किलो तक आपने राशन का गेहूं वितरित किया हो । ब्लैक मार्केटिंग होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री फतेहसिंह जी।

श्री अमराराम (धोद) : दो मिनट। जहां तक साक्षरता का सवाल है (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : पहले पार्टी पावर का आदमी बोलता है, फिर संख्या बल के आधार पर जो मुख्य अपोजिशन दल है वह बोलता है। आज आपने बिलकुल ही चेंज कर दिया।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। सभी पार्टियों को देना पड़ेगा, आपको भी देंगे। आपका भी होगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपने पूरी की पूरी व्यवस्था बदल दी है।

श्री अमराराम (धोद) : जहां तक साक्षरता का सवाल है, राजस्थान के इतिहास में पहले कभी नहीं,....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। ज्यादा चैलेंज करने की चेष्टा न करें। आप बैठ जाइये। आपका आने वाला है, इनके बाद। ऐसा नहीं है। सभी पार्टियों को नम्बर देना पड़ेगा। एक-एक माननीय सदस्य हैं उनको भी मिलेगा।

श्री अमराराम (धो) : राजस्थान में पैसे दो और बिजली लो राजस्थान में पैसे देओ और स्कूल लेओ। एक-एक सैकण्डरी स्कूल के लिए 2 लाख रुपये, और सीनियर सैकण्डरी के लिये 4 लाख रुपये और कॉलेज के लिये एक करोड़ रुपये ऐसी सरकार क्या शिक्षा दे पायेगी ? (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : सब परम्पराएं क्या आपसे सीखनी पड़ेंगी ? आप बोलना नहीं चाहें तो जा सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से + + + करने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)...जिस पार्टी का नम्बर है उसको छोड़ दें क्या ? सभी पार्टियों को मौका देना पड़ेगा। आप विराजें। जो एक पार्टी का मैम्बर है उसको मौका ही नहीं देंगे इसका मतलब।

श्री अमराराम (धोद) : सम्पूर्ण साक्षरता का वही हश्र होने वाला है जो प्रौढ़ शिक्षा का हुआ है। हमारे सीकर जिले को सम्पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया गया। अगर गांवों में जायेंगे तो एक भी पढ़ा-लिखा नहीं मिलेगा। आपकी पूर्ण जांच भी हो गयी और आप उनको पूर्ण साक्षर घोषित कर रहे हैं। कोई भी साक्षर नहीं है, पैसा खर्च करने के अलावा कुछ भी नहीं है।

औद्योगिक विकास की बात की जा रही है जहां सम्पूर्ण रूप से उद्योगपरस्त नीतियां है

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। दो मिनट ज्यादा ले चुके हैं। विराजें अब आप।

श्री अमराराम (धोद) : चाहे वह माडर्न सिन्थेटिक्स की हो और इतने खुलकर उनके पक्ष में हो गये हैं जिसके लिये कोई भी कह नहीं सकता।

जहां तक कानून और व्यवस्था का सवाल है, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने किसान छात्रावास, सीकर में 1987 में गोलीकांड हुआ था....

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : वह तो तीसरी बात कर दी आपने किसान छात्रावास की। बिराजिये। श्री फतेहसिंहजी।

श्री अमराराम (धोद) : उसकी जांच होनी चाहिए और छात्रावास खाली होना चाहिए। कथनी और करनी में इतना अन्तर है कि सरकार में आने के बाद किसान छात्रावास आज भी पुलिस के कब्जे में है। उसको खाली कराया जाय।

इसलिए मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का इस बात के साथ विरोध करता हूं कि राजस्थान सरकार की कथनी और करनी में उतना ही फर्क है जितना रात और दिन में फर्क है। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर काफी ?

श्री अध्यक्ष : 12 मिनट आपके लिए हैं।

श्री फतेहसिंह : मेरे तीस मिनट हैं।

श्री अध्यक्ष : आपकी पूरी पार्टी के हैं।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : पार्टी में तीन तो मैम्बर हैं, 10–10 मिनट तो बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे का विरोध किया गया। कई माननीय सदस्यों ने राज्य सरकार की वाहवाही भी की। इस अभिभाषण में कई तरह की बातें भी लिखी गयीं, इसका विरोध भी किया गया। लेकिन मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि जो भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार बनी हो, चाहे बी.जे.पी. की सरकार बनी हो, जो भी पार्टी सत्ता में आती है, उसका विरोध विपक्ष को करना जरूरी होता है। मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि जो पार्टी रूलिंग पार्टी होती है उसकी जिम्मेदारी बनती है जनता के प्रति कि उसको काम करना है। यह बात नहीं है कि वह सत्ता में आने के बाद अन्याय करे।

इस अभिभाषण में कुल मिलाकर सारी बातें लिखी गयीं लेकिन जो ट्राइबल क्षेत्र है—बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या चित्तौड़, वह एक कदम पिछड़ा हुआ इलाका है, इस बुकलैट के अंदर कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि आदिवासी उत्थान के लिए राज्य सरकार क्या करना चाहती है। इस मौके पर मैं यह कहना चाहता हूं कि उस इलाके में कई तरह की योजनाएं राज्य सरकार ने चालू कर रखी हैं, पैसा इनमें दिया जा रहा है लेकिन उसकी क्रियान्विति नहीं हो रही है। अंत्योदय योजना चालू कर रखी हैं उस क्षेत्र में। इस योजना में सिर्फ गाय बैल, बकरे देकर ही वहां के आदिवासियों को संतुष्ट किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि गाय बैल, बकरे से उस इलाके के गरीब आदिवासी या हरिजन का उद्धार होना नहीं। दूसरी तरफ जीवनधारा योजना में कुएं या इंदिरा आवास देकर इसको संतुष्ट कर रखा है।

इंदिरा आवास योजना में मकान देकर के क्या उस गरीब की माली हालत ठीक

(श्री फतेहसिंह)

होगी ? उससे भी कोई उद्धार होने वाला नहीं है। जीवन धारा योजना में कुओं के नाम पर व्यक्तिगत योजना में आपके चूरू या अन्य डिस्ट्रिक्ट में तो 50 हजार रुपये तक का है लेकिन उस इलाके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में 16 हजार रुपये से लगाकर, 19 हजार से अब 35 हजार तक का क्राइटेरिया इन्होंने माना है, वह पथरीला एरिया है, वहां का किसान कुआं खोदता है तो उसका लाभ नहीं, पूरी तरह पैसा उठता नहीं है। तो इस तरह से व्यक्तिगत योजना देकर यह कह दें कि उस इलाके में आदिवासी उत्थान हो गया, पर यह लगता नहीं है कि इस तरह की योजना से उस इलाके को लाभ हो। आज इस मौके पर सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्रिटीसाइज आप कितना भी कर लो, विरोध कितना भी कर लो पर हम यह चाहते हैं कि जो भी सरकार हो, उस सरकार के रहते उस इलाके की जहां जैसी जरूरत हो, उसकी पूर्ति की जाय। उस इलाके में व्यक्तिगत योजनाओं से लाभ होने जैसी स्थिति नहीं है क्योंकि खेती छोटी हो गयी, परिवार बढ़ गये। शिक्षा की पहले ही कमी है, उस इलाके में बिजली नहीं मिल रही है। इसलिए राज्य सरकार उस इलाके में किसी न किसी तरह की स्कीम या योजना तैयार करे। पहाड़ी इलाका है, बरसात के पानी को रोककर वहां छोटे बंधे बनाये, स्टाक डैम बनायें, जो अधूरे तालाब है उनको पूरा करके उस इलाके के लोगों को राहत दी जा सकती है। जहां छोटे-छोटे तालाब पहले से बने हुए हैं उन तालाबों की ओर जो नहरें टूटी फूटी हैं, मैं चाहूंगा कि उनकी भी रिपेयर करके इस इलाके के लोगों को राहत दी जाय।

दूसरी तरफ उस इलाके में सड़कों का भी अभाव है। आवागमन के लिए सड़कों का राज्य सरकार बजट में प्रावधान करे। वहां के इलाकें में सड़कें अगर बन जाती है तो आवागमन में लोगों को सुविधा मिलेगी, व्यापार बढ़ेगा और दूसरे प्रान्तों में, दूसरे एरिया में मध्य प्रदेश और गुजरात में जाकर वह अपना धंधा कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि उस इलाके के लोगों को जिन्दा रखने के लिए एक तो बरसात का पानी रोका जाय और दूसरी तरफ ट्यूबवैल लगाकर उस इलाके में धरती का पानी या ऊपर का पानी दोनों पानी को ऊपर लाकर हर मजदूर को, हर किसान को और हर खेत को पानी दिया जाय, हर हाथ को काम दिया जाय। इस तरह की व्यवस्था अगर सरकार करेगी तब तो कुछ किसानों को राहत मिलेगी।

दूसरी तरफ मेरा यह मानना है कि आबादी बढ़ गयी है, शिक्षित बेरोजगारी काफी बढ़ी हुई है। शिक्षित बेरोजगारों के लिए राज्य सरकार ने अब तक नहीं सोचा है। उस इलाके में कितने ही एस.सी. और एस.टी. के लड़के अलग अलग ट्रेनिंग लेकर अभी भी बैठे हुऐ हैं। बैन लगा हुआ है, उनको कोई नौकरी नहीं मिलती है। चपरासी से लेकर पटवारी और पटवारी से लेकर ऊपर तक के जितने भी पद हैं उस इलाके में अभी भी खाली हैं। अध्यापकों के पद जरूर भरे हैं लेकिन दूसरे सारे पद वहां खाली हैं। मैं तो यहां पर यह भी कह रहा हूं कि जितनी भी मिडिल स्कूलें पहले खुली हैं उसके अन्दर पिओन तक नहीं

(162)

(श्री फतेहसिंह)

हैं। तो राज्य सरकार की क्या मंशा है, उस इलाके के लोगों को यह पोस्टें भरकर उनको राहत देना चाहती है या नहीं देना चाहती है? अगर यही स्थिति रही राज्य सरकार की तो फिर हमको दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा—आन्दोलन करें, सत्याग्रह करें या जेल भरें या इस तरह की लड़ाई लड़ करके सरकार को मनाने की कोशिश करें। उसके बाद भी जो बी०जे०पी० की सरकार स्टेट में है अगर वह नहीं सोचती है तो उसके लिए हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। दूसरा रास्ता यही होगा कि इस इलाके में जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं, आदिवासी सूबा कायम करने के लिए हमें आन्दोलन छेड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, अलख जगाना पड़ेगा और अलग से राज्य कायम करना पड़ेगा और स्टेट बनानी पड़ेगी तब जाकर सब लोगों के दिमाग ठीक होंगे। हमारे दूसरे माननीय सदस्य भी यहां पर बैठे हैं उदयपुर, चित्तौड़ और बांसवाड़ा जिले के अन्दर, जो भी राज्य सरकारें आयी हैं, चाहे वह कांग्रेस की सरकार आयी है या बी०जे०पी० की सरकार आयी है, सभी सरकारों ने आदिवासियों के हितों में कुछ नहीं सोचा है, आदिवासियों की अनदेखी की है और इस इलाके में अब तक विकास में काफी उन्होंने भेदभाव किया है। तो हमारा यह आखिरी चैलेन्ज है। मैं राज्य सरकार के सामने यही कहना चाहूंगा कि अगर यही भेदभाव आज की मौजूदा सरकार ने रखा या दिल्ली सरकार ने रखा तो मजबूर होकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर के एरिया को अलग से आदिवासी सूबे की स्थापना करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा और हर तरह से हमें लड़कर उस इलाके के लोगों को राहत देनी पड़ेगी। इतना ही कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह जी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्षजी, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया है और सिरोही से आने वाली माननीया सदस्या द्वारा जो समर्थन किया गया है....

श्री अध्यक्ष : 10 मिनट ही हैं आपके पास।

श्री हरिसिंह : ....आज तो आपने +++

श्री अध्यक्ष : आप चलिये, बोलें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, एक आपत्ति है।

श्री हरिसिंह : मैं सुविचारित रूप से, समस्त मर्म और शक्ति से इस धन्यवाद प्रस्ताव का ...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, चार जने बोल लिये हैं उजलाजी के बाद में चार जने बोल चुके हैं....

श्री अध्यक्ष : आप कुछ समझने की चेष्टा करें। आप बिराज जायें। आप आथोरिटी को चैलेन्ज नहीं करें तो अच्छा है, माननीय सदस्य। मैं आपको जरूरत से ज्यादा ही सुनता हूं। अब बिराजें आप ...

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एक इधर से आ जाता और उधर से दो आ जाते हैं। ऐसा तो होता ही नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : सभी को दे रहा हूं नम्बर, आप बैठें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह आपने नयी परम्परा बना दी है। मैं तो नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जायें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : बिलकुल साहब।

श्री अध्यक्ष : यह गलत तरीका है आपका।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : +++

श्री अध्यक्ष : +++

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं तो जा रहा हूं। (मा. श्री विजयेन्द्रपालसिंह द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : जाइये आप। पराकाष्टा है यह। बोलिये आप।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष जी....

श्री अध्यक्ष : यह कोनसा तरीका है? हमने एक-एक करके नाम दिये हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई, इस आपत्ति दर्ज कराने में इतना गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : तीन बार उनको कहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : +++

श्री अध्यक्ष : यहां इस तरह से उपदेश देने की जरूरत नहीं है उनको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : +++

श्री अध्यक्ष : यह इस तरीके से तीन बार उपदेश देने की जरूरत नहीं है। तीन जगह अलग-अलग पार्टी के हैं उनको समय दिया है हमने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उन्होंने अपनी बात कह दी आपको।

श्री अध्यक्ष : मैंने तीन बार उनको कह दिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो फिर उनको +++ नहीं चाहिए।

श्री अध्यक्ष : इस तरीके से बार-बार कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं– क्या मतलब होता है इसका?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, आपको दिल बड़ा रखना चाहिए इसके अन्दर।

श्री अध्यक्ष : क्या मतलब होता है इसका? क्या मतलब होता है इसका?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या?

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : कोई हाउस की मर्यादा भी है। मैं जा रहा हूं, बहिर्गमन कर रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मर्यादा ठीक है। मर्यादा भी वह जानते हैं। तीन बार मैम्बर वह भी रह चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : तीन बार मैंने उनको कहा है। मैंने कहा कि पार्टी के हिसाब से मैंने समय दिया हुआ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस तरह से +++

श्री अध्यक्ष : पार्टी के हिसाब से सभी पार्टियों को बुलाना पड़ेगा। एक इधर से और एक इधर से, एक उधर से और एक उधर से कर रहे हैं। यह तीसरी बार किया है इन्होंने। आज ही नहीं किया है ऐसा। पहले भी किया है ऐसा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : +++

श्री अध्यक्ष : साल भर पहले भी उन्होंने ऐसा ही किया।

श्री परसादीलाल मीणा : तिवाड़ी जी, अध्यक्ष को +++

श्री घनश्याम तिवाड़ी : +++

श्री परसादीलाल मीणा : गलत परम्परा है आपकी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय मैम्बर को ऐसा नहीं कहना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं---क्या मतलब है यह ? हर समय डिक्टेशन ही करेंगे वह। बिराजें। हां, बोलिये।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष जी, आप गुस्सा कर रहे है मैं वैसे ही सहम रहा हू।

श्री अध्यक्ष : गुस्से का सवाल नहीं है। यह व्यवस्था का सवाल है। आप बोलें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह शब्द एक्सपन्ज करा दो आप।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल महोदय ने 81 अनुच्छेदों का यहां पर भाषण पढ़ा और इसके तीन चौथाई हिस्से में ...

श्री अध्यक्ष : मैं देख करके एक्सपन्ज कर दूंगा। मैं उसे देख लूंगा कि क्या लिखा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरी विनम्रता-पूर्वक एक बात सुन लीजिये। आपके मुंह से निकल गया कि +++ क्या सदन में किसी भी माननीय सदस्य को....

श्री अध्यक्ष : मैं इसीलिए कहा है कि वह कह रहे हैं कि मैं वाकआउट कर रहा हूं। तीन बार वह कह चुके हैं। मैं जब उनको तीन बार कह चुका हूं, मैं तीन बार उनको समझा चुका हूं कि देखिये मैं नियम के अनुसार जिस-जिस का जितना-जितना पार्टी का समय दिया हुआ है उस टाइम को मैं लूंगा....

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सवाल उन शब्दों का है।

श्री अध्यक्ष : यह बार-बार उनको +++क्या जरूरत थी। आप नहीं थे पहले भी उन्होंने कहा कि यह +++क्या मतलब होता है इसका ? अथारिटी को चैलेन्ज कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष को क्या यह कह सकते हैं कि+++

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था तो शिरोधार्य है लेकिन आप ...

श्री अध्यक्ष : हमारी मर्यादा का और मेरी शालीनता का नाजायज फायदा उठाने की चेष्टा नहीं करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप मेरी बात तो सुन लीजिए, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप बोलें मैं देख करके होगा तो एक्सपन्ज कर दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, उसे निकाल दें।

श्री अध्यक्ष : यह तीन बार उन्होंने इस तरह से किया है। पहले भी निकल करके गये हैं वह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप क्यों कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : जितनी शालीनता रखते हैं उतना ही यह समझ रहे हैं कि यह तो कुछ नहीं हैं। मर्जी आये जैसी +++ रूलिंग पार्टी के मैम्बर हैं they should know it.

श्री हरिसिंह : तिवाड़ी जी, आपने मेरा नुकसान करा दिया।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री हरिसिंह : आप गुस्सा....

श्री अध्यक्ष : गुस्से का सवाल नहीं है। मर्यादा का सवाल है। आप बिराज जायं।

श्री विष्णु मोदी : गुस्से को शांत करना भी मर्यादा में है।

श्री अध्यक्ष : गुस्सा नहीं है। हर मैम्बर +++ लगा तो फिर आसन तो चल गया।

एक माननीय सदस्य : उधर के सदस्य मर्जी आये जैसे बोलते रहते हैं। मानते ही नहीं बात को।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष जी, इस अभिभाषण में सातवीं पंचवर्षीय योजना और 8वीं पंचवर्षीय योजना का एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और उसकी उपलब्धियों का बखान किया गया है। कितना अच्छा होता कि यह प्रस्तुत करने से पूर्व महामहिम अगर कहीं इसमें लेशमात्र भी एक इशारा देते कि आज जिस ढंग से देश में भ्रष्टाचार की आम चर्चा हो रही है और देश में सभी जगह नहीं राजस्थान में भी

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(166)

श्री अध्यक्ष : नहीं तो वह आसन का अपमान नहीं कर सकते। आसन का अपमान करने का उनका भी दु:साहस नहीं होना चाहिये। आप बोलें। (व्यवधान)

(17.00)

श्री विष्णु मोदी : कैसे बोल सकते हैं जब सत्ता की तरफ से इतना डिस्टर्बेन्स हो रहा है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : कितना अच्छा होता कि केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान में.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुनो ही मत। आप बोलें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हू।

श्री अध्यक्ष : मैं पूरी बात सुन रहा हूं। आप बोलें। मैं हंसता ही रहता हूं। मैं नाराज होता ही नहीं हूं किसी से।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, आप तो सुन रहे हैं लेकिन आपके माध्यम से सरकार को जो सुनाना है, वह नहीं सुन रही है। वहां उनके सीनियर विधायक श्री घनश्यामजी तिवाड़ी, चीफ व्हिप और भवरजी में आपस में झगड़ा हो रहा है। इसलिए सवाल इस बात का है कि यह आपके माध्यम से सरकार को जो सुनाना चाहते हैं वह सरकार नहीं सुन रही है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन में अव्यवस्था फैलाने का काम है। इनको थोड़ा-सा हाउस....

श्री हरिसिंह (महुआ) : मुख्य सचेतक महोदय, पहले यह काम आपन दोनों किया करते थे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तिवाड़ीजी की शिकायत क्या थी?

श्री अध्यक्ष : अभी तिवाड़ीजी की और आपकी शिकायत सुनने का अवसर नहीं है। आप बोलने दो। आप बोलिये, नहीं बोलना चाहते तो मैं दूसरे का नाम पुकारता हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्षजी, मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो आपकी तरफ देख रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप मजाक मत बनाओ हरिसिंहजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप खड़े होकर बोलें। आप बैठे-बैठे डिस्टर्ब कर रहे हो। आप खड़े होकर क्यों नहीं बोल लेते हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, कोई भी माननीय सदस्य अपनी सीट के अलावा नहीं बोल सकता वरना, उसको....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वरना क्या करोगे?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने व्यवस्थाएं पढ़ी हैं ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप पढ़ा दो, नहीं पढ़ी हैं तो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आइये, मैं पढ़ाता हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपका पढ़ाई से कोई ताल्लुक रहा है क्या कभी ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह सारा ताल्लुक मेरे से ही है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपके लिए आपके क्षेत्र की जनता क्या कहती है, बताऊं क्या ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप तो उन लोगों में हो....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें। माननीय मुख्य सचेतक महोदय, कृपया विराजें आप। आप फरमायें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्षजी, मैं अनुरोध कर रहा था कि कितना अच्छा होता, जब देश में आज चारों तरफ राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के किस्से चल रहे हैं, न्यायपालिका का डंडा सबके ऊपर है, राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, ईमानदार व्यक्तियों की नस्ल आज खतम होने जा रही है, ईमानदार व्यक्ति प्रशासन में आज गोडावन पक्षी की तरह बन गया है उस नस्ल को बचाने के लिये महामहिम अपने अभिभाषण में लेशमात्र भी इंगित करते तो मैं निश्चित रूप से उनको धन्यवाद देता। राजस्थान में औद्योगिक नीति सामने आयी। अध्यक्ष जी, मुझे सख्त अफसोस है कि कई मंत्रियों ने + + + लम्बाई चौड़ाई बराबर कर ली और उसके बाद में भी व्यवधान डाल रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं....

श्री मदन दिलावर : हरिसिंहजी, क्या खा गये ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : कृपया शांत रहें, बोलने दें।

श्री अध्यक्ष : शांत रहें, व्यवस्था रहने दें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री बनने के पहले का नाप लिया जाय और मंत्री बनने के बाद का नाप लिया जाय, यह मतलब होता है लम्बाई चौड़ाई ज्यादा होने का।

श्री अध्यक्ष : आप विराज जायं। + + + मत करो आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष जी, कितना अच्छा होता कि जो केन्द्र सरकार ने राजस्थान में 2000 किलोमीटर मीटर गेज लाइन को ब्रॉड गेज लाइन बनायी है और राजस्थान के औद्योगिक विकास एक नया अध्याय, एक नया आयाम कायम किया है, संचार सुविधाएं जगह-जगह पर;

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरिसिंह)

तहसील स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर प्रदान कर दी हैं जो कि राजस्थान के औद्योगिक विकास की निश्चित रूप से प्रथम आवश्यकता थी उसके बारे में महामहिम धन्यवाद देते लेकिन उन्होंने एक शब्द भी केन्द्रीय सरकार के इस काम के लिये धन्यवाद के लिए नहीं कहा है।

अध्यक्ष जी, इसमें पैरा 40 पर यह तो लिखा हुआ है कि 127 पशु चिकित्सालय खोले जा रहे हैं लेकिन कहीं यह नहीं लिखा महामहिम ने कि राजस्थान सरकार को यह भी पता है कि पशु चिकित्सालय कहां जा रहे है। राजस्थान के जितने भी विकास खण्ड हैं उनमें ग्रोथ सैन्टर पहले चिन्हित कर लिये गये। राजस्थान में जो 1165 ग्रोथ सैन्टर चिन्हित किये हैं उनमें आधारभूत विकास के लिए केन्द्र सरकार ने पूरा पैसा देने का निश्चय किया है। गोथ सैन्टर को चिन्हित करके राजस्थान में लिस्ट भेज दी है केन्द्र सरकार ने कि यह 127 पशु चिकित्सालय अमुक-अमुक जगह पर खोलेंगे। आपको अपना माइंड एप्लाई करने का भी मौका नहीं दिया। इसके साथ ही वर्षा से प्रत्येक ग्रोथ सैन्टर को पांच-पांच लाख रुपये और भेजे हैं।

अध्यक्ष जी, इसमें कहीं नहीं लिखा महामहिम ने कि मुख्य मंत्री से ज्यादा टेलीफोन का खर्चा राजस्थान के एक उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर के आता है। इसमें कहीं नहीं लिखा कि मगलारामजी का खर्चा दो लाख रुपये से ऊपर चला जाता है और मुख्य मंत्रीजी का एक लाख ही रहता है। कहीं नहीं लिखा है, लिखना तो चाहिए था।

श्री जुबेर खान : मंगलारामजी को फोन के अलावा दे क्या रखा है ?

श्री अध्यक्ष : कृपया शीघ्र पूर्ण करें। तीन मिनट बचे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरे 7 मिनट तो यों ही निकल गये।

श्री अध्यक्ष : आप ऐसे ही करते रहे तो 10 घंटे तक ही नहीं होगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : 10 घंटे का तो मैं टाइम नहीं लूंगा। मैं सीधा सीधा आ रहा हूं। सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के ऊपर मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। आप मेरा समय काट लें सीधे-सीधे भ्रष्टाचार की बात करने के लिए ? अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से इस मामले में मुझे आपका सहयोग मिलेगा। अब इसमें बैरल पाइंट्स के सम्बन्ध में बात कही गयी है। केन्द्र सरकार द्वारा 6.5 प्रतिशत कैरोसिन की मात्रा राजस्थान को बढ़ा दी है और राजस्थान सरकार वाहवाही ले रही है।

अध्यक्ष जी, यह बहुत खुशी की बात है कि आप अधिक कैरोसिन ले आये लेकिन आपकी वितरण व्यवस्था क्या है ? आपकी कैरोसिन की वितरण व्यवस्था का मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। यहीं जयपुर का है, पूरे राजस्थान का क्या हाल है यह तो आप उससे अनुमान लगा लो। जयपुर के डी.एस.ओ. मिस्टर कर्णसिंह राठौड़ का पत्र मैं आपकी सेवा में निवेदन करना चाह रहा हूं। यह दिनांक 4.10.95 का पत्र है। अध्यक्ष महोदय,

(श्री हरिसिंह)

जयपुर के डी.एस.ओ. ने जयपुर की पॉश कालोनीज को चिन्हित किया है जहां पर केरोसिन की जगह गैस का प्रयोग हो रहा है। वहां के जो रिटेलर्स हैं, यह कहते हुए कि इन पॉश कालोनीज में गैस का प्रयोग ज्यादा होता है, इन सबका कोटा कम कर दिया। रोस्टर जारी कर दिया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने यह आदेश निकाला। यह सूची मेरे पास है और इस सूची में कुल मिला करके उन्होंने 143 रिटेलर्स का कोटा कम किया लेकिन हकीकत में कोटा कम किया नहीं। यह आदेश तो निकाल दिया, पॉश कालोनीज का बहाना ले लिया, रिटेलर्स को डरा दिया कि आपका कोटा कम कर दिया गया है लेकिन फिर उसकी मांग पैदा करके बिना किसी प्रकार का आदेश निकाले हर रिटेलर को हजार, पन्द्रह सौ, दो हजार लीटर एक्स्ट्रा दिया गया। जयपुर में क्या आपको जानकरी है अध्यक्ष महोदय, केरोसिन खुले में 11 रुपये लीटर बिक रहा है। डी.एस.ओ. ने यह तय किया कि दो रुपये लीटर अधिक मुझे दो और आप अपना कोटा बढ़वा कर ले जाओ। इस प्रकार इन 143 डीलर्स को एक लाख 99 हजार लीटर एक्स्ट्रा कोटा हर महीने का देकर डी.एस.ओ. 4 लाख रुपये महीने के कमा रहा है और आश्चर्य को बात यह है कि डी.एस.ओ. खुले में कहता है, + + + चार लाख की रिश्वत ले करके खुले में यह कह रहा है।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप समाप्त करें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं समाप्त नहीं करूंगा। अभी तो मैं शुरू ही नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : 10 मिनट ही दिये थे मैंने, 12 मिनट हो गये हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक तरफ और आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने तो पर्सनल नहीं लिया, आपकी नाराजगी में 10 मिनट निकल गये हैं।

श्री अध्यक्ष : वह 15 मिनट हो गये हैं, पांच मिनट आपके पूरे हो गये हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, अभी सरकार बैरल पाइंट्स दे रही है....

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि....

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप जांच करवा लेना, क्या पाइंट आफ आर्डर कर रहे हो (व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं। मैं दूंगा आपको, महावीर जी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां तो देओ ना।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह मैंने मुख्य मंत्रीजी को चिट्ठी लिखी है। मैं दूंगा, आप जांच करवा लेना। हिम्मत हो तो जांच करवाओ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां-हां, आप चिट्ठी दें।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं अध्यक्ष महोदय से बात कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने पाइंट आफ आर्डर उठाया है । हां, फरमायें ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर यह है कि कोई भी माननीय सदस्य किसी पर आरोप लगाता है तो उसकी एक कापी अध्यक्ष महोदय को....(व्यवधान) यह जो इनके वर्ड हैं कि + + + फलाना करता है, वह एक्सपंज किया जाय और बिना नोटिस के....

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज किया जाय ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उसकी एक कापी अध्यक्ष महोदय को देनी पड़ती है ।

श्री अध्यक्ष : आप स्पेसिफिक चार्ज लगाना चाहें तो पहले दो आप लिखित में....

श्री हरिसिंह (महुआ) : किसको ?

श्री अध्यक्ष : आप मिनिस्टर के खिलाफ चार्ज लगा रहे हैं तो आप लिखित में दे दीजिये पहले । चलिये आगे आप ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, वह भी दे दूं ।

श्री अध्यक्ष : चलिये आप । मंत्री तो व्यक्तिगत ही है । आप मंत्री 10-20 नहीं हैं । आगे चलिये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, तब तक एक्सपंज तो कराइये ।

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज कर दिया मैंने ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : काहे का ? डी.एस.ओ. वाला भी कर दिया ?

श्री अध्यक्ष : अब आप बोलें ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, आप मुझे तो जानकारी दें ।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी के खिलाफ ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां, कर दिया ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं पुनः दोहरा रहा हूं । (व्यवधान) मैं दोहरा रहा हूं, सुन तो लीजिये (व्यवधान) आप बोलने ही नहीं देंगे ? आपको कड़वी बात सुनने की....

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी अधिकारी के खिलाफ भी चार्ज लगाते हैं तो उसका भी नोटिस देना पड़ता है ।

श्री अध्यक्ष : आप बोलने तो दें कि आप क्या कह रहे हैं ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वे इस हाउस के मेम्बर नहीं होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप मुझे बोलने तो दें ।

श्री अध्यक्ष : पहले आप उन्हें बोलने दो, वे क्या कह रहे हैं । हां, बोलें आप ।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप किसके बारे में कहना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोलें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, बैरल पाइंट्स की बात कही गयी है कि क्या राजस्थान में बैरल पाइंट्स है। यह असेन्शियल कमोडिटीज एक्ट सेन्ट्रल गवर्नमेंट का है। इसमें कौन लाइसेंसिंग अथोरिटी है, इस बात का उल्लेख किया गया है और मंत्री महोदय ने बैरल पाइंट्स राजस्थान भर में देने के लिए जो कमेटी बनायी है, उसमें दो एम.एल.एज. हैं और एक जिला प्रमुख हैं। जो आदेश निकाला मैं उस आदेश की प्रतियां लाया हूं। अध्यक्ष महोदय, + + + कुछ एम.एल.एज. को हम कमेटी में रख रहे हैं और उसमें एक जिला प्रमुख भी रख दिया गया है जबकि आदेश एम.एल.एज. का है। जिला प्रमुख का कहीं उल्लेख नहीं है। अब मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि राजस्थान भर के लिए एक कमेटी बना दी गयी। कलक्टर के अधिकार क्यों छीने, वह लाइसेंसिंग अथोरिटी है ? डी.एस.ओ. के क्यों अधिकार छीने हैं, वह लाइसेंसिंग अथोरिटी है ? क्या वह बेईमान है, भ्रष्ट है ? जिला स्तर पर वे बैरल पाइंट्स तय नहीं कर सकते थे, लेकिन इसके पीछे भी राज है। मैं कह रहा हूं कि एक-एक बैरल पाइंट्स का सौदा हो रहा है 25-25 हजार और 30-30 हजार में।

श्री मदन दिलावर : एक-एक असत्य है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, राजस्थान भर में जहां-जहां बैरल पाइंट्स दिये गये हैं। वह बात सरकार को पहले एडवरटाइज करनी चाहिए थी कि अमुक तहसील के अमुक गांवों के लिए बैरल पाइंट्स के लिए यह विज्ञप्ति प्रसारित करते हैं। इसमें कौन-कौन व्यक्ति यहां एप्लीकेंट्स हैं, वे आयें और फिर निर्णय के बाद नाम चयनित करें।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरा अनुरोध करना चाह रहा हूं कि सरकार ने एक तरफ आदेश निकाल दिया कि जिस किसान के पास ट्रैक्टर है, डीजल पम्प है, वह 2400 लीटर एट ए टाइम अपने पास डीजल रख सकता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपका टाइम खतम हो गया।

श्री हरिसिंह (महुआ) : घनश्यामजी, आप भी लम्बा बहुत बोलते हो, मुझे पता है। वह 2400 लीटर रख सकता है तो फिर बैरल पाइंट्स की आवश्यकता क्या पड़ गयी ? जब आपने किसान को छूट दे दी है कि 2400 लीटर वह एट ए टाइम रख सकता है तो बैरल पाइंट्स की आवश्यकता क्या पड़ गयी ?

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। अब समाप्त करें।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आपके पूरे 20 मिनट हो गये हैं इसमें ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सरकार ओवर-लैपिंग कर रही है । मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं कि सरकार को बैरल पाइंट्स देने का कोई अधिकार नहीं है । पहली चीज यूं नहीं है कि कोई भी पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए आप उसका स्टोरेज करने का अगर लाइसेंस देंगे तो उससे पहले आपको एक्सप्लोजिव का लाइसेंस देना बहुत जरूरी है, जो आपके बूते की बात नहीं है और आपने यह बैरल पाइंट्स का लाइसेंस देते समय....

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये । श्री विजयेन्द्रपाल सिंहजी (अनुपस्थित) ।

श्री हरिसिंह (महुआ) :....यह आवश्यक भी नहीं बनाया, मैंने अण्डरग्राउण्ड....

श्री अध्यक्ष : श्री शिवकिशोर जी सनाढ्य (अनुपस्थित), श्री गोपीचन्द जी गुर्जर । आप विराजिये । आपका समय अब खतम हो गया । विराजिये आप ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मेरी आप सुनें । मैं खतम नहीं कर रहा हूं । मैं यह बैरल पाइंट्स वाली बात समाप्त कर दूं । अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट में बात पूरी कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : समय पूरा हो गया है । 20 मिनट हो गये हैं उसमें से पांच मिनट ऐसे निकल गये ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक मिनट में बात पूरी कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : नहीं ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय मुख्य मंत्रीजी विराजमान हैं, आप बैरल पाइंट्स के जो डीलर्स नियुक्त करेंगे उनको आप माल दिलायेंगे डीजल पम्प से और डीजल पम्प की रेट्स तय है पहले ही से....

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : ....और उसी रेट्स से दिलायेंगे तो, मुख्य मंत्रीजी, क्या आप यह बता सकते हैं कि उस आदमी का आप कमीशन बढ़ायेंगे ? जो बैरल पाइंट्स के आप रिटेलर नियुक्त कर रहे हैं, बढ़ी हुई कीमत से डीजल भी बिकवायेंगे । क्या यह पैट्रोलियम पदार्थों की रेट्स तय करने का अधिकार राजस्थान सरकार को है या सिर्फ केन्द्रीय सरकार में वेस्ट कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप । श्री गोपीचन्दजी ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : इसलिए जो बैरल पाइंट्स की व्यवस्था की गयी है, यह गैर कानूनी है, न्याय संगत नहीं है । सरकार को इससे कानूनी पहलू दिखाकर इसको वापस लेना चाहिये । मैं आपसे निवेदन करूंगा, माननीय डांगावास जी नहीं हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्यों नहीं जा रहे हैं कमेटी में ?

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : क्योंकि यह आम चर्चा का विषय हो गया है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। आप बहुत विद्वान हैं। अब सारी विद्वता की बात एक साथ नहीं की जा सकती। विराजिये आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : और यह चर्चा का विषय हो गया है। मैं महामहिम के द्वारा पढ़े गये भाषण का पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। आप बोलें, गोपीचन्दजी।

श्री गोपीचन्द गुर्जर (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में अपने आपको शामिल करता हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : पहले बी.जे.पी. में तो शामिल हो ओ।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की तैयारी करने वाली इस सरकार के बुद्धि-कौशल की दाद दिये बगैर नहीं रह सकता। काश, यह उपलब्धि सन् 1947 से अब तक इसी गति से होती तो राजस्थान भारत में नहीं, दुनिया का सबसे विकसित और सम्पन्न राज्य माना जाता। बहुआयामी प्रतिभा के धनी माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत के नेतृत्व और राजनैतिक कुशलता का किन शब्दों में बखान किया जाये, ऐसे शब्द शब्दकोष से गायब नजर आते हैं। ऐसी भाषा नहीं पा रहो है जिसमें बांधकर आज सदन में सरकार की उपलब्धियों का बखान किया जा सके।

कृषि, सिंचाई, उद्योग, पर्यावरण, वन, विद्युत, कानून व्यवस्था, अन्वेषण ब्यूरो, बाढ़ राहत, पंचायती राज संस्था, राजस्व इत्यादि विभागों के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दर्शाये गये आंकड़े राजस्थान की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चौंकाने वाले हैं हर वर्ष यह आंकड़ों से भरा अभिभाषण महामहिम के द्वारा पढ़ा जाता है। अभिभाषण को सरकार की ओर से महामहिम द्वारा पेश किया जाता है। यह सरकार की मशीनरी द्वारा तैयार किया जाता है और सदन में एक पक्ष इसे गलत और एक पक्ष इसे सही साबित करने के लिए दिमागी कसरत करता है। बेशकीमती समय असत्य और सच के विवाद में और औपचारिकता में बीत जाता है। जनता और प्रदेश के हित में गम्भीरता का अभाव बना रहता है। बहुमत और आपसी सम्बन्ध को व्यवस्था में सही को गलत और गलत को सही की मोहर लगा दी जाती है।

गत 50 वर्षों के आंकड़ों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। प्रथम विधान सभा 1952 के आंकड़ों को उठाकर देखें और आज 1996 के आंकड़ों को उठाकर देखें। इस अभिभाषण में पांच-पांच वर्ष के आंकड़ों को दर्शाया गया है, सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया है किन्तु मैं जब रात्रि में अभिभाषण को पढ़ रहा था तो पांच के आगे जीरो रख दिया और

(श्री गोपीचन्द गुर्जर)

50 वर्ष के आंकड़ों की तरफ मस्तिष्क का पहिया घूम गया । औसत क्या निकला, बताना उचित नहीं । विस्तार से चर्चा करने का समय नहीं । 50 वर्ष, के बजट के आंकड़े, विकास के आंकड़े, वोट के आंकड़े, राज के आंकड़े और आंकड़ों में महात्मा गांधी, भगतसिंह, सुभाष बोस, लालबहादुर शास्त्री वाले भारत और राजस्थान को कहां लाकर खड़ा कर दिया । यह आज का भारत और आज का राजस्थान न किसी किसान के खेत से पैदा हुआ है, न किसी भारतीय व्यापारी की दुकानदारी से पैदा हुआ है, न किसी उद्योगपति के उद्योग से निकला है, न किसी स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय से निकला है । यह राज का आंकड़ा राज की कुर्सी से निकला है । सत्ता दायित्व के निर्वाह करते हुए मैं अपनी कर्त्तव्यपरायणता का परिचय देने की खातिर महामहिम महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने से, पहले मुख्य बिन्दुओं पर अपनी राय देना चाहता हूं ।

राज्य में कृषि, पशुपालन व वनस्पति पर विशेष ध्यान दिया गया लेकिन यह पर्याप्त नहीं है । सरकारी परियोजना के लाभ अभी भी आम किसानों को आसानी और सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध नहीं है । राज्य सरकार द्वारा किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत दिये जाने वाले ऋण में दलालों और मध्यस्थों की भूमिका को खतम करने की कार्य योजना बनायी जानी चाहिये । किसानों को मिलने वाले ऋण और अनुदान की 25 प्रतिशत राशि ऋण देने वाले व्यापारियों के बीच बंटती है, यह किसानों का शोषण है, इसको कैसे रोका जाय, आज इस पर सरकार को विचार करना चाहिये । आज किसानों से पहले ही ले लिया जाता है, किसान आर्थिक ऋण से दब जाता है, इसलिए इस पर अंकुश लगाया जाय । किसान जो ऋण लेता है, उसका 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक ऋण लेने के पहले ही उसको देना पड़ जाता है । ऐसी स्थिति में आपका किसान कर्ज में दब गया है और जर्जर पोजिशन में है । तो किसान का ट्रैक्टर से लेकर बैल, भुर्गी, पाड़े का सौ रुपये तक के पूरे कर्ज का एक बार राजस्थान सरकार को ब्याज माफ करना चाहिये । इसके लिए किसानों को एक निश्चित अवधि दे दी जाय कि ब्याज को माफ करने के बाद मूलधन को इतने समय में जमा करा दें तो इससे सरकार को मूलधन की प्राप्ति भी होगी और किसान को भी उठने का एक बार मौका मिलेगा । जब हैरिटेज होटल पर हम सब्सिडी और कम ब्याज के ऊपर ऋण दे सकते हैं तो किसान को ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी क्यों नहीं दी जाती, किसान को इंजन के ऊपर सब्सिडी क्यों नहीं दी जाती ? किसान को सब्सिडी मिलनी चाहिए और कृषि उपकरणों के लिए चार प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिलना चाहिये । सरकार की आय के स्त्रोत—कृषि, उपज, खनिज उत्पादन, पशुधन उत्पादन, जल संसाधन और उद्योग हैं । उद्योगों के अन्दर कृषि पर आधारित उद्योगों पर ध्यान देना चाहिये । कृषि पर आधारित उद्योगों का अभाव है । उद्योग अपनी जगह लग रहे हैं

(श्री गोपीचन्द गुर्जर)

यह अच्छा है लेकिन कृषि पर आधारित उद्योगों का अभाव है।

पीने का पानी व सिंचाई, यह दोनों जोड़कर योजना बननी चाहिए। पीने का पानी मिलेगा तो सिंचाई भी होगी किन्तु पीने के पानी का अलग समाधान करते हैं और सिंचाई का अलग। जैसे जमवा रामगढ़ का पानी जयपुर शहर के पीने के काम आता है जबकि इसका निर्माण सिंचाई हेतु किया गया था। अलवर में जयसिंह बांध, भरतपुर में बंध बारेठा इत्यादि का पानी सिंचाई के स्थान पर पीने के काम में लिया जा रहा है। शहर व गांवों के आकार के अनुपात में प्रत्येक आबादी क्षेत्र में विशाल तालाबों का निर्माण कराया जाना चाहिए। इन बांधों को और नहरों को पानी से हर वर्ष भरने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे पीने के पानी का अभाव कभी नहीं आयेगा और पी. एच. ई. डी. का करोड़ों रुपया बच जायेगा। यदि तालाब बन जायेंगे, उनके किनारे पर बोरिंग होंगे, कभी भी पानी सिंचाई करने के लिए मिल जायेगा और मीठा पानी मिलेगा। आवश्यकतानुसार कुए, हैण्ड पम्प, बोरिंग आबादी क्षेत्र में सफल रहेंगे और गांवों में मछली पालन, सिंघाड़ा आदि जल संसाधन की चीजों को बढ़ाया जा सकेगा। तालाब व्यवस्था पशुधन को भी पानी व चारे में सहयोगी साबित होगी।

पशुधन और वनस्पति, यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पशुधन जो गोबर निकालता है वह वनस्पति की खुराक में आता है और वनस्पति जो पैदा होती है वह पशुधन की खुराक में आती है, इन दोनों को यदि डवलप किया जाय तो निश्चित रूप से राजस्थान का प्रत्येक गांव में झोंपड़ी में रहने वाला किसान और मजदूर भी बेरोजगार नहीं रहेगा। उसकी भी आबादी हो जायेगी और इस राजस्थान की भी आबादी हो जायेगी। इसी तरीके से मैं.......

श्री परसादीलाल मीणा : कितना लम्बा है, कितने पेज बाकी रहे ?

श्री शिवनाथ सिंह : अच्छा बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं वनस्पति और पशुधन के बारे में। दुधारू पशुओं की कटाई पर प्रतिबन्ध लगना चाहिये और जो वनस्पति काट देने लायक नहीं हैं उसकी कटाई पर भी प्रतिबन्ध लगना चाहिये।

आज डेयरी पर जयपुर नगर निगम ने जो प्रतिबंध लगाने की बात की है वह हृदय को पीड़ा देने वाली है। जयपुर के अन्दर कम से कम पचास-साठ मांस के ट्रक रोजाना अवैध रूप से कट्टी और बूचड़खानों से निकलकर जाते हैं, उनको तो जयपुर से बाहर नहीं किया जा सकता लेकिन गरीब और मजदूर लोग, जो डेयरियों के माध्यम से जयपुर को दूध भी पिलाते हैं और पशु को पालने का भी काम करते हैं, को गायों को जयपुर से बाहर फेंकने का काम कर रहे हैं। पन्द्रह हजार गायें जयपुर से बाहर ले जाकर तड़पा-तड़पा कर मार दीं, कसाइयों के हवाले कर दीं। बड़े दुःख और

(176)

(श्री गोपीचन्द गुर्जर)

पीड़ा के साथ कहना पड़ता है कि जहां हमने गौरक्षा बिल को पास किया है, जहां गौसेवा आयोग का बिल पास किया है वहां नगर निगम इस जयपुर के अन्दर गायों को पालने से रोके और तड़पा-तड़पा कर पिंजरों के अन्दर गायों के कत्ल करने की बात की जाय, यह बात मेरी जानकारी में शाम को आयी थी। सैंकड़ों किसान मेरे घर पर मिलने के लिए आये थे और मैं 14 तारीख को मीटिंग ले रहा हूं। जयपुर में गायों का पालना बदस्तूर जारी रहेगा, डेयरियों को बाहर नहीं जाने दूंगा, गोपी को चाहे आमरण अनशन पर बैठना पड़े, किसी कीमत पर डेयरियां जयपुर से बाहर नहीं जाने दूंगा। आपको बाहर करना है तो पहले बूचड़खानों को बाहर करो। लाइसेंस देकर बूचड़खाने खोलने की हिम्मत है तो शहर से बाहर बनाओ, आबादी से बाहर उनको करो जिसमे कस्बे का पर्यावरण बिगड़ता है, स्वास्थ्य बिगड़ता हो, खून की नदी बहती है। माननीय मंत्रीजी के साथ एक बार दो-चार ट्रकों को मैं स्वयं बरामद करके लाया हूं लेकिन कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की। आज भी एक अधिकारी माननीय भंवरलालजी के चैम्बर में एक दुकान

(17.25)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष पदासीन)

की घड़ी की बार-बार +++ कर रहा था, हटा दी जाती है, लगा दी जाती है। सैंकड़ों पशुओं को क्या, हजारों पशुओं को जयपुर के अन्दर रोजाना काटा जाता है। अवैध तरीके से यह कट्टीखाने समाप्त होने चाहिए। डेयरियों को हटाने से सरकार को कोई भी लाभ नहीं है। गौवंश के बारे में मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि बिल बनाया, आयोग बनाया। लेकिन एक बात और पीड़ा की है कि आयोग की घोषणा कर दी, न तो आयोग के लिए कोई बजट की व्यवस्था है, न आयोग के लिए किसी कार्यालय की व्यवस्था है, न आयोग के लिए किसी स्टाफ की व्यवस्था है और आज भी राजस्थान से गौवंश लाखों की संख्या में बाहर जा रहा है। भरतपुर जिले से कम से कम एक हजार की संख्या में प्रतिदिन निकल कर जाता है। कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। विधायिका को अपमानित किया जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं अब पंचायती राज संस्थान के ऊपर दो मिनट बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय गोपीचन्दजी गुर्जर। माननीय सदस्य।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत राज व्यवस्था राजस्थान के अन्दर बनायी लेकिन बड़े टुकड़ों में बांट कर रख दी। सरपंच को पंचायत समिति का सदस्य बनाया जाना चाहिये। पंचायत समिति सदस्य को जिला परिषद का सदस्य बनाया जाना चाहिये। अध्यापकों को सरपंचों का सैक्रेटरी बनाकर पंचायतों का मखौल किया जा रहा है। सैक्रेटरी चाहे एग्रीकल्चर वाले

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गोपीचन्द गुर्जर)

दिये जायं, पृथक से दिया है, लेकिन अध्यापकों को सैक्रेटरी नहीं देना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कानून-व्यवस्था के ऊपर भी मैं थोड़ी-सी चर्चा करना चाहूंगा। कानून-व्यवस्था की उपलब्धि गिनाने की बात शून्य के बराबर है, वह मानने योग्य नहीं हैं। इस सरकार के अन्दर मंत्रियों की रिपोर्ट्स पर कोई परवाह नहीं की जाती। पाटीदार जैसे विधायक पिट जाते हैं, अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। माननीय गृह मंत्रीजी कुम्भकरण की नींद सोते रहते हैं। पाटीदार पिटता रहा, अपराधी जमानत कराते रहे। इसी तरह से मैं अन्वेषण ब्यूरो के बारे में कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आसन की अवहेलना कर रहे हैं। अंकित न हो।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। अंकित न हो।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। आपका भाषण अंकित नहीं हो रहा है।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण जी। (अनुपस्थित)।

श्री हरिसिंह जी।

श्री नाथूराम अहारी : यह तो बोल लिये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : बात यह है, मैं तो अध्यक्षजी के विरोध का कोपभाजन हो गया। मैं तो एक गधे के बराबर वजन मेरे सिर पर रखकर लाया था, मुझे बोलने ही नहीं दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मीना अग्रवाल। श्री चुन्नीलाल धाकड़।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय .. (व्यवधान) माननीय राज्यपालजी ने सरकार के विकास का वर्णन किया, मुख्य मंत्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं....

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले वह बोल लिये, इधर से बोलेंगे अब।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, इधर से बोलेंगे पहले। पहले बी.जे.पी. के बोले हैं अभी, अब कांग्रेस के बोलेंगे।

श्रीमती मीना अग्रवाल : मुख्य मंत्रीजी ने हर वर्ग की चिन्ता की है, युवा बच्चों, महिलाओं आदि की।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(178)

श्री रामस्वरूप मीणा : बिलकुल नियमों की अवहेलना हो रही है। जिन्होंने नाम दिया उनका नाम नहीं आ रहा है, उनका नम्बर नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : पहले कांग्रेस का बोलेगा।

श्रीमती मीना अग्रवाल : युवा बच्चों के लिए, बेरोजगारों के लिए रोटी की, नौकरियों के बेन को हटाने का निर्णय.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मीनाजी। श्रीमती मीनाजी अग्रवाल, आप सुनें कृपया। आप यह लिख कर लायी हैं भाषण ?

श्रीमती मीना अग्रवाल : हां।

श्री उपाध्यक्ष : लिख कर नहीं दे सकती आप। कृपया बिराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : कांग्रेस का बोलेगा।

श्रीमती मीना अग्रवाल : नहीं-नहीं, मैं बोल देती हूं, जबानी बोल देती हूं। दुबारा से बोल देती हूं। (व्यवधान) थोड़ा बोलने दीजिये।

श्री रामनारायण डूडी : अभी-अभी जो व्यवस्था हुई है उस पर मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी अध्यक्ष महोदय ने....

श्रीमती मीना अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपालजी ने राजस्थान के विकास के बारे में....(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, ने सत्ता पार्टी के जो माननीय सदस्य नहीं थे... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी इनका नम्बर आ रहा है।

श्रीमती मीना अग्रवाल : वर्णन किया उसके लिए मुख्य मंत्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने गरीब बच्चों के बारे में, महिलाओं के बारे में बड़ी गहरी चिन्ता व्यक्त की है। युवा बच्चों के लिए नौकरी के लिए उन्होंने भर्ती पर बेन हटाया है उससे बच्चों में एक तरह से खुशी की लहर छायी हुई है।

श्री रामनारायण डूडी : नहीं, नम्बर का अब सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जब हमारी पार्टी के आदमी का नाम पुकारा और जो माननीय सदस्य नहीं थे तो नैक्स्ट को बुला लेते आप।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य उधर से बोलेंगे, एक इधर से बोलेंगे। दोनों ही उधर से बोलेंगे क्या ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : दो आदमी बोलने दीजिये हमारी पार्टी की तरफ से।

श्रीमती मीना अग्रवाल : महिलाओं की कमी देख कर भ्रूण हत्या का कानून उन्होंने बनाया। इसी तरह उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया। निःशुल्क पुस्तकें बच्चों को दी गयी हैं। इसी तरह विकास के लिए गांव-गांव में, पंचायतों में सड़कें बनायीं, औषधालय डिस्पेंसरीज वगैरह जितनी

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

खोली गयी हैं, उसके लिए भी मैं मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करती हूं।

मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करती हूं कि वह महिला आयोग का गठन करें क्योंकि आज के समय महिलाओं का शोषण हो रहा है। कई बार ऐसा होता है महिलाओं के अश्लील पोस्टर बनाये जाते हैं और अश्लील लेख लिखे जाते हैं। महिलाओं के कहने से भी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। एम.पी. कहने पर भी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। अभी अलवर के अन्दर पुलिस के एस.पी. ने प्रेस कांफ्रेंस की, उसमें आंकड़े दिखाये गये कि महिलाओं के साथ अपराध कम हुए हैं मगर उस अपराध के कम के बदले में उन्होंने महिलाओं के बारे में नहीं लिखा कि उनकी कितनी दहेज हत्या हुई हैं, कितनी दहेज की रिपोर्ट आयी हैं, कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं, कितनी महिलाओं के अपहरण हुए। उस बारे में उन्होंने बिलकुल नहीं कहा है।

आपके राजगढ़ में उपाध्यक्षजी, एक अनीता नाम की लड़की का अपहरण हुआ। पैट्रोल पम्प पर डकैती पड़ी। 15 दिन तक जनता ने घेराव किया, प्रदर्शन किया तब जाकर पुलिस के कान पर जूं रेंगी, तब जाकर उन्होंने कोई कार्यवाही की है।

मैं निवेदन करूंगी, हमारे गृह मंत्रीजी बैठे हैं, पुलिस महिला कांस्टेबल जब एक अपराधी को लेकर चलती है तो अकेली जाती है। मैंने पिछली बार भी इस सदन में इनसे मांग की थी कि दो महिला पुलिस एक साथ भेजी जायं अपराधी के साथ। दूसरी मैंने यह मांग की थी कि महिला पुलिस के लिए कहीं बैठने की व्यवस्था और बाथरूम की व्यवस्था नहीं है उसकी व्यवस्था की जाय। एक मांग मैंने यह भी की थी कि अलवर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है, वहां महिला थाना खोलना बहुत ही आवश्यक है। फैक्ट्री एरिया है और अलवर की जनसंख्या काफी बढ़ गयी है, रोज पेपर में अपराधों के बारे में आ रहा है तो महिला थाने के बारे में दुबारा से इनको इसी सदन में निवेदन करना चाहती हूं।

मैं थोड़ा-सा समय और लेना चाहती हूं। अलवर में नगरपरिषद् के अन्दर निर्बन्ध योजना के आधार पर डेढ़ लाख रुपया 21.10.94 को दिया गया सुलभ शौचालय बनाने के लिए। वह सुलभ शौचालय आज तक नहीं बना है। सुलभ शौचालय की जानकारी लेने पर यही कहा गया है कि जिस जगह बाथरूम है आलरेडी, वहां नहीं बनेगा, अब मैं कलक्टर साहब से आदेश लेकर फिर बनाऊंगा। दो साल हो गये अभी तक कलक्टर साहब के आदेश नहीं मिले।

नगर परिषद् के बारे में एक बात और कहना चाहूंगी। दीवाली, होली व राखी के दिन जो कमजोर वर्ग के व्यापारी हैं, जो पटरियों पर खिलौने बेचते हैं, खील-पताशे बेचते हैं उनसे नगर परिषद् 60 रुपये लेती है 3–4 दिन दुकान लगाने के लिए, उनको स्थान नहीं बताया जाता। जब वे रसीद लेकर बैठते हैं तो पुलिस वाले उनको

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

डण्डे मारकर भगाते हैं। वे कहते हैं भागो, भागो। वे कहते हैं कि साहब हमारे पास रसीद है, हमको स्थान दिया जाय मगर नगर परिषद् इस बारे में कुछ भी नहीं करती है।

तीसरी बात मेरी यह है कि नगर परिषद्, यू. आई. टी. और जिला प्रशासन को मैं दो बार लिख चुकी हूं, अलवर के अन्दर 15 स्कूल ऐसी हैं जो शहर के अधीन लगती हैं, वहां धूप में, बारिश में और ठण्ड में बच्चे बैठते है। मैंने कई बार निवेदन किया कि बेकार पार्क पड़े हैं उन पार्कों में कूड़ा पड़ा है, उन पार्कों में बच्चों के लिए 2-2 कमरे बना दिये जायं निर्बन्ध योजना के आधार पर बना दिये जायं। मगर उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

मैं आखिर में नगर परिषद् के बारे में कहना चाहूंगी कि नगर परिषद् में अभी अतिवृष्टि के नाम पर 10 लाख रुपये सहायता योजना से आये, निर्बन्ध योजना में 5 लाख आये, साहवा योजना में 8 लाख रुपये आये मगर उसके उपयोग की कोई अभी कार्यवाही नहीं की गयी है, कोई कार्य नहीं किये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में "ए" क्लास का हास्पिटल है वहां तीन साल से दांतों का डाक्टर नहीं है, चर्म रोग का डाक्टर नहीं है और अच्छे डाक्टर, बच्चों का डाक्टर, सर्जन डाक्टर और हड्डी के डाक्टर और जो वरिष्ठ डाक्टर हैं उनको डेपुटेशन पर प्राइवेट चेरिटी के नाम पर एक हॉस्पिटल है उसमें भेज दिया गया है। उस हॉस्पिटल की व्यवस्था इतनी ज्यादा खराब हो गयी है जिसे मैं इस सदन में कहना उचित नहीं समझती।

मैं एक बात और आखिर में कहना चाहूंगी। अलवर जिला उद्योग केन्द्र में पावरलूम लगाने के लिए उन्होंने दो स्थान किराये पर लिये। एक तो किराये पर लिया दिनांक 29-6-95 को, दूसरा लिया दिनांक 27-9-95 को। दो उन्होंने लिए हैं। पहले को तो 5,500 रुपये किराया दिया है, एन. ओ. सी., पी. डब्ल्यू. डी. से ली गयी है। दूसरे की पी. डब्ल्यू. डी. की एन. ओ. सी. भी नहीं है। 7,000 रुपये का उससे किराये पर लिया गया है और उससे एग्रीमेंट कर लिया। गवर्नमेंट का डेढ़ हजार रुपये महीने का लॉस है। अब पहली पार्टी ने स्टे ले लिया। स्टे लेने से यह हुआ कि उसे तो 7,000 रुपये मिलेंगे। इससे गवर्नमेंट को लाखों रुपये का नुकसान होता जा रहा है, इसको नजरन्दार नहीं करें।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्रीमती मीना अग्रवाल : एक मिनट। पानी के बारे में मैं और बोलूंगी, मन्त्री जी बैठे हैं, सुन लेंगे। मैं अलवर की पानी की समस्या के बारे में और बोलना चाहती हूं। गर्मी सामने आ रही है, विधान सभा जुलाई-अगस्त में कब चलेगी इसका पता नहीं इसलिए गर्मी में पानी की व्यवस्था हो जाय। शहर के अन्दर आन्दोलन, घेराव, प्रदर्शन और हम जैसों को कहेंगे महिला होकर महिलाओं को तकलीफ दे रही है, पानी

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

की व्यवस्था नहीं कर पा रही हैं। अलवर की जनता कहती है पानी की कमी नहीं है, खूब पानी आया, बारिश भगवान ने खूब दी है मगर व्यवस्था की कमी है। अलवर के अन्दर दाउदपुर कालोनी है जिसमें 300 घर हैं मगर वहां की सोसायटी की पानी की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, 40 रुपये हर महीने वह लेते हैं। आप कह दें तो मैं थोड़े आंकड़े देखकर बता दूं। एक बार फरवरी में मीटिंग हुई थी।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराजें।

श्रीमती मीना अग्रवाल : साहब आंकड़े यह हैं, फरवरी की मीटिंग में बताया कि अलवर जिले के लिए 300, 400 हैण्डपम्प पास हुए। लगे कितने ? साढ़े तीन सौ हैण्डपम्प। इस तरह से 45 ट्यूबवैल पास हुए। लगे कितने ? 30 ट्यूब वैल। ढाणियों के लिए केन्द्र सरकार ने हैंण्डपम्प पास किये वे हैंण्डपम्प अभी तक पूरे नहीं लगे। यह जनता कहां जायेगी, किसको रोयेगी बैठकर पानी के लिए ? पानी सबसे पहले चाहिए। मुझे पानी चाहिए, जनता प्यासी मर रही है, मेरे होंठ भी सूख रहे हैं। मैं अनुरोध करती हूं कि राजस्थान को रेगिस्तान नहीं बनाया जाय और इनको पानी दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंह।

श्री राजेन्द्र चौधरी।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किया और उसका समर्थन सिरोही से आने माननीय सदस्या ने किया उसका मैं विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण के 25 पृष्ठों के अन्दर केवल शेखावत साहब का गुणगान किया गया है। इससे आपका कोई मतलब नहीं है, आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। पेयजल व्यवस्था की जिस तरह की स्थिति का अभी अलवर से आने वाली माननीय सदस्या ने वर्णन किया, इसमें 58 नम्बर पर पेयजल का जो वर्णन किया गया है उसमें बहुत थोड़ी-सी चर्चा की गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर के अन्दर बहुत बड़ी फलौदी लिफ्ट नहर योजना का कार्य पिछले वर्षों से चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी योजना का इसके अन्दर जिक्र तक नहीं किया गया। पिछली बार भी विधान सभा में पेयजल की मांग के ऊपर मैं बोला था उस समय भी मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था कि इसके ऊपर आपने जो पैसा स्वीकृत किया है वह पैसा आपने दिसम्बर तक भी खर्च नहीं किया, 30 प्रतिशत पैसा भी नहीं किया है। सरकार की रुचि जोधपुर की पेयजल समस्या के समाधान के अन्दर नहीं है, गम्भीरता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रशासन की जो मशीनरी है वह सरकार के कितने काबू में है। जलदाय मंत्रीजी ने सदन को विश्वास दिलाया था कि स्वीकृति पेयजल योजनाएं है उनके ऊपर इस सत्र

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

के अन्त में काम हो जायेगा पर, पेयजल मंत्रीजी आपको पता है किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है, प्रगति नहीं हुई, काम वहीं का वहीं ठप्प पड़ा है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, आप उस समय आसन पर थे, उपाध्यक्ष महोदय जिसका पैसा दो साल पहले पेयजल विभाग के द्वारा जमा करा दिया पर हैण्डपम्प ड्रिलिंग डिपार्टमेंट और जी.ए.डी. का आपस में को-आर्डिनेशन नहीं है। दो साल का पैसा जमा किया हुआ है उसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है और वहां ट्यूबवैल नहीं खुद रहा है। हरियाडाणा का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। पेयजल मंत्रीजी आप लिख लें हरियाडाणा में दो साल से पैसा जमा किया हुआ है। वहां कोई खोद नहीं रहा है। आज तो स्थिति यह है कि हैण्डपम्प जो खुदे हुए हैं वे चालू नहीं किये जा रहे हैं। उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। उनके ऊपर कोई पम्प नहीं लगाये जा रहे हैं। जिन पेयजल योजनाओं की स्वीकृति हो गयी है उनके इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। जोधपुर के अन्दर आज पानी दो दिनों से मिलता है।

आज हमारे प्रान्त के अन्दर जो बिजली की स्थिति है, एक मेनिया हुआ है मुख्य मंत्रीजी को, उपाध्यक्ष महोदय आप भी अपने यहां बुला लीजिये, वे हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते ही 50 मेगावाट का बिजली-घर आपको दे देंगे। आपने शायद उनको बुलाया नहीं। वे जहां पर भी जाते हैं वहां पर 50 मेगावाट, कहीं पर सौ मेगावाट, कहीं पर 70 मेगावाट, कहीं पर 35 मेगावाट, बांट रहे हैं। वे इसलिए बांट रहे हैं कि लोक सभा का चुनाव आने वाला है उसमें मुख्य मंत्रीजी इस बात का लाभ लेना चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर मैं इतनी बिजली पैदा कर दूंगा कि पूरे हिन्दुस्थान को इसका वितरण कर दूंगा।

अब अलादीन का चिराग है क्या? किशन सोनगराजी, पानी कितना आ रहा है आपके वहां पर? अजमेर का ध्यान रखा? बड़ी हालत खराब है आपके वहां पर? मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले सत्र में भी उप चुनाव हुए थे भीलवाड़ा में मुख्य मंत्रीजी ने वहां पर भी घोषणा की कि हमारी पार्टी का प्रत्याशी जीत जायेगा तो मैं सौ मेघावाट का डीजल जनरेटर सैट वहां लगा दूंगा। मेरे ख्याल से, पता कर लीजिये, ऊर्जा मंत्रीजी ने भी कहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है और चेयरमैन भण्डारीजी ने कहा है कि ऐसी योजना नहीं है। उम्मीदवार जरूर जीत गया पर भीलवाड़ा की जनता इन्तजार कर रही है। आज हालात इस प्रकार से हैं कि बिलकुल गलतबयानी करके एक माहौल बनाया जा रहा है कि बिजली पैदा नहीं हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के साथ कितनी बुरी स्थिति है आप यह देखिये, आप किसान हैं, आप मेरी बात से सहमत होंगे और सदन के अधिकांश सदस्य भी किसान हैं, एक उद्योग को जो सौ हार्स पावर का कनेक्शन मिलता है उस उद्योग के अन्दर 10 मोटर जगह-जगह पर लगी होती हैं और सौ हार्स पावर के कनेक्शन

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

का पेमेण्ट करता है, एक किसान ने यदि 50 हार्स पावर का कनेक्शन ले लिया और वह 50 हार्स पावर के कनेक्शन का पेमेण्ट देता है और तीन ट्यूबवैल उसके खुद के खेत के अन्दर हैं तो आर. एस. ई. बी. उससे तीन जगह का चार्ज करती है। मेरा सजेशन है कि इस तरह की सुविधा किसानों को भी मिलनी चाहिये, यहां ऊर्जा मंत्रीजी बैठे नहीं हैं मेरे ख्याल से, भंवरलालजी, आप इसको नोट कर लें, मुख्य मंत्रीजी के बाद में आप दूसरे नम्बर पर हैं। मैं तो दूसरे पर ही मानूंगा आपको।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है, किसानों की आप बात करते हैं, वाटर-लेवल नीचे जा रहा है, किसानों का जो ट्यूबवैल ड्राई हो जाता है तो उससे 5 फीट, 10 फीट की दूरी पर उसी सर्विस लाइन या उससे भी कम में वह किसान दूसरा ट्यूबवैल ड्रिल करवाता है और उसमें पानी हो जाता है, आर.एस.ई.बी. उससे शिफ्टिंग चार्ज वसूल करती है। किशन सोनगराजी, आप इस बात से सहमत हैं क्या? आर. एस.ई.बी. किस बात का पैसा लेगी जब आप जानते हैं कि वहां पर 5 फीट की दूरी पर ही आर.एस.ई.बी. उससे वसूल कर रही है।

आप स्थिति देखिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आर. एस. ई. बी. के बारे में कहना चाहूंगा। आप भी आसन के ऊपर थे। इसी सदन के अन्दर चर्चा हुई थी। मेरा एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था जोधपुर के अन्दर बिजलीघर के सब-स्टेशन को लेकर। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यहां पर सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार जोधपुर के पूर्व राजघराने को, पूर्व महाराजा गजसिंहजी को लाभ पहुंचाने के लिए वह सब-स्टेशन हटाना चाहती है। मैंने इस बात का आरोप लगाया था कि वहां पर उस सहायक-अभियंता को इसलिए हटाया गया कि उसने उनके खिलाफ एफ आई.आर. लॉज की है। मैंने इस बात का आरोप लगाया था कि वहां पर विद्युत मण्डल कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। एफ. आई.आर. लॉज हुई है। मंत्रीजी ने यहां जवाब दिया कि एफ.आई.आर. लॉज हुई है और हमने अदालतमें भी चालान पेश कर दिया है. सरकार किसी का बचाव करना चाहती है तो अदालत में चालान पेश नहीं करती। मैंने यहां इस्तीफे की घोषणा की थी कि मेरे आरोप असत्य हैं तो मैं सदन की सदस्यता से त्याग पत्र की घोषणा करता हूं और आज भी मैं इस बात पर कायम हूं। मुख्य मंत्रीजी ने आकर इस सदन के अन्दर इस बात पर आश्वासन दिया। उपाध्यक्ष महोदय, आप सदन के इस आसन पर विराजमान थे और उन्होंने सदन को आश्वस्त किया, मैं भी उस बात पर आश्वस्त हुआ उन्होंने कहा कि मैं इस सारे मामले की जांच कराऊंगा, सारे आरोपों की जांच कराऊंगा। परन्तु हुआ क्या? उपाध्यक्ष महोदय, उससे उलटा हुआ। यहां पर जो बयान दिया गया उस बयान के अन्दर यह साफ कहा गया कि नगर-निगम के कब्जे के अन्दर वह जमीन है। नगर-निगम उनसे मांग रहा है और विद्युत मण्डल का अभी तक कब्जा है और हमने कोर्ट में अलग से दावा भी दायर

(184)

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

किया है। बहुत दुःख की बात है कि जांच का आश्वासन मुख्य मंत्रीजी यहां देते हैं और जोधपुर के अन्दर विद्युत मण्डल वह जमीन नगर सुधार न्यास को देकर के भाग जाता है वहां से और वह केस विदड्रा कर दिया जाता है। एस पी., जोधपुर उस केस के अन्दर एफ.आर. तक दे देते हैं। इस तरह से राजस्थान के सदन को गुमराह किया जाता है। मेरा आज भी आरोप है कि जोधपुर के अन्दर इस तरह से पूर्व राजघराने को लाभ दिया जा रहा है। आज जसवन्त दड़ा जो कि सरकारी सम्पत्ति है, उस सम्पत्ति के बारे में सरकार ने, कलक्टर ने नेगोसिएशन करके भेजा कि इसके ऊपर टिकट लगाया जायेगा। उस टिकट का वह ट्रस्ट पैसा लेगा। सभी जगह सम्पत्ति पर कब्जे किये जा रहे हैं। कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि वह बात आज भी यथावत है और स्वायत्त शासन मंत्रीजी, मैंने इस बात का उल्लेख आप से अलग भी किया है परन्तु मैं यहां चर्चा जरूर करना चाहूंगा। जिस राजधानी ट्रस्ट के वहां खिड़की दरवाजे, अवैध रूप से खोले गये, नियम और कायदे अमीर और गरीब के लिए बराबर हैं, इस सदन के अन्दर हम नियमों से चलते हैं और इस राजस्थान के अन्दर कानून है वह हिन्दुस्तान की जनता का कानून है, सबके लिए बराबर है पर यहां पर भेदभाव बरता जा रहा है। वे खिड़की, दरवाजे चूंकि बड़े राज परिवार से सम्बन्धित ट्रस्ट के हैं इसलिए उसके ऊपर नगर-निगम ने कोई कार्यवाही नहीं की है। गरीब आदमी यदि एक खड्डा भी खोद देता है तो वहां पर आपका इंस्पेक्टर पहुंच जाता है, पैसे खा करके उसको परेशान किया जाता है। उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

मैं दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा, इस सरकार के बारे में। जब मुख्य मंत्रीजी जोधपुर आये, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जोधपुर आये तो सर्किट हाउस से लेकर उस स्थल तक सड़कों के दोनों तरफ साम्प्रदायिक सद्भाव के जो नारे लिखे हुए थे, माननीय गृह मंत्रीजी, आप भी नोट कर लें, उन नारों को प्रशासन के द्वारा मिटाया गया और हिन्दू जागरण मंच के जो नारे हैं उन नारों को मिटाया नहीं गया। जब इसकी शिकायत मुख्य मंत्रीजी से की गयी तो मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि मुझे पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। परन्तु मैं आज सदन में जानकारी देना चाहूंगा कि जब एस.पी. को 10 तारीख को यूथ-कांग्रेस, जोधपुर के द्वारा यह कहा गया कि इस तरह के नारे युद्ध-स्तर पर मिटाये जा रहे हैं, जो साम्प्रदायिक सद्भाव के नारे हैं और हिन्दू जागरण के नारे जगह-जगह पर लगाये जा रहे हैं, जो भड़काने वाले नारे हैं, उनके बारे में आप कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं तो एस.पी. ने कहा, मुझे इसका पता नहीं है। उसके बाद यूथ कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं ने उनको बाकायदा ढोल के साथ पोतते हुए पकड़ा। पकड़ कर के उनको एस.पी. जोधपुर के पास ले गये। गृह मंत्रीजी, आप जोधपुर एस पी. से बात कर लेना, मैं गलतबयानी कर रहा हूं तो और

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

उसके बाद में उन्होंने स्वीकार किया। एस.पी. साहब के सामने एफ.आई.आर. लॉज की गयी है। उन्होंने एस.पी. को कहा कि मुझे बी.जे.पी. के अमुक-अमुक नेताओं ने इस बात का ठेका दिया और 60 रुपये हम लेते हैं, 60 रुपये में हमको ये नारे पोतने के लिए कहा गया है। कहा गया है कि सिर्फ कांग्रेस के नारे पोतिये। आज सरकार की ओर प्रशासन की यह स्थिति है। अब इस बात को समझ लीजिये कि साम्प्रदायिक सद्भाव की जो बात इस राज्यपाल के अभिभाषण में कही गयी बिलकुल ढकोसला है। इस बात की आप जांच कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने गृह मंत्रीजी से इस बात का भी निवेदन किया था कि जोधपुर के अन्दर आर्य समाज की यज्ञशाला बंद है। मुख्य मंत्रीजी ने मुझे आश्वस्त किया, गृह मंत्रीजी ने भी आश्वस्त किया कि मैं डी.आई.जी. से बात करके यज्ञशाला चालू करवाऊंगा। पर उसके बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। क्योंकि डी.आई.जी. वहां जोधपुर पहुंचे ही नहीं हैं।

पंचायत राज का भी उल्लेख इसमें किया गया है। मैं पचायत राज के बारे में इतना ही कहूंगा कि चुनाव हमने करवा दिये। चुनाव जिस मजबूरी में करवाये, आप अच्छी तरह से जानते हैं, सदन भी जानता है। परन्तु उनको कोई अधिकार नहीं दिये। अधिकार उनको मिले नहीं। केवल यह उल्लेख किया गया है कि गोयल साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है। मैं यह कहना चाहूंगा, पंचायत राज मन्त्रीजी यहां विराजमान नहीं हैं परन्तु आप जानते है, परन्तु आप जानते हैं कि एक-एक करोड़ से ज्यादा का बजट एक-एक पंचायत समिति को है और हर विभाग पंचायत समिति के माध्यम से काम करवाता है। वहां पर जे. ईएन. नहीं है, वहां पर एल.डी.सी. नहीं है, वहां पर बी. डी. ओ. नहीं हैं। अब आप बतायें कि यहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विकास की जो गंगा बहाना चाहते हैं, किनके बलबूते पर बहाना चाहते हैं? आज वहां पर जे. ईएन. नहीं है, आज एल.डी.सी. नहीं है। दूसरी जगह जहां पर एल.डी.सी. की जरूरत नहीं है वहां पर तो भरमार है, पंचायत समिति में इतना ज्यादा भार है वहां पर कोई उनका काम देखने वाला नहीं है। आज, मेरी बिलाड़ा पंचायत समिति में जे. ईएन. नहीं लगा हुआ है, भोपालगढ़ के अन्दर बी डी. ओ. नहीं लगा हुआ है। आज हालत क्या है, आप देखिए। कैसे काम होगा, कैसे विकास की बात हम करेंगे? जो पैसा हम भेज रहे हैं, भारत सरकार जो पैसा भेज रही है और पेयजल मिशन की बात है, उपाध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी मिशन के नाम से पैसा भारत सरकार दे रही है, जलदाय मंत्रीजी, स्थिति यह है कि उस पैसे को यूटिलाइज करने के लिए अपनी मशीनरी प्रिपेयर नहीं है। प्रिपेयर इसलिए नहीं है कि उसने सर्वे नहीं करवाया है। भारत सरकार पैसा दे रही है भारत सरकार ने कहा है कि हम किसी ढाणी को पानी से मुक्त नहीं रहने देंगे, पानी से जोड़ेंगे। पर कलक्टर के मार्फ

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

चूंकि हमारे जलदाय विभाग का मामला है, जलदाय विभाग के अधिकारियों ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बात करके सर्वे नहीं करवाया। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पुनः सर्वे करवायें, जो ढाणियां रह गयी हैं वापस उनमें शामिल करवाइये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर एक और अनुरोध करना चाहूंगा। जो अभिभाषण इन्होंने यहां पेश किया है, ऊर्जा मंत्रीजी यहां हैं नहीं इसलिए मैं जवाब किससे लूं, पर मेरी भावना उन तक जरूर जायेगी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सदन के अन्दर इस बात का आश्वासन दिया था कि मैं इस सब-स्टेशन के मामले की जांच करवाऊंगा, तब तक यहां से नहीं हटेगा। आप आसन पर विराजमान थे और बाद में उस जमीन को आर. एस. ई. बी. छोड़कर, यू. आई. टी. को देकर के भाग गयी और उस केस को आर. एस. ई. बी. ने विदड्रा कर लिया। सदन में बयान दूसरा दिया, बाहर दूसरी कार्यवाही होती रही और यू. आई. टी. ने उसको जमीन दूसरी जगह दे दी, गांधीनगर में। उपाध्यक्ष महोदय, गांधी मैदान के अन्दर जब गयी तो नगर-निगम से उनको रोक दिया कि यह हमारी सम्पत्ति है, आपको हम नहीं दे सकते। आज इस तरह का मखौल हो रहा है। सदन के अन्दर जब हम कोई बात बोलते हैं, सरकार के, जो सबसे

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बड़े सदन के नेता हैं, मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने इस सदन को आश्वासन दिया था और आप इस बात के गवाह हैं, उस जांच का क्या हुआ? यदि इस तरह की व्यवस्था यहां नहीं है, मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है, मैंने ऊर्जा मंत्रीजी से बात की चैम्बर में, ऊर्जा मंत्रीजी ने कहा कि चार महिने हो गये मुझे, उस जांच के लिए कमेटी बनाने के लिए आदेश दिये हुए है। मुख्य मंत्रीजी चार महीने से फाइल दबाकर बैठे हैं, यह मेरा आरोप है इस सदन के अन्दर। ऊर्जा मंत्रीजी ने मुझे कहा कि चार महीने से फाइल मुख्य मंत्रीजी के पास पड़ी हुई है, मैं क्या कर सकता हूं? तो इसका मखौल है, क्या मतलब है इस सदन का? मतलब इस सदन के अन्दर जो हम बात कहते हैं, जो मुख्य मन्त्री इस सदन के नेता हैं, उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस सदन में हमारे अधिकारों की रक्षा करवाइये।

इसी तरह का एक और मामला है। यहां शिक्षा मंत्रीजी भी बैठे हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप आसन पर थे और मैंने पाठ्य-पुस्तक मण्डल में घोटाले का आरोप लगाया था और शिक्षा मंत्रीजी ने यह कहा था कि चार सदस्यों की कमेटी बना दी जाय। आज कितना टाइम हो गया? उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी आपसे चार बार मिल चुका हूं। मैं अध्यक्ष महोदय से मिल चुका हूं, मैं शिक्षा मंत्रीजी से भी मिल चुका हूं, वह कमेटी बनी आज तक? उन घोटालों की जांच हुई क्या? इस सदन के अन्दर आश्वासन का मतलब क्या है? शिक्षा मन्त्रीजी ने यहां घोषणा की थी क्या हुआ उसका? अब वह लाल-फीताशाही के

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

अन्दर फाइलों में इधर-उधर बात चल रही है। इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है? इसलिए वह जिस तरह का यहां पर धन्यवाद प्रस्ताव अभिभाषण पेश किया गया है मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल पाटीदार।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले इधर से दो बोले थे तो हमारे भी दो बोल जाय, बराबर हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अब बुलवा देंगे।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा सदन में पढ़े गये प्रशंसनीय अभिभाषण का और धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और अपनी सहमति प्रस्तुत करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम ने अपने अभिभाषण में 1985 से 1990 तक और 1990 से 1995 तक, दोनों सरकारों के कार्यकाल में विकास का जो स्वरूप उभर कर सामने आया, उसका तुलनात्मक विश्लेषण आपने किया। कई सदस्यों ने यहां बताया कि वह भैरोंसिंह शेखावतजी की गौरव-गाथा थी। भैरोंसिंहजी शेखावत की गौरव गाथा नहीं अपितु भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गौरव-गाथा उस अभिभाषण में अंकित की गयी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं रखती है। भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर सफल एवं खरी उतरी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषक वर्ग का व्यक्ति हूं।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं लिखी है, शेखावत सरकार लिखी है।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : किसानों का सम्बन्ध सिचाई और विद्युत से है। सिचाई के क्षेत्र में मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय सिचाई मंत्री महोदय का धन्यवाद अर्पित किये बिना नहीं रहूंगा। 1993–94 के बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में चौहूली बांध स्वीकृत किया और आज उसका निर्माण कार्य चल रहा है। पिछले दिनों माननीय सिचाई मंत्री महोदय ने आकर इस बांध का शिलान्यास किया।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटे और बढ़ाया जाय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, एक घंटा और बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

सदन की सहमति से सदन का समय आधा घंटे के लिये और बढ़ाया जाता है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब पिछले दिनों माननीय सिंचाई मंत्रीजी इस बांध का शिलान्यास करने चौहली पधारे, उस समय वहां के किसानों ने और हम लोगों ने जो जमीन किसानों की डूब में आ रही है, जो किसान इस बांध के निर्माण से विस्थापित होने जा रहे हैं, उनके मुआवजे में कुछ गड़बड़ हो रही है उसके बारे में उनसे शिकायत की थी। मुआवजा तहसील पुरानी जमाबंदी के आधार पर करवाना चाहती है जबकि किसानों के आज मौजूदा स्थिति में वहां कुएं खोदे हुए हैं, अपनी जमीन को सिंचित बनाया हुआ है। सिंचाई विभाग उसका मुआवजा बारानी भूमि के हिसाब से देना चाहता है। इस बाबत हमने मंत्रीजी से शिकायत की थी और उन्होंने उस बात को स्वीकार किया था कि तहसील से इस तरह की रिपोर्ट आ जाय तो हम निश्चित रूप से सिंचित भूमि का मुआवजा उन लोगों को दे देंगे। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से इस अनुरोध करना चाहूंगा कि आप तहसील को इस बाबत आदेश करें कि उस तहसील के उस बांध की वजह से जो गांव डूब में आ रहे हैं, जिनकी जमीन में डूब में आ रही है, उनकी मौजूदा स्थिति में जो पोजीशन है उस पोजीशन के आधार पर अपनी रिपोर्ट सिंचाई विभाग को दे ताकि किसानों को उसका उचित मुआवजा मिल सके।

इस अवसर पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मंत्री महोदय से एक और अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में काफी नदियां, बड़े-बड़े खाल-नाले बहते हैं, मेरा क्षेत्र डार्क-जोन घोषित है, यहां अण्डर ग्राउण्ड वाटर नहीं है, कुएं वहां सफल नहीं है, यदि खुदाई भी करते हैं तो कुओं में पानी नहीं आता है इसलिए इस क्षेत्र के लिये आवश्यक हो जाता है कि बहने वाले पानी को हम रोकें और उससे किसानों को फायदा दिलायें।

साथ ही मेरा निवेदन है कि किसानों का जिस मुख्य सुविधा से सम्पर्क है वह है बिजली। बिजली के क्षेत्र में माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि किसानों के हित में उन्होंने ऐसे निर्णय लिये जिनकी वजह से किसान निश्चित रूप से लाभान्वित हुआ। इस सदन में कितनी ही बार नर्सरी योजना, वन पोल योजना, टू-पोल योजना को क्रिटिसाइज करते हुए सदस्यों को देखा गया। लेकिन यह योजनाएं किसानों के लिये एक एडिशनल एड थी, अतिरिक्त सहायता, सुविधा थी, जो किसानों को सरकार ने उपलब्ध करायी थी। यह ऐच्छिक योजना है। इसमें जो किसान चाहे इसका लाभ ले सकते हैं। यह किसी के ऊपर थोपी गयी योजना नहीं थी। इस योजना का किसानों ने भरपूर लाभ उठाया, इसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। किसानों को कनेक्शन देने मे एल. फार्म की बाधा काफी आती थी

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

उस एल फार्म की बाधा को हमारे ऊर्जा मंत्री महोदय ने हटाया। डिमाण्ड नोटिस जारी होने के बाद एक महीने की मियाद डाली जाती थी कि एक महीने में डिमाण्ड नोटिस जमा होना चाहिये। उस सीमा को भी माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय ने हटाया उसके लिए मैं किसान वर्ग की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं।

माननीय ऊर्जा मंत्री और मुख्य मंत्री महोदय का एक बार और धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में आपने बिजली निर्मित करने के लिए नये-नये स्रोत कायम करने की योजनाएं बनायीं। मैं ऊर्जा मंत्री महोदय से इस अवसर पर अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे पिड़ावा, जो तहसील मुख्यालय है, में एक ए. ईएन. आफिस की स्थापना की जाय। इसके प्रपोजल एडिशनल चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर को भिजवा दिये गये हैं। साथ ही हेमड़ा में एक 132 के. वी. जी. एस. एस. प्रपोज्ड है उसकी भी स्वीकृति जारी करें इसके लिए मैं माननीय ऊर्जा मंत्री और मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं चिकित्सा के बारे में भी वर्णन करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने पिछला बजट चिकित्सा को समर्पित किया था जिसके अन्तर्गत 89 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और 700 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा की थी, जो खोले गये हैं। मैं चिकित्सा मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में एक गांव ठरोनिया है। जो लगभग 20-25 वर्ष से केवल उप-स्वास्थ्य केन्द्र की सेवाएं ले रहा है उसके आस-पास 20-25 हजार की जनसंख्या है और इस गांव की आबादी लगभग चार-पांच हजार है, इस गांव में एक उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाय तो मैं आपका अत्यन्त आभारी रहूंगा।

पशु चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने इस वर्ष 127 स्वास्थ्य केन्द्र खोले हैं। मैंने माननीय पशुपालन मंत्री महोदय से सिरपोई गांव में एक उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का अनुरोध किया था। यहां एक भवन भी बनाया हुआ है अतः मेरा अनुरोध है कि सिरपोई को एक पशु चिकित्सालय दें।

पी डब्ल्यू. डी. के क्षेत्र में मैं माननीय पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री एवं मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सड़क निर्माण की एक ऐसी वृहद योजना बनायी है जिसके माध्यम से हमारे प्रदेश के सारे पंचायत मुख्यालय और एक हजार की आबादी वाले सभी गांवों को जोड़ने की बात है। आज प्रदेश में जगह-जगह सड़कों का जाल बिछा हुआ नजर आता है। हर क्षेत्र में, जिधर भी दृष्टिपात करें, सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। पिछले 45 वर्षों में जितनी सड़कें नहीं बन पायीं उतनी मात्र इन दो वर्षों में देखने को मिल रही है।

मेरे क्षेत्र में कोई अन्य योजना, ई. एस. आई. नहीं होने की वजह से अभी

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

पांच-सात पंचायत मुख्यालय सड़क से जुड़ने शेष हैं । मैं पी. डब्ल्यू डी. मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के पंचायत मुख्यालय दाता, हरनावदा गजा, ढाबला भोज, गोविंदपुरा, ओसाव, मगीजपुर, शेरपुर और सरखेड़ी पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने के लिए शीघ्र कार्यवाही करें । शेरपुर और सरखेड़ी को हम जोड़ते हैं तो पिड़ावा से पटपड़ा रोड के माध्यम से हम एक इण्टर स्टेट रोड भी इन दोनों पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने से प्राप्त कर सकेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूगा । आपने हमारे झालावाड़ जिले को एक कन्या महाविद्यालय दिया इसके लिए झालावाड़ की जनता आपकी अत्यन्त आभारी है । मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और पंचायत मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, सैकण्डरी स्कूल, मिडल स्कूल, प्राइमरी स्कूल इस क्षेत्र में काफी खोले । इस क्षेत्र की जनता की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं । शिक्षा मंत्री महोदय से इस अवसर पर मैं निवेदन करना चाहूगा कि मेरे क्षेत्र में जो चार-पांच हजार की आबादी के बड़े गांव हैं, पंचायत मुख्यालय हैं जैसे हिम्मतगढ़, कड़ोदिया, दीवलखेड़ा और माथनिया आदि में सैकण्डरी स्कूल होना अति आवश्यक है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में और झालावाड़ जिले में कुछ गांव अकालग्रस्त घोषित हुए हैं जिनमें अभी श्रमिकों की संख्या कम चल रही है । इनकी संख्या बढ़ायी जाय । अकाल के बाद ओला वृष्टि और शीतलहर का प्रकोप उस क्षेत्र में हुआ जिससे 50-60 प्रतिशत फसलें नष्ट हो चुकी हैं । उसके बाद बरसात आयी । बरसात के दौरान जो तूफान चला उसमें सारी फसलें सो गयी हैं जिसकी वजह से किसानों का काफी नुकसान हुआ है । कुल मिलाकर ओलावृष्टि, तूफान और शीतलहर से 75 प्रतिशत के लगभग इस क्षेत्र में फसलों का नुकसान हो चुका है । मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को राहत प्रदान करायी जाय । विशेष रूप से अफीम की फसल को काफी नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराया जाय । सम्भव हो तो केन्द्र सरकार से इस क्षेत्र के किसानों के लिए अनुरोध किया जाय और किसानों के पट्टे बरकरार रखे जायें । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी ।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सात तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उस पर बहस हो रही है । मैंने अभिभाषण पढ़ा है, उसमें तुलनात्मक आंकड़ों के अलावा और बी. जे. पी. की बड़ाई के अलावा कुछ नहीं है । विकास के नाम पर तो जीरो है, यह मैं मानता हूं । और इस अभिभाषण का विरोध करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, बी. जे. पी. ने केन्द्र के दबाव के कारण पंचायत राज के चुनाव कराये । चुनावों में इनको कोई अधिकार

(श्री नाथूराम अहारी)

नहीं दिया। चुनाव कराते समय इन्होंने जिस तरीके से चुनाव कराने चाहिये, पहले जड़ से चुनाव होने चाहिये सदस्यों के, सरपंच के, प्रधानों के और प्रमुख के लेकिन इन्होंने जो चुनाव कराये वह ठेठ ऊपर से, प्रमुख से चुनाव कराये, मतलब नियम के बिलकुल खिलाफ। आज एक साल से ऊपर बीत गया है, इस पंचायत राज का सत्यानाश कर दिया। पता नहीं क्या मर्जी है ? मैं समझता हू कि इसमें अच्छे-अच्छे लोग भी हैं, माननीय शेखावतजी तो बहुत लम्बे समय से इस हाउस में बार-बार आते रहे हैं लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इनके ऐसे विचार कैसे हो गये। गांवों में तो मजाक भी करते हैं कि बी. जे. पी. से हम तो बहुत आशा करते थे लेकिन इन्होंने तो सारा मटियामेट कर डाला। इसके साथ ही प्रजातन्त्र में जब बहुमत आ जाता है उसके बाद आपके पास रुपया होता है तो आप रुपये देकर सदस्यों को खरीद कर राज बनाते हो, पंचायत समितियां बनाते हो, जिला परिषद् बनाते हो तो यह प्रजातंत्र का मखौल नहीं है तो और क्या है ? मैं आपसे निवेदन करता हू कि अभी भी समय है, आप ढाई साल में चले जाते हो, आपका समय तो खतम हो गया है लेकिन आप गरीब जनता की भलाई के बारे में ठण्डे दिमाग से सोचने की कोशिश करें।

अकाल राहत के कार्य के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हू कि इस वर्ष भयंकर अकाल है, अकाल राहत के जो कार्य प्रारम्भ होने चाहिये उस हिसाब से नहीं हुए हैं, बहुत ही लेट काम शुरू किये गये हैं और वह भी बिलकुल असमान, किसी पंचायत में कोई काम नहीं, किसी में दो काम हैं। तो इस तरह से काम हैं। वैसे मापदण्ड यह बना रखा है कि अधूरे कार्य को लिया जाय लेकिन 1985 और 1986 में अकाल पड़ा था उस समय जिन रोड्स को लिया था, जितने कुओं को लिया था उनको बिलकुल नहीं लिया है। उन सारी रोड्स को, जो तीन-तीन, चार-चार पंचायतों को कवर करती है, अभी छोड़ रखा है। चयनित परिवार के लोगों के कुएं लिये जाते हैं। इस समय के हजारों कुएं अधूरे हैं, करोड़ों रुपये उसमें फंसे हुए हैं लेकिन आपके ध्यान में यह भी नहीं आता है कि उस आदिवासी के लिए और कौनसा सहारा है। छोटे-छोटे जमीन के टुकड़े हैं उनमें बड़ी मुश्किल से सरकार ने कुएं मंजूर किये थे। इतना जरूर है कि उसमें कुछ रकम बढ़ा दी लेकिन वह सारे के सारे खड्ढों में परिवर्तित हो गये हैं। वहां की भौगोलिक परिस्थितियां खराब हैं उस हिसाब से आधे से ज्यादा कुएं बिलकुल बेकार पड़े हैं और सरकार का जो पैसा उसमें लगा हुआ है उसका दुरूपयोग हुआ है। मेरी आपसे विनती है कि आपने जितने भी अकाल राहत के कुएं मंजूर किये थे, क्योंकि इस साल अकाल है, आप उन्हें पुन: मंजूर करें और ब्लास्टिंग की समुचित व्यवस्था करें तब आदिवासी का कुछ फायदा हो सकता है। यह मेरी मांग है।

इसी तरह से अमरपुरा बांध है, डूंगरपुर पंचायत समिति बिलकुल सूखी है, अमरपुरा बांध की नहर उदयपुर में निकली हुई है और वह भी तीन किलोमीटर नीचे

(192)

(श्री नाथूराम ग्रहारी)

जाकर निकली है, तो उसके जलस्तर के अनुसार नहर निकलनी चाहिये। राइट कैनाल का सर्वे हो गया है मैं सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं जो शायद यहां नहीं हैं, अमरपुरा बांध की राइट कैनाल का जो सर्वे हुआ है उसको इस अकाल में मंजूर करके डूंगरपुर पंचायत समिति की जनता को फायदा दिलाने की कृपा करें, यह मेरी आपसे विनती है।

डूंगरपुर जिले में भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार वर्ष में एक पानी हो जाय तो भी सारा का सारा पानी समुद्र में चला जाता है। मेरी सिंचाई मंत्रीजी से विनती है कि जहां-जहां सजल नाले हैं उन पर जगह-जगह एनीकट बनाये जायं। एनीकट बनाने में कुछ तकनीकी आवश्यकता है। उसमें साइडें कट जाती हैं। साइडें नहीं कटें, ऐसे एनीकट जगह-जगह बनाये जाय। पंचायत समिति के तालाब बनाये जायं। बड़े तालाब और बड़े बांध बनाने से आदिवासी की जमीन डूब जाती है, मैं बड़े तालाब और बांधों के पक्ष में नहीं हूं लेकिन जल स्तर कायम करने के लिए जगह-जगह 10–15 किलोमीटर के अन्दर एनीकट बनने चाहिये और लोगों को फायदा दिलाना चाहिये।

बेरोजगारी के बारे में मेरा आपसे निवेदन है कि इस अभिभाषण में यह बताया गया कि हमने रिजर्वेशन 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत किया है। चतुर्थ श्रेणी हैं, अध्यापक हैं, पटवारी हैं, सिपाही हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भले ही बैन खोल दिया है लेकिन कोई एक भी बच्चा नहीं लगा है और मैं तो यह कहता हूं कि प्रशिक्षित अध्यापक, प्रशिक्षित पशुधन सहायक, प्रशिक्षित नर्सें, प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष रो रहे हैं, हड़तालें कर रहे हैं और धरने पर बैठे हुए हैं और आप कह रहे हो कि हम खूब नौकरी दे रहे हैं। उदयपुर डिवीजन में जितने प्रशिक्षित हैं वह सारे के सारे रो रहे हैं और आप कह रहे हो कि हमने रिजर्वेशन बढ़ा दिया। कहां बढ़ा दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अध्यापक ओवर ऐज हो जायेंगे और सैकड़ों की संख्या में रह जायेंगे, ऐसा मेरा मानना है। शिक्षा मंत्रीजी यहां पर बैठे हुए हैं इन्होंने पोस्टें खूब भरी हैं लेकिन मैं पूछता हू कि जब आपके पास पोस्टें नहीं थीं तो आपने ट्रेनिंग किसलिए करायी ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कांग्रेस के राज्य में यह होता था कि जितनी पोस्टें होती थीं उतनी ट्रेनिंग कराते थे लेकिन आज हजारों की संख्या में वह इधर-उधर रो रहे हैं। मेरी आपसे मांग है कि आप गंभीरतापूर्वक सोचें और इसके बारे में कुछ कदम उठायें।

इसी तरह जब से आप लोग बैठे हुए हैं आप सैकण्डरी स्कूल खोलते हो तो 20, 25 30, 40 तो आप लोग ही ले लेंगे, मंत्री ही ले लेंगे, एम.एल.एज. के तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा। आप भले ही दो साल में खोलो, भले ही तीन साल में खोलो लेकिन समुचित खोलो। जितने एम.एल.एज. हैं उनके अनु-

(श्री नाथूराम अहारी)

सार खोलो। यह तो असमानता बढ़ाने का काम है। पशु औषधालय आप 10–20 खोलेंगे, आप मंत्री ही ले पड़ोगे, हम तो देखते ही रह जायेंगे। लोग कहते हैं कि आप क्यों जाते हो। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कुछ विचार कर इस तरह से काम करें, यह मेरी आपसे मांग है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : आपके एरिया में खुला कि नहीं खुला, थोड़ा यह तो बता दें।

श्री नाथूराम अहारी : खुला है, मैं मना नहीं कर रहा हूं लेकिन असमानता कर रहे हो। समानता से नहीं बढ़ा रहे हो।

कानून और व्यवस्था के बारे में खूब गुणगान किया गया। कानून और व्यवस्था के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुलिस के पास कोई आदमी जाता है तो इस तरह से जाता है कि मानो राक्षस के यहां जा रहा है। एरिये में लोग यह मानते हैं। हम पुलिस से रक्षा पा सकते हैं लेकिन रक्षा नहीं होती। (व्यवधान)

मेरे एरिये के लल्वा गांव में एक आदमी की मौत हो गयी। वह कुएं में पड़ा था। कुएं में लाश मिली। उसकी रिपोर्ट 13.3. को दी है, 22.4. को दी है, 28.4. को दी है, 21.6 को दी है। इसी तरह से आपको बताऊं, 24.1. को हमने खुद ने दी है। उच्च स्तरीय जांच के लिये वहां रिपोर्ट चली जाती है। वहां पर खा-पीकर केस को बिल्कुल उल्टा कर दिया जाता है। घर वालों को वहां से निकाल दिया गया। कोई आदमी वहां पहुंचा नहीं। कोई पुलिस वाला गया तो उस केस को बिलकुल उल्टा कर दिया और 13 घर वालों को उनके घर से निकाल दिया गया। उसके सारे साज-सामान को लूट लिया है, उसकी दीवारें नहीं रहने दी है, उसके बीड़े में कबाड़ा था वे उसको काट ले गये। उसके घर में एक भी साज-सामान नहीं छोड़ा है, सारा का सारा बर्बाद कर डाला है। मैं समझता हूं जनजाति के हमारे जो मंत्री हैं वे बहुत संवेदनशील हैं। मगर ऐसा क्यों हो रहा है? डी आई. जी., आई. जी. के यहां हमने रिपोर्ट दी है, वहां से लो आ जाती है लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। यह मैं आपसे निवेदन करता हूं आप गम्भीरता से सोचें। यह पूरी रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश करूंगा।

इसी तरह माडा में अभी एक ताजा केस हुआ है। आदमी बुला ले गया उस आदमी को कि अपन सब चलते हैं। चार दिन बाद वह आदमी आता है और उसकी लाश मिलती है और फिर कहते हो एक आदिवासी पकड़ा है ...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री नाथूराम अहारी : गामरी के इस आदिवासी को पकड़ा है (व्यवधान) सारे केस को बदल दिया गया है। मैं आपसे मांग करता हूं कि आप पुलिस में नीचे के जो अफसर हैं उन पर कण्ट्रोल रखें और कण्ट्रोल रखकर उसकी सही जांच की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य । माननीय प्रहारीजी ।

श्री नाथूराम प्रहारी (व्यवधान) अभी ध्यान नहीं दिया है । उदयपुर डिविजन में मैं केवल एक फतेहसिंह ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे एक निवेदन करता हूं आप आसन की तरफ देखें ।

श्री नाथूराम प्रहारी : मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि आप पुलिस विभाग को इस तरह से कसें । बड़े अफसरों की मैं गलती नहीं निकालता हूं एरिये के जो छोटे अफसर हैं उन लोगो ने तो बंटाधार कर रखा है । 20 आदमियों का चालान करने के लिये अगर कोई आता है तो वह कहते हैं कि हजार-हजार, पांच-पांच सौ रुपये लाओ, तुम्हारा नाम काट देंगे । यह हाल होता है । मैं तो कहता हूं कि आदिवासी गांवों में अगर पुलिस नहीं हो तो कोई बात नहीं हम निपट लेते हैं, कोई केस हो हम निपटते हैं लेकिन हम लोगों को तबाह करने के लिए पुलिस मत रखो यह हमारा मानना है क्योंकि अनपढ़ लोग हैं, समझते ही नहीं । खाने के लिए कुछ नहीं होता है और जमीन बेचकर उनको पैसा दिया जाता है ।

मैंने सलूम्बर थाने के डी. वाई. एस पी. को टेलीफोन किया तो उन्होंने मुझे यह जवाब दिया कि क्या आप वहां थे ? मैं वहां होता तो वह किसलिये हैं वहां ? झक मारने के लिये हैं । वहां सलूम्बर के डिप्टी ने मुझे यह जवाब दिया । उसने कहा, क्या आप थे ? वह किस लिये है भैंस चराने के लिए ? इस तरह से बिलकुल अन्याय हो रहा है । आप उसे ठण्डे दिमाग से सोचें ।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें ।

श्री नाथूराम प्रहारी : बोलने का मूड ही खत्म कर देते है; उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री नाथूराम प्रहारी : आपने मुझे टाइम दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7.00 बजे तक बढ़ाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या समय बढ़ाने के लिए सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय 7.00 बजे तक बढ़ाया गया ।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल धाकड़ ।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण दिया गया है उसके पक्ष में बोलते हुए मैं सदन को बताना चाहता हूं जब से भारतीय

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

जनता पार्टी शासन में आयी है तब से किस तरह से गांवों का विकास हो, गांव और शहर के बीच जो खाई है किस तरह से उसको पाटा जाय, रात-दिन यही विचार रहता है। पिछले पांच वर्षों में गांव की दशा सुधारने और खास तौर से काश्तकारों की दशा सुधारने के लिए जो प्रयत्न किये हैं वह वास्तव में बहुत सराहनीय हैं। जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उनके अनुसार अधिक धन देने का प्रतिफल है कि आज हर क्षेत्र में चाहे वह सड़कों का हो, सिंचाई का हो, रेवेन्यू से सम्बन्धित हो, हर तरफ गांव-गांव में एक चहल-पहल है और कार्यक्रम चल रहे हैं।

मैं सिंचाई के बारे में बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक डोराई का बांध था वह बरसों से अटका पड़ा था। माननीय सुखाड़िया जी ने उसका शिलान्यास किया था। जब-जब चुनाव आते थे, थोड़ा काम कराकर लोगों को बहका देते थे। जब भारतीय जनता पार्टी शासन में आयी तो माननीय भैरोंसिंह जी की सरकार ने उस बांध को पूरा किया और उससे गांव-गांव में नहरों द्वारा पानी दिया जा रहा है और लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, काश्तकारों के खेत उससे हरे-भरे हुए हैं।

सिंचाई के बारे में जहां यह विकास है वहां खास तौर से मेरे बेगूं और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में बीसलपुर का जो अटकाव लगा हुआ है उसकी वजह से कई छोटे-छोटे बांध भी नहीं बनने देते। वहां का बहता हुआ पानी यहां आकर सौ-डेढ़ सौ किलोमीटर दूर तक इसका प्रभाव और कैचमेंट एरिये के छोटे-छोटे बांध भी रोक दिये जायं यह अनुचित है। छोटी-छोटी परियोजनाएं जैसे रूपारेल, मेनाली यह ऐसे छोटे-छोटे बंधे हैं जिनसे वहां के काश्तकारों को बहुत लाभ हो सकता है लेकिन इनके लिए जब भी हम प्रश्न उठाते हैं और बीसलपुर बांध के कैचमेंट की बात कहकर इन पर रोक लगा दी जाती है। जिस तरह से जनता बीसलपुर के क्षेत्र में बसती है उसी तरह से बेगूं और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिले में बसती है। वहां का पानी वहां रोकने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। जो पुराने तालाब हैं उन तालाबों में जितनी क्षमता है, मिट्टी भर जाने से वह कम हो गयी है। अगर यह बांध बनता है तो बीसलपुर पर फर्क पड़ता नहीं है बल्कि उतना ही पानी रुकता है जितनी मिट्टी भरी हुई है। इसलिए इन्जीनियर लोगों की जो इस तरह की जवाब देने की तकनीक है इस पर माननीय सिंचाई मंत्रीजी को विचार करना चाहिये।

सड़कों के मामले में मेरे बेगूं क्षेत्र में कहोदिया से खेड़ासदा रोड पर 45 लाख की स्वीकृति कार्य चल रहा है। आमलदा से जाट रोड और जरसा रोड पर 22 लाख की स्वीकृति का कार्य चल रहा है। इसी तरह से जावदा, टोलुगा, लुहाड़िया जो काफी बरसों से पीड़ित था कोई वहां पहुंच नहीं पाता था, उसका कार्य चल रहा है। मैं माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री महोदय का बहुत आभारी हूं कि मेरे क्षेत्र में इस तरह सड़कों के काम दिये हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के बारे में अभी-अभी मेरे क्षेत्र में तीन पी.एच.सी. के भवन स्वीकृत हुए हैं-पिचोर, मेघपुरा और रायता, इनके लिए मैं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी का आभारी हूं।

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

इसी तरह बिजली के मामले में इस साल विशेष तौर से हमारे क्षेत्र में कोई परेशानी नहीं रही। काश्तकार की कोई फसल सूखने नहीं पायी। यहां तक का रेकार्ड है कि कई जगह ट्रांसफार्मर जल गये वहां 24 घण्टे के अन्दर-अन्दर बिजली उपलब्ध करा कर काश्तकार का नुकसान नहीं होने दिया। इसके लिये माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का मैं बहुत आभारी हूं। साथ ही कृषि के क्षेत्र में जो फव्वारा सेट की योजना दी गयी है उससे पानी की काफी बचत होती है। इसके लिए जो धन में वृद्धि की गयी है, अनुदान दिया गया है उसमें मेरा एक सुझाव है कि इस कार्य की एक सीमा रखी हुई है कि 20-30 फीट के केवल 17 पाइप तक ही अनुमान मिलता है। इसमें बंदिश नहीं होनी चाहिये क्योंकि कुएं से खेत काफी दूर होते हैं। जितनी काश्तकारों को आवश्यकता हो उतना उसके लेने पर उसे छूट मिलनी चाहिये यह नहीं कि केवल 17 पाइपों पर ही अनुदान देंगे और बाकी पर नहीं देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस साल अफीम की फसल पर जो पाला पड़ा, उधर बिराजने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि केन्द्र का और प्रधानमन्त्री का भेजा हुआ पैसा काम में नहीं लिया, वे बड़ी हमदर्दी जता रहे थे। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि फसल का पाला पड़ने से या धड़े पड़ने से जितना नुकसान हुआ है, काश्तकारों ने और हमने मांग की कि नुकसान का आकलन करके इसकी औसत तौल में छूट दी जाय। उसके बजाय सीधे काश्तकार की बात पर ध्यान न देते हुए कह दिया कि हल चला दो और इसको हकवा डालो। आखिर किसी खेत में आठ आने फसल खड़ी है, किसी में बारह आने फसल खड़ी है, किसी में चार आने खड़ी है। काश्तकार का कितना पैसा लगा है, दवाई का, खाद का, बीज का, मेहनत का और पिलाई का? करी-करायी कमाई को मिट्टी में मिलवा रहे हैं। इस तरह से काश्तकार के बच्चों को फांसी लग रही है। ऐसी सरकार की बढ़ाई करने वाले एक बार तो मांग करते कि काश्तकारों पर क्या बीतती है। करी-करायी कमाई को पानी में मिलाने से क्या सार है? मेरा अनुरोध है सदन से कि यहां से केन्द्र सरकार को लिखा जाय कि नुकसान का आकलन करके उसको छूट दी जाय।

बिजली के बारे में माननीय मंत्री महोदय से एक अनुरोध है कि बेगूं के आस-पास 132 के.वी. का जी.एस.एस. नहीं है इसलिए एक जी.एस.एस. बेगूं के लिए स्वीकृत किया जाय और जो शेष गांव बच गये हैं, उन्हें भी बिजली से जोड़ा जाय।

रावतभाटा को पूर्ण तहसील बनाने के बारे में काफी अरसे से मांग रही है और बेगूं से 80 किलोमीटर दूर रावतभाटा पड़ता है। वहां के काश्तकार वहां आ नहीं सकते। इसलिए उनकी सुविधा के लिए उसको पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जाय। जावदा में पी.एच.सी. खोला जाय। वहां

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

80-80 किलोमीटर तक कोई ऐसे साधन नहीं है जहां से उनको कोई मिल सके।

हैंडपम्पों के बारे में मेरा माननीय मंत्रीजी से अनुरोध है कि 2000 तक की आबादी के लिए आपने जो योजना दी है उसमें भी मेरे चेची, काटुन्दा और बोराड़ से योजना यहां अटकी पड़ी है उसको रिलीज किया जाय जो 2000 से नीचे के कुछ गांव हैं समस्या तो वहां भी है, उनके लिए क्या विचार हो रहा है ? इस पर शीघ्र निर्णय किया जाय। हैंडपम्पों के दुरूस्ती के बारे में पंचायत समिति को कह दिया कि आप दुरूस्त करें। न उनके पास पूरा सामान है, न पाइप हैं, न उनको यह जानकारी है कि हैंड पम्प कितना गहरा है, कितने इसमें पाइप लगे हुए हैं। अब यह सारी जानकारी तो है पी.एच.ई.डी. को और दुरूस्ती के अभियान का काम दिया उनको। तो इस तरह से यह अभियान सफल होने वाला नहीं है। इस पर फिर से विचार किया जाय और जो कम गहरे हैंड पम्प हैं उनको गहरा कराया जाय। जहां पाइप नहीं हैं वहां सामान और पाइप उपलब्ध कराये जायं और अभियान शीघ्र चलाया जाय। मैं इतना ही कहते हुए आपका धन्यवाद मानता हूं और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के पक्ष में अपना मत देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसादी लाल मीणा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है वह उन्होंने अपने सच्चे दिल से नहीं रखा है, एक पार्टी की मर्यादा रखते हुए दबे मन से अपनी बात कही है।

राज्यपाल महोदय ने कहा है कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक रही। अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में तत्परता दिखायी। उपाध्यक्ष महोदय, कानून और व्यवस्था की स्थिति का जहां पर सवाल आता है, गृह मंत्रीजी यहां पर हैं और कोई मंत्री है नहीं। मेरा काम उन्हीं से ज्यादा है। पुलिस का किस तरह से आज राजनीतिकरण कर लिया गया है, पुलिस किस तरह राजनीतिक अपराधियों को गिरफ्तार करने में हिचकिचा रही है। पुलिस का किस तरह से राजनैतिक लोग उपयोग कर रहे हैं अपराधियों को बचाने में, डकैतों को बचाने में, दूसरे कामों में लगे हुए लोगों को बचाने में।

माननीय गृह मंत्रीजी, 25 और 26 दिसम्बर को महुआ तहसील के तालिचड़ी कस्बे में एक घटना घटी और वहां पर कमलेशजी शर्मा की हत्या, उसके साथ बलात्कार हुआ और उसके साथ फिर लूट हुई। गृह मंत्रीजी, लूट किसने की आपके पास शायद सारे तथ्य नहीं आये होंगे। आप भी ऐसी घटना घटित होने के बाद वहां पर नहीं गये। पर आपके अधिकारियों ने किस तरह लीपापोती की है। मैं आपका

(198)

(श्री परसादीलाल मीणा)

ध्यान, उपाध्यक्ष महोदय, उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, उस रात्रि को उसके साथ बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गयी और उसके बाद उसके घर से सारा माल लूट कर लोग ले गये। ले जाने वाले कौन थे ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं वहां पर गया तब गांव वालों ने बताया, वहां के एक किरोड़ी लाल महाजन की हत्या सूबेदार सिंह नाम के लड़के ने गोली मारकर की थी। किरोड़ी लाल की दुकान के आगे 12 बोर की बन्दूक से उसको गोली मारी थी। कमलेश शर्मा का जो श्वसुर था वह उसमें चश्मदीद गवाह था और उसका मुकदमा नम्बर 156/94 थाना सलेमपुर है। उस गोली मारने वाले अपराधी सूबेदार सिंह को पुलिस ने आज तक गिरफ्तार नहीं किया है। गृह मंत्रीजी वह आपकी भारतीय जनता पार्टी के सरपंच का लड़का है तालचिड़ी से। उसको 1994 से अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसी के फलस्वरूप उन गवाहों को दबाने के लिए कि मेरे खिलाफ इस तरह की गवाही नहीं आये, कमलेश शर्मा की हत्या की गयी। सूबेदार सिंह गांव छोड़ कर कहीं गया नहीं उपाध्यक्ष महोदय, सूबेदार सिंह 1994 से 1995 दिसम्बर तक जब यह घटना घटी, वहीं गांव में रहता है। पुलिस ने तालचिड़ी में एक चौकी लगा रखी है, उन सिपाहियों को बैठा कर वहां पर दारू पीता है, वहां पर वह ताश खेलता है और वह कहीं फरार नहीं हुआ। मैंने इसको विजिलेंस में उठाया था। एस. पी ने कहा कि हमने कोई प्रयास नहीं किया उसकी गिरफ्तारी के लिये, ना उसका हेरेसमेंट किया, ना उसके घरवालों को बुलाया गया, ना उसके परिवार वालों को कहा गया कि आप उसको सरेण्डर करिये, ना उसके खिलाफ कोई प्रापर्टी अटेचमेंट की कार्यवाही आज तक की है।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी घटना के बाद भी वहां पर तालचिड़ी में पंजाब और कश्मीर की तरह सन्नाटा छाया हुआ था। उस अपराधी सूबेदार सिंह के खिलाफ कोई कुछ कहने को तैयार नहीं था। पर आज तक भी गृह मंत्रीजी आप बता दें कि उस कमलेश के मामले में आपने क्या कार्यवाही की ? आपने कार्यवाही की वह शायद आपकी जानकारी में होगी। अभी उस घटना के बाद वह अपराधी सूबेदार सिंह 19 जनवरी, 1996 को रोथड़िया गांव में अपने रिश्तेदारों के यहां ठहरा हुआ था। पुलिस का ट्रक भरकर गया, सूबेदार सिंह को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद उसकी तलाशी ली गयी। पुलिस के उसको पकड़ने के बाद, गांव वालों ने छुटपुट पत्थरबाजी की।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे राजस्थान की पुलिस पर हैरानी है। उस सूबेदार सिंह को जो कमलेश की हत्या में 302 का मुलजिम था जिसकी तलाश थी, उसको पुलिस छोड़कर आ गयी। पुलिस के ऊपर दबाव है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कि सूबेदार सिंह को गिरफ्तार नहीं करे। उपाध्यक्ष महोदय, क्या ऐसा कोई उदाहरण है कि किसी अपराधी को पकड़ लिया और वहां की छुटपुट पत्थरबाजी के कारण उसको वापस छोड़ दिया ? इसका मुकदमा नम्बर 29/96 पुलिस ने महुआ थाने में दर्ज

(श्री परसादीलाल मीणा)

कराया है। चालीस पचास लोगों के खिलाफ रिपोर्ट है। पर गृह मंत्रीजी, एक भी आदमी, आपने उसके बाद गिरफ्तार नहीं किया है। क्या यही आपकी कानून और व्यवस्था है? क्या हत्यारे, डकैत और अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से इस तरह आप राजस्थान की कानून व्यवस्था को ठीक कराना चाहते हैं? गृह मंत्री जी मुझे अफसोस है कि आपके पुलिस प्रशासन पर। जिस थानेदार ने उसको पकड़ा, उसके ऊपर दबाव डाला कि आप इसको छोड़ दीजिये। वहां पर वह छोड़कर आये। आपने उस थानेदार को बदल दिया। थानेदार के भी चोट आयी है पर आपने उसको छोड़ दिया। जो मुकदमा दर्ज किया उसमें से, आपने एक भी आदमी को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या उस सूबेदार सिंह को 302 का जो 156/94 में मुलजिम है, आप उसको कब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे? अपनी पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की?

उपाध्यक्ष महोदय, इधर महुआ में हत्या, लूट, डकैती, चोरी की रोज वारदातें होती हैं। कुछ दिन पहले गाजीपुर में पंजाब का एक व्यापारी खेड़ला से आया। वह मैटाडोर में बैठकर आ रहा था। दिन के 12 बजे उसको असामाजिक तत्वों ने मेटाडोर से उतारा। उसके बैग में 45 हजार रुपये थे, वह छीन लिये। छीनकर कह दिया कि अब जाइये। पुलिस में रिपोर्ट की। डी.आई.जी. आपका वहां मौजूद था। डी.आई.जी. की आवभगत में थानेदार लगा हुआ था। दिन के 12 बजे मेन रोड पर जो कि हाइवे है घटना हो जाय और उसके बाद अपराधी नहीं पकड़े जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, शर्म की बात है। गृह मंत्रीजी, आपका पुलिस प्रशासन अपराधियों से किस तरह से मिला हुआ है, किस तरह से आपने राजनीतिक अपराधियों को शरण दे रखी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि मुख्य मंत्रीजी ने खड़े होकर गत मार्च के अधिवेशन में कहा था कि जो अधिकृत नहीं है उन लोगों की लाल बत्तियां गाड़ी से खुला लेंगे। महुआ में बीसों लाल बत्ती वाली गाड़ियां गृह मंत्रीजी आपको ऐसी मिलेंगी जिनमें अपराधी घूमते हैं। आप एक की भी लाल बत्ती नहीं खुला सकते। क्या विधायक इसके लिए आथो राइज है, क्या एम.एल.ए. है, क्या एम.पी. है, कौन है? सारे अपराधी लाल बत्ती की गाड़ियों में घूमते हैं। आप एक भी अपराधी को वहां पर नहीं पकड़ सकते हैं। यह आपकी कानून और व्यवस्था है।

किशोर मीणा का मैंने आपको बताया ही था कि आपने अब तक उसके परिवार को आर्थिक सहायता नहीं दी। मुख्य मंत्रीजी कह जाते हैं, पर काम तो गृह मंत्रीजी आपको करना है। उन परिवारजनों को बौली थाना के हुसैन तेली को और उनको आर्थिक सहायता तो दीजिये। मकराना में तो एजीटेशन हो गया, इसलिए आप दे आये पर आपने बौली में और मण्डावर में उनको क्यों नहीं दी? गृह मंत्रीजी, आप इस पर विचार करिये और आपके पास जो बयान आये हैं, सी.आई.डी. (सी.बी.) से आपने जो जांच करायी है, उसके आधार

(श्री परसादीलाल मीणा)

पर आपको उस थानेदार का और जो सम्बन्धित अपराधी है उनका चालान करिये। मेरी बहुत वेदना है उस परिवार के प्रति कि उनके बच्चों का क्या हाल होगा। आप इस पर मेहरबानी करके जैसे आज मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि मैं उनका जल्दी से जल्दी चालान करूंगा, आपको चालान कराना चाहिये।

पुलिस प्रशासन में दौसा जिले के सारे थाने बिक रहे हैं। सारे थानों में पैसे लेकर थानेदार, अपायन्ट किए जाते हैं। एक भी थाना ऐसा नहीं है जहां बिना पैसे लिए थानेदार लगा दिये जायं। आप इसको देखिए, आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। पुलिस के चाहे बड़े अफसर हो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, हमारा राज आयेगा तो हमारी पीठ में छुरा लगायेंगे, आपका राज आयेगा तो आपकी पीठ में छुरा लगायेंगे। आपकी जिम्मेदारी है जनता के अधिकारों सुरक्षा करना, जनता को न्याय दिलाना। क्योंकि आप गृह मन्त्री है, आपकी सरकार हैं। हम कह ही सकते हैं। मैं इस बात को कई बार उठा चुका हूं माननीय गृह मंत्रीजी वण्डावर वाली और बोलीं वाली को कि आप मानवीय आधार पर आप स्वयं एक बार समय निकालकर वहां जाइये। उसके परिवार की स्थिति को देखकर आप अपने मन का फैसला खुद करें। मुझे बहुत वेदना है उस परिवार के प्रति जहां यह घटना घटी हैं। गरीब को पुलिस ने मारा है। आज वह थानेदार थाने में लगा हुआ है। जब गत सैशन में मामला उठाया तो आपके अफसरों ने मुझे ठीक करने के लिए उसको लालसोट लगाया। वो क्या उसका बाप भी मेरे को ठीक नहीं कर सकता है। मैंने उसके खिलाफ कह दिया कि यह हत्या करके आया है, लालसोट का कोई भी आदमी उससे बात नहीं करेगा, उसकी बात कोई नहीं मानेगा और उसके घर का कोई पानी तक नहीं पियेगा। उसका मैंने बहिष्कार करवाया। जब आपके अफसरों ने उसको वहां से हटवाया। धारा 302 में अगर साधारण आदमी यह काम करता तो गृह मंत्रीजी वह जेल मे होता, आज वह थाने में लगा हुआ है। इतनी भी शर्म नहीं आती आपको और आपके पुलिस के अफसरों को कि उसको निलम्बित करें। निलम्बित नहीं किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो वहां के नेता है उनका उसको प्रोटेक्शन है वह उनके कहने से काम करता है। वह उनके कहने के अनुसार चलता है। वहां अपराधी प्रवृत्ति के सैकड़ों लोग हैं। सैकड़ों मोटर साइकिलें जयपुर से ले जाकर वहां पर चोरी की वारदातें हो रही हैं। वहां पर सैकड़ों जीपों की चोरी हुई है। जो भी चोरी की वारदात महुआ के तीनों थानों में हुई उनमें से आज तक एक भी चोरी की वारदात नहीं खुली हैं। वहां पर इस तरह का अपराधिक प्रवृत्ति का वातावरण हैं। मेरी आपसे यह विनती है कि आप इसको ठीक करने के लिए अपनी ओर से कदम उठायें।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी फरवरी में मेरे इलाके में भी ओलावृष्टि हुई है और बहुत नुकसान हुआ हैं। बारह-तेरह पंचायतों की तो शत-प्रतिशत फसलें नष्ट हुई हैं। मैं तुरन्त यहां सहायता मंत्रीजी के पास आया और उनको कहा कि आप खुद आकर देख

(श्री परसादीलाल मीणा)

लीजिये कि कैसा वातावरण वहां पर है। एक दाना लोगों की फसल का नहीं बचा है। लोगों के पास चारे और अनाज के लिए एक दिन का भी प्रबन्ध नहीं है। ऐसी हालत में भी सहायता मंत्री वहां मौका देखने नहीं गये, सरकार का कोई प्रतिनिधि वहां पर नहीं गया। अफसोस है जो लोग कहते हैं कि हम किसानों के हमदर्द है। आपका कोई मंत्री जाकर तो देखता। स्वागत कराने और माला पहनने को तो बहुत सारे तैयार रहते हैं पर विपत्ति के समय कोई एक मंत्री वहां नहीं गया। आप सहायता क्या दे रहे हैं। पहले जब वहां ओलावृष्टि हुई थी तब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि सहायता राशि बहुत कम है, हम इसको बढ़ायेंगे पर जहां एक भी दाना फसल का नहीं रहा वहां 100–500 रुपये देकर लोगों को क्या कहना चाहते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मेरी मुख्य मंत्रीजी से अपील है कि उनके बिजली के बिल माफ करें। उनके सहकारी सोसायटीज के जो कर्जे हैं उसको माफ करें। जो भी लेनदारियां है, जो आज कुर्की हो रही हैं वहां पर किसानों की....

श्री उपाध्यक्ष: यह मामला 16 तारीख को आ रहा है।

श्री परसादीलाल मीणा: उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन समय मिले या नहीं मिले। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में केवल मुझे अफसोस है कि बाढ़ का उल्लेख किया गया है। ओलावृष्टि का उल्लेख इस अभिभाषण में नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि क्या ओलावृष्टि से राजस्थान में किसानों की फसलें नष्ट नहीं हुई? क्या शीतलहर से किसानों की फसलें नष्ट नहीं हुई? इसमें इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। इसलिए जो भी किसानों के ऋण वगैरह हैं, आज यदि उनके बिजली के बिल माफ नहीं किये तो वह कहां से बिल चुकायेंगे? आगामी एक साल तक वह किस तरह अपना गुजारा करेंगे? आज उनको चारे के लिए, अन्न के लिए इधर-उधर जाना पड़ेगा। बिजली के बिलों के लिए गृह मंत्रीजी, आप सरकार से एक फैसला कराइये कि जहां पर शत प्रतिशत फसलें नष्ट हो गयीं वहां पर एक साल तक यदि किसान बिजली का बिल जमा नहीं करायेगा तो बिजली बोर्ड के द्वारा उनके कनेक्शन नहीं काटे जाने चाहिए। क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बिजली का बिल जमा करा दें और अपना पेट भी भर लें। वहां पर आज तक आपने एक भी राहत कार्य नहीं खोला है। पूरी लालसोट तहसील पहले अकाल में और बाढ़ में बरबाद हो चुकी फिर ओलावृष्टि से हो गयी। आपने एक अकाल राहत कार्य नहीं खोला है। पहले कांग्रेस के शासन में....

श्री उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री परसादीलाल मीणा: अकाल राहत कमेटियों का गठन कर दिया जाता था। सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों को बुलाकर पूछा जाता था कि आप क्या काम करवाना चाहते है? किस गांव में क्या काम चाहिए

२०२

(श्री परसादीलाल मीणा)

इस पर विचार किया जाता था। आपने एक भी काम न अकाल में खोला न ही ओलावृष्टि के बाद खोला। ऐसी सरकार जो अपने-आपको संवेदनशील सरकार कहती है, उनको काम खोलने चाहिये। इस लड़ाई में युद्धस्तर पर किसानों की मदद करने के लिए आप बिलकुल आगे नहीं आ रहे हैं। आप अखबारबाजी से, असत्य बयानबाजी से, आप अपने इन बयानों से कि हम तो किसानों के हमदर्दी के लिए हैं, कोई मंत्री तो आपका जाता। चुनाव में आपके 20-20 मंत्री वहां जायेंगे और आपको इस समय भी जाना चाहिये। एक मंत्री नहीं गया। मैंने सहायता मंत्री को खुद कहा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि बिजली के बारे में किसानों का शोषण हुआ है। बिजली के कनेक्शन देने में आज नर्सरी योजना में जिन किसानों ने कनेक्शन लेकर 50–50, 60–60 हजार के कनेक्शन लिए, दिये उनको 3–4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं दी है और इस तरह के हालात पैदा हो गये कि किसानों को आन्दोलन करने पड़े। जहां पर आन्दोलन किये वहां पर बिजली ठीक की जहां पर आन्दोलन नहीं हुए वहां पर वही हालत कर दी। किसानों से यदि आप पूरा बिजली का बिल लेते हैं। क्या कोई एक पैसा भी कम कर देगा? आप जब आठ घंटे बिजली किसानों को नहीं दे सकते, आप 4 घंटे देते हैं तो आपको 4 घंटे का ही बिल लेना चाहिये। अगर 6 घंटे आप किसानों को बिजली देते हैं तो आपको 6 घंटे का चार्ज लेना चाहिये। यह भण्डारी ऐसा बैठा है, किसानों के+ + +के रूप में कि यह किसानों का शोषण करके ही छोड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत दूसरी बात कहना चाहता हूं वह यह है कि ग्रामीण विकास में पैसा आ रहा है। यहां पर विशिष्ट योजना मन्त्रीजी नहीं हैं, उस पैसे को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी सड़कें बनाने में और दूसरे कामों में बर्बाद कर रहे हैं, उसका 20 प्रतिशत पैसा भी नहीं लगा रहे हैं। खुली छूट हो रही है, एस. ईएन, ए ईएन., जे.ईएन. सब खा रहे हैं, कोई उसको देखने वाला नहीं है। एन. आई. टी. एक बार कर दी, 18 प्रतिशत अबव वालों को दे दिया 5 प्रतिशत वालों को नहीं दिया। कोई टेण्डर नहीं, मनमानी से ठेके दिये जा रहे हैं। पैसे की बर्बादी की की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया अब आप समाप्त करें।

श्री परसादीलाल मीणा : मेरा आपसे यही निवेदन है कि पेयजल मन्त्रीजी बैठे हैं। आपने बजट भाषण में मुख्य मन्त्रीजी से यह कहलवाया था कि हम हैण्ड-पम्पों के संधारण की दोहरी व्यवस्था समाप्त कर रहे है। क्या आपने समाप्त कर दी? मंत्रीजी आपने नहीं की। आपने केवल कहा है। आपने किया नहीं है। गर्मी का

+ + +शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसादीलाल मीणा)

का समय आने वाला है। आपके ड्रिलिंग को जो पैसा कंटीजेंसी में दिया है वे हैण्ड-पम्प आर्जी तक नहीं लगे हैं। जो हैण्ड-पम्प बेकार्या है, जिनका पैसा ड्रिलिंग विभाग के पास जमा है: वे हैण्ड-पम्प लगाइये। जितने हैण्ड-पम्प आपके राजीव गांधी मिशन से आये, इस गर्मी के समय में आप उन हैण्ड-पम्पों को लगाने के लिए ड्रिलिंग मशीनों, आपके पास मशीनें नहीं हैं, आप कोई भी व्यवस्था, कैसे भी व्यवस्था करके, गर्मी से पहले अप्रेल में हैण्डपम्प लगवायें। हैण्ड-पम्प का अभियान चलाकर जो आप प्रतिवर्ष चलाते हैं; इस साल आपने नहीं चलाया है आप लोगों के साथ बेइमानी कर रहे हैं। आपने अभियान नहीं चलाया है। आप अभियान चलाकर, जो हैण्ड-पम्प खराब पड़े हैं उनको ठीक कराइये। आज उनका कोई भी जिम्मेदार नहीं है। पंचायत समिति वाले कहते हैं कि सामान पी. एच. ई.डी. वाले देंगे। पी. एच.ई.डी. वाले कहते हैं कि पंचायत समिति वाले ठीक करेंगे, यह दोहरी व्यवस्था समाप्त करें। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। श्री भवानी जोशी।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल ने अपना अभिभाषण दिया, जिसका धन्यवाद प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री रमाकान्त जो ने और जिसका समर्थन माननीय सदस्या ताराजी भण्डारी ने किया उसका मैं आपके माध्यम से समर्थन करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो अभिभाषण है और इसमें जो नयी नीतियां बनायी हैं उन नयी नीतियों में राज्य सरकार ने बिना भेदभाव के पूरे क्षेत्र का विकास किया है। पूर्व खनिज नीति से हमारे क्षेत्र में उन आदिवासियों को कभी माइंस नहीं मिल सकती थी और माइंस के लिए वे कभी सपने भी नहीं देख सकते थे, इस खनिज नीति में उसका प्रावधान माननीय खनिज मन्त्रीजी का मैं बहुत-बहुत आभारी हूं।

इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने हमारे क्षेत्र में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों को बिना भेदभाव के और बिना किसी विधायक की रिकमण्ड के क्रमोन्नत किया। माननीय शिक्षा मंत्रीजी का भी मैं आभारी हूं।

हमारे क्षेत्र में जो अभी अकाल राहत राहत कार्य चल रहे हैं उसमें 32 हजार श्रमिक कार्य कर रहे हैं। मैं माननीय भैरोंसिहजी शेखावत का आभारी हूं। बार-बार हमारे क्षेत्र में कांग्रेस के लोग व अन्य लोग यह बात करते हैं कि अधिक से अधिक अकाल राहत कार्य खोले जाएं लेकिन उनसे मैं कहना चाहता हूं कि पड़ौस में मध्य प्रदेश में, जहां कांग्रेस का शासन है और झाबुआ जिला एक ट्राइबल क्षेत्र के नाते जाना जाता है, अभी तक भी वहां अकाल राहत कार्य नहीं खोले हैं। माननीय भैरोंसिहजी शेखावत ने हमारे क्षेत्र में अकाल राहत कार्य खोल करके

(श्री भवानी जोशी)

वहां के पलायन को रोका उसके लिए भी मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद व आभार प्रदर्शित करता हूं।

बांसवाड़ा जिले को नारू रोग से मुक्त किया, और जो पी. एच. सी. खोले उसके लिए मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जो 25 हजार श्रमिक काम कर रहे हैं, उनको बढ़ाकर 50 हजार किया जावे क्योंकि पिछले वर्ष से उस क्षेत्र में बारिश नहीं हुई है और पानी का स्तर बराबर नीचे जाता रहा है। वहां कार्य की और पानी की समस्या आने वाले समय में आने वाली है इसलिये वहां पर नये हैंण्ड-पम्प, कुएं, पानी की टंकियों की शीघ्रताशीघ्र व्यवस्था करवायी जाय। जहां टैंक खाली पड़े हैं, माही के पानी से उन टैंकों को भरा जावे जिससे वहां पर पशुओं के पीने के पानी की समस्या नहीं रहे। अकाल राहत कार्य भी जो हो रहे हैं, उससे माही के कैनालों की मरम्मत करवायी जावे तो अगले सत्र में बराबर पूरे क्षेत्र में पानी पहुंच सकेगा यह मेरा निवेदन है।

आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में ऊर्जा पैदा होती है। जब तक माननीय हरिदेव जोशीजी वहां से विधायक चुनते आये तब तक वहां कभी भी पावर कट नहीं होता था और जहां भी पावर पैदा होती है वहां पावर कट नहीं होनी चाहिये। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र को पावर कट से मुक्त रखा जाये क्योंकि हमारे क्षेत्र में विद्युत पैदा हो रही है। राज्य में विद्युत संयंत्र भी स्थापित किये जाये क्योंकि बांसवाड़ा जिले में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं और जब सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं तो वहां पर भी एक नया पावर प्रोजेक्ट लगाया जाये।

गो-वंश की हत्या जो राज्य सरकार ने बंद की उसके लिए भी हम राज्य सरकार के बहुत-बहुत आभारी हैं। हमारे क्षेत्र में पोलोटेक्निक कॉलेज की बिल्डिंग बनी, गर्ल्स कॉलेज खोलने की स्वीकृति मिली और अच्छी सड़कें बनीं। अभी मेरे क्षेत्र में 65 लाख की पुलियाओं का शिलान्यास माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्रीजी ने किया। 56 लाख की एक और पुलिया का बांसवाड़ा को बेणेश्वर धाम को मिलाने के लिए शिलान्यास किया। उसके लिए मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री का आभारी हूं और जो भी राज्य सरकार ने अभिभाषण में अपनी उपलब्धियां बतायी हैं, वास्तव में सही हैं। जब-जब मुख्य मंत्रीजी भैरोंसिंह शेखावत राजस्थान के मुख्य मंत्री बने हैं तब-तब ही राजस्थान का चहुंमुखी विकास हुआ है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेनजी।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, उसके विरोध में मुझे अपने विचार व्यक्त करने हैं।

(श्री भीमसेन चौधरी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र बीकानेर जिले की आधी ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन मेरे क्षेत्र के साथ भेदभाव बराबर बढ़ता जा रहा है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में जो कार्यकारी परिषद बनायी गयी है उसमें मैं एकमात्र विधायक हूं, बीकानेर जिले में, पार्टी का। उसमें जानबूझ कर मुझे उस कार्यकारी परिषद का सदस्य नहीं बनाया गया है और बीकानेर शहर के विधायक को उसमें रखा है जबकि शहरी क्षेत्र का ग्रामीण में कोई ताल्लुक नहीं रहता। यह भेदभाव की नीति है और सरकार ने यह कहा है कि हम सामंजस्य की नीति बनाकर चलते हैं। मैं समझता हू कि इनकी कथनी और करनी में यह बड़ा फर्क है।

इसी तरह से 20 सूत्री कार्यक्रम की जिला कमेटी बनायी गयी और उसमें मेरा आधा बीकानेर जिला में आता है लेकिन मुझे उस कमेटी में सदस्य नहीं रखा है। क्या यह इस बात की ओर इंगित नहीं करता है कि किस तरह से यह सामंजस्य नीति अपना रहे हैं।

इसी तरह से मेरा क्षेत्र सिंचित क्षेत्र होने के कारण चक आबादियां योजनापूर्वक सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा बसायी गयी हैं लेकिन उन चक आबादियों को रेवेन्यू विलेज घोषित नहीं किया हैं। रेवेन्यू विलेज घोषित नहीं किया जो वहां पर न स्कूलें खोली जा सकती हैं न वहां विद्युतीकरण का कोई प्रोग्राम लिया जा सकता है, न सड़कें बनायी जा सकती हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बराबर पिछले दो साल से इस बात को राज्य सरकार के ध्यान में ला रहा हूं कि चक आबादियां जब आपने एक हजार की जनसंख्या के लिए प्लान की हैं और सारे लोग अपने-अपने चकों में बैठें हुए हैं तो उन चक आबादियों को जो प्लान की हुई है 187 चक आबादी को प्लान के अनुसार रेवेन्यू विलेज क्यों नहीं घोषित किया जाता जबकि उनकी जनसंख्या 250 से अधिक है और एक हजार की जनसंख्या के लिए प्लान की हुई हैं। इस तरह से आप जानबूझकर इस समस्या को सुलझाना नहीं चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से विद्युतीकरण की बात कही। मेरे इलाके में पुगल जो उपनिवेशन तहसील का मुख्यालय, है उसमें इनको 33 के. वी. का सब स्टेशन बनाना है परन्तु जानबूझकर देरी की जा रही है। उसमें सबसे पहला नम्बर मेरा आना चाहिए लेकिन पहले उन्होंने नोखा में किया, कोलायत में किया। लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में पूगल में 33 के. वी. का सब स्टेशन बनाया जाना चाहिए, मुख्य नहर की आर. डी. 620 पर 33 के.वी. का सब स्टेशन बनाना चाहिये था। मूंडसर और नोरंगदेसर में भी 33 के.वी. सब स्टेशन बनाया जाना चाहिए था। ये चार सब स्टेशन बनाये जाने चाहिये थे वे जानबूझकर नहीं बनाये जा रहे हैं और वह इसलिए कि मैं दूसरी पार्टी का, विपक्ष का सदस्य हूं। जब सरकार यह कहती है कि

(श्री भीमसेन चौधरी)

हम सामंजस्य नीति पर चल रहे है तो यह कहां तक उचित है ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मेरे इलाके में काश्तकारों की समस्या है। वहां पर जो सिंचित क्षेत्र के काश्तकार हैं और जो अपनी किश्तें बराबर दे रहे हैं और जो पूरी किश्तें दे चुके हैं उनको अपने खातेदारी पट्टे लेने के लिए दफ्तरों के बार-बार चक्कर काटने पड़ते हैं और जब तक उनकी भेंट पूजा नहीं की जाती, एक-एक मुरब्बे की उन्होंने रेट फिक्स कर रखी है 5 हजार रुपये, 10 हजार रुपये, जब तक उनको नहीं मिलेंगे तब तक पट्टे नहीं दिये जायेंगे। जबकि नियम यह है कि ज्यों ही किश्तें पूरी हो जाती हैं तत्काल उस काश्तकार के घर पर बाई रजिस्टर्ड पोस्ट जानी चाहिए। मैं बराबर इस बात की दो साल से कोशिश कर रहा हू और विधान सभा में भी बराबर प्रश्न पूछता हूं लेकिन इस बारे में कहते हैं कि जांच चल रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस इलाके में जो सामान्य श्रेणी के काश्तकार हैं, जिन्होंने अपनी किश्तें दे दी और जो सन् 1972 से 1976 के बीच के अलाटीज है उन अलोटीज ने अलॉटमेंट में उस टाइम में किसी भी तरह की कोई नाजायज हरकतें नहीं की परन्तु अधिकारियों ने बाद में सन् 1980 से लेकर 1995 के बीच में अलाटमेंट में गड़बड़ की हैं। तो उनके बहाने यह जो 1972 से 1976 के अलाटीज हैं उनकी भी हमें जांच करनी है और इसलिए उनको पट्टा जारी नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह बात उचित नहीं है। जिस काश्तकार ने अपनी किश्तें पूरी जमा करवा दी है तो उनके बाद टी. आर. ए. का यह फर्ज होना चाहिए कि वह रिपोर्ट करें तहसीलदार को, ए. सी. सी. को; और रिपोर्ट करते ही बाई रजिस्टर्ड पोस्ट उनके घर पर खातेदारी अधिकार का पट्टा भिजवाया जाना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर में बहुसंकाय विश्वविद्यालय खोलने की है, पिछले सत्र में मुझे उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिया था कि हम हर सम्भाग पर बहुसंकाय विश्वविद्यालय खोलेंगे। उन्होंने कोटा में तो खोल दिया पर हमारे बीकानेर में, वहां के विद्यार्थियों ने और पोलीटिकल पार्टीज ने इस बात का आन्दोलन किया कि बीकानेर में बहुसंकाय विश्वविद्यालय खोला जाना चाहिये। इस बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी डेपुटेशन मिला था और उन्होंने इस बात का आश्वासन भी दिया है। मैं समझता हूं इस बात को माननीय मुख्य मंत्रीजी पूरा करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में पूगल

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य खड़े-खड़े बातें नहीं करें। विराजें।

श्री भीमसेन चौधरी : उपनिवेशन तहसील में पाक विस्थापित बसे हुए हैं उन

(श्री भीमसेन चौधरी)

पाक विस्थापितों को बसे हुए करीब 20-25 साल हो गये हैं और उनके एक-एक परिवार में 10-10, 15-15 व्यक्ति थे लेकिन उन्हें एक मुखिया के नाम से जमीन का अलाटमेंट हुआ उसके परिवार के दूसरे जो भूमिहीन काश्तकार हैं उनको अलाटमेंट नहीं हुआ। उनकी दरख्वास्तें दी हुई हैं। पूगल में उनको सामान्य श्रेणी में और पाक विस्थापित व अन्य जो मूल निवासी हैं उनको अलाटमेंट किया जाना चाहिये। इस बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और सरकार विशेष आवंटन में जमीन दिये जा रही है। जमीन विशेष आवंटन में चली जायेगी तो वहां पर मूल निवासियों की समस्या का क्या होगा ? तो मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हू ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार को इस बात का भी ध्यान दिलाना चाहूंगा ? मेरे क्षेत्र खाजूवाला में एक उपखंड कार्यालय और एक रेवेन्यु तहसील खोली। पूगल में भी रेवेन्यू तहसील खोली। यह दोनों काम इन्होंने सही किये है और उसके लिए सरकार को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल सहायता में अभी तक राज्य सरकार ने पशु आहार और चारे के लिए किसी भी तरह के अनुदान की घोषणा नहीं की है। आज चारे का भाव 200 रुपये क्विंटल है। तो वहां अकाल प्रभावित किसान अपने पशुओं का कैसे गुजारा कर सकता है ? इसलिए कम से कम अकाल सहायता में चारे पर और पशु आहार पर अनुदान स्वीकार किया जाना चाहिये।

इसी तरह से हमारे यहां राजस्थान में में प्रकृति के लिहाज से विकास की बहुत सम्भावनाएं हैं। यहां पर खनिज पदार्थ है, जमीन में खनिज पदार्थ हैं, बहुत तादाद में हैं परन्तु उनका दोहन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। यहां पर प्रकृति की देन है, यहां पर सूर्य की रोशनी है, यहां पर गर्मियों में बहुत तेज आंधियां चलती हैं तो उससे पावर जनरेशन का काम किया जाना चाहिये और इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए।

इसके साथ ही हमारे यहां पर, गंगा के फ्लड वाटर के बंटवारे का 20-25 वर्षों से मामला चल रहा है इस बारे में सरकार को कोशिश करके गंगा के फ्लड वाटर के बंटवारे का जल्दी से फैसला करवा कर पानी का उपयोग करना चाहिये। यह हमारे राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी अहम और विकास की बात होगी। इस पानी से राजस्थान के सूखाग्रस्त इलाकों को सिंचाई के साधन मिलेंगे, पेयजल के साधन मिलेंगे। भारत सरकार की नेशनल वाटर रिसोर्सेज डवलपमेंट अथोरिटी है ने इस बात का सर्वे भी किया है कि गंगा के फ्लड वाटर का राजस्थान के 3.9 मिलियन हैक्टेयर मीटर पानी मिल सकता है। गंगा नदी की जो सहायक नदी शारदा है उसके आर. एल. 255 से कैनाल शुरू करके 600 किलोमीटर लम्बी कैनाल बनायी जाकर जो राजस्थान के डिप्रेशंस हैं उनमें पानी इकट्ठा किया जा सकता है और बरसात के

(208)

(श्री भीमसेन चौधरी)

दिनों में भी पानी ग्राता है उस पानी को स्टोर करके हमारे राजस्थान के लोगों को सिंचाई सुविधा दी जा सकती है। कम से कम 18 मिलियन हैक्टेयर जमीन को गंगा फ्लड वाटर से सिंचाई सुविधा दी जा सकती है। इसके ग्रलावा राजस्थान के इलाके की पेयजल की समस्या का समाधान भी हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को इस ग्रोर ध्यान दिया जाना चाहिये।

इसके ग्रलावा उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में ग्राज दस हजार इंजीनियर्स बेरोजगार हैं, डिप्लोमा होल्डर ग्रौर डिग्री होल्डर इंजीनियर बेरोजगार हैं। इसके विपरीत हमारे यहां पर सिचाई विभाग में, पी.एच.ई.डी. में, दूसरे. विभागों में पोस्टें खाली पड़ी हैं। इंजीनियर्स प्रमोशन के लिए ग्रान्दोलन भी करते हैं। 1100 पोस्टें प्रमोशन से जे.ईएन. से ए.ईएन. की भरी जानी चाहिये लेकिन वे पोस्टें नहीं भरी जा रही है। बेरोजगार इंजीनियर के लिए पहले यह व्यवस्था थी कि एक इंजीनियर को 10 लाख रुपये उद्योग धंधे लगाने के लिए कम ब्याज पर ऋण दिया जाता था लेकिन वह योजना विदड्रा कर ली गयी है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 14 मार्च, 1996 के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.00 बजे, गुरुवार 14 मार्च, 1996 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

(अतारांकित प्रश्न संख्या 64 का विवरण)

जिला सवाईमाधोपुर में सन् 94 से 96 तक क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची (94–95)

माध्यमिक से सीनियर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत

वर्ष (94–95)	पंचायत समिति का नाम	विद्यालय का नाम
	सपोटरा	1. सपोटरा (छात्रा)
	टोडाभीम	2. टोडाभीम (छात्रा)
	खण्डार	3. बहरवड़ा खुर्द
	गंगापुर	4. पिलोदा
	हिण्डोन	5. महुल इब्राहिमपुर
	स० माधोपुर	6. भगवतगढ़
	,,	7. कुन्देसरा
	करौली	8. गुडला

वर्ष (94–95) उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत

	हिण्डोन	1. फाजीलाबाद
	गंगापुरसिटी	2. मोहच्चा का पुरा
	खण्डार	3. भेडोला
	बामनवास	4. मोरपा

वर्ष (94–95) प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत

	सवाईमाधोपुर	1. रामंडा
	,,	2. संटूपुरा
	खण्डार	3. कोर्सरारेटातोड
	,,	4. मल्लाहपुरा
	,,	5. डूमोदा
	बोली	6. बडागांव–सरवर

210

वर्ष (94–95)	पंचायत समिति का नाम	विद्यालय का नाम
	बोली	7. झमून
	गंगापुर	8. बाडकला
	,,	9. हिगोटिया
	बामनवास	10. कोलीप्रेमपुरा
	,,	11. गोठ
	नादोती	12. बाडा–पिचनोता
	,,	13. घोलेटा
	,,	14. बडागांव
	हिण्डोन	15. रेवाई
	,,	16. अल्लीपुरा
	,,	17. चांदनगांव
	,,	18. गांवडीमिला
	,,	19. गुसार
	,,	20. घबान
	,,	21. उदेन
	,,	22. भण्डारा (बेरूनी)
	,,	23. अजीजपुर
	करोली	24. अजीजपुर
	,,	25. गुनेश्वरा
	,,	26. काशीपुर
	,,	27. रघुवंशी
	,,	28. कंचनपुर मय तलहटी
	सपोटरा	29. लूडोरा
	,,	30. बिकोलीकला
	,,	31. हरिया का मन्दिर
	,,	32. काला गडा
	,,	33. गुरूडेह
	,,	34. भोण्ड

वर्ष (94–95)	पंचायत समिति का नाम	विद्यालय का नाम
	सपोटरा	35. मोरेठा
	बोली	36. मिश्रपुरा (छात्रा)
	गंगापुर	37. टोकसी (छात्रा)
	हिण्डोन	38. काचरोली (छात्रा)
	नादोती	39. शहर (छात्रा)
	करोली	40. बुन्देशरा
	खन्डार	41. प्रक्षगढ
	,,	42. डागईवाडा

वर्ष 95–96 राजकीय उ०प्रा० विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत

गंगापुर	1. मोहच्चा
सपोटरा	2. माणोरा
बामनवास	3. गंडाल

वर्ष (95–96) राज० माध्यमिक विद्यालय से सा० मा० वि० में क्रमोन्नत

बोली	1. खिरनी

वर्ष (95–96) रा० प्रा० वि० से उ० प्रा० विद्यालय में क्रमोन्नत

करोली	1. भोलूपुरा
,,	2. पीपराली
,,	3. पेटोली
सपोटरा	4. वापोती
,,	5. ओराय
,,	6. बुगडार
टोडाभीम	7. जोल
,,	8. कटारा-अजीज
खण्डार	9. बाजोली
,,	10. नायपुर
बामनवास	11. डाबर

वर्ष (94–95)	पंचायत समिति का नाम	विद्यालय का नाम
	बोली	12. मकसूदपुर
	,,	13. दतुली
	,,	14. थडोली
	गंगापुरसिटी	15. सालोदा
	स० माधोपुर	16. घानोती
	,,	17. नादरदा
	,,	18. कानपुर
	टोडाभीम	19. बाडली
	हिण्डोन	20. रारासायपुर
	,,	21. बायजट
	,,	22. सोमली
	नादोती	23. रीगसपुरा
	हिण्डोन	24. क्षिरना
	सपोटरा	25. नागपुर (डाग क्षेत्र)
	हिण्डोन	26. कागलोरी
	होडामला	27. डोरका
	हिण्डोन	28. फुलवाड़ा
	बामनवास	29. नई बस्ती सुकार

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 65 की सूचना

क्र० सं०	छात्रावास का नाम	छात्र/छात्रा संख्या	रसोईयों की संख्या
1.	बालिका डूंगरपुर	100	4
2.	प्रतिभावान डूंगरपुर	50	2
3.	रघुनाथपुरा	100	4
4.	सुराता	100	4
5.	कहारी	50	2
6.	मालचोकी	50	2
7.	बिछीवाड़ा	50	2
8.	तलैया	100	4
9.	माडा	100	4
10.	सीमलवाड़ा (छात्रा)	100	4
11.	डूंका	100	4
12.	बड़गामा	50	2
13.	रीछा	100	4
14.	पचलासा छोटा	50	2
15.	नोंकना	50	2
16.	खोखारी (छात्र)	100	4
17.	ओबरी (छात्रा)	100	4
18.	चित्रकूट	50	2
योग :–1100 छात्र+300 छात्रा=		1400	56

(214)

परिशिष्ट–3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर)

पर्यटन विभाग द्वारा फर्नीचर की खरीद

67. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा बड़ी मात्रा में वर्ष 1995–96 में फर्नीचर क्रय किया गया ? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि का व किस-किस फर्म से ? फर्नीचर क्रय किये जाने के सम्बन्ध में निविदाएं किस-किस समाचार-पत्र में विज्ञापित करायी गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि सरकारी विभागों/कार्यालयों में किसी भी प्रकार की खरीद से पूर्व सरकार की स्वीकृति के बाद 30 हजार रुपये की खरीद किये जाने के सम्बन्ध में खुली निविदाएं आमन्त्रित करना आवश्यक होता है तथा 10 लाख रुपये की राशि से ज्यादा की खरीद के लिए उच्च स्तरीय समिति की स्वीकृति आवश्यक होती है ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार के निदेशानुसार स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज द्वारा पंजीकृत इकाइयों से फर्नीचर आदि सामान क्रय किये जाने के स्पष्ट आदेश जारी किये हुए हैं ? यदि हां, तो किस रूप में ? यदि नहीं तो निर्धारित प्रक्रिया की पालना न करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1995-96 में नव-निर्मित पर्यटक सूचना केन्द्र और पर्यटक स्वागत केन्द्र हेतु मैं. राजस्थान सेन्ट्रल स्टोर्स (प्रा) लि., जयपुर से "गोदरेज मेक" का फर्नीचर राशि रु. 13.18 लाख का क्रय करने के आदेश दिये है। विभाग के कार्य-कलापों की प्रकृति जिसमें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों एवं पर्यटन उद्यमियों के साथ लौकिक व्यवहार रखना शामिल है, को दृष्टिगत रखते हुए गोदरेज फर्नीचर को क्वालिटी को गठित विभागीय समिति द्वारा आवश्यकताओं के अनुरूप पाये जाने के कारण एकल निविदा के आधार पर सक्षम स्वीकृति की प्रत्याशा में क्रय आदेश दिया गया।

(2) 30000/– रुपये से अधिक राशि को सामग्री क्रय करने के लिये खुली निविदायें आमन्त्रित करना साधारणत: आवश्यक है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 50 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा विभागीय क्रय समिति गठित करना सरकार के स्वविवेक पर आधारित है।

(3) जी हां। स्टील फर्नीचर आदि क्रय करने के लिये आदेश है। जी.एफ.एण्ड ए.आर. के सम्बन्धित नियम एवं परिशिष्ट की प्रति संलग्न है।

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

(4) प्रश्न के भाग सं. 1 में उल्लेखित कारणों से गोदरेज फर्नीचर क्रय किये जाने का आदेश एकल निविदा के आधार पर सक्षम स्वीकृति की प्रत्याशा में दिया गया है, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्र

68. श्री पूनम चन्द विश्नोई (फलौदी) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार रेगिस्तान के नागौर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर जिलों जहां नहरें अथवा अन्य सिंचाई के स्रोत नहीं है, को उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार उत्तराखण्ड को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है, उसी आधार पर पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सरकार द्वारा रेगिस्तानी जिलों में विकास भौगोलिक परिस्थितियों से पिछड़ेपन के कारण मरू विकास कार्यक्रम वर्ष 1978-79 से चलाया जा रहा है। उल्लेखित जिलों के विकास हेतु पूर्व से ही विशेष विकास कार्यों पर राशि व्यय की जा रही है तथा इन्दिरा गांधी नहर आदि में हो रहे विनियोजन से भी क्षेत्र का विकास हो रहा है। इस प्रकार पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने का उद्देश्य पूरा करने का प्रयत्न हो रहा है। अतः इन रेगिस्तानी जिलों को उत्तराखण्ड के समान पृथक से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की राज्य सरकार अभी आवश्यकता महसूस नहीं करती है।

निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन हेतु आशय पत्र

69. श्री हरिसिंह (महुआ), श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) एवम् श्री बनवारी लाल भिण्डा (फतेहपुर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कुछ कम्पनियों को आशय पत्र जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस कम्पनी को किस-किस स्थान पर ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नेप्था, गैस, सौर ऊर्जा एवं लिग्नाइट के आधार पर ऊर्जा उत्पादन के लिए किस-किस कम्पनी को किस-किस स्थान पर ऊर्जा उत्पादन के आशय पत्र जारी किये गये ? राज्य विद्युत मण्डल या सरकार द्वारा विभिन्न कम्पनियों के साथ किये गये समझौतों में क्या-क्या शर्तें तय की गई हैं ? शर्तों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(216)

(श्री बनवारीलाल भिण्डा)

(3) प्रत्येक की उत्पादन क्षमता क्या होगी ? इनके द्वारा कब तक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वांच्छित सूचना परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) सूचना उपरोक्त परिशिष्ट "अ" में दर्शा दी गयी है। उक्त कम्पनियों को जारी आशय पत्रों की मुख्य बातें परिशिष्ट "अ" में दी गयी हैं व अन्य शर्तों के लिये लघु 100 मेगावाट व सौर ऊर्जा पर आधारित आशय पत्रों की एक-एक प्रति परिशिष्ट "ब" "स" व "द" सदन के पटल पर रखा दी गयी हैं।

(3) उपरोक्त परिशिष्ट "अ" में प्रत्येक कम्पनी की उत्पादन क्षमता तथा स्थापना की तिथि भी दर्शायी गयी है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

रावतभाटा में भूमि विकास बैंक की स्थापना

70. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रावतभाटा स्थित भूमि विकास बैंक की शाखा बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बैंक की शाखा बन्द होने से रावतभाटा की जनता को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनता की सुविधा को दृष्टि में रखकर रावतभाटा में पुनः उक्त बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि रावतभाटा स्थित भूमि विकास बैंक, चित्तौड़गढ़ की शाखा को दिनांक 22.10.92 को बन्द कर दी गयी थी। क्योंकि सहकारी विभाग, राज. जयपुर के आदेश क्रमांक फा./48 (3) सविरा/भूबैंक/जनरल/91 दिनांक 22.1.92 के द्वारा भूमि विकास बैंक की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु एक कमेटी का गठन संयुक्त रजिस्टार, सहकारी समितियां, उदयपुर की अध्यक्षता में किया गया। उक्त कमेटी द्वारा दिनांक 12.2.92 को बैंक की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूर्ण समीक्षा की गयी। समीक्षा में प्रधान कार्यालय, चित्तौड़गढ़ से शाखाओं की दूरी, विभाग की स्वीकृति गत तीन वर्षों की मांग वसूली व बकाया, ऋण वितरण, कुल बकाया ऋण, प्रशासनिक नियंत्रण व खर्चों आदि बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए ही उक्त कमेटी ने तीन शाखाओं रावतभाटा, राशमी व गंगरार को संस्था के हित में बंद करना उचित समझा। तत्पश्चात् प्रशासक की स्वीकृति प्राप्त कर उक्त तीनों शाखाओं को बन्द किया गया। जिसमें रावतभाटा शाखा भी

(राज्य मंत्री सहकारिता)

सम्मिलित है। रावतभाटा शाखा को उसकी नजदीकी शाखा—बेगूं में समाहित किया गया।

(2) जी, नहीं।

राजसमन्द क्षेत्र औषधालयों के रिक्त पद

71. श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राजसमन्द एवं रेलमगरा तहसील में संचालित औषधालयों में कहां-कहां पर वैद्य एवं उपवैद्यों के पद रिक्त हैं ? इनकी पूर्ति कब तक करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

राजसमन्द तहसील में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालय में आयुर्वेद चिकित्सक का कोई पद रिक्त नहीं है तथा कम्पाउण्डर (उपवैद्य) के पद निम्न दो औषधालयों में रिक्त हैं :-

(1) फरारा

(2) पसुनावली

रेलमगरा तहसील में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालय में आयुर्वेद चिकित्सक व कम्पाउण्डर के पद निम्न औषधालयों में रिक्त है :-

चिकित्सक

(1) पनोतिया

(2) गोगाथला

कम्पाउण्डर

(1) पछमता

(2) घनेरिया

आयुर्वेद चिकित्सकों की नवीन नियुक्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थियों की सूची प्राप्त हो गयी है तथा रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही चल रही है।

कम्पाउण्डर के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सेवा नियमों में संशोधन करना विचाराधीन है इसके उपरान्त ही नवीन नियुक्ति उपरान्त रिक्त पद भरना सम्भव हो सकेगा।

कृषि उपज मण्डी समिति, केशवरायपाटन

72. श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बून्दी जिले की केशवरायपाटन कृषि उपज मण्डी समिति क्षेत्र में गत वर्षों में 40 लाख रुपयों के लागत की सड़कें स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो कितनी राशि किन-किन सड़कों पर व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सड़कें अभी तक अधूरी ही हैं ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(218)

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

(3) क्या सरकार मण्डी की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण विशेष अनुदान राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) यदि हां, तो कब तक एवं कितनी राशि किन-किन सड़कों के लिये स्वीकृत की जायेगी।

उत्तर

(1) जी हां। सड़कों के निर्माण पर स्वीकृति एवं व्यय का विवरण निम्न प्रकार है—

(राशि लाख रुपयों में)

क्र सं.	नाम सम्पर्क सड़क	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
1.	सम्पर्क सड़क केशवरायपाटन के अनन्तपुरा रोड़	8.00	9.04
2.	सं० स० केशवरायपाटन से माधोराजपुरं	12.00	2.30
3.	सं० स० श्रीपुरा	4.00	0.01
4.	सं० स० हिंगोनिया	6.00	0.02
5.	स० स० कोटड़ी	4.00	0.63
6	सं० सं० कँवरपुरा वाया बाजड़ली	6.00	0.40
		40.00	12.40

(2) उपरोक्त सड़कों में से क्र० सं० 1 पर अंकित सम्पर्क सड़क केशवरायपाटन कांपरेन रोड से अनन्तपुरा पूर्ण हो चुकी है तथा शेष 5 सड़कें अभी अपूर्ण हैं। सड़कों का कार्य पूर्ण न होने का मुख्य कारण मण्डी समिति के पास निर्माण हेतु धन राशि उपलब्ध नहीं होना है।

(3) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दिनांक 3.11.93 को 16 लाख रु. का अनुदान स्वीकृत किया गया था जिसमें से 6 लाख का भुगतान वर्ष 03–94 में मण्डी समिति को किया गया था तथा तथा शेष राशि रु 10 लाख का भुगतान वर्ष 95–96 में कर दिया गया है। परन्तु इस राशि से भी स्वीकृत सभी सड़कों को पूर्ण नहीं कराया जा सकता।

(4) पांच अधूरी सड़कों की लम्बाई स्वीकृति के अनुसार 8 कि०मी० है परन्तु वास्तविक लम्बाई 13.80 कि० मी० है जिसे वर्तमान लागत के अनुसार पूर्ण कराने हेतु रु. 123.70 लाख की आवश्यकता होगी। आगामी दो वित्तीय वर्षों में भी

(राज्य मंत्री, कृषि)

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार मण्डी समिति केशवरायपाटन को राज्य स्तरीय सड़क विकास कोष से लगभग रु. 30 लाख का अधिकतम अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा। इस प्रकार आगामी दो वित्तीय वर्षों में उपलब्ध कुल अनुदान राशि को देखते हुए सम्पर्क सड़क माधोराजपुरा का निर्माण जिसकी वास्तविक लम्बाई 4.50 कि॰मी॰ एवम् अनुमानित लागत रु. 40.50 लाख है, कराया जाना एवम् शेष चार सड़कों की स्वीकृति धनाभाव के कारण निरस्त किया जाना प्रस्तावित है।

किशनगढ़ (अजमेर) मार्बल क्षेत्र की भूमि पर अवैध खातेदारी

73. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हरमाड़ा रोड, किशनगढ़ (अजमेर) के मार्बल एरिया में स्थित सांवतसर पटवार हल्का की खसरा नम्बर 246 की करीब 4 बीघा बंजर (सैकण्ड बिलानाम) सरकारी भूमि को फर्जी एवं मृत व्यक्ति को वादी एवं प्रतिवादी बनाकर अवैध खातेदारी प्रदान कर दी गई ?

(2) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसमें दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) सरकार इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) प्रश्नगत भूमि को फर्जी एवं मृत व्यक्तियों को वादी एवं प्रतिवादी बनाकर अवैध खातेदारी हासिल करने की जांच संभागीय आयुक्त, अजमेर के द्वारा किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

(2) जांच में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी पाया जावेगा, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 24.7.95 के विरुद्ध तहसीलदार, किशनगढ़ (लैण्ड होल्डर) के माध्यम से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स न्यायालय कलक्टर, अजमेर के यहां प्रस्तुत किया गया है, जिसकी आगामी तिथि 21·3·96 नियत है, न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय (अल्पभाषा) अजमेर में प्रवेश प्रकरण

74. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1993 से अब तक की अवधि में शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय (अल्पभाषा) अजमेर में प्रवेश लेने के लिये विकलांग व्यक्तियों ने भी आवेदन

(श्री रामनारायण मीणा)

पत्र प्रस्तुत किये हैं। यदि हां, तो विकलांगता प्रतिशत सहित वर्षवार नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या आवेदन पत्र के साथ विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये हैं ? यदि हां; तो प्रस्तुत प्रमाणपत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रवेश के लिये कोटा निर्धारित है ? यदि हां, तो कितना व किस नियम के तहत ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि नियमों की पालना नहीं कर कुछ विकलांग आवेदकों को प्रवेश नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार दाखिलों से वंचित रहे आवेदनकर्ताओं को राहत प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1993 से अब तक की अवधि में शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय (अल्प भाषा) अजमेर में प्रवेश हेतु विकलांग व्यक्तियों से प्राप्त आवेदन पत्रों की वर्षवार नामजद सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी, हां। प्रमाण पत्रों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) जी, नहीं। विकलांग कोटे में प्रवेश के लिए आशार्थी के विकलांग होने का आधार आशार्थी के पक्ष में सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र को माना जाता है।

(4) जी, नहीं। ऐसा कोई आशार्थी नहीं है जो प्रवेश नियमों की पालना नहीं करने के कारण प्रवेश से वंचित रहा हो। विकलांग आशार्थियों की उनके लिए आरक्षित सीटों हेतु उनके अंकों के प्रतिशत के आधार पर पृथक से वरीयता बनायी जाती है और उस वरीयता सूची में अधिकतम प्राप्तांकों वाले आशार्थी को विकलांगों के लिए आरक्षित सीटों पर प्रवेश दिया जाता है।

(सूची एवं प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

उपयोजना क्षेत्र के ग्रामों में विद्युत कनेक्शन

75. **श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) :** क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जन-जाति समुदाय के व्यक्तियों के घरों को विद्युतीकृत करने के लिए कोई योजना हाथ में ली गई है ? यदि हां, तो वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में उप योजना क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत समिति के कितने क्षेत्र में कितने-कितने गांवों में बिजली पहुंचायी गयी ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां । वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में जनजाति उपयोजना क्षेत्र में पंचायत समिति खैरवाड़ा में 15, झाड़ोल में 16, डूंगरपुर में 11, प्रतापगढ़ में 9 एवं अरनोद में 4 कुल 55 गांवों में बिजली पहुंचाई गयी है। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

जिला एवं पंचायत समितिवार सूची

जिला	पंचायत समिति	ग्राम का नाम
1	2	3
1. उदयपुर	झाडोल	1. कोट
		2. पानरवा
		3. पारवन
		4. लाथूनी
		5. अम्बवी (डैया)
		6. गरनवास
		7. टीन्डोरी
		8. हूण्डला
		9. बूजा
		10. डैया
		11. कावेल
		12. मानपुर
		13. खजूरता
		14. खेरड
		15. मानकारी
		16. बीजली
	खैरवाडा	1. लीलरी
		2. कानपुर
		3. लराठी
		4. समदार
		5. लाम्बा पानवा
		6. खनिया लोमरी
		7. पारपुर

(222)

1	2	3
		8. बागपुर
		9. निचला फला
		10. भटारिया
		11. अनेला
		12. कनवाई
		13. सुखपुरा
		14. जायरा
		15. महुवाल
2. डूंगरपुर	डूंगरपुर	1. सतोरा
		2. नवगांव
		3. विजयापुरा
		4. बागेरी का वेला
		5. तोरनीया
		6. पारडी उदारत
		7. गडा रोडा
		8. डूंगला तालाब
		9. लाम्बा खूंटा
		10. खेडा
		11. देबरी
3. चित्तौड़गढ़	अरनोद	1. रामझारा
		2. पदमपुर
		3. शंभुपुरा
		4. लाम्बा घाटा
	प्रतापगढ़	1. सीतामगरी
		2. नारडा
		3. सागथल
		4. छोटी लंक
		5. बंबोरी छोटी
		6. बंबोरी बडी
		7. पीपलखेडी
		8. सामंतपुरा
		9. प्रया का पठार

विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में "कुटीर ज्योति" योजनान्तर्गत विद्युत कनेक्शन

76. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा जिला उदयपुर में कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 व 1995-96 में कितने विद्युत कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य था? लक्ष्य के तहत कितने कनेक्शन दिये गये? लक्ष्यों सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि लक्ष्यों के अनुसार कनेक्शन नहीं दिये गये? यदि हां, तो कनेक्शन नहीं दिये जाने के क्या कारण रहे? क्या सरकार निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार मार्च, 1996 के पूर्व सभी कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा जिला उदयपुर में कुटीर ज्योति के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयनित परिवारों की सूची मंडल को उपलब्ध नहीं कराने के कारण लक्ष्य आवंटित नहीं हुये। वर्ष 1995-96 में विधान सभा क्षेत्र सराड़ा की पंचायत समिति सराड़ा में 98 कनेक्शन देने का लक्ष्य आवंटित किया गया है। यह सूची पंचायत समिति द्वारा अक्टूबर, 1995 में उपलब्ध कराई गई। अभी तक 33 लाभार्थियों को कनेक्शन दिये जा चुके हैं। चूंकि समय कम मिला है अतः प्रारम्भ में प्रगति कम रहना स्वाभाविक है परन्तु आशा है कि लक्ष्यों के अनुसार कार्य हो जावेगा। लाभार्थियों की सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) वर्ष 1995-96 में आवंटित लक्ष्यों के अनुरूप कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

वर्ष 1995-96 में कुटीर ज्योति के अन्तर्गत सराड़ा में जारी विद्युत कनेक्शनों की सूची

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम	गांव का नाम	कैटेगरी
1.	केशा/भीमा मीणा	नान्डया	एसटी
2.	रता/माना मीणा	,,	,,
3.	गोवना/हिरा मीणा	,,	,,
4.	हरजी/नाथू मीणा	,,	,,
5.	होमा/नाथू मीणा	,,	,,
6.	नारा/डूंगरा मीणा	केवड़ाखुर्द	,,
7.	लोगर/काना मीणा	,,	,,

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम	गांव का नाम	केटेगिरी
8.	भेरा/ज्योता मीणा	केवड़ाखुर्द	एसटी
9.	देवा/कालू मीणा	,,	,,
10.	बाबू/कालू मीणा	,,	,,
11.	पिरा/गंगाराम सालवी	झाड़ोल	एससी
12.	जगदीश/भेरा बुनकर	,,	,,
13.	नाथू/धुन्ना बलाई	डिगरी	,,
14.	धन्ना/धुला बलाई	बन्डोली	,,
15.	बेला/रूपा सालवी	तेणा	,,
16.	शंकर/रूपा सालवी	,,	,,
17.	मोहन/शंकर खटीक	सेमडी	,,
18.	रूपा/भेरा मेघवाल	,,	,,
19.	नेवा/काना मेघवाल	,,	,,
20.	खेमा/रूपा मेघवाल	,,	,,
21.	बाला/राम मेघवाल	,,	,,
22.	गम्भीरा/गौजा सालवी	झाडोल	,,
23.	त्रिलोक चंद/मोगरा सालवी	,,	,,
24.	गोयिन्दा/डूंगा सालवी	,,	,,
25.	कालू/नाथू सालवी	,,	,,
26.	पदमा/नाथू सालवी	,,	,,
27.	डाभा/रोडा डांगी	डिगरी	जनरल
28.	पदमा/भापा डांगी	,,	,,
29.	भीमराज/बालजी डांगी	,,	,,
30.	देवा/बेला डांगी	,,	,,
31.	कमलकंवर/मोहनसिंह	सेमारी	,,
32.	अमरा/दला डांगी	डिगरी	,,
33.	कालूलाल/देवचंद जेना	,,	,,

ब्रज महोत्सव, भरतपुर

77 श्री गोपी चन्द (नगर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ब्रज महोत्सव मनाये जाने हेतु भरतपुर में किसी संस्था द्वारा जिला कलक्टर, भतरपुर को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है ? यदि हां, तो आवेदन-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों की जांच की गयी ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि बिना तथ्यों की जांच कराये जिला कलक्टर, भरतपुर के उक्त संस्था को सहायता राशि दिलवाये जाने हेतु विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी एजेन्सियों को अर्द्धशासकीय पत्र लिखने का निर्णय लिया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या ब्रज महोत्सव में शामिल कार्यक्रम ब्रज संस्कृति से सम्बन्धित हैं ?

उत्तर

(1) जिला कलक्टर भरतपुर ने उनके पत्र दिनांक 9.10.95 के द्वारा मित्र मण्डली तरुण समाज समिति भरतपुर का आवेदन वर्ष 1995–96 के कार्यक्रम हेतु अनुदान स्वीकृति के लिए अपनी अभिशंषा के साथ कला एवं संस्कृति विभाग को भेजा था, जिसकी प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।..

(2) आवेदन पत्र जिला कलक्टर भरतपुर की अभिशंषा के साथ प्राप्त हुआ था। अतः इसमें अन्य जांच कराना आवश्यक नहीं समझा गया।

(3) जिला कलक्टर भरतपुर ने अपनी सन्तुष्टि करने पर अपने स्तर से सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को अर्द्धशासकीय पत्र लिखे थे।

(4) जी, हां। ब्रज महोत्सव में शामिल कार्यक्रम ब्रज एवं राजस्थानी संस्कृति के अन्तर्गत ही है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

तारांकित प्रश्न संख्या 78
(स्थगित)

डेगाना (नागौर) में संचालित सेवा सहकारी समितियां

79. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील डेगाना (नागौर) में कितनी सेवा सहकारी समितियां कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समितियों के अंकेक्षण के क्या नियम निर्धारित हैं ? क्या यह सही है कि इनका अंकेक्षण समय पर नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) जिस संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया गया है क्या उसके खिलाफ विभाग

226

(श्री रिखपाल सिंह)

कोई कार्यवाही करता है ? यदि हां, तो ऐसी कितनी संस्थायें हैं, जिनके खिलाफ कार्यवाही की गई ?

(4) डेगाना में कार्यरत युवा सेवा समिति, नामदेव सेवा समिति एवं ठेका श्रमिक संघ का गठन कब हुआ ? इनका अंकेक्षण हुआ या नहीं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील डेगाना में कुल 25 विभिन्न सेवा सहकारी समितियां कार्यरत हैं। सूची (परिशिष्ट–1) पर संलग्न है।

(2) उक्त समितियों का अंकेक्षण राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 68 एवं राजस्थान सहकारी संस्था नियम, 1966 के नियम 71 के प्रावधानों के अनुसार कराया जाता है। जी, नहीं।

(3) चूंकि समस्त कार्यरत सेवा सहकारी समितियों का अंकेक्षण निरन्तर कराया जा रहा है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(4) युवा सेवा समिति व नामदेव सेवा समिति की सूचना निम्न प्रकार है :–

पंजीकृत नाम संस्था	राजस्थान संस्था अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकरण संख्या व वर्ष
1. युवा सेवा समिति डेगाना जंक्शन	63/नागौर/88–89
2. नामदेव सेवा संस्थान, डेगाना जंक्शन	32/नागौर/94–95

डेगाना में श्रमिक ठेका संघ के नाम से कोई भी संस्था पंजीकृत नहीं है।

उक्त दोनों संस्थायें सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के तहत पंजीकृत हैं। अतः प्रावधानों के अनुसार इनका आडिट विभाग द्वारा नहीं कराया जाता है।

तहसील डेगाना (नागौर) में कार्यरत सेवा सहकारी समितियों की सूची

क्रमांक	नाम समिति	प्रकार
1.	हरसोर कृषक सेवा स.स.लि.	चालू
2.	चांदारण वृहत बहुधंधी सेवा स.स.	,,
3.	डेगाना गांव ग्राम सेवा स.स.	,,
4.	जालसू नानेम ,,	,,

क्रमांक	नाम समिति		प्रकार
5.	तेजाजी पुन्दलोत गांव ग्राम सेवा स.स.		चालू
6.	मांझी	,,	,,
7.	जासेडा	,,	,,
8.	बवरला	,,	,,
9.	ढाढरियाकला	,,	,,
10.	सिरासरा	,,	,,
11.	सांजू	,,	,,
12.	सारसण्डा	,,	,,
13.	हिरणी की ढाणी	,,	,,
14.	माकेली "बी"	,,	,,
15.	पालडी कला	,,	,,
16.	बिखरनिया कला	,,	,,
17.	सांवलियाबास	,,	,,
18.	खुडीकला	,,	,,
19.	बोलियाबास	,,	,,
20.	हडवा	,,	,,
21.	पालियां	,,	,,
22.	डेगाना जंक्शन	,,	,,
23.	नथावडा	,,	,,
24.	बरना	,,	,,
25.	लंगोट	,,	,,
26.	चांदनी	,,	,,
27.	गुंएसली	,,	,,
28.	बुंटाटी	,,	,,

राज्य में संचालित आयुर्वेद कालेज

80. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने आयुर्वेद कालेज कहां-कहां पर संचालित हैं तथा इसमें कितने कितने विद्यार्थी अध्ययनरत है तथा इनमें कितनी-कितनी सीटें हैं ? विगत तीन वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन कालेजों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के लिये किसी प्रकार की कोई योग्यता निर्धारित है ? यदि हां, तो कौन-कौनसी शैक्षणिक योग्यतायें कौन-कौन से विषय में होना जरूरी है तथा इससे पूर्व क्या-क्या योग्यताएं निर्धारित थी ?

(3) उक्त कालेजों में प्रवेश के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ? क्या कोई विशेष परीक्षा होती है ? यदि हां, तो कौन-सी, किस प्रकार से ?

(4) उक्त कालेजों पर सरकार का प्रति वर्ष कुल कितना खर्च होता है ? कालेजवार विगत तीन वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में 5 आयुर्वेद कालेज हैं। इनका विवरण, प्रवेश क्षमता व अध्ययनरत छात्रों का तीन वर्ष का विवरण परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी, हां। पत्र 1995–96 के लिये आयुर्वेदाचार्य प्रथम व्यवसायिक में प्रवेश हेतु निम्न योग्यता निर्धारित है :–

विज्ञान (भौतिक शास्त्र, रसायन-शास्त्र व जीव विज्ञान (तथा संस्कृत सहित सीनियर सैकण्डरी परीक्षा (बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण जहां 12 वीं कक्षा (जीव विज्ञान वर्ग) में वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत की शिक्षा का प्रावधान और सुविधायें उपलब्ध नहीं है वहां 12 वीं कक्षा (जीव विज्ञान वर्ग) के छात्रों को प्रवेश दिया जावे और संस्कृत को मुख्य पाठ्यक्रम में पढ़ाया जावे।

अथवा

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की विज्ञान एवं अंग्रेजी सहित उत्तर मध्यमा।

अथवा

राजस्थान विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त सत्यम परीक्षा उत्तीर्ण। पूर्व में राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु निम्न योग्यता निर्धारित कर रखी थी :–

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर हायर सैकण्डरी परीक्षा विज्ञान (जीव विज्ञान विषय के साथ) या ऐच्छिक संस्कृत विषय के साथ या सीनियर उपाध्याय परीक्षा (अंग्रेजी सहित) उत्तीर्ण या राजस्थान विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त सत्यम परीक्षा उत्तीर्ण।

(3) आयुर्वेदाचार्य प्रथम व्यवसायिक में प्रवेश हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा विज्ञप्ति प्रसारित कर प्री-आयुर्वेद टेस्ट का आयोजन किया जाता

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

है। इस प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण आशार्थियों को वरीयता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।

(4) उक्त कालेजों पर राज्य सरकार की जो राशि व्यय हुई है उसका कालेजवार तीन वर्ष का विवरण परिशिष्ट "म" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

क्रम सं.	कालेज का नाम	स्वामित्व	प्रवेश क्षमता
1	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर	केन्द्र सरकार का संस्थान	60 स्नातक परीक्षा 45 स्नातकोत्तर परीक्षा
2	राजकीय आयुर्वेद महा-विद्यालय, उदयपुर	राजकीय	60 स्नातक परीक्षा 15 स्नातकोत्तर परीक्षा
3	श्री भंवरलाल दूगड आयुर्वेद विश्वभारती, सरदार शहर (चूरू)	निजी	50 स्नातक परीक्षा
4	श्री परशुराम पुरिया, आयुर्वेद महाविद्यालय, सीकर	निजी	60 स्नातक परीक्षा
5	मोहता आयुर्वेद महा-विद्यालय, शार्दूलपुर (चूरू)	निजी	50 स्नातक परीक्षा

वर्षवार अध्ययनरत छात्रों की संख्या

		1993–94	1994–95	1995–96
1	स्नातक परीक्षा	204	196	147
	स्नातकोत्तर परीक्षा	126	109	118
2	स्नातक परीक्षा	281	219	141
	स्नातकोत्तर	27	28	34
3	स्नातक परीक्षा	214	170	120
4	स्नातक परीक्षा	258	193	112
5	स्नातक परीक्षा	213	172	117

230

राज्य सरकार द्वारा व्यय की गयी / अनुदान दी गयी राशि
(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	कालेज का नाम	1992–93	1993–94	1994–95	1995–96
1	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	13·68	13·68	13·68	—
2	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर	79·23	87·04	98·45	90·21 जन. 96 तक
3	श्री भंवरलाल दूगड आयुर्वेद विश्वभारती सरदारशहर (चूरू)	10·33	12·48	16·30	—
4	श्री परशुरामपुरिया आयुर्वेद महाविद्यालय सीकर	5·04	5·54	8·25	—
5	मोहता आयुर्वेद महाविद्यालय शार्दूलपुर (चूरू)	8·23	9·56	12·29	—

विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्रामों में भू-संरक्षण कार्यों पर व्यय

81. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या कृषि (भू-संरक्षण) राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील बौंली एवं बामनवास क्षेत्र में किन-किन स्थानों के लिए भू-संरक्षण कार्यों पर वर्ष 1993–94, 1994–95 एवं 1995–96 में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ? तहसीलवार एवं ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में किन-किन कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ?

(3) क्या उपरोक्त वर्षों में भू-संरक्षण का कार्य ठेकेदारों से करवाया गया है ? यदि हां, तो किस-किस कार्य का किस-किस ठेकेदार को कितना-कितना भुगतान किया गया ?

उत्तर

(1) जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा तहसील बौंली एवं बामनवास क्षेत्र में चलाये जा रहे जल ग्रहण विकास कार्यों पर वर्ष 1993-94, 1994-95 एवं 1995-96 में स्वीकृत राशि एवं लाभान्वित ग्रामों की सूची निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	तहसील	कार्य का नाम	वर्षवार स्वीकृत राशि लाखों में			लाभान्वित ग्राम
			93-94,	94-95,	95-96	
1.	बामनवास	जल ग्रहण क्षेत्र भांवरा	12.91	21.02	25.00	1. भांवरा 2. सुकार 3. दुजई 4. चंदनाई 5. भ्रमावरा
2.	बौंली	जल ग्रहण क्षेत्र शीशोलाव	9.00	18.00	25.00	1. शीशोलाव 2. जयलालपुरा 3. कोलाड़ा 4. गोलपुर

(2) उक्त अवधि में व्यय की गई राशि एवं उपचारित क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	कार्य का नाम	वर्षवार व्यय राशि (लाखों में) एवं उपचारित क्षेत्र (हैक्टर में)					
		1993-94		1994-95		1995-96 (माह फरवरी, 96 तक)	
		व्यय राशि	उपचारित क्षेत्र	व्यय राशि	उपचारित क्षेत्र	व्यय राशि	उपचारित क्षेत्र
1.	जल ग्रहण क्षेत्र भांवरा	12.91	400	21.02	570	11.50	450
2.	जल ग्रहण क्षेत्र शीशोलाव	6.57	150	19.18	380	9.68	165

(3) जी, नहीं। जल ग्रहण क्षेत्रों में सभी कार्य विभाग के तकनीकी मार्ग दर्शन में कृषक स्वयं अथवा ग्रामवासियों द्वारा गठित यूजर्स समिति द्वारा किया गया है। विभाग द्वारा भुगतान भी सम्बन्धित कृषक अथवा यूजर्स समिति को किया गया है।

काश्तकारों को उत्तराधिकारी म्यूटेशन

82. श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकार ने वर्ष 1994-95 में किस-किस महीने में कितने दिन म्यूटेशन खोलने का आदेश दिया ?

(2) क्या यह भी सही है कि बांसवाड़ा जिले के उत्तराधिकार काश्तकारों के म्यूटेशन खोलने के आदेश आज भी नहीं हैं ? केवल कामर्शियल म्यूटेशन ही खोलने के आदेश क्यों दिये जाते हैं ? क्या सरकार काश्तकारों के उत्तराधिकारी म्यूटेशन 12 महीने खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य निर्देश दिनांक 23-5-94 के द्वारा भू-प्रबन्धाधीन 23 तहसीलों में नामान्तरकरण तस्दीक करने की अवधि तहसीलों में 31-5-94, 14 तहसीलों में 31-7-94 एवं तीन तहसीलों में 30-9-94 निश्चित की थी, उसके पश्चात् भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा बैंक से ऋण लेने व उद्योग व्यापार हेतु 17 तहसीलों हेतु उक्त अवधि दिनांक 19-12-94 तक बढ़ायी गयी तत्पश्चात् 14 तहसीलों के लिए उक्त अवधि दिनांक 30-4-96 तक बढ़ायी गयी है। शेष तहसीलों में भू-प्रबन्ध संक्रियाएं समाप्त की जाकर रिकार्ड सम्बन्धित जिलाधीश को संभलाया जा चुका है/जा रहा है।

(2) जी, नहीं। जिला बांसवाड़ा की तहसील कुशलगढ़, गढ़ी व बांसवाड़ा में किसी प्रकार के नामान्तरकरणों पर प्रतिबन्ध नहीं है। बांसवाड़ा जिले की तहसील घाटोल व बागीदोरा ही वर्तमान में भू-प्रबन्धाधीन है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 23-5-94 के परिशिष्ट "अ" में तहसील घाटोल व बागीदोरा में नामान्तरकरण तस्दीक करने हेतु अवधि 31-7-94 निश्चित थी, लेकिन निर्धारित तिथि निकल जाने के पश्चात् जिला प्रशासन जनप्रतिनिधियों एवं काश्तकारान् की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बैंक से ऋण लेने व उद्योग व्यापार से सम्बन्धित नामान्तरकरण की अवधि अब अप्रेल, 1996 तक बढ़ाई गई है। परिपत्र की छाया प्रति संलग्न है। तहसील घाटोल व बागीदोरा का भू-प्रबन्ध कार्य शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं। जैसे कार्य पूर्ण होकर भू-प्रबन्ध का अभिलेख जिला प्रशासन को संभलाया जावेगा, उसके पश्चात् समस्त प्रकार के नामान्तरकरण (म्यूटेशन) पर जिला प्रशासन कार्यवाही कर सकेगा।

राजस्थान सरकार

भू-प्रबन्ध विभाग

क्रमांक–भूप्रअ/भूकर/11/11/14/93/पार्ट–IIए/695 जयपुर, दिनांक 26-2-96

परिपत्र

नामान्तरकरण तस्दीक करने बाबत 30 दिसम्बर तक बढ़ाई अवधि 30 अप्रेल, 1996 तक

(1) 2 नवम्बर 95, को नामान्तरकरण तस्दीक करने सम्बन्धी परिपत्र 11 तहसीलों में चल रही भू-प्रबन्ध संक्रियाओं के बारे में जारी किया था। विभागीय अधिकारियों को सम्बन्धित कलक्टर के माध्यम से 30 दिसम्बर तक ही नामान्तरकरण आवेदन-पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिये गये थे। प्रशासनिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि सम्बन्धित कलक्टर के माध्यम से प्राप्त नामान्तरकरण के आवेदन पत्र 30 अप्रेल तक स्वीकार किये जावें एवं ऐसे प्राप्त सभी नामान्तरकरण अविलम्ब ही तस्दीक कर दिये जावें।

(2) यह स्पष्ट किया जाता है कि 30 अप्रेल, 96 के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी। जिन 11 तहसीलों हेतु नामान्तरकरण स्वीकार किये जावेंगे वे निम्न प्रकार हैं :—
(1) आमेर (2) अजमेर (3) बसवा (4) नसीराबाद (5) केकड़ी (6) झुन्झुनूं (7) सवाईमाधोपुर (8) केशोरायपाटन (9) सहाड़ा (10) घाटोल (11) बागीदोरा (12) तहसील बीकानेर 33 डी-कोलोनाइज्ड ग्राम)

(3) यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 4 मई, 95 के परिपत्र में उल्लेखित मापदण्ड यथावत रहेंगे अर्थात् नामान्तरकरण 3 प्रयोजन हेतु ही बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण, उद्योग हेतु अथवा व्यापार हेतु स्वीकार किये जावेंगे। सम्बन्धित तहसीलदार इस बढ़ाई गई अवधि में नामान्तरकरण के आवेदन जिला कलक्टर के माध्यम से

234

सम्बन्धित भू-प्रबन्ध अधिकारी निर्धारित अवधि में भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

(4) सम्बन्धित जिला कलक्टर कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि विभाग को नामान्तरकरण आवेदन-पत्र माह में केवल दो बार ही भेजे जावें अर्थात् 15 मार्च, 31 मार्च, 15 अप्रेल, एवं 30 अप्रेल । विभागीय अधिकारी प्राप्त नामान्तरकरण का एक सप्ताह में निपटारा कर सम्बन्धित जिलाधीश को सूचित करेंगे ।

ह०/–
भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर ।

राजस्थान सरकार

भू-प्रबन्ध विभाग

क्रमांक-भूप्रबा/रामु/भूकर/11/11/14/93/पार्ट-II ए/804 जयपुर, दिनांक 27-2-96

परिपत्र

नामान्तरकरण तस्दीक करने की अवधि 30 अप्रेल, 96 तक

(1) तहसील-सांचोर एवं बयाना में नामान्तरकरण तस्दीक करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिला कलक्टर के माध्यम से प्राप्त नामान्तरकरण प्रार्थना-पत्र काश्तकारों की सुविधा एवं प्रशासनिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि सम्बन्धित जिला कलक्टर के माध्यम से प्राप्त नामान्तरकरण के आवेदन-पत्र 30 अप्रेल, 1996 तक स्वीकार किये जावे एवं ऐसे प्राप्त सभी नामान्तरकरण अविलम्ब तस्दीक कर दिये जावें।

(2) यह स्पष्ट किया जाता है कि 30 अप्रेल, 96 के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी। जिन तहसीलों में नामान्तरकरण स्वीकार किये जावेंगे वे निम्न प्रकार हैं—

(1) सांचोर (2) बयाना

(3) यह स्पष्ट किया जाता है कि नामान्तरकरण 3 प्रयोजन हेतु ही बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण, उद्योग हेतु अथवा व्यापार हेतु स्वीकार किये जावेंगे। सम्बन्धित तहसीलदार इस बढ़ाई गई अवधि में नामान्तरकरण के आवेदन जिला कलक्टर के माध्यम से सम्बन्धित भू-प्रबन्ध अधिकारी निर्धारित अवधि में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(4) सम्बन्धित जिला कलक्टर कृपया यह सुनिश्चित करलें कि विभाग को नामान्तरकरण आवेदन-पत्र माह में केवल दो बार ही भेजे जावें। अर्थात् 15 मार्च, 31 मार्च, 15 अप्रेल एवं 30 अप्रेल। विभागीय अधिकारी प्राप्त नामान्तरकरण का एक सप्ताह में निपटारा कर सम्बन्धित जिला कलक्टर को सूचित करेंगे।

ह०/-
भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।

236

जन जाति उपयोजना क्षेत्र मे प्राथमिक विद्यालय

83. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र के सभी पंचायत मुख्यालय क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक उच्च प्राथमिक तक विद्यालय खोल दिये जायेंगे ?

उत्तर

जी, नहीं । इस क्षेत्र के निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने वाले विद्यालयों को उपलब्ध वित्तीय साधनों के आधार पर क्रमोन्नत किया गया है ।

जिन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है उन ग्राम पंचायतों के निर्धारित मानदण्ड पूरा करने वाले प्राथमिक विद्यालय को प्राथमिकता के आधार पर अगले वर्षों में बजट उपलब्ध होने पर उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जा सकेगा ।

मैसर्स जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लि. जयपुर की सेवानिवृत्ति योजना प्रकरण

84. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लि. ने एक आदेश जारी कर अपने कर्मचारियों का आह्वान किया था कि जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में पांच वर्ष या उससे कम समय बचा है और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं, उनके किसी आश्रित को उनके स्थान पर नौकरी दे दी जायेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि बाद में ऐसा ही एक और आदेश जारी कर उन कर्मचारियों का आवाहन किया गया था जिनकी सेवानिवृत्ति में 8 वर्ष या उससे कम समय शेष है ? यदि हां, तो दोनों आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(3) उपरोक्त दोनों आदेशों के तहत जिन कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, उनकी सूची मय पद एवं सेवानिवृत्ति तिथि के सदन की मेज पर रखें । इनमें से कौन-कौन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति के थे ?

(4) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुके कर्मचारियों के बदले में किसको किस पद पर नौकरी दी गई ? नौकरी प्रदान करने की तिथि सहित सूची सदन की मेज पर रखें । इनमें से किस-किस को नौकरी से पृथक् कर दिया गया ? नौकरी से हटाने की तिथि एवं कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) मै. जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लि. द्वारा दि. 7-11-95 को सूचना जारी कर संस्थान में अस्थाई अवधि के

(राज्य, मन्त्री श्रम)

के लिए कुछ कैज्युअल श्रमिकों को नियुक्त करने हेतु संस्थान में ऐसे नियोजित जिनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 2001 तक है यानि पांच वर्ष शेष हैं, के पुत्रों को नियोजित करने के लिए आवेदन मांगे गये थे।

(2) मै. जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लि. द्वारा दि. 4-12-95 को सूचना जारी कर संस्थान में अस्थाई अवधि के लिए कुछ कैज्युअल श्रमिकों को नियुक्त करने हेतु संस्थान में ऐसे नियोजित जिनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 2004 तक है यानि 8 वर्ष तक शेष है, के पुत्रों को नियोजित करने के लिए आवेदन मांगे गये थे।

उक्त सूचना दिनांक 7-11-95 व 4-12-95 की प्रतिलिपि संलग्न है।

(3) उपरोक्त दोनों सूचनाओं (आदेशों) के अन्तर्गत किसी कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान नहीं की गयी है। बल्कि कर्मचारियों के पुत्रों को अस्थाई अवधि के लिए नियुक्त करने हेतु आवेदन मांगे गये।

(4) किसी भी कर्मचारी द्वारा उपरोक्त सूचना (आदेशों) के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त नहीं की गई।

जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लि., जयपुर

दिनांक : 07-11-1995

सूचना

समस्त नियोजितों को सूचित किया जाता है कि अस्थायी अवधि के लिए कुछ कैज्युअल श्रमिकों की आवश्यकता है जिन्हें न्यूनतम वेतन देय होगा।

संस्थान में ऐसे नियोजित जिनकी सेवानिवृति की तिथि वर्ष 2001 तक है यानि 5 वर्ष शेष है, के पुत्र को (निर्धारित योग्यता पूर्ण करने पर) सेवा में लिया जाना है।

(1) नियोजित का अन्य कोई पुत्र संस्थान की सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिये।

(2) नियोजित के पुत्र की शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं उम्र 18 वर्ष का होना आवश्यक है।

238

संस्थान में कार्यरत नियोजित जो उपरोक्त शर्तें पूर्ण करते हैं, वे अपने पुत्र की जन्म तिथि व शैक्षणिक योग्यता प्रमण-पत्र (फोटो प्रति) मय निम्न प्रारूप में आवेदन दिनांक 8.11.95 को सायं 5.00 बजे तक प्रबन्ध (कार्मिक) को प्रस्तुत करें—

प्रारूप

नियोजित का विवरण

1. नियोजित का नाम
2. टि. सं./कार्ड सं.
3. विभाग
4. सेवानिवृति की तिथि
5. स्थाई पता

पुत्र का विवरण

1. नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
2. जन्मतिथि
3. शैक्षणिक योग्यता
4. तकनीकी योग्यता
5. संस्थान में कार्य करने का पूर्व अनुभव (यदि कोई हो तो टि.नं. विभाग, भर्ती की तिथि)
6. प्रार्थी के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं,........................घोषणा करता हूं कि मेरा कोई पुत्र इस संस्था में कार्यरत नहीं है। यह घोषणा गलत पाये जाने पर मैं पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहूंगा।

नियोजित के हस्ताक्षर

ह०/–
(विनोद कुमार जैन)
प्रबन्ध (कार्मिक)

प्रति : समस्त सूचना पट्ट
प्रति : सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

जयपुर मैटल एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लि., जयपुर

सन्दर्भ सं. : पीएण्डए/एफएम/1739

दिनांक : 04.12.1995

सूचना

समस्त नियोजितों को सूचित किया जाता है कि अस्थाई अवधि के लिए कुछ केजुअल श्रमिकों की आवश्यकता है जिन्हें न्यूनतम वेतन देय होगा।

संस्थान में ऐसे नियोजित जिनकी सेवानिवृति की तिथि 2004 तक है यानि 8 वर्ष शेष है, के पुत्र को (निर्धारित योग्यता पूर्ण करने पर) सेवा में लिया जाना है।

(1) नियोजित का अन्य कोई पुत्र संस्थान की सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए।

(2) नियोजित के पुत्र की शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं उम्र 18 वर्ष का होना आवश्यक है।

संस्थान में कार्यरत नियोजित जो उपरोक्त शर्तें पूर्ण करते हैं, वे अपने पुत्र की जन्मतिथि व शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (फोटो प्रति) मय निम्न प्रारूप में आवेदन दिनांक 12.12.1995 को सायं 5.00 बजे तक प्रबन्धक (कार्मिक) को प्रस्तुत करें।

प्रारूप

नियोजित का विवरण	पुत्र का विवरण
1. नियोजित का नाम	1. नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
2. टि. सं./कार्ड सं.	2. जन्मतिथि
3. विभाग	3. शैक्षणिक योग्यता
4. सेवानिवृति की तिथि	4. तकनीकी योग्यता

२५०

5. स्थाई पता

5. संस्थान में कार्य करने का पूर्व अनुभव (यदि कोई हो तो, टि.नं., विभाग, भर्ती की तिथि)

6. प्रार्थी के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं.........................घोषणा करता हूं कि मेरा कोई पुत्र इस संस्थान में कार्यरत नहीं है। यह घोषणा गलत पाये जाने पर मैं पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहूंगा।

(नियोजित के हस्ताक्षर)

ह०/–
(विनोद कुमार जैन)
प्रबन्धक (कार्मिक)

प्रति : समस्त सूचना पट्ट
प्रति : सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक
प्रति : सुरक्षा अधिकारी
प्रति : समस्त महाप्रबन्धक/संभागीय प्रबन्धक/प्रबन्धक

डीग उपखण्ड क्षेत्र की नील गायें

85. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डीग उपखण्ड में माड़ेरा रूंध से नील गायों को पकड़वाने हेतु सरकार द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गयी ? अब तक कितनी राशि आवंटित की गयी और शेष राशि कब तक आवंटित कर दी जायेगी ?

(2) उक्त क्षेत्र में अब तक कितनी गायें पकड़ी जा चुकी हैं तथा शेष गायों को कब तक पकड़ा जायेगा ?

उत्तर

(1) डीग उपखण्ड में माड़ेरा रूंध से वन गायों को पकड़वाने हेतु अब तक कुल रुपये 1.50 लाख की राशि का आवंटन किया गया है। शेष राशि आवश्यकतानुसार भविष्य में आवंटित की जायेगी। नील गायों को पकड़ने के लिए कोई पृथक से आवंटन नहीं किया गया है।

(2) उक्त क्षेत्र से अब तक कुल 213 वन गायों को पकड़कर अन्यत्र छुड़वाया गया है तथा यह कार्य चरणबद्ध रूप से आगामी वर्षों में भी जारी रखा जायेगा।

जिला विकास अभिकरण दौसा को केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता

86. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) एवं श्री हीरालाल मीणा (बामनवास) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण दौसा को सुनिश्चित रोजगार योजना में अब तक कुल कितनी राशि भारत सरकार से मिली ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सुनिश्चित रोजगार योजना में मिली राशि को किस प्रकार खर्च करने के निर्देश भारत सरकार द्वारा दिये गये हैं ? खर्च करने के मानदण्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त धनराशि को भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप व्यय किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त राशि में से किस-किस मद में कितने-कितने कार्य स्वीकृत किए गए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दौसा को सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत अब तक 587.50 लाख रुपये की राशि जारी की गई। वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :—

(242)

वर्ष	राज्यांश	राशि (लाखों में) के. प. राशि (भारत सरकार से)	कुल
1994–95	37.50	150.00	187.50
1995–96	80.00	320.00	400.00
			587.50

(2) सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत मिली राशि को खर्च करने के भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार निर्धारित प्रतिशत आधार पर कार्य करवाते हुए राशि का व्यय किया जाना है। प्राप्त राशि में से 50 प्रतिशत राशि का व्यय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यों में किया जाने का प्रावधान है। परन्तु राज्य में जलग्रहण विकास कार्यों को सम्पादित करने हेतु पर्याप्त मात्रा में सक्षम व प्रशिक्षित कार्यकारी संस्थाओं के अभाव के कारण, भारत सरकार से वर्ष 1995-96 के लिए जलग्रहण क्षेत्र विकास हेतु निर्धारित 50% की राशि अन्य कार्यों पर व्यय करने की अनुमति प्राप्त की।

(4) उक्त मिली धनराशि में से माह फरवरी, 96 तक निम्नानुसार कार्य स्वीकृत किए गए हैं :—

क्र.सं.	मद	कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि
1.	लघु सिंचाई कार्य	18	55.00
2.	ग्राम पंचायत मुख्यालयों सड़क से जोड़ने हेतु ग्रेवल/डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण	53	204.57
3.	विद्यालय भवन विस्तार हेतु	406	419.1298
4.	आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु	99	77.975

सुनिश्चित रोजगार योजना
मार्गदर्शिकाएं

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली

सितम्बर, 1993

अध्याय–3

सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत कार्य की योजना, संगठन और कार्यान्वयन

3.1 जिले के जिला कलक्टर/उपायुक्त सुनिश्चित रोजगार योजना के "कार्यान्वयन प्राधिकारी" के रूप में प्रभारी होंगे कार्यान्वयन प्राधिकारी के रूप वे में कार्य के समन्वय तथा जिले में पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खण्डों में निधियों के आबंटन के लिए उत्तरदायी होंगे। वे जिले में विभिन्न कार्यान्वयन एजेन्सियों में कार्य के आबंटन के लिए उत्तरदायी होंगे। जिले के प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी के अध्यक्ष का कर्तव्य होगा कि वे उपायुक्त द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत आबंटित किए गए कार्यों के कार्यान्वयन को ईमानदारी से सुनिश्चित करें। व्यय की गई राशि के लेखों का बेहतर रख-रखाव, मजदूरों को मजदूरी का भुगतान, उपस्थिति का आवधिक ब्यौरा प्रस्तुत करना, सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत सौंपे गए सभी कार्यों हेतु कार्य और लेखा के विवरण आदि से लिए सभी कार्यान्वयन एजेंसियां, उपायुक्त के प्रति उत्तरदायी होंगी।

3.2 जिले में सुनिश्चित रोजनार योजना की कार्यान्वयन एजेन्सियां जिला स्तर के विकास विभागों के साथ-साथ ये भी हो सकते हैं :—

(क) कार्यकारी अभियन्ता (सड़क व भवन)

(ख) कार्यकारी अभियन्ता (सिंचाई)

(ग) मंडल वन अधिकारी

(घ) जिला बागवानी अधिकारी

3.3 कार्यान्वयन प्राधिकारी (उपायुक्त) कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियों का तिमाही आबंटन करेंगे, जिन्हें सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत कार्य सौंपा गया है।

3.4 सुनिश्चित रोजगार योजना की उचित आयोजना इसके प्रभावी संगठन और कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य है । जिले के कार्यान्वयन प्राधिकारी (उपायुक्त) को, जिले की विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के अध्यक्षों से उनके द्वारा चालू व आने वाले वर्षों में जिले में शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित विभिन्न कार्यों के लिए हर वर्ष अक्टूबर तक खण्डवार योजनाएं प्राप्त कर लेनी चाहिए । इन योजनाओं में विवरण भी शामिल होने चाहिए कि क्या कार्य पहले से चल रहे हैं या नये हैं, बजट प्रावधान बनाए गए हैं या मुहैया कराने की सम्भावना है, क्या सर्वेक्षण, योजनाएं और आकलन तैयार किए जा चुके हैं या तैयार किए जा रहे हैं; इन कार्यों में मजदूरों को सीधे शारीरिक रोजगार देने की सम्भावना क्या है, रख-रखाव की व्यवस्था, स्थाई रोजगार की संभाव्यता और जिले की योजना में इन्हें शामिल या अन्य ढंग से समन्वित किया गया है ।

3.5 इन विवरणों के आधार पर उपायुक्त उत्पादक कार्यों की विभिन्न योजनाएं तैयार करेंगे जिसमें (क) योजना/गैर-योजना बजट के तहत खण्डवार कार्य और (ख) प्रत्येक खण्ड क्षेत्र में सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत शुरू किए जाने वाले नये कार्य शामिल होंगे । विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित कार्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें सामान्यतः दो वर्ष की अवधि में पूरा किया जा सके और प्रत्येक मौसम के लिए कार्यान्वयन चरणबद्ध होना चाहिए । विभिन्न परियोजनाओं को तैयार करने का कार्य प्रत्येक वर्ष दिसम्बर तक पूरा हो जाना चाहिए तथा जिला और खण्ड स्तर पर इसे अनुबंध–2–क और 2–ख में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार तैयार करना चाहिए ।

3.6 सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत सभी कार्यों का निष्पादन विभाग में केवल सम्बन्धित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाना चाहिए तथा किसी भी मामले में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्य के निष्पादन का कार्य ठेकेदारों को नहीं देना चाहिए ।

3.7 सुनिश्चित रोजगार योजना के लिए खण्डवार चल रहे विभिन्न कार्य और अनुमोदित कार्यों को प्रत्येक वर्ष दिसम्बर के अन्त तक पूरा कर लेना चाहिए तथा पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खण्डों में मन्दी के मौसम के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत कार्यान्वयन के लिए तैयार रखना चाहिए । उत्पादक स्वरूप के केवल श्रम प्रधान कार्य जो स्थाई परिसंपत्तियों का सृजन करते हैं, को सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत मंजूरी हेतु शुरू किया जाना चाहिए तथा विभिन्न कार्यों/परियोजनाओं में सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

3.8 सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत निम्न प्रकार के कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए :—

(क) वाटरशेड विकास के अन्तर्गत जल संरक्षण, भू-संरक्षण, पेड़ों द्वारा अवरोध, वन रोपण, कृषि, बागवानी, वन चरागाह आदि उपचार योजनाओं के आधार पर कार्यों की पहचान की गई है।

(ख) लघु सिंचाई टैंक, परिश्रवण टैंक, ग्रामीण टैंक, नहर का कार्य आदि।

(ग) जो गांव सड़क से जुड़े हुए नहीं है उन्हें सड़क के लिए जिल के लिए तैयार किए गए मास्टर प्लान के आधार पर चुनी गई सम्पर्क सड़कों का कार्य।

(घ) जवाहर रोजगार योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की पद्धति के आधार पर प्राथमिक स्कूल भवनों का निर्माण कार्य।

(ङ) आंगनबाड़ी के लिए भवन।

3.9 सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत नए कार्य शुरू करने में निम्नलिखित प्रतिशत को ध्यान में रखा जाए :

(1)	वनरोपण, कृषि उद्यान तथा वन चारागाह सहित जल तथा भू-संरक्षण	40%
(2)	लघु सिंचाई कार्य	20%
(3)	संबंधित जिलों में इस प्रयोजन हेतु तैयार किए गए मास्टर प्लानों में आने वाली सम्पर्क सड़कें	20%
(4)	प्राथमिक पाठशाला तथा आंगनबाड़ी भवन	20%

3.10 सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले कार्य सिर्फ श्रम प्रधान होने चाहिए। श्रम प्रधान कार्य उन्हें परिभाषित किया गया है जिनमें अकुशल श्रमिक की मजदूरी तथा उपकरण, सामग्री तथा अन्य कुशल कार्य का अनुपात 60 : 40 से कम न हो। सीमेंट, स्टील आदि जैसी सामग्री वाले बड़े कार्यों को सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत तब तक मंजूर नहीं किया जाना चाहिए जब तक सामग्री घटक की अतिरिक्त लागत अन्य क्षेत्रीय कार्यक्रम की निधियों से उपलब्ध न कराई गयी हो।

3.11 सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत कार्यों की तकनीकी स्वीकृति सामान्य विभागीय मानदंडों तथा नियमों के अनुसार होनी चाहिए। सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत कार्यों को शुरू करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति कार्यान्वयन प्राधिकारी (उप-आयुक्त) द्वारा की जानी चाहिए।

3.12 उपायुक्त द्वारा कार्य को शुरू करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दिये जाने के पश्चात प्रत्येक कार्य के लिए सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत शुरू होने वाले कार्यों के लिए वर्क आर्डर कार्यान्वियन एजेंसियों द्वारा दिए जाने चाहिए तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियों को आबंटन करना कार्यवार प्रशासनिक स्वीकृति का विकल्प नहीं है।

3.13 परिकल्पना के अनुरूप कार्य ये हैं : (क) सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्यों की आयोजना (ख) कार्यों की संस्वीकृति (ग) यह सुनिश्चित करना कि रोजगार आश्वासन दिया गया है तथा (घ) प्राधिकारी कार्यान्वियन प्राधिकारी द्वारा परियोजना निदेशकों (जिला ग्रामीण विकास एजेंसी), अनुमण्डल अधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारियों आदि की सहायता से राज्य सरकारों को रिपोर्ट भेजना। इसके अलावा (क) आकलन तैयार करने (ख) तकनीकी स्वीकृति देने (ग) उपायुक्त से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्यों को शुरू करने (घ) मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करने तथा (ङ) उपायुक्तों को रिपोर्ट भेजने में संबंधित कार्य कार्यान्वियन एजेंसियों जैसे लोक निर्माण, लघु सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियन्ता, प्रभागीय वन अधिकारियों, कार्यकारी अभियन्ता (सड़क) आदि द्वारा किए जाएंगे।

3.14 मण्डल आयुक्तों तथा कार्यान्वियन एजेंसियों के विभागाध्यक्षों को भी इन कार्यों की समग्र देख-रेख, सतर्कता रखने के लिये अनुशासनिक शक्तियों का उपयोग करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत चलाये जाने वाले कार्यों को उचित और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

केन्द्रीय जिला सहकारी बैंकों में प्रशासकों की नियुक्ति

87. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने सभी केन्द्रीय जिला सहकारी बैंकों के संचालक मण्डलों को भंग कर उनके स्थान पर प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं ? यदि हां, तो क्यों व चुनाव नहीं कराने के क्या कारण रहे ?

(2) प्रदेश के भूमि विकास बैंकों में कब से प्रशासक कार्य कर रहे हैं ? प्रत्येक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इसी प्रकार अपेक्स संस्थाओं में भी प्रशासक नियुक्त कर दिए गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार भूमि विकास बैंक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के चुनाव सुधार के लिए कोई नई नीति बनाने का विचार रखती है ?

(5) क्या सरकार का विचार है कि सहकारिता कानून में आवश्यक परिवर्तन कर इन संस्थाओं को अधिक मजबूत तथा उत्तरदायी बनाया जावे ?

उत्तर

(1) यह सही है कि राज्य के सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के निर्वाचित संचालक मण्डलों के स्थान पर पंजीयक द्वारा प्रशासक नियुक्त किए हुए हैं।

भरतपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक में नाबार्ड शीर्ष राज्य सहकारी बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक एवं राज्य सरकार के पैकेज प्लान के अन्तर्गत इसे पुनर्जीवित एवं पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से निर्वाचन नहीं कराए जाकर प्रशासक दिनांक 15-1-91 से नियुक्त है।

जोधपुर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक एवं भीलवाड़ा केन्द्रीय सह. बैंक के संचालक मंडलों को बैंक हितों के विरुद्ध कार्य करने के कारण, क्रमशः आदेश दिनांक 14-12-94 एवं 11-7-94 से भगकर प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। शेष 24 केन्द्रीय सहकारी बैंकों में निर्वाचित संचालक मण्डल की अवधि समाप्त होने पर राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रशासक नियुक्त किए गए।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों की उपविधियों के अनुसार संचालक मण्डल में 7 प्रतिनिधि पैक्स/लेम्पस के निर्वाचित प्रतिनिधियों में से चुने जाने होते हैं। अतः पैक्स के निर्वाचन के पश्चात् ही केन्द्रीय सहकारी बैंकों के चुनाव कराये जाने का कार्यक्रम है।

(2) प्रदेश के विभिन्न सहकारी भूमि विकास बैंकों में जिस तिथि से प्रशासक लगातार कार्यरत है, उसकी सूचना परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) शीर्ष संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त करने सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट "ब" के रूप में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) जी, हां।

(5) इन सहकारी संस्थाओं को अधिक मजबूत एवं उत्तरदायी बनाने के लिए कानून में आवश्यक परिवर्तन विचाराधीन है।

(248)

परिशिष्ट "अ"

क्रमांक 1	नाम भूमि विकास बैंक 2	तिथि जिससे प्रशासक कार्य कर रहे हैं 3
1.	अजमेर	22.12.90
2.	भीलवाड़ा	18.12.90
3.	केकड़ी	5.5.90
4.	टोंक	19.12.90
5.	नागौर	21.12.90
6.	अलवर	30.9.91
7.	भरतपुर	20.12.90
8.	धौलपुर	19.12.90
9.	हिण्डौन	21.12.90
10.	सवाईमाधोपुर	19.12.90
11.	बीकानेर	20.12.90
12.	चूरू	1.6.84
13.	हनुमानगढ़	4.9.90
14.	रायसिंहनगर	20.12.90
15.	श्री गंगानगर	20.12.90
16.	जयपुर	3.9.90
17.	झुन्झुनूं	19.12.90
18.	सीकर	28.4.95
19.	बालोतरा	5.9.90
20.	बिलाड़ा	3.9.90

1	2	3
21.	जोधपुर	4.9.90
22.	जालोर	5.5.90
23.	पाली	1.10.91
24.	सिरोही	30.9.91
25.	बारां	25.1.91
26.	बूंदी	5.9.90
27.	झालावाड़	18.12.90
28.	कोटा	18.12.90
29.	बांसवाड़ा	7.5.90
30.	चित्तौड़गढ़	1.6.84
31.	डूंगरपुर	4.9.90
32.	प्रतापगढ़	20.12.90
33.	उदयपुर	4.9.90

शीर्ष संस्थाओं में प्रशासक नियुक्ति की स्थिति

क. सं.	शीर्ष संस्था का नाम	प्रशासक नियुक्ति दिनांक	प्रशासक कार्यरत रहने का कारण
1	2	3	4
1.	राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि., जयपुर	21.7.95	निर्वाचित संचालक मण्डल की अवधि पूर्ण होने पर प्रशासक नियुक्त किया गया।
2.	राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ लि., जयपुर	13.6.95	निर्वाचित संचालक मण्डल की अवधि पूर्ण होने पर प्रशासक नियुक्त किया गया।
3.	राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ लि., जयपुर	13.6.95	निर्वाचित संचालक मण्डल की अवधि पूर्ण होने पर प्रशासक नियुक्त किया गया।
4.	राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ एवं ऊन विपणन फेडरेशन लि., जयपुर	4.4.91	विपणन फेडरेशन की अधिकांश प्राथमिक भेड़ उत्पादक सहकारी समितियां निष्क्रय अवस्था में है जिनके अस्तित्व के सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही चल रही है।

1	2	3	4
5.	राजस्थान राज्य कोआपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन लि., जयपुर	12.4.85	संघ की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण इसे अस्तित्व में रखने के सन्दर्भ में मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।
6.	राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर	1.6.84	अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण (साख) ढांचे के एकीकरण का नीतिगत निर्णय राज्य सरकार के विचाराधीन होने के कारण

251

अधिकारियों/वैद्यों की पदोन्नति प्रकरण

88. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करें :—

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद अधिकारी एवं वैद्यों की 70 प्रतिशत पदोन्नति के पद रिक्त हैं।

(2) क्या यह भी सही है कि उप निदेशक व जिला आयुर्वेद अधिकारी के रिक्त पद के चयन हेतु विभागीय पदोन्नति समिति बनायी गयी है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त समिति ने पदोन्नति के रिक्त पदों को भरने हेतु कोई निर्णय लिया है ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो यह पदोन्नतियां कब तक कर दी जायेंगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। नियमों में आयुर्वेद अधिकारी व वैद्य के पदनाम का कोई पद नहीं है इसलिए रिक्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी, हां।

(3) जी, नहीं।

उप निदेशक आयुर्वेद के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजन करने हेतु लोक सेवा आयोग को निवेदन किया गया है। तिथि निर्धारण होने पर बैठक की जायेगी। जिला आयुर्वेद अधिकारी के पद पर आयुर्वेद चिकित्सक के पद से पदोन्नति देने का प्रावधान है। वर्तमान में नियमित रूप से नियुक्त आयुर्वेद चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। 5-5-90 से पूर्व तथ्यों एवं अस्थायी रूप से नियुक्त आयुर्वेद चिकित्सक एवं योग्यताधारी द्वितीय श्रेणी के वैद्यों को स्क्रीनिंग द्वारा नियमित किये जाने का प्रावधान नियमों में किया रहा है। नियमों में संशोधन के पश्चात स्क्रीनिंग किये गये अभ्यर्थियों को आयुर्वेद चिकित्सक के पद नियमित नियुक्ति देकर उनकी वरिष्ठता सूची प्रचलित करने के उपरान्त ही जिला आयुर्वेद अधिकारी के पद पर पदोन्नति संभव हो सकेगी। इस संबध में राज्य सरकार शीघ्रता से कार्यवाई कर रही है फिर भी कुछ समय लगने की सम्भावना है।

कोटा चम्बल नदी की बाईं मुख्य नहर की नहरों, ड्रेनेज एवं धोरों की सफाई व्यवस्था

89. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले में कोटा चम्बल नदी से (बाईं मुख्य नहर) निकाल कर नहरों, धोरों एवं ड्रेनेज का निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो कब और वर्तमान में नहरों ड्रेनेज और धोरों की क्या स्थिति है ?

(2) क्या सरकार भूमि ऊसर न हो और पैदावार बढ़े, इसके लिए नहरों, धोरों एव ड्रेनेज को साफ कराया जाना आवश्यक

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

समझती है ? यदि हां, तो सरकार इन नहरों, घोरों एवं ड्रेनेज की मरम्मत एवं सफाई कराने की क्या योजना रखती है ? जिन नहरों, घोरों एवं ड्रेनेज की मरम्मत एवं सफाई करवाई जानी है, की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रत्येक सहायक अभियन्ता को दो-दो मशीनें ड्रेन एवं नहर सफाई के लिये दिये जाने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। बूंदी जिले की नहर वर्ष 1960 में पूर्ण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 1982 में ड्रेनेज सिस्टम का कार्य पूर्ण हो चुका था। वर्तमान में नहरों व ड्रेनों की स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि विगत वर्षों में हैड के किसानों द्वारा उनके हिस्से से अधिक पानी की मांग के कारण पानी की मांग लगभग दुगुनी होने से नहरों पर अत्यधिक दबाव है।

(2) जी हां। सरकार उसर भूमि न हो और पैदावार बढ़े इसके लिए नहरों एवं ड्रेनेज को समय-समय पर साफ कराया जाना आवश्यक समझती है। घोरों की सफाई जहां पर कि पानी का अत्यधिक अपव्यय होता है किसानों द्वारा की जानी आवश्यक है। खालों के रख रखाव एवं फील्ड ड्रेंस इत्यादि के रख रखाव में कृषकों की सहभागिता भी अति आवश्यक है। इसके अभाव में नहरों व ड्रेनों का सुचारू संचालन सम्भव नहीं है। बजट की उपलब्धता के अनुसार प्रतिवर्ष कुछ नहरों एवं ड्रेनों की सफाई कराई जाती है। वर्ष 95-96 में कराये गये कार्य एवं 96-97 से प्रस्तावित कार्यों की सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(3) इस वर्ष बांई मुख्य नहर के प्रत्येक उपखण्ड में यथा सम्भव दो मशीनें मशीनरी फील्ड खण्ड द्वारा उपलब्ध कराई गयी हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अन्त्योदय में चयनित परिवारों को भू-आबंटन हेतु जारी विज्ञप्ति प्रकरण

90. **भीमराज भाटी** (पाली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरकार ने विज्ञप्ति दिनांक 21 अप्रेल, 1976 व 4 फरवरी 1978 के जरिये मरुस्थलीय जिलों-पाली, नागौर, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं चूरू में राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत चयनित एवं अन्त्योदय में चयनित परिवारों को ही भूमि आबंटन का निर्देश दिया है ? यदि हां, तो सरकार ने उपरोक्त विज्ञप्तियां किस नियम व कानून के तहत जारी कीं ? क्या सरकार उपरोक्त विज्ञप्तियां जारी करने हेतु सक्षम है ? विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(254)

उत्तर

राज्य के मरूस्थलीय जिलों में मरूस्थलीय विकास कार्यक्रम के लिए कृषि प्रयोजनार्थ एक हैक्टेयर से अधिक भूमि के टुकड़ों का आवंटन न करने के निर्देश परिपत्र क्रमांक प. 6(9) राजस्व–6/76 दिनांक 21-4-76 द्वारा किये गये थे। इसके पश्चात परिपत्र क्रमांक प. 6 (9) राज-6/76 दिनांक 4-2-78 द्वारा अन्त्योदय योजना में चयनित परिवारों के सुधार के लिए यह आदेश दिए गये थे कि जहां तक सम्भव हो भूमि के बड़े भू-खण्ड को मरूस्थलीय जिलों में मरूस्थलीय विकास कार्यक्रम के लिए आरक्षित रखा जाय तथा छोटे भू-खण्ड को ही अन्त्योदय में चयनित परिवार को आबंटित किया जाय। पहले छोटे भू-खण्डों का ही आबंटन किया जाय। ये निर्देश मरूस्थलीय विकास कार्यक्रम के लिए दिए गये थे। ये आदेश राज्य सरकार भूमिधारक के नाते जारी कर सकती है एवं भू-राजस्व अधिनियम की धारा 101 एवं काश्तकारी अधिनियम की धारा 7 के तहत ऐसे निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

विधान सभा क्षेत्र धोद के विद्यालयों में रिक्त पद

91. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) विधान सभा क्षेत्र, धोद में उच्च प्राथमिक से सीनियर हायर सैकेन्डरी तक विद्यालयवार कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं तथा कब से? रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे?

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र, धोद की पंचायत समिति मुख्यालय धोद के राजकीय सीनियर हायर सैकेण्ड्री विद्यालय में जीव विज्ञान एवं लोसल सीनियर हायर सैकेण्ड्री विद्यालय में जीव विज्ञान एवं फागलवा सीनियर हायर सैकण्ड्री विद्यालय में कला वर्ग खोलने का सरकार विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धोद के स्कूलों में रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के शेष रहे रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध कराये जाने पर ही भरा जाना संभव हो सकेगा। द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) सरकार के वित्तीय साधन सीमित हैं। सीमित वित्तीय साधनों के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति करने वाले विद्यालयों में अतिरिक्त विषय तथा संकाय खोलने के प्रस्तावों पर गुणाव-गुण के आधार पर समग्र विचार कर खोले जाते हैं। राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, लोसल, धोद एवं फागलवा में अतिरिक्त विषय, संकाय खोलने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध गुणावगुण के आधार पर वित्तीय साधनों के तहत विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र घोद के विद्यालयों में रिक्त पद

क्र. सं.	नाम विद्यालय	संवर्ग वार रिक्त पद					कब से रिक्त
		उप-प्रधा.	प्रधाना.	व्याख्या.	व.अ.	अध्यापक	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	रा.सी.मा.वि., लोसल	01	—	—	—	—	10/95
2.	रा.बा.मा.वि., खूड़	—	01	—	—	—	10/95
3.	रा सी.मा.वि., लोसल	—	—	02	—	—	10/94
4.	रा.सी.मा.वि., कूदन	—	—	02	—	—	6/95
5.	रा.उ.प्रा.वि., बिन्ज्यासी	—	—	—	01	—	1/96
6.	,, ,, बोताणी	—	—	—	—	01	10/95
7.	,, ,, कुकदपुरा	—	—	—	01	01	1/96

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	रा.उ.प्रा.वि., सरबड़ी	—	—	—	01	01	11/95
9.	,, ,, खुड़दी	—	—	—	01	—	1/96
10.	,, ,, जाबास	—	—	—	—	01	1/96
11.	,, ,, टाटनवा	—	—	—	01	01	11/95
12.	,, ,, नेतड़ावास	—	—	—	01	—	10/95
13.	,, ,, नागवा	—	—	—	01	—	10/95
14.	,, ,, पूर्णपुरा	—	—	—	01	02	1,96
15.	,, ,, अनोखू	—	—	—	01	—	10/95
		01	01	04	09	06	

ग्राम पंचायत सेवासा (लालसोट) की वन रक्षा समिति

92. श्री गुलाब सिंह शक्तावत (वल्लभनगर) एवं श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दौसा जिले की लालसोट तहसील में वन विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की चरागाह भूमि विकसित करने के लिए ली गई थी ? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत की कितनी-कितनी चरागाह भूमि ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पांच वर्ष तक चरागाह भूमि को पेड़ लगाकर विकसित करने के बाद पुनः ग्राम पचायतों को वन विभाग ने सुपुर्द कर दी थी ? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत की भूमि पुनः कब-कब सुपुर्द की गई ?

(3) क्या यह सही है कि सेवासा ग्राम पंचायत की वन विभाग द्वारा विकसित चरागाह भूमि में पेड़ लगाकर सन् 1990 में ही ग्राम पंचायत को सुपुर्द करने के बाद भी वन विभाग ने वन सुरक्षा समिति का गठन कर रखा है ? यदि हां तो क्यों ?

(4) ग्राम सेवासा की नर्सरी में कुल कितने पेड़ हैं ?

(5) क्या यह सही है कि अनधिकृत वन सुरक्षा समिति ने अब तक ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत को उक्त नर्सरी से आय व्यय का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि ग्राम सभा के प्रस्ताव द्वारा ग्राम पंचायत से वन सुरक्षा समिति को भंग कर नर्सरी की सुरक्षा का दायित्व स्वयं लेने के प्रस्ताव के बाद भी वन सुरक्षा समिति अनधिकृत रूप से नर्सरी के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है ?

(7) क्या सरकार ने वन सुरक्षा समिति द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करवाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। दौसा जिले की लालसोट तहसील में वन विभाग द्वारा पंचायत भूमि पर वृक्षारोपण हेतु ली गयी चरागाह भूमि का ग्राम पंचायत वार विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) पांच वर्ष पश्चात् समस्त वृक्षारोपण पुनः ग्राम पंचायतों को नहीं सम्भलाए गये हैं। लालसोट तहसील में कराए गए पंचायत भूमि वृक्षारोपणों को ग्राम पंचायतों को सम्भलाएं जाने का विवरण परिशिष्ट "ख" के अनुसार है।

(3) जी, नहीं। जो वृक्षारोपण सन् 1990 में पंचायत को सुपुर्द किया गया, उसका प्रबन्ध वन सुरक्षा समिति द्वारा नहीं किया जा रहा है।

(4) ग्राम सेवासा में कोई नर्सरी नहीं है लेकिन ग्राम सेवासा वृक्षारोपण वर्ष 1985 में लगभग 5056 एवं सेवासा 1987 में लगभग 5119 पेड़ हैं।

(5) जी, नहीं।

(6) जी, नहीं।

(7) वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति सेवासा के कार्यों की जांच उप वन संरक्षक, सवाईमाधोपुर से कराई गई थी जिसमें उन्होंने कोई भ्रष्टाचार होना नहीं पाया है।

लालसोट तहसील में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण हेतु ली गयी पंचायत भूमि का विवरण

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	क्षेत्रफल
1.	संवासा	85 हैक्टेयर
2.	दौलतपुरा	30 ,,
3.	राहुवास	70 ,,
4.	मिरजापुरा	25 ,,
5.	बिदरावा	
6.	कालूवास	32 ,,
7.	सींपपुरा	30 ,,
8.	तलाब	20 ,,
9.	झांपदा	45 ,,
10.	देवली	50 ,,
11.	डीडवाना	125 ,,
12.	भीमा	40 ,,
13.	कालूवास	50 ,,
14.	सलेमपुरा	20 ,,
15.	डोब	30 ,,
16.	टोडाढेकला	10 ,,

लालसोट तहसील में वन विभाग द्वारा पंचायत भूमि पर कराए गए वृक्षारोपणों को ग्राम पंचायतों को सम्भलाने सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	वृक्षारोपण का नाम	वर्ष	ग्राम पंचायत को सम्भालने का वर्ष
1	2	3	4	5
1.	संवासा	संवासा	1985	1990
2.	दौलतपुरा	दौलतपुरा	1984	1990
3.	राहुवास	राहुवास	1987	1993
		नयाबास	1988	1994
		नयाबास	1988	1994
		नयाबास	1989	1994
4.	बिदरखा	बिदरखा-I	1990	1994
		बिदरखा-II	1990	1994
5.	कालूवास	सोगपुरा	1990	1995
		सोगपुरा	1990	1995
6.	डीडवाना	डीडवाना	1979	1988
		टोरडा	1986	1995

विधान सभा क्षेत्र दूदू हेतु तीस जिला तीस काम योजनान्तर्गत स्वीकृत पेयजल योजनाएं

93. **श्री बाबूलाल** (दूदू) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दूदू के लिए तीस जिला तीस काम योजना के तहत पेयजल योजनाएं एवं हैण्ड पम्प स्वीकृत किए गए हैं ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि अभी तक उक्त सभी योजनाओं एवं हैण्ड पम्पों का कार्य शुरू नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) सरकार उक्त योजनाओं का कार्य कब से शुरू करने एवं कब तक पूर्ण करवाने का विचार रखती है ?

(4) उक्त कार्य शुरू नहीं करवाने में जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती है, क्या सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां । विधान सभा क्षेत्र दूदू के लिये तीस जिला तीस काम योजनान्तर्गत 2 पेयजल योजनाएं 19-10-95 को एवं 9 योजनायें 27-10-95 को स्वीकृत की गई थी तथा 17 हैण्डपम्प दिनांक 24-11-1995 को स्वीकृत किये गये थे ।

(2) स्वीकृत पेयजल योजनाओं को क्रियान्विति का कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है जो प्रगति पर है । हैण्डपम्प निर्माण का कार्य पंचायत समिति द्वारा अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया हैं । इस कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है जिन पर पंचायत समिति द्वारा अभी तक नियमानुसार प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण क्रियान्विती शुरू नहीं हुई है ।

(3) पेयजल योजनाओं का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जिन पर जनवरी, 1996 तक 16.62 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं तथा हैण्डपम्प निर्माण का कार्य आमंत्रित निविदाओं पर निर्णय के पश्चात प्रारम्भ करना सम्भव होगा ।

(4) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल योजनाओं का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । अतः इस कार्य में विलंब नहीं हुआ है ।

पंचायत समिति, दूदू द्वारा हैण्डपम्प निर्माण के कार्य में कुछ हद तक विलम्ब हुआ है । जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जयपुर को पंचायत समिति के मामले को देखने के लिये कहा जा रहा है ।

तिलम संघ द्वारा संचालित इकाइयों की उत्पादन क्षमता का उपयोग

94. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान तिलम संघ की किन-किन स्थानों पर तेल निकालने की इकाइयां

(श्री शिवनाथ सिंह)

स्थापित हैं और उनकी स्थापना से 31 दिसम्बर, 1995 तक किस-किस में कितना-कितना घाटा हुआ ?

(2) इन इकाइयों पर सरसों की खरीद के लिए कितना-कितना कमीशन पिछले तीन वर्षों में दिया गया ?

(3) इन इकाइयों की कितनी-कितनी क्षमता है तथा कितनी प्रतिशत क्षमता का उपयोग पिछले तीन वर्षों में किया गया ?

उत्तर

(1) तिलम संघ की कोटा बीकानेर, फतेहनगर, श्री गंगानगर, जालौर, मेड़ता-सिटी, झुन्झुनू एवं गंगापुरसिटी स्थानों पर तेल निकालने की इकाइयां स्थापित जो हुई है परियोजनावार एवं वर्षवार घाटे का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) समस्त आठों इकाइयों पर सरसों की खरीद के लिये दिये गये कमीशन का पिछले तीन वर्षों का विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(3) समस्त परियोजनाओं को क्षमता एवं % का उपयोग जो पिछले तीन वर्षों में में किया गया है, का विवरण परिशिष्ट "3" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "1"

परियोजनावार एवं वर्षवार घाटे का विवरण

(राशि लाख रुपयों में)

क्र. सं.	इकाई	1990–91	1991–92	1992–93	1993–94	1994–95	1995–96 (31·12.95 को अन्तिम)
1.	कोटा	–90·76	–390·56	–696 24	+65·26	–754·75	–397·01
2.	बीकानेर	–	–2·34	–296·28	–412·61	–445·80	–260·46
3.	जालौर	–	–51·22	–224·01	–139·94	–169·22	– 57·22
4.	फतेहनगर	–15·74	–116·39	–91·81	–33·66	–143·30	– 67·20
5.	श्रीगंगानगर	–	–9·34	–134·34	–160·52	–208·36	–105·88
6.	मेड़तासिटी	–	+23·84	–129·54	–157·26	–146·36	–81·17
7.	गंगापुरसिटी	–	+55·69	–14.48	–97·21	–94·05	–67·41
8.	झुंझुनूं	–	–37·72	–93·07	–173 40	–95·07	–43·33

263

परिशिष्ट "2"

सरसों खरीद पर कमीशन का भुगतान

क्र. सं.	परियोजना	1993–94	1994–95	1995–96
1.	कोटा	7,16,912/–	7,59,407/–	1,30,128/–
2.	झुंझुनूं	2,79,546/–	3,04,299/–	69,436/–
3.	बीकानेर	3,14,087/–	20,475/–	23,715/–
4.	जालोर	10,08,533/–	4,97,308/–	3,86,207/–
5.	गंगापुरसिटी	7,42,385/–	2,89,658/–	1,60,540/–
6.	मेड़तासिटी	8,92,360/–	5,53,275/–	1,92,748/–
7.	फतेहनगर	2,49,892/–	1,09,625/–	1,22,560/–
8.	श्रीगंगानगर	1,55,006/–	1,15,681/–	1,18,829/–

परिशिष्ट "3"

क्षमता एवं प्रतिशत क्षमता का उपयोग

क्र. सं.	इकाई	क्षमता (टन प्रति वर्ष)	प्रतिशत क्षमता का उपयोग 1992–93	1993–94	1994–95
1.	कोटा				
	सोलवेंट	60000	46·79	56·67	72·91
	मिल	20000	—	10 40	54·[illegible]2
	रिफाइनरी	15000	—	8·81	14 69
2.	बीकानेर				
	मिल	39750	10 80	28·76	22·23
	सोलवेंट	25000	—	18 25	40·09
	रिफाइनरी	15000	—	2 99	5·25
3.	फतेहनगर				
	सोलवेंट	12500	64·84	7·96	42 44
	नई मिल	20000	32·14	40·77	19·81
	पुरानी मिल	11500			
4	जालोर	20000	38 70	40 35	33·16
5.	झुंझुनू	6000	54·52	66 87	53·34
6.	मेड़तासिटी	20000	32·10	35·85	38·35
7.	श्रीगंगानगर	20000	31·16	53·79	41·97
8.	गंगापुरसिटी	10000	31·00	52·24	62·19

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 95 की सूची

अतिक्रमियों की सूची

क्र. सं.	नाम अतिक्रमी	ख.न.	क्षेत्रफल	विवरण
1.	श्री अणदाराम पुत्र लादूराम जाट सा. गोरेड़ीकस्बा	98/2	0·14	बिस्वा बाड़ा बनकार
2.	,, नरसाराम/लादूराम जाट सा. गोरेड़ी कस्बा	,,	0·6	बिस्वा ,,
3.	,, घीसाराम/डूगाराम जाट सा. गोरेड़ी चाचा	,,	0·4	,, बाड़ा पत्थर
4.	,, पूरखाराम/रतना जाट सा. गोरेड़ीचाचा	,,	0·3	,, पक्की बाउंड्री
5.	,, चैनाराम/किशनाराम जाट सा. गोरेड़ी चाचा	,,	0·4	,, ,,
6.	,, भंवरलाल/नरसाराम सा. गोरेड़ी चाचा	,,	0·3	,, पक्की दिवार
7.	,, परसाराम/भीमाराम जाट सा. गोरेड़ी कस्बा	,,	0·4	,, ,,
8.	,, रामसिंह दरोगा सा. गोरेड़ी	,,	0·3	,, पक्का मकान
9.	,, गिरवरसिंह/छोटूसिंह राजपूत सा. गोरेड़ी	,,	0·4	,, ,,
10.	,, गणपत/मगनीराम जाट सा.	,,	0·1	,, बाड़ा
11.	,, हीरालाल/लक्ष्मीनारायण सोनी गोरेड़ी	,,	0·4	,, पक्का मकान
12.	,, श्यामसुन्दर/लक्ष्मीनारायण सोनी	,,	0·3	,, ,,
13.	,, मुनाराम/सुजाराम गवारिया	,,	0·2	,, कच्चा मकान

क्र. सं.	नाम प्रतिक्रमी	ख. न.	क्षेत्रफल	विवरण
14.	श्री दयाल/पाबूराम गवारिया	98/2	0·2	बिस्वा कच्चा मकान
15.	,, बन्शी पुत्र धन्ना गवारिया	,,	0 2	,, ,,
16.	,, मनुड़ी पुत्री भीकाराम गवारिया	,,	0·4	,, ,,
17.	,, मुथरालाल/कन्यालाल लखारा	,,	0·4	,, बाड़ा
18.	,, जगदीश पुत्र धन्नाराम गवारिया	,,	0·4	,, मकान
19.	,, पुखराज पुत्र रामकरण जाट सा. गोरेड़ी	,,	0·4	,, पटियां कब्जा
	योग :-	19 व्यक्ति	3·15 बीघा	

1 बीघा सड़क की भूमि सम्मिलित करने पर कुल 4·15 बीघा भूमि पर प्रतिक्रमण से प्रभावित है।

ह०/-
जिला कलेक्टर, नागौर

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 97 की सूची

नये घोषित ग्रामों की सूची–(अ)

क. सं.	मूल ग्राम	नये घोषित ग्राम
1.	नारायणपुरा	बुद्धदेवपुरा
2.	सरगोठ	हनुमानपुरा
3.	राणासर	लिखमासर
4.	रसाल	सारणपुरा
5.	झिलिया	सदवपुरा

250 से अधिक की आबादी वाली ढाणियों की सूची–(ब)

क. सं.	मूल ग्राम	नाम ढाणी
1.	जूसरी	1. भाकरों की ढाणी
		2. मालियों की ढाणी
		3. देवालियों की ढाणी
		4. हनुमानजी की ढाणी
		5. मोदारों की ढाणी
		6. किरडोलियों की ढाणी
2.	बोरावड़	7. कास्या बेरा की ढाणी
		8. पिरासिया की ढाणी
		9. लवारियां की ढाणी
3.	जाखली	10. दानजी की ढाणी
4.	सफेद बड़ी	11. गिठाला की ढाणी
5.	इन्दोखा	12. इन्दोखा की ढाणी
6.	बाजोली	13. नेतड़ा की ढाणी
7.	छोवड़ीकला	14. जुवाणा की ढाणी

क्र. सं.	मूल ग्राम	नाम ढाणी
8.	गेढाकला	15. ढेर की ढाणी
9.	बेसरोली	16. गुषरों की ढाणी
10.	हुड़िया	17. सोढाला नाडा की ढाणी
11.	कालवा	18. बाजियों की ढाणी
12.	भैयाकला	19. गीटाला की ढाणी

ह०/—
जिला कलक्टर (भू० प्र०)
नागौर

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 98 का विवरण

अजमेर जिले के व्याख्याताओं के रिक्त पदों की सूची :—

क्र.स.	रा. सी. मा. वि. का नाम	रिक्त पदों के विषय
1.	मो. ई., अजमेर	व्या. शिक्षा (रेडियो, टीवी, विद्युत)
2.	शिप्र वि. (भाषा) अजमेर	1–एस यू पी डब्ल्यू 2–भूगोल 3–इतिहास 4–हिन्दी
3.	अन्ध, अजमेर	राज. विज्ञान
4.	पुष्कर	1–राज. विज्ञान, 2–अर्थशास्त्र
5.	पटेल, ब्यावर	1–अर्थशास्त्र, 2–भौतिक, 3–सिलाई, 4–संगीत
6.	जैन गुरूकुल, ब्यावर	1–अर्थशास्त्र, 2–व्या. शिक्षा–2
7.	व्या., नसीराबाद	1–इतिहास, 2–राज. विज्ञान,
8.	राजेन्द्र, अजमेर	1–इतिहास,
9.	ओसवाल जैन, अजमेर	1–चित्रकला, 2–शा. शि.
10.	केकड़ी	1–अर्थशास्त्र
11.	राजगढ़	1–इतिहास, 2–राज. विज्ञान
12.	राजियावास	1–भूगोल, 2–अर्थशास्त्र, 3–राज. विज्ञान
13.	सराना	1–राज. विज्ञान
14.	सनातन धर्म, ब्यावर	1–अर्थशास्त्र, 2–अंग्रेजी, 3–हिन्दी
15.	जालिया–2	1–गणित –2भौतिक, 3–रसायन
16.	जवाजा	1–भौतिक, 2–गणित, 3–भूगोल, 4–राज. विज्ञान
17.	किशनगढ़	1–भूगोल, 2–अर्थशास्त्र, 3–राज. विज्ञान
18.	तोपदड़ा, अजमेर	1–रसायन विज्ञान–
19.	बाघश्री	1–इतिहास, 2–राज. विज्ञान
20.	लीड़ी	1–व्या. संगठन
21.	लोटियाना	1–हिन्दी, 2–विशेष हिन्दी
22.	टाडगढ़	1–राज. विज्ञान
23.	बड़ा खेड़ा	1–राज. विज्ञान
24.	सरवाड़	1–रसा. शास्त्र, 2–भूगोल, 3–इतिहास 4–राज. विज्ञान
25.	श्री नगर	1–अर्थशास्त्र
26.	रामसर	1–अर्थशास्त्र
27.	कादेड़ा	1–हिन्दी, 2–राज. विज्ञान
28.	सावर	1–इतिहास, 2–राज. विज्ञान

क्र. सं.	रा. सी. मा. वि. का नाम	रिक्त पदों के विषय
29.	बघेरा	1-राज. विज्ञान 2-जीव विज्ञान
30.	भिनाय	1-राज. शास्त्र
31.	देवलिया कलां	1-हिन्दी, 2-इतिहास, 3-अर्थशास्त्र
32.	सराई	1-रसायन, 2-भौतिक, 3-जीव विज्ञान
33.	पिसांगन	1-इतिहास, 2-अर्थशास्त्र
34.	मसुदा	1-जीव विज्ञान, 2-कृषि, 3-संस्कृत

योग 72 पद

क्र. सं.	राज. बालिका सी. मा. विद्यालय का नाम	रिक्त पदों के विषय
1.	छावनी, ब्यावर	1-गृह विज्ञान, 2-अंग्रेजी
2.	केन्द्रीय, अजमेर	1-उर्दू 2-हिन्दी, 3-व्या. शिक्षा
3.	विजय नगर	1-इतिहास, 2-भूगोल
4.	सरवाड़	1-राज. शास्त्र
5.	किशनगढ़	1-भौतिक शास्त्र
6.	केकड़ी	1-भौतिक, 2-जीव विज्ञान
7.	माडल, अजमेर	1-गणित

योग=12 पद

वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त पदों की सूचना :—

(बालक) तृतीय वेतन श्रृंखला के रिक्त पद :—

क्र. स.	राज. मा. वि./सी. मा. वि. नाम	विषय रिक्त पद	क्र. विद्यालय	पद
1.	मा. वि., गुड़ा खुर्द	विज्ञान		
2.	मा.वि. फतेहगढ़	,,	1-विजयनगर	1
3.	,, बटियाली	,,	2-राजेन्द्र, अजमेर	1
4.	,, बेगलिया वास	,,	3-केकड़ी	1
5.	,, नन्दवाड़ा	,,	4-सादुल किशनगढ़	1
6.	,, सिंगावल	,,	5-तबीजी	1

1	2	3	4	5
7.	मा. वि. रामगढ़	संस्कृत	6–गोविन्दगढ़	1, उर्दू=1
8.	सी. मा. वि., अराई	विज्ञान	7–सधर्म, ब्यावर	1
9.	सी. मा. वि राजेन्द्र, अजमेर	,,	8–करकेड़ी	2
10.	,, महात्मा गांधी, अजमेर	,,	9–तारागढ़	1
11.	,, तोपदड़ा, अजमेर	सामान्य	10–टाडगढ़	1
		योग=11 पद		योग=11 पद

बालिका विद्यालय : –

1.	सी. मा. वि. छावनी,	ब्यावर विज्ञान
2.	,, केकड़ी	सामान्य
3.	मा. वि. सावर	अंग्रेजी, सामान्य=2
4.	,, जवाजा	विज्ञान
5.	,, बालिया	सामान्य
6.	,, राम नगर	शा. शि.
7.	,, पीसांगन	सामान्य
		योग=9 पद

(279)

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 119 की सूची

राजस संघ में निलम्बित कर्मचारियों की सूची

क्रम सं.	नाम कर्मचारी	पद	निलम्बित की दिनांक	आरोप पत्र देने की तारीख
1.	श्री नरेन्द्रसिंह महियारिया	क्षेत्रीय प्रबन्धक	31–3–95	27–5–95
2.	श्री भगवतसिंह झाला	सहा० क्षेत्रीय प्रबन्धक	31–3–95	
3.	श्री कालूराम रोत	क्षेत्रीय प्रबन्धक	4–4–95	1–9–95
4.	श्री बेलाराम मीणा	सहा० क्षेत्रीय प्रबन्धक	22–5–95	19–9–95
5.	श्री रामस्वरूप मीणा	सहा० क्षेत्रीय प्रबन्धक	29–1–96	1–2–96

273

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 123 का विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	परियोजना	रिक्त पदों के नाम व कब से रिक्त हैं															
			बा.वि. प.प्र.	कब से	स.बा. वि.प.प्र.	कब से	क. लेखा.	कब से	व.लि.	कब से	म.प.	कब से	वा.चा.	कब से	च.श्रे.कर्म	कब से
1.	जयपुर	कोटपूतली	–		–	–	–				3	90–91	–	–	–	–
		दूदू	–		2	94–95	–				11	94–95	2	10/94	3	10/94
		सांभर	–		1	94–95	–				7	94–95	1	10/94	2	10/94
		बैराठ	–		1	94–95	–				7	94–95	1	10/94	2	10/94
		शाहपुरा	–		–	–	–				4	94–95	1	10/94	1	2/96
		गोविन्दगढ़	–		2	94–95	–				2	94–95	2	10/94	3	2/96
		आमेर	–		2	94–95	–				–	–	2	2/96	3	2/96
		जमवारामगढ़	–		1	93–94	–				–	–	–	–	1	2/94
		सांगानेर	–		1	94–95	–		1	7/95	–	–	1	2/96	2	2/96
		झोटवाड़ा	–		–		–				–	–	1	11/95	1	2/96
		जयपुर प्रथम	–		–		–				–	–	–	–	–	–
		जयपुर द्वितीय	–		–		–				–	–	–	–	–	–
		चाकसू	–		–		–				–	–	–	–	–	–
		फागी			–		1	12/95			–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		बस्सी	–		–		–				–	–	–	–	–	–
2.	अजमेर	केकड़ी	–		–		–				4	94/95	1	10/94	1	10/94
		भिनाय	–		–		–				3	94/95	1	10/94	1	10/94
		अराई	–		–		–				–	–	1	11/95	–	–
		अजमेर शहर	–		–		–				–	–	–	–	–	–
3.	कोटा	चेचट	–		–		1	8/95			2	90/91	–	–	–	–
		इटावा	–		–		–				6	94/95	1	10/94	1	10/94
		कोटा शहर	1	9/95	–		–				–	–	1	11/95	–	–
4.	जोधपुर	शेरगढ़	–		–		1	6/95			1	94/95	–	–	–	–
		बाप	–		1	87–88	–				2	94/95	–	–	–	–
		लूणी	–		–		–				–	–	–	–	1	6/95
		जोधपुर शहर	–		–		–				–	–	–	–	–	–
		फलौदी	–		–		–				–	–	1	11/95	–	–
		बिलाड़ा	–		–		–		1	7/95	–	–	–	–	–	–

275

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 124 का विवरण

जीवनधारा

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	नाम जिला	आवंटन 94–95	व्यय 94–95	भौतिक लक्ष्य 94–95	पूर्ण कुओं की संख्या	आवंटन 95–96	व्यय जनवरी 96 तक	भौतिक लक्ष्य 95–96	पूर्ण कुओं की संख्या जन. 96 तक	निर्माणाधीन लक्ष्य रूप (सं.)
1.	अजमेर	18·90	21·13	64	134	140·00	28·38	472	90	319
2.	अलवर	21·54	21·92	80	42	40·00	16·53	118	28	99
3.	बांसवाड़ा	51·15	15·42	254	144	—	11·79	—	199	616
4.	बारां	20·57	10·88	68	59	—	2·75	—	17	195
5.	बाड़मेर	16·60	66·68	35	181	160·00	7·74	341	31	97
6.	भरतपुर	11·96	8·87	74	51	120·00	2·41	448	24	137
7	भीलवाड़ा (—)	7·64	55·01	89	247	120·00	24·34	376	162	323
8.	बीकानेर	9·70	58·21	14	139	100·00	98·01	121	134	133
9.	बून्दी	9·42	23·98	31	37	100·00	12·72	324	45	161
10.	चित्तौड़	21·86	53·66	67	149	120·00	16·64	366	64	52
11.	चूरू	13·40	19·93	20	60	—	29·44	—	40	63
12.	दौसा	6·25	—	23	2	—	0·44	—	—	108
13.	धौलपुर	5·15	7·10	27	26	40·00	4·07	155	13	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	डूंगरपुर	48·18	46·22	176	403	140·00	41·00	511	121	843
15.	गंगानगर	1·63	—	5	—	—	—	—	—	—
16.	जयपुर	10·20	6·80	37	27	—	0·69	—	10	100
17.	जैसलमेर	2·02	0·59	6	1	—	0·34	—	—	47
18.	जालौर (—)	1·25	43·49	41	202	100·00	48·11	275	66	758
19.	झालावाड़	17·04	26·95	61	61	80·00	16·45	287	19	101
20.	झुंझुनूं	2·30	39·74	21	126	100·00	7·04	284	23	22
21.	जोधपुर	11·66	20·72	35	47	—	13·88	—	27	137
12.	कोटा (—)	5·82	7·29	39	18	80·00	2·63	265	16	158
23.	नागौर	23·39	44·38	50	93	120·00	48·96	255	119	50
24.	पाली	35·23	26·43	101	167	120·00	8·07	343	25	255
25.	राजसमंद	15·44	27·74	55	234	100·00	15·53	356	69	76
26.	स. माधोपुर	35·51	16·84	134	83	—	13·71	—	164	168
27.	सीकर (—)	9·82	13·36	30	35	80·00	4·89	231	13	6
28.	सिरोही	12·00	12·09	51	48	65·93	8·36	210	33	311
29.	टोंक	20·93	21·97	69	151	120·00	12·96	393	38	109
30.	उदयपुर	71·33	58·15	265	104	160·00	35·90	595	93	827
31.	हनुमानगढ़	0·29	—	—	—	80·00	—	172	—	—
	योग :-	479·22	775·75	2022	3071	2285 93	533 78	6898	1683	5808

नोट :—उक्त योजना में पूर्व वर्षों की अवशेष राशि का भी उपयोग किया गया है।

इन्दिरा आवास योजना

क्र. सं.	नाम जिला	वर्ष 1994–95				वर्ष 1995–96				
		आवंटित राशि	व्यय 94–95	लक्ष्य 94–95	पूर्ण आवास 94–95	आवंटित राशि	व्यय 95–96 (जनवरी, 96 तक)	लक्ष्य 95–96	पूर्ण आवास जन. 96 तक।	प्रगति पर (संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अजमेर	37·89	63·18	387	589	90·90	51·05	739	443	528
2.	अलवर	109·45	116·98	1012	1250	237·74	149·60	1933	518	2427
3.	बांसवाड़ा	154·24	229·56	1672	2343	392·85	309·58	3193	2084	2205
4.	बांरा	68·33	50·62	555	714	130·52	42·36	1061	205	831
5.	बाड़मेर	5·70	79·76	533	776	125·21	54·51	1018	374	635
6.	भरतपुर	34·84	60·19	598	680	140·46	63·17	1141	282	956
7.	भीलवाड़ा	82·53	77·45	671	877	157·61	63·17	1281	704	669
8.	बीकानेर	14·98	60·52	318	464	74·75	62·65	608	538	128
9.	बूंदी	20·14	72·14	512	702	120·29	86·30	978	797	1203
10.	चित्तौड़गढ़	22·69	185·35	899	1776	211·26	145·43	1717	1279	867
11.	चूरू	32·44	77·25	488	628	114·56	33·66	932	295	453
12.	दौसा	77·65	97·07	841	1202	197·69	88·54	1607	1144	660
13.	धौलपुर	28·19	67·82	589	602	71·85	64·94	584	261	634
14.	डूंगरपुर	115·00	114·35	1126	1302	264·56	111·77	2151	652	2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	गंगानगर	98·83	122·75	1260	1003	296·04	228·04	2407	2180	1060
16.	जयपुर	106·83	243·42	1158	1865	272·05	134·64	2212	997	1975
17.	जैसलमेर	10·31	12·86	112	118	26·27	14·52	214	149	137
18.	जालौर	48·56	83·47	524	845	123·09	79·66	1002	581	640
19.	झालावाड़	26·14	69·89	470	544	110·45	59·15	898	378	913
20.	झुंझुनूं	20·32	63·15	417	557	97·81	53·91	795	461	325
21.	जोधपुर	48·26	99·30	523	1021	122·89	70·16	999	579	624
22.	कोटा	21·81	92·79	449	600	105·45	39·03	858	337	438
23.	नागौर	87·19	97·48	720	901	169·24	142·34	1376	1007	418
24.	पाली	28·65	63·83	546	692	128·23	36·32	1043	409	759
25.	राजसमंद	44·41	54·54	361	485	84·80	32·83	689	284	618
26.	स. माधोपुर	126·93	108·87	1376	1209	323·29	189·81	2,28	1615	1429
27.	सीकर	50·01	78·26	486	675	114·04	88·08	927	549	387
28.	सिरोही	42·12	65·68	459	578	107·84	97·84	877	668	835
29.	टोंक	35·78	71·30	521	627	122·34	90·29	995	452	893
30.	उदयपुर	237·80	249·75	1933	2745	454·16	307·70	3692	686	4294
31.	हनुमानगढ़	17·44	58 96	—	564	21·12	63·52	985	224	407
	योग :–	1857·66	2989 27	21516	28934	13509·36	3084·56	41540	222 32	30,355

नोट : उक्त योजना में पूर्व वर्षों का अवशेष राशि का उपयोग किया गया है।

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 126 की सूचियां

जिला सवाई माधोपुर में पशु चिकित्सालयों हेतु दिये गये बजट की सूची

आयोजना व्यय

क्र सं.	मद का विवरण	कार्यालय व्यय	वाहन किराया	औषधि	उपकरण	योग
1.	वर्ष 94–95 में कुल आवंटित बजट	46000/–	80000/–	79700/–	25700/–	231400/–
	वर्ष 94–95 में खर्च राशि	45995/–	52703/–	63668/–	22436/–	10:802/–
2.	वर्ष 95–96 में कुल आवंटित बजट	52000/–	16000/–	93080/–	24000/–	175000/–
	वर्ष 95–96 में खर्च राशि	43810/–	15691/–	41798/–	18945/–	120244/–
	कुल योग	187805/–	164394/–	268246/–	91081/–	711526/–

279

2. आयोजना भिन्न व्यय

क्र. सं.	मद का विवरण	कार्यालय	भवन किराया	वाहन संधारण	औषधि	उपकरण	योग
1.	वर्ष 94-95 में कुल आवंटित बजट	60000/-	17200/-	24000/-	155200/-	10550/-	266950/-
	खर्च राशि	59922/-	16712/-	18122/-	153036/-	9485/-	257277/-
2.	वर्ष 95-96 में आवंटित बजट	60000/-	14000/-	22000/-	163600/-	16880/-	276480/-
	खर्च	40631/-	—	10383/-	161760/-	11701/-	224+57/-
	कुल योग	220553/-	47912/-	74505/-	633596/-	48616/-	1025182/-

281

जिला सवाई माधोपुर में किये गये कार्य टीकाकरण की सूची

वर्ष	आर.पी.	एच.एस.	बी.क्यू.	एफ.एम.डी.	ए आर.बी.	योग
1993–94	326327	101162	7956	1911	32	437418
1994–95	62563	94748	1358	2833	—	161502
1995–96 (अप्रैल, 95 से फरवरी, 96)	—	114911	590	478	330	116309

नोट :—आर. पी. वैक्सरनेशन पशुओं के जीवनकाल में एक बार ही किया जाता है।

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 127 की प्रति

THE RAJASTHAN ANIMALS AND BIRDS SACRIFICE (PROHIBITION) ACT, 1975

(Act No. 21 of 1975)

(Received the assent of the president on the 24th day of April 1975)

An

Act

to prohibit sacrifice of animals and Birds in, or within the premises of the temples or places of public religious worship in the State of Rajasthan

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Twenty-sixth Year of the Republic of India, as follows :—

1 Short title, extent and commencement :—(1) This act shall be called the Rajasthan Animals and Birds Sacrifice (Prohibition) Act, '75.

(2) It shall extend to whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions :–In this Act, unless the context otherwise requires :–

(a) Temple Premises means a mandap building attached to the temple a land attached to the temple, which is generally used for the purpose of worship, in the temple whether such land is a property of the temple or not, and includes whole of the area attached to the temple, where a fair is organised or a yatra is performed.

(b) 'Sacrifice' means killing or mutilating an animal or a bird with the intention or for the purpose, of pleasing a deity or a god;

(c) 'Temple' means a place, known by whatever name; which is being used as a public place of religious worship and dedicated as a public place of religious worship, and

(d) 'Place of public religious worship' means any place inten for use by, or accessible to, the public or a section thereof, for the purpose of religious worship or adoration.

3. Sacrifice of animals or birds in or within the premises of a temple; or in any place of public religious worship prohibited No person shall sacrifice an animal or a bird, or assist in sacrifice it in a temple or within the premises thereof, of in any other place of public religious worship.

4. Performing of a sacrifice etc prohibited :– No person shall :—

a. Officiate or offer to officiate, or

b. perform or offer to perform, or

c. Serve, assist or participate or offer to serve, assist or participte in any sacrifice in a temple or its premises or in any other place of public religious worship.

5. Prohibition of use of a temple or temple premises or any other place of public religious worship for a sacrifice–No person shall knowingly allow the performance of sacrifice at a place, which its.

(a) Situated in a temple or, its premises or in any other place of public religious worship; and

(b) In his possession or under his control.

6. Punishment :—(1) Whoever shall contravene or assist or abet in contravention of the provisions of section 3 of this Act may on conviction be punishable with imprisonment which may extend upto 6 months or with fine up to Rs. 500/– or with both simultaneously.

(2) Whoever shall contravene or assist or abet in contravention of the provision of section 4 or section 5 of this Act, may be punishable with imprisonment which may extend upto 3 months or with fine up to Rs. 300/– or with both simultaneously.

(284)

7, Hearing of offences :–The offence falling under this Act shall be heard by a Judicial Magistrate of the First Class.

8. Issue of prohibitory Order :–(1) If, on receipt of a complaint or any information, the Executive Magistrate is satisfied that a sacrifice is going to be performed in contravention of the provisions of this Act, he may issue an order prohibiting the persons arranging or performing such sacrifice or those connected therewith.

(2) Whoever, having known that a prohibitery order has been issued against him under sub-section (1), contravenes it, may on conviction, be punishable either with imprisonment which may extend upto 1 year or with fine up to Rs. 1000/– or with both.

9. Duties of an Incharge of a Police Station for making an application for a prohibitory order or for filing a complaint :–

(1) On receiving the information that a sacrifice has been arranged or has to be performed, the officer-incharge of a Police Station, shall, unless there are reasonable grounds which shall be recorded in writing for not believing the said information, make an application to the Executive Magistrate where the sacrifice is going to be performed in contrevention of the provision of this Act for obtaining a prohibitory order under Section 8.

(2) On receiving the information that an offence under this has been committed, the Officer Incharge of a Police Station shall, unless there are reasonable grounds which shall be recorded in writing for not believing the said information, file a complaint as early as bossible before the Judicial Magistrate having jurisdiction to try such offences.

Secretary to the Government